राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का 17 वां दिवस [संख्या 14

बुधवार,

दिनांक 25 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, गृह, जनस्वास्थ्य, विद्युत्, स्वायत्त शासन एवं उद्योग विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 257

श्री आईदान सिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री नन्दलाल बैरवा।

बूंदी रोड लाखेरी सड़क पर कार्य

258. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी रोड से लाखेरी तक की सड़क का कार्य गत 10 वर्ष पूर्व स्वीकार किया गया था ?

(2) गत वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी राशि इस सड़क पर व्यय की गई और उससे अब तक कितने मील सड़क तैयार हो गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के लिये मन्जूर की गई राशि किसी अन्य सड़क पर व्यय कर दी गई ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अगले टर्न पर रख दिया जाय।

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न मेरे द्वारा 68 में पूछा गया था।

Page No 2

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 259

श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री नथमल चौहला

सीकर जिले में पानी के कनेक्शन की फीस

260. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ सु०): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या राजस्थान में जलदाय विभाग द्वारा जो फ्लेट रेट से कनेक्शन दिये जाते हैं उनकी अलग अलग फीस है ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिला जलदाय विभाग के अन्तर्गत चल रही जल योजनाओं में किसी योजना के कनेक्शन की फीस 16 रुपया तथा किसी के 11 रुपये लिये जाते हैं ? यदि हां, तो यह अन्तर क्यों है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सीकर जलदाय विभाग में ही कनेक्शन फीस के किन्हीं उपभोक्ताओं से 15 रु० तथा किन्हीं से 10 रु० लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सीकर जलदाय विभाग द्वारा डुप्लीकेट पानी के बिल के किसी से 0.25 पैसे और किसी से बारह पैसे लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, 1-8-67 से पहले 25 पैसे डुप्लीकेट बिलों के लिये जाते थे किन्तु तत्पश्चात राजस्थान जलप्रदाय नियमों के लागू होने पर केवल 12 पैसे ही लिये जाते हैं।

श्री नथमल चौहला : पहले 1 व 2 भाग का क्या उत्तर दिया, सुनाई नहीं दिया

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा भी जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बिना एक्ट के बने हुए रूल्स किस प्रकार से फोर्स में आते हैं ?

श्री भीखाभाई : एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये रूल्स बनाये जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : डेमेजेज रिकवर करते हैं। रिकवरी का जहां तक सवाल है, जब तक किसी एक्ट के अन्तर्गत रूल्स न हो आप फाइन और डिस्कनेक्शन किसी प्रकार कर नहीं सकते जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रूल्स हैं और एक्ट के अन्तर्गत हैं उसी प्रकार वाटर वर्क्स में इस प्रकार के रूल्स नहीं बने हुए हैं और बिना एक्ट के नियमों की सेन्क्टीटी क्या है ?

Page No 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समझ में आगया है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं लीगल बात रखी है उसको एग्जामिन किया जावेगा।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम हैं ?

श्री भीखाभाई : कभी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री शिवनाथसिंह।

उदयपुरवाटी में बिजली के कनेक्शन

261. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर वाटी पंचायत समिति के ककराना ग्राम में पिछले पांच साल से ट्रान्सफार्मर रखा होने के बावजूद भी आज तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम वालों के बारबार प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको कनेक्शन नहीं मिल पाये हैं तथा उनकी दरख्वास्त फर्जी नोटिस जारी किये जाना दिखला कर खारिज कर दी गई है ?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, क्योंकि व्यक्तियों ने नियमों में निर्धारित औपचारिकतायें पूरी नहीं की थीं।

(2) जी नहीं।

श्री शिवनाथसिंह : कौनसी औपचारिकतायें पूरी नहीं कीं ?

श्री खेतसिंह : इसके लिये 13 आदमियों के शामलात की एप्लीकेशन थी। उसके लिये एस्टीमेट बने 56,920 रु० के। उनको कहा गया कि पैसा जमा करा दो। कार्यवाही कर दें। लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया।

श्री शिवनाथसिंह : आपको दरख्वास्तें दीं, चेयरमैन साहब को दरख्वास्तें दीं। अब कहते हैं कि पैसा जमा नहीं कराया जबकि पैसा जमा ही नहीं किया।

श्री खेतसिंह : शुरू में ही विजिलेन्स ऑफीसर डेप्यूट कर दिया है जो सारे मामले की जांच करेगा।

श्री शिवनाथसिंह : दूसरा प्रश्न यह है ट्रान्सफार्मर जिस जगह लगाया गया है वह ठीक जगह नहीं लगाया गया है क्योंकि जिस जगह कनेक्शन हो सकते हैं वह तीन मील के फासले पर है। पांच साल लगे हुए हो गये ट्रान्सफार्मर को लेकिन एक भी कनेक्शन नहीं लगा है। लोग बिजली लेना चाहते हैं और आप देना नहीं चाहते।

श्री खेतसिंह : सारे मामले की जांच आई०ए०एस० केडर का विजिलेन्स ओफिसर कर लेगा और कनेक्शन के बारे में भी सारी कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री शिवनाथसिंह : किसी आदमी को असुविधा होना दूसरी बात है। लेकिन ट्रान्सफार्मर को ठीक जगह पर रखा जाय जिससे कनेक्शन लग सकें, उसमें राज्य सरकार क्या कहती है ?

Page No 4

श्री खेतसिंह: उसकी भी जांच करवायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 262

श्री हरलालसिंह खर्रा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

पटवारियों के पद समाप्त करने की सिफारिश।

263. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन (Rajasthan Revenue Laws Commission) ने राजस्थान में पटवारियों के पद को समाप्त करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है और कब तक सरकार उक्त सिफारिश को लागू करेगी ?

उप मंत्री राजस्व(श्री गंगाराम चौधरी): जी हाँ, राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : विचाराधीन का कोई समय है ? अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन का कोई समय तय हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन से मैं भी परेशान हूं।

श्री मूलचन्द डागा : विचाराधीन दस साल हो सकते हैं और एक साल भी हो सकता है।

श्री गंगाराम चौधरी : रेवेन्यू लाज कमीशन ने पांच रिपोर्ट्स पेश की थीं। द्वितीय रिपोर्ट में पटवारियों के पद को समाप्त करने का जिक्र है और वह रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है। जब निर्णय लिया जावेगा तो यह मसला भी शामिल कर लिया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : 1966 में रिपोर्ट निकली। चार साल हो गये। आप उसकी रिकमेंन्डेशन को इम्प्लीमेन्ट भी नहीं करते। सारे ग्रामीण दुःखी हैं। आप चाहते हैं कि क्रान्ति न हो ?

श्री गंगाराम चौधरी : रेवेन्यू लॉज कमीशन की प्रथम रिपोर्ट पर निर्णय ले लिया और नया बिल बना कर राजस्थान विधान सभा में प्रेषित कर दिया गया जो सिलेक्ट कमेटी के विचाराधीन है। द्वितीय रिपोर्ट पर विचार चल रहा है। अन्तिम निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी और संशोधन आवश्यक हुआ तो संशोधन बिल पेश किया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अब भी समय निर्धारित कर सकते हैं कि इतने समय में निर्णय दे देंगे। आपकी सरकार अनिर्णय की प्रहरी है।

श्री गंगाराम चौधरी : बहुत बड़ी रिपोर्ट है। समय निर्धारित करना तो इसमें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर जल्दी कार्यवाही की जाकर रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष पेश कर दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं राज्य सरकार का एक प्रश्न पर पुनः ध्यान आकर्षित करना

Page No 5

(श्री अध्यक्ष)

चाहता हूं कि जो प्रश्न यहां पर आते हैं उनके उत्तर या तो टेबल पर आते ही नहीं या उनके उत्तर ही नहीं आते हैं। मैं बार बार इस ओर राज्य सरकार को सजग कर चुका हूं लिखित में और मौखिक भी और सदन के माध्यम से भी कर चुका हूं। यदि उस प्रश्न को स्थगित करता हूं तो माननीय सदस्यों को हानि होती है। राज्य सरकार पर ताड़ना का कोई असर नहीं होता। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार सजग हो। जवाब इससे पूर्व आने चाहिये। टेबल पर भी आजायं तो भी अच्छा है। मैं फिर राज्य सरकार को सजग करना चाहता हूं।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

श्री हीराभाई।

थरमल प्लान्ट बांसवाड़ा

264. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में जो थरमल प्लान्ट लगाया गया है उसमें 84 लाख रुपये की लागत लगी है? यदि नहीं, तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि यह प्लान्ट नैवाली लिगनाइट आन्ध्र राज्य में खराब पड़ा था ? यदि नहीं, तो कहां था ?

(3) क्या इस प्लान्ट से वहां भी घाटा हुआ था तथा इसी कारण यह बन्द था ?

(4) क्या यह सही है कि जब इस प्लान्ट को लगाने टैक्निशियन आये थे तो उन्होंने यह बतलाया था कि इसके पुर्जे, जैसे पाइप, बायलर, टरबाइन आदि खराब हैं तथा ओरिजिनल पुर्जे नहीं होने से यह पूरी तरह कार्य नहीं कर सकेगा ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल ने उक्त प्लान्ट को 23 दिन चला कर घाटे की स्कीम मान कर बंद कर दिया तथा प्रति दिन 1800 रुपये का घाटा उठाया ?

(6) क्या यह सही है कि यह प्लान्ट दलाल के मार्फत खरीदा गया था ? यदि नहीं, तो किससे ?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) एक थर्मल प्लान्ट लगाया गया। 21,51,580 रुपये खर्च हुए।

(2) उपरोक्त प्लान्ट आन्ध्र प्रदेश के नैवाली लिग्माइट से खरीदा गया जहां इसका उपयोग हुआ करता था।

(3) इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(4) उपरोक्त प्लान्ट खरीदने से पूर्व इसका निरीक्षण कर लिया गया था और कन्डेन्सर बदलने की आवश्यकता महसूस की गयी, साधारण मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स लगाने के बाद खरीदा गया।

(5) 15-6-67 से मार्च, 68 तक 90 दिन चलाया गया। राज्य विद्युत् मंडल को इसकी क्षमता कम होने और लोड अधिक होने से जो खर्चा हुआ वह 1200 रुपया प्रतिदिन का घाटा हुआ।

Page No 6

(श्री खेतसिंह)

(6) जी नहीं। उपरोक्त प्लान्ट सीधा खरीदा गया था।

श्री अध्यक्ष : इसका भी उत्तर मेरे पास नहीं है। माननीय उपमंत्री जी मैं चाहता हूं कि आप पता लगावें कि ये कहां रह जाते हैं।

विद्युत् मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : मैं माफी चाहता हूं। 11 बजने में 10 मिनट थे तब तक हम इसका जवाब तैयार कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : मैं भी इधर तैयारी कर रहा था। एक कापी मेरे पास भी भेज सकते थे। प्रश्नकर्त्ता।

श्री हीराभाई : क्या विद्युत मंत्री यह बतायेंगे कि विद्युत मण्डल ने यह योजना लागू करने के साथ साथ यह पुराना ही इंजिन लगाने की कोई राय दी थी या नई योजना स्थापित करने के बारे में कोई राय दी थी ?

श्री खेतसिंह : माही योजना का कार्य प्रारम्भ होने को था इसलिये यह एस्टीमेट तैयार किया गया कि अगर हाइडल पावर नजदीक से ला सकते हैं तो वह लाई जावे। फिर जावर माइन्स से यह लाइन खींचने का प्रावधान था परन्तु इस पर 66 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था इसलिए यह सोचा गया कि यह कास्टली पड़ेगा लिहाजा यह पावर कमीशन के डिस्किशन की बात थी और आन्ध्र गवर्नमेंट इन दोनों सैट्स को देने के लिये तैयार थी लिहाजा इन सैट्स को खरीदा गया ?

श्री हीराभाई : माही बांध से बिजली उत्पादन की आपकी योजना थी—उसमें कितने साल के अन्दर बिजली उत्पादन की यह योजना थी ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हीराभाई : यह अलग से प्रश्न नहीं है। आपने एक खराब इंजिन वहां लगा दिया और इधर यह बता रहे हैं कि माही बांध से जल्दी ही बिज़ली मिलने वाली थी इसलिये यह लगा दिया। तो आपकी क्या टैक्नीकल राय थी और कितने साल तक कितनी बिजली इससे उत्पन्न होगी। यह कितने साल तक चलेगा क्या इसका कोई प्रमाण पत्र आपके पास है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं। मैंने यह निवेदन किया था कि माही योजना के लिये बिजली की जरूरत थी। उसको बनाने के लिये बिजली की आवश्यकता थी लिहाजा यह तय किया गया कि यह दोनों सैटस वहां लगा कर उनकी आवश्यकता को पूरा कर दिया जाये।

श्री हीराभाई : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कितने साल तक और कितनी बिजली देने को था और उसके बाद माही बांध से कब बिजली मिलने को थी।

श्री अध्यक्ष : आप इंजिन की उम्र पूछ रहे हैं।

श्री हीराभाई : हां उम्र पूछ रहा हूं।

श्री खेतसिंह : इसकी कैपिसिटी 2.5 मेगावाट थी।

श्री हीराभाई : यह कितना पुराना था और कितने साल तक काम देने वाला था। मैं इसकी उम्र पूछ रहा हूं और इससे कितनी बिजली मिलने वाली थी।

श्री अध्यक्ष : कितनी उम्र थी और कितनी उम्र बाकी है ? ये दो प्रश्न हैं।

श्री खेतसिंह : यह निवेदन कर दिया गया है कि यह पहले आन्ध्र प्रदेश में काम कर रहा था और वहां काम में नहीं आने से इन सैट्स को यहां के लिये खरीदा गया था।

श्री हीराभाई : यह सही नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में यह मशीन फैल हो चुकी थी और वहां फेल होकर बेकार पड़ी थी और राजस्थान सरकार ने इसको खरीद लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

ठेकेदारों को इंजीनियर नियुक्त करने के आदेश

265. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इन्जीनियरों की बेकारी की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये सरकार ने निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को इन्जीनियर नियुक्त करने के लिये कोई आज्ञा निकाली थी ? यदि हां, तो उक्त आज्ञा का पालन कितने ठेकेदारों ने किया तथा कितने इंजीनियरों को रोजी मिली ?

(2) क्या यह सही है कि जो कोन्ट्रेक्ट दिये जा चुके हैं उनमें किसी ठेकेदार ने इन्जीनियर नहीं रखा।

(3) इस आज्ञा के निकलने के बाद कितने नये कोन्ट्रेक्ट दिये गये और इनमें इंजीनियरों को रखने के लिये क्या कोई इकरार कराया या नहीं ?

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) :

(1) जी हां, 3 इंजीनियरों को 3 विभागीय ठेकेदारों ने काम पर लगाया।

(2) सूचना ऊपर दी जा चुकी है सिर्फ तीन को ही लगाया है।

(3) 3 लाख रुपये से ऊपर के 26 ठेके दिये गये। ठेके की शर्तों में संशोधन करने का मामला विचाराधीन है। जब तक ठेके की शर्तों में संशोधन नहीं हो जाता तब तक कानूनीतौर पर इकरारनामा नहीं कराया जा सकता है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। यह इंजिन यहां बेकार पड़ा था·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ···

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सुनाई नहीं दे रहा है उत्तर अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : वापिस आरम्भ करें।

(दुबारा उत्तर पढ़ा गया)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मंत्री महोदय खुद स्वीकार कर चुके हैं कि यह घोषणा होने के बाद 26 नये ठेकेदारों को 3 लाख से ऊपर के ठेके दिये गये हैं लेकिन उनमें किसी इंजीनियर को नहीं लगाया

Page No 8

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

गया है और आप बता रहे हैं कि यह मामला विचाराधीन है। सालभर हो गया और इन शर्तों के अनुसार उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है ?

श्री माधोसिंह : मैंने निवेदन किया है कि तीन आदमियों को लगाया गया है। हम जबरन, कानूनीतौर पर उनको नहीं लगा सकते हैं। इस पर विचार करने के लिये पी. डब्ल्यू. डी. चीफ इंजीनियर, पब्लिक हैल्थ इंजीनियर और इरीगेशन के इंजीनियर्स की एक कमेटी बना दी है जो ठेके की शर्तों में क्या परिवर्तन हो, उस पर यह कमेटी विचार कर रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ये तीन आदमी लिये गये क्या वे नियमों के अनुसार लिये गये हैं या ठेकेदारों ने अपनी मर्जी के माफिक लगाया था और यदि कानून के अनुसार लगाया था तो 26 ठेकों में क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष : क्या ये तीनों कानून के अनुसार लगाये गये थे।

श्री माधोसिंह : जैसी कि असेम्बली में घोषणा की गई थी ठेकेदारों को उनके अनुसार सलाह दी गई है। लीगली या कानूनन वे इसको माने, यह जरूरी नहीं है और हम जबरन थोप नहीं सकते।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : साल भर हो गया। अभी तक कानून में संशोधन नहीं किया गया है। क्या यह माना जाय कि विभाग की यह मंशा नहीं है कि जल्दी से जल्दी बेकारों को लगाया जाये। फिर राज्य सरकार के घोषणा की क्या कीमत हैं और क्यों उसकी अनुपालना नहीं होती है ?

श्री माधोसिंह : जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो रही है और विचार भी कर रहे हैं। इसमें लीगल एडवाइज लेनी पड़ेगी और इसके लिये तीन इंजीनियरों की एक कमेटी बनाकर उस पर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बहुत बाधाएं हैं।

श्री माधोसिंह : इस पर विचार शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कब तक कर लेंगे।

श्री माधोसिंह : तीन महीने में इसका निर्णय कर लेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हमारे नौजवान, प्रशिक्षित इंजीनियर बेकार घूम रहे हैं और कानून में संशोधन करने में देर की जा रही है। यह देरी क्यों हुई है इसका जवाब मंत्री महोदय दें।

श्री माधोसिंह : यह जानकारी दी है कि तीन लोगों को लगाया गया था और इनमें से दो आदमी अकाल राहत कार्यों पर चले गये हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गवर्नमेन्ट की सर्विस में आना पसन्द करते हैं। इसके अलावा हमको भी खेद है कि हमारे इंजीनियर बेकार घूम रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह बुनियादी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि इंजीनियर सरकार की नौकरी में आना पसन्द करते हैं। इसका मतलब

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हुआ कि वे प्राइवेट ठेकेदारों के यहां काम करना नहीं चाहते हैं। आपका जवाब गलत है। आप यहां गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी इंजीनियर बेकार रहने को तैयार नहीं है। वे काम करना चाहते हैं।

श्री माधोसिंह : दो आदमी लगाये थे और वे दोनों ही छोड़ कर फैमिन में चले गये ...

श्री अध्यक्ष : यह इस बात का द्योतक है।

नैक्स्ट। श्री महेन्द्रकुमार।

डूंगरपुर में आदिवासी छात्रावास

266. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर में आदिवासी छात्रावास (समाज कल्याण विभाग) कब से प्रारम्भ किया गया और उसमें कितनी सीटें हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त छात्रावास के प्रारंभ होने के पश्चात् जिले के आदिवासियों में उच्च शिक्षा के प्रति रुचि बढी तो क्या उनके अनुपात से विभाग ने होस्टल की सीटों में वृद्धि की ? यदि हां, तो कब व कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि बांसवाड़ा जिले में विगत 3 वर्षों में कुछ विभागीय होस्टल खोले गये हैं ? यदि हां तो कहां-कहां व कितनी-कितनी सीटों के ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि डूंगरपुर कालेज में वर्तमान में 100 से अधिक आदिवासी पढ़ रहे हैं ? यदि हां, तो होस्टल में सीटों की वृद्धि के लिये सरकार की क्या योजना है ?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री बी. एन. जोशी) : (1) डूंगरपुर में आदिवासी छात्रावास बापा आदिवासी छात्रावास है, राजस्थान आदिवासी सेवक संघ, डूंगरपुर द्वारा 1957 में प्रारम्भ किया गया था उसमें इस समय 35 सीटें स्वीकृत हैं तथा राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर द्वारा संचालित डूंगरपुर छात्रावास की स्वीकृत संख्या 50 है। नूतन बापा छात्रावास की स्वीकृत संख्या 55 हैं।

(2) यह सही है, जी हां इसी वर्ष बापा छात्रावास की स्वीकृत सीटों की संख्या 25 से बढ़ा कर 35 कर दी गई है।

(3) बांसवाड़ा जिले में विगत 3 वर्षों में केवल एक छात्रावास दानपुर में 25 छात्रों का 1969-70 में प्रारम्भ किया गया है।

(4) जी हां। 10 सीटें इसी वर्ष बढ़ाई गई है। अतः वर्तमान में यह विषय विचाराधीन नहीं है।

श्री महेन्द्रकुमार : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर कॉलेज होस्टल में सीटें बढ़ाने की जरूरत है। वहां पर लड़कों की संख्या ज्यादा है तो क्यों नहीं संख्या बढ़ाई जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर सीटें बढ़ाई जायें।

श्री अध्यक्ष : क्या 100 लड़कों के अनुपात में 10 सीटें बढाना पर्याप्त है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आमतौर पर हमारा जो पैटर्न है वह हायर सेकेन्डरी स्कूल के लड़कों के लिए ही है। कॉलेज. युनिवर्सिटी के लड़कों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री महेन्द्रकुमार: अगर समाज कल्याण विभाग इसको खोले तो क्या अड़चन है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आज की वर्तमान नीति के अनुसार नहीं खोला जा सकता है क्योंकि यह हायर सेकेन्डरी के विद्यार्थियों के लिए ही सहायता दी गई है।

प्रश्न संख्या 267

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल बुरासिया। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)।

प्रश्न संख्या 268

श्री मजलिस खां
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 269

श्री श्रवणलाल :
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा कर्मचारियों को पुरष्कार

270. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, श्री सरदारमल सांघी ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर न्यास के कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप नकद धनराशि, सोने और चांदी के मैडल तथा भूखंड प्रदान करने की घोषणा की है ?

(2) यदि हां, तो कृपया जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है अथवा दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं उनके नाम व पुरस्कार की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास, जयपुर में कई अधिकारी व कर्मचारी राज्य कर्मचारी हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर न्यास में कार्य कर रहे हैं ? ऐसे अधिकारियों के नाम की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें। इन लोगों के नियोजन पर न्यास को प्रतिनियुक्त भत्ता अथवा अन्य भत्ते आदि पर क्या अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है ?

(4) क्या यह सही है कि न्यास के कर्मचारियों को पुरस्कार देने के नियम न्यास सेवा नियमों में नहीं हैं ? यदि नियमों में ऐसा प्रावधान है तो कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) राजस्थान में किसी अन्य नगर विकास न्यास ने भी क्या इस तरह के पुरस्कार देने की भी घोषणा की हैं ? यदि हां, तो कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सर्वेन्ट एण्ड पेन्शनर्स कन्डक्ट रूल्स के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर ही क्यों न हो, वेतन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(7) यदि हां तो नगर विकास न्यास जयपुर ने किस अधिकारी अथवा कर्मचारी को आर्थिक लाभ देने की स्वीकृति राज्य सरकार से मांगी है ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्क राज थिंद) : (1) जी हां। भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा रखे गये विशेष प्रस्ताव पर न्यास द्वारा उसकी बैठक दिनांक 25-12-69 मे यह निर्णय लिया गया था कि श्रीराधेकांत शर्मा, सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर को उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप एक भूखण्ड और 1000 रुपये की राशि मानदेय रूप में स्वीकृत की जाय। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों को भी मानदेय रूप में राशि प्रदान की गई।

(2) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, तालिका (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) न्यास सेवा नियम नहीं बने हैं, इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ठ 1 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या नगर विकास न्यास अधिनियम के अंतर्गत नगर विकास न्यास के चेयरमैन या अन्य सदस्यों को इस प्रकार से भूखंड या नकद इनाम देने का अधिकार मिला हुआ है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भीखाभाई): राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए नहीं है...

श्री भैरोंसिंह : वह मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो केवल यह पूछ रहा था कि जब राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम के अन्तर्गत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर इस तरह से भूखड या नकद राशि इनाम में देना किस नियम, उप नियम के मातहत आता है ?

श्री भीखाभाई : राधेकांत का नाम लिया गया है, उनको......

श्री भैरोंसिंह : नाम किसी का नहीं लिखा है। मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूं कि नगर विकास न्यास अधिनियम, नियम और उपनियमों में जब इस प्रकार से भूखड आवंटन करने का और नकद राशि इनाम देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर किस अधिकार के मातहत नगर विकास न्यास ने इस प्रकार की व्यवस्था की है ?

श्री भीखाभाई : रूल्स इस बारे में खामोश हैं और एक्ट भी खामोश है।

श्री अध्यक्ष : रूल्स खामोश हैं।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स खामोश हैं और आप भी खामोश हैं। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह से भूखंड का आवंटन करना या नकद इनाम देना किसी भी नियम, अधिनियम या उप नियम के अन्तर्गत आता है या नहीं। यह किसी भी कानून से मिला हुआ है क्या ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि ये खामोश हैं। अधिनियम और नियम दोनों खामोश हैं। लेकिन राज्य सरकार भी अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसे ऑनरेरियम आदि देती है। उसी प्रकार की परम्परा का अगर न्यास ने भी पालन किया तो मैं नहीं समझता इसमें क्या बुरा किया।

श्री भैरोंसिंह : आपका भाषण तो सुन लिया। क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुमति ली गई थी ?

श्री अध्यक्ष : वह आरम्भ में ही कह दिया है कि जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह: जब अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों में भी इस प्रकार से भूखंड आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है तो फिर जब इस प्रकार से नियमों के विरुद्ध कोई भूखंड यदि आवंटित किया जाता है तो उसके लिये सरकार की परमिशन लेना आवश्यक है या नहीं ? क्या यह सही है कि सरकार की परमिशन के बिना इस प्रकार से भूखंड आवंटित नहीं किया जा सकता।

श्री भीखाभाई : जहां तक ट्रस्ट का सवाल है ट्रस्ट को डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, वे कई प्रकार से भूखण्ड आवंटित करते हैं और उसके लिये राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भू-खंड आवंटन के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं, उनमें या तो आक्शन के जरिये भू-खंड दिये जा सकते हैं या रिजर्व प्राइस फिक्स को जाकर दिये जा सकते हैं। इनके अलावा और किसी प्रकार से भू-खंड नहीं दिये जा सकते ?

श्री भीखाभाई : यह बात सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सही नहीं है ? तो क्या बात सही है? किस प्रकार से आवंटन किया जा सकता है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि जो भू-खंड आवंटन किया जाता है उसका एक तरीका तो यह है कि उनका आक्शन किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : एक।

श्री भीखाभाई : दूसरा तरीका यह है कि अलॉट किये जायें। यह अलॉटमेंट का तरीका है।

श्री भैरोंसिंह : दो।

श्री भीखाभाई : और तीसरा गवर्नमेंट भी कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : तीन।

श्री भीखाभाई : और एक यह कि ट्रस्ट को जैसे ठीक लगता हो, प्रस्ताव पास करके अलाट कर सकते हैं और राज्य सरकार से अनुमति ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति के नाम जिस शहर में पहले ही एक भूखण्ड न्यास द्वारा दिया जा चुका हो, उस व्यक्ति को दूसरा भूखण्ड नहीं दिया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष : कानून।

श्री भीखाभाई : यह परम्परा का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : परम्परा नहीं कानून परम्परा तो बहुत अच्छी चल रही है। आप परम्परा की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिये परम्परा सीमित है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या नियमों और कानून के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को एक प्लॉट जयपुर शहर में पहले ही मिला हुआ है, उसी व्यक्ति को दूसरा प्लॉट बिना सरकारी अनुमति के नगर न्यास नहीं एलॉट कर सकता, इस प्रकार की एक्ट में व्यवस्था है।

श्री भीखाभाई : पूरे एक्ट की तो जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो पैसे किस बात के लेते हो ?

श्री भीखाभाई : परम्परा यह है कि जिस आदमी के पास भूखंड है, चाहे वह नगर पालिका से दिया हुआ हो चाहे न्यास द्वारा दिया हुआ हो, उसको दूसरा भूखंड नहीं अलॉट करना चाहिये। यह परम्परा है और मैंने माननीय सदस्य को इस प्रकार का स्वीकारात्मक जवाब दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्वीकारात्मक जवाब।

श्री भैरोंसिंह : किसको दिया था ?

श्री भीखाभाई : आपको दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे कौनसा जवाब दिया है ?

श्री भीखा भाई : आपने कहा कि दूसरा भूखंड नहीं एलॉट होना चाहिये मैंने इससे आप से सहमति प्रकट कर दी।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बताइये कि जब कानून के अन्तर्गत इस प्रकार से भूखंड एलॉट करने का कोई प्रावधान नहीं है और कानून के खिलाफ यह भूखंड एलॉट किया गया है, तो इस सम्बन्ध में क्या ऐक्शन लेना चाहिये।

श्री भीखाभाई : इस पर विचार किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सचिवालय में इस आवंटन के सम्बन्ध में जो पत्रावली आई थी, उस पर यह लिखा गया था कि आवंटन गलत है और इसको निरस्त कर देना चाहिये।

श्री भीखाभाई : यह आपकी जानकारी ज्यादा है, मेरे बजाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं पत्रावलियों पर आपकी जानकारी ज्यादा होती है।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : अरे भाई, वे तो कहते हैं कि आपकी जानकारी ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं कि इस तरह से लिखा है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं तो और जानकारी कर लूंगा

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह उचित समझते हैं कि राजस्थान के बाकी के नगर न्यास भी इस प्रकार से भूखंड अपने अपने कृपापात्रों को एलॉट करें ? नियमों के विपरीत इस प्रकार से भूखंडों का वितरण किया जाये तो क्या सरकार इसको प्रोत्साहन देगी ?

श्री भीखाभाई : हरगिज नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार इस तरह की बातों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती, तो क्या इस तरह की परम्परा को बनाये रखना चाहती है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा हरगिज नहीं, इस पर भी हरगिज नहीं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मंत्री महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है······

श्री भैरोंसिंह : इनको पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : उनसे कोई टोकन मनी तो नहीं ली गई ?

श्री भीखाभाई : ऐसा लगता है···

अध्यक्ष : निश्चित क्या है ?

श्री भीखाभाई : मैं पूरी जानकारी करके···

श्री भैरोंसिंह : तो इसको स्थगित किया जाये, अध्यक्ष महोदय । इनको नियम नहीं मालूम, पत्रावली में क्या है यह नहीं मालूम···

श्री अध्यक्ष : पत्रावली इनके पास है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : इसको स्थगित किया जाये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री श्रोमदत्त भाटी ।

श्री भैरोंसिंह : इसका क्या हुआ अध्यक्ष महोदय ? इसको पोस्टपोन किया ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, इसमें इतने प्रश्न उठते हैं, माननीय मंत्री महोदय । पहला तो यह है कि नियमों के अनुसार इस तरह से प्लॉट एलॉट करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है या नहीं और वह ली गई कि नहीं । दूसरा प्रश्न यह है कि यदि नियम मौन हैं इस मामले में, तो नियमों की इन्टरप्रिटेशन इस तरह से प्लाट एलाट करने के सम्बन्ध में किस तरह किया जाये । तीसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि विचाराधीन है और माननीय सदस्य ने कहा कि पत्र लिखा गया है उस पर भी फाइल पर अंतिम रूप से क्या हो सकता है । इन तीनों बातों पर माननीय सदस्य को संतोष करा लें ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, नहीं । मेरे संतोष का प्रश्न नहीं है । हाउस को संतोष करालें । इसको पोस्टपोन करलें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : हाउस को अवगत कराएं । अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर लें ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको समझ लूं उसके बाद निर्णय ले लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो बहुत समझे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे से ज्यादा समझते

(श्री भैरोंसिह)

हैं। यह बात अगर एक बार चली तो गलत परम्परा बन जायेगी। इस परम्परा को खत्म कराना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा। परम्परा यदि खत्म कर दी गई तो पोस्टपोन नहीं करूंगा और अगर खत्म नहीं हुई तो पोस्टपोन करूंगा।

श्री भैरोंसिह : क्या राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत भी···

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन कर दिया गया। नहीं, कर दिया जाय या नहीं। इस पर विचार करूंगा।

नैक्स्ट।

नवलगढ़ उदयपुरवाटी सड़क

271. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नवलगढ़ व उदयपुरवाटी के बीच काफी ट्रेफिक रहता है व बसें भी चलती हैं ?

(2) यह रास्ता मोटरेबल है या रेतीला, ऊबड़ खाबड़ है व बैलगाड़ी भी मुश्किल से चलती है ?

(3) क्या इन कठिनाइयों व ट्रेफिक को देखते हुए इस सड़क का निर्माण जल्दी से करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिह भैंसवाड़ा):

(1) जी हां।

(2) 11 मील सड़क बनी हुई है जो पक्की है। 9 मीलों में जहां सड़क निर्माण अभी नहीं हुआ है, कच्चा है और इस भाग में यातायात में दिक्कत होती है।

(3) कार्य चालू है।

श्री ओमदत्त भाटी: पूरी तरह से काम चालू है वह किस आधार पर कहा ? क्या आपने उसका निरीक्षण किया है ?

श्री माधोसिह : निरीक्षण तो नहीं किया लेकिन काम चालू है इस वर्ष 1 लाख रुपया मन्जूर हुआ है अकाल राहत से 1.40 लाख व्यय किया गया है।

श्री शिवनाथसिह (गुढा) : क्या यह सही है कि नवलगढ उदयपुरवाटी कोई सड़क मन्जूर नहीं है ?

श्री माधोसिह : वाया गलियाणा गांव है।

श्री शिवनाथसिह : गत वर्षों में नवलगढ़ उदयपुरवाटी सड़क वाया गलियाणा नाम की सड़क ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री माधोसिह : जी हां, सही है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही खत्म हो गया ?

श्री माधोसिह : काम इस वर्ष चालू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जब सड़क ही नहीं है तो काम चालू होने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री माधोसिंह : झांझर से गलियाएा। काम चालू है जो उदयपुरवाटी की सड़क से मिलती है।

श्री अध्यक्ष : पुनः आ गई क्या सड़क ?

श्री माधोसिंह : इसके लिये सेन्ट्रल रोड फण्ड्स से रकम मन्जूर हुई है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन 18-11-63 को हो चुकी है। सेन्ट्रल रोड फण्ड से 1.71 लाख खर्च हो चुका है। इस साल के लिये 1 लाख और एलोटेड है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

पलाना कोयला खान

272. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले की पलाना कोयला खान को चालू करने में कितना समय लगेगा? क्या यह सही है कि इस खान को बन्द करने से काफी मजदूरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि पलाना कोयला खान को ओपनकट करवाने का सरकार इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या कोयला खान हानि में चलती थी ? यदि हां, तो कुल हानि कितनी हुई ? इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (हरिदेव जोशी): (1) अभी उसे चालू करने का निश्चय नहीं है। इसके बन्द होने के फलस्वरूप केवल 35 मजदूरों एवं 6 कर्मचारियों की छंटनी नियमानुसार मुआवजा इत्यादि देने के बाद की गई है।

(2) ओपन कास्ट की योजना थरमल पावर स्टेशन की योजना से संबन्धित है। थरमल पावर स्टेशन की योजना स्वीकृत होने पर ही ओपन कास्ट की योजना संभव हो सकेगी।

(3) जी हां। 1957-58 से लेकर 1968-69 तक 47,42, 345 रुपये की हानि हुई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मदनकौर।

तहसील पचपदरा के गांवों का विद्युतिकरण

273. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पचपदरा में कितने गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है, उनमें प्रत्येक में कितने कनेक्शन कृषि, गृह उपयोग एवं उद्योगों को दिये गये हैं ? पृथक पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या और कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो किस किस गांव के कितने ?

(श्रीमती मदनकौर)

(4) इन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? कब तक इन आवेदकों को विद्युत कनेक्शन मिलने की संभावना है ?

उपमंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह): (1) नौ ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिये गये कनेक्शनों की सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। ग्रामवार पेण्डिग कनेक्शनों की सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) कृषि कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही चालू है। कहीं एस्टीमेट बन रहे हैं तो कहीं पर प्राथियों ने एल फार्म पेश नहीं किये हैं। औद्योगिक व डोमेस्टिक कनेक्शन बालोतरा के अलावा उन सब गांवों में जहां इनके लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं एल० टी० लाइन एक्सटेन्सन हेतु पेण्डिग थे। अब उनके लिये सेंक्शन हो गई है। जासोल व जनियाना में तो कुछ सामान पहुंचा भी दिया है। लाइन का कार्य पूर्ण होने पर कनेक्शन देने का कार्य शीघ्र हाथ में लिया जावेगा। बालोतरा में कुछ कनेक्शन ऑर्डर जारी कर दिये गये हैं। कुछ प्राथियों ने एल फार्म पेश नहीं किये हैं, कुछ केसेज में एल० टी० लाइन खेंची जा रही है, व अन्य भी एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं। औद्योगिक कनेक्शन ट्रान्सफार्मर ओवर लोड होने के कारण नहीं दिये जा सके।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्रीमती मदनकौर : जसोल में बिजली का खंभा लगे हुए तीन वर्ष हो गये वहां की 104 एप्लीकेशनें पेण्डिग पड़ी हुई हैं अभी तक बिद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

श्री खेतसिंह : मैंने उत्तर में निवेदन कर दिया। एल० टी० लाइन नहीं खेंची इस साल इसके लिये 80 हजार रुपये का प्रोवीजन कर दिया गया है। यह कार्यवाही पूरी हो जायगी।

श्रीमती मदनकौर : एल. टी. लाइन क्यों नहीं डाली गई। सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स आपने ली है वह 31 मार्च को समाप्त हो जायगी। क्या आप 31 मार्च तक लाइन पूरी करवा लेंगे ?

श्री खेतसिंह : सारा सामान खरीद लिया गया है काम शुरू कर दिया है।

श्रीमती मदनकौर : इसमें कठिनाई सब डिवीजन बालोतरा में स्टाफ की कमी है। अगर आप विद्युतिकरण के लिये आउट-वर्ड लाइन भी लगा देते हैं तो जब तक स्टाफ नहीं होगा तो यह काम पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री खेतसिंह : चूंकि पैसे का प्रोवीजन हो गया है, स्टाफ भी आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

ग्राम चोहटन में भूमि पर नाजायज कब्जे का मामला

274. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की चौहटन ग्राम की जमीन कूडियावाला

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

वाड़ा के बारे में श्री हेमसिंह वल्द सुल्तान सिंह साकिन चौहटन ने डिप्टी कलेक्टर जागीर को अपनी निजी सम्पत्ति करार देने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चौहटन ने उक्त आवेदनपत्र के विरोध में उज्रदारी प्रस्तुत की ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दावे के विथड्रा करने के बाद में ग्राम पंचायत चौहटन ने उक्त जमीन पर नाजायज कब्जा हटाने के लिये श्री हेमसिंह के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जो तहसीलदार चौहटन द्वारा दर्ज की गई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री हेमसिंह ने अपने उक्त दावे को, लिखित तौर से प्रार्थना पत्र डिप्टी कलेक्टर जागीर को प्रस्तुत कर विथड्रा किया ?

(5) उक्त कार्यवाही तहसीलदार चौहटन के पास कब से चल रही है ?

(6) क्या इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जायेंगे ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) प्रार्थना पत्र डिप्टी कलेक्टर जागीर को नहीं किन्तु 9-6-58 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष पेश किया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) दिनांक 20-2-68 से।

(6) हां इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रोसीडिंग पेंडिंग है 58 से और 68 से धारा 91 की प्रोसीडिंग पेण्डिंग है। यह जल्दी कब तक तय कर दी जायगी और कब रिजेक्ट कर दिया जायगा।

श्री गंगाराम चौधरी : 91 की तहत जो जुडिशियल कार्यवाही होती है। इस बारे में राज्य सरकार इतना ही निवेदन कर सकती है कि तहसीलदार को इसके लिये पाबन्द कर दिया जायगा कि वे इसका जल्दी निपटारा करायें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दौलतराम सारण।

चूरू और लाडनूं की ऊन मिलें

275. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू और लाडनूं की ऊन मिलें कब स्थापित की गई थीं ? दोनों में कितनी-कितनी लागत की कौन-कौन सी मशीनें मकान, भूमि तथा अन्य सम्पत्ति है ?

(2) क्या यह सही है कि योजनानुसार मशीनें न लगाने के कारण उनकी उत्पादन क्षमता पूरी नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि नई बतला कर पुरानी मशीनें खरीदी गईं ? क्या यह सही है कि इस प्रकार की शिकायत भी की गई थी परन्तु राज्य सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ?

(श्री दौलतराम सारण)

(4) क्या सरकार के राय लेने पर बम्बई के किन्हीं विशेषज्ञों ने अब इन मशीनों को पुरानी बतलाया है ?

(5) क्या यह सही है कि योजनानुसार पूरी आवश्यक मशीनें न होने के कारण और प्रशासनिक अव्यवस्था और अयोग्यता के कारण इन मिलों में प्रतिवर्ष लाखों का घाटा हो रहा है ? अब तक के घाटे की वार्षिक सूची दी जाय और घाटा होने के कारण भी बताए जायें।

(6) क्या यह सही है कि राज्य की ग्रामीण औद्योगीकरण समिति ने, जिसके अध्यक्ष श्री हरिदेव जोशी उद्योग मंत्री हैं, की अध्यक्षता में बीस दिसम्बर, 1969 को राजस्थान सरकार से दोनों मिलों को 24 लाख रुपये में बेचने की सिफारिश की है ?

(7) क्या यह भी सही है कि इन दोनों मिलों को बेचने के टेण्डर भी निकाले जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या यह समाजवादी कदम है ?

(8) क्या यह सही है कि इन दोनों मिलों के संबन्ध में बम्बई से कोई विशेषज्ञ बुलाये गये हैं और उनसे घाटे के कारणों की राय भी ली गई है ? उनकी राय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह सही है कि इन मिलों की मशीनरी खरीदने आदि के घोटाले के संबन्ध में कई बार राज्य सरकार का ध्यान इस सदन में और इससे बाहर आकर्षित किया गया था ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) चूरू मिल 9 नवंबर, 1967 व लाडनूं मिल 21 जनवरी, 1968 में स्थापित हुई। मशीनरी, मकान, भूमि तथा भवन से संबन्धित विवरण की सूची "अ" सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कोई शिकायत इस संबन्ध में राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। इन मिलों में प्रतिवर्ष घाटा हुआ है। परन्तु प्रशासनिक अव्यवस्था और अयोग्यता के कारण नहीं, वरन मेरीनो वूल का परमिट भारत सरकार से न दिये जाने, सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी कर अधिक होने, चुंगी कर के भारयुक्त उत्पादित धागे को काम में लेने, इन क्षेत्रों में उद्योग इकाइयों की कमी, कार्डिंग इन्जन के आयात लाइसेन्स भारत सरकार से न दिये जाने आदि कारण हैं। घाटे की सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां।

(7) जी हां।

(8) जी हां।

(9) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न के भाग (2) का उत्तर दिया 'जी नहीं

(श्री दौलतराम सारण)

प्रश्न 5 के उत्तर में कहा है कि मशीन नहीं मिली तो यह 'जी नहीं' किस आधार पर कहा ? योजना के अनुसार मशीन लगायी ही नहीं गई ?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): योजना के अनुसार मशीन लगा दी गई कार्डिंग मशीन नहीं थी।

श्री दौलतराम सारण : ऊन कातने की मशीन लगाये बिना, पूनी बनाने की मशीन लगाये बिना, सफाई और कार्डिंग मशीन लगाये बिना स्पिनिंग कैसे होगा। यह आपने बुनियादी तौर से जिन मशीनों की आवश्यकता थी रा-वूल तैयार करने के लिये उनके लगाये बिना आप यह कैसे चाहते थे कि इससे ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के बारे में आपकी योजना पूरी हो सकेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन के लिये लगायी गई थी।

श्री दौलतराम सारण : क्या इसमें रा-वूल काम में लिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : न तो कार्डिंग मशीन ही थी तो उसके बिना पूनी बनाना आदि का काम कैसे हो सकता था ?

श्री हरिदेव जोशी : यह जरूरी नहीं था कि इसके लिये वूल खरीदी जाती थी वह गांवों से ही खरीदी जाय। राजस्थान से अथवा बाहर से भी वूल खरीद कर चलाया जाता था।

श्री दौलतराम सारण : लुधियाना के वूल टाप्स खरीदे जाते थे और उसमें नाइलोन का धागा मिलाकर कातते थे और फिर वापिस लुधियाना सीधा भेजा जाता था। इसमें राजस्थान के गांवों का वूल कितना इस्तेमाल किया जाता था इससे कोई बेस्ड यहां इण्डस्ट्री है ?

श्री हरिदेव जोशी : जहाँ तक सूत के बेचने का सवाल है और कोई इण्डस्ट्री ऐसा करती है तो हमें कोई ऐतराज थोड़े ही है।

जहां तक नाइलोन के धागे के यूज का सवाल है वह नहीं यूज किया गया। अलबत्ता हम चाहते हैं कि कूम्बिग और कार्डिंग के लिये परमिसन मिल जावे जिसके लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को हमने बार बार लिखा है और आशा है वह मिल जावेगा।

श्री दौलतराम सारण : ये वूल टाप्स डाइरेक्ट लुधियाना से खरीदते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इसके अलावा चारा नहीं है। वहां से भी और राजस्थान से भी जब तक वूल टाप्स खरीद कर नहीं बनावें तब तक काम नहीं चले।

श्री दौलतराम सारण : आपने अधूरी योजना चालू की है और अधूरी योजना जब नहीं चल सकी तो इसे बेचकर इससे अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं। स्पिनिंग से पहले कार्डिंग और कूम्बिग सैक्शन लगना चाहिये था। वह आपने नहीं किया यह मेरा कहना है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु): जब तक कार्डिंग मशीन नहीं लगेगी तब तक माल कैसे साफ होगा और कच्चा माल कैसे ठीक बनेगा। तो पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिये थी।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो उत्तर में ही निवेदन कर दिया गया है कि लाइसैन्स के लिये एप्लाई किया जा चुका है भारत सरकार को।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऐसी स्थिति में जब आप सीकर में और अन्य स्थानों पर ऊन मिलें कायम करने का विचार कर रहे हैं तब क्या यह उचित होगा कि लाडनूं और चूरू मिल को बेचा जावे और इस बात की व्यवस्था न की जावे कि इसे बेचने के स्थान पर इसे सही रूप में चालू करने की व्यवस्था की जावे।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है और इसीलिये तो हम लाडनूं, चूरू में जो यह वर्सटेड ऊनी मिल है इसको फिर से ठीक तरह से चलाने की सोच रहे हैं। सीकर में और जगह जो हम लगाना चाहते हैं वे साधारण हैं। इनमें और उसमें फर्क है। रहा सवाल इस युनिट को कम्पलीट करने का सो हम भारत सरकार के एक्सपर्ट की भी राय ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह राय जो एक्सपर्ट की आप अब ले रहे हैं वह इस मिल को बेचने के टेण्डर इन्वाइट करने से पहले क्यों नहीं ली गई ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा लगता था एक स्टेज में कि जिस स्थिति में यह आज है उस स्थिति में तो यह इकोनोमिकल वाइबल युनिट न हो सके। अब जब कि वे लोग मैरिना वूल हमें दे दें और कार्डिंग और कुम्बिग के लिए इजाजत दे दें और इसकी स्ट्रेन्थ बढाने की भी इजाजत दे दें तो ज्यादा ठीक हो सके यह बहुत सम्भव है। यह राय देने के लिए हमने भारत सरकार के एक्सपर्ट को इन्वाइट भी किया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वश्चन साफ है कि जिन फेक्टर्स पर एक्सपर्ट की ओपीनियन लेने की बात आप अब कह रहे हैं, टेण्डर इन्वाइट करने का निर्णय लेने से पहले वह ओपीनियन लेना ठीक क्यों नहीं समझा। पहले ओपीनियन लेते और फिर टेण्डर की जरूरत रहती तो वे इन्वाइट करते ?

श्री हरिदेव जोशी : एक स्टेज पर उनकी ओपीनियन ली गई थी और एक डिप्टी डाइरेक्टर यहां पर आये थे। एक तरह की ओपीनियन ली थी। पर उनकी राय के अनुसार इन्स्टालिंग कैपेसिटी बढा दी जावे तो ज्यादा इकोनोमिकल हो जावे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। यह स्पष्ट बता दें कि टेण्डर इन्वाइट करने से पहले इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिये आपने न भारत सरकार से ओपीनियन ली और न एक्सपर्टों की ओपीनियन सीक की गई क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा एक्सपर्टों की ओपीनियन ली थी। पर बाद में आइडिया ड्रोप कर दिया। जो टेण्डर इन्वाइट किये थे वे ड्राप कर दिये। इनमें दो तीन चीजें हैं कार्डिंग और कुम्बिग ये अगर वहां पर हो जावें और 400/500 स्पिन्डल्स और बढा दिये जावें और मैरीना वूल मिल जावे तो यह शायद इकोनोमिकल हो जावे।

श्री भैरोंसिंह : इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के एक्सपर्टों की ओपीनियन ली थी क्या उन एक्सपर्टों ने डिस्पोज ऑफ करने की सिफारिश की थी या आवश्यक सुझाव इसको चालू करने के बारे में दिये थे ?

श्री हरिदेव जोशी : दोनों ही चीजों में नहीं दी थी।

श्री भैरोंसिंह : फिर किस आधार पर टेण्डर इन्वाइट कर लिये थे आपने ?

श्री दौलतराम सारण : यह पब्लिक सैक्टर के समाजवाद से ताल्लुक रखता है, मामला। समाजवाद का दिवाला निकल रहा है अध्यक्षजी, आपने पांच में उत्तर दिया है और घाटे के कारण इस अव्यवस्था और अयोग्यता को नहीं बता कर अन्य कारण बतलाये हैं। पर क्या यह सही नहीं है कि किसी भी टैक्निकल एक्सपर्ट को चूंकि नहीं रखा गया था और केवल एक अकाउन्टस नोंअिग परसन को रख दिया था वह कोई व्यवस्था की और टेक्निकल योग्यता नहीं रखता था इस कारण घाटा हुआ था।

श्री हरिदेव जोशी : हमारा काता हुआ ऊन कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ और न यह प्रोब्लम ही सामने आई कि इसलिये एक स्पिनिंग मास्टर को रखा जावे और उसे तीन हजार रुपया दिया जावे और उसे रखा जाता तो इससे ओवर हैड एक्सपेन्सेज बढ़ जाते।

श्री भैरोंसिंह : आपकी खरीदी हुई मशीनें बन्द पड़ी हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो कार्डिंग वगैरह मशीनें लगाने की परमिशन आ जावेगी तो वे चीजें भी लग जावेंगी।

श्री दौलतराम सारण : कोई टेक्निकल आदमी नहीं होने से इस मिल को ठीक प्रकार से इन्स्टाल नहीं किया जा सका क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। टेक्निकल हैण्ड ने ही इन्स्टाल किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राज्य सरकार की यह नीति हो गई है कि पब्लिक सक्टर में शुरू साल में ही अगर नुक्सान हो जाय तो भी उसे बेच दिया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, यह प्रिन्सिपल नहीं है। पूरा एक्सपेरीमेंट करके देखने के बाद कोई निर्णय लिया जावेगा। इस बीच इसे सक्सेसफुल्ली चलाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : फिर एक दो वर्ष हुए तो जिनके बारे में आप एक्सपर्ट ओपीनियन लिए जाने की बात कह रहे हैं और जिन्होंने यह राय दी कि कुछ एडीशन और किये जावें तो यह इकोनोमिकल हो सकती है तो फिर बेचने का निर्णय क्यों लिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि मैरीना वूल को निरन्तर देने से इन्कार कर दिया गया और इसके बाद मैं यह कहूं कि निरन्तर घाटा ही होता रहेगा और इसके बावजूद भी यह किया जावे तो मेरे लिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि या तो मैरीना वूल दीजिये और पब्लिक सैक्टर की मदद कीजिये नहीं तो यह कभी मुनाफे में नहीं चलेगी यह।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने प्रारम्भ में ही मना कर दिया था कि वे मैरीना वूल नहीं देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : बहुत मुमकिन है यह कहा हो। पर इससे यह तात्पर्य नहीं है

(श्री हरिदेव जोशी)

कि प्राइवेट सेक्टर को मेरीना वूल मिले और इसे न मिले।

श्री भैरोंसिंह : पर तब आपकी यह दलील नहीं ठहर सकती कि मेरीना वूल नहीं मिलने से यह मिल बन्द हो जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : वहां का रा वूल काम में लिया जावेगा यह बात थी, बाकी मरीना वूल का कोई भारत सरकार की तरफ से कमिटमेन्ट नहीं था। बल्कि भारत सरकार ने इन्कार किया था और यह प्लान्ट इसलिये घाटे में जा रहा है कि तकनीकी दृष्टि से बेवकूफ लोगों के हाथ में यह सौंप दी गई है और न कार्डिंग की व्यवस्था की गई है और न कम्बिग की। केवल स्पिनिंग चालू कर दिया और उसके कूम्ब लुधियाना से मिन्ड या रा मैटीरियल मंगा कर स्पिनिंग कराया जाता है इसलिये इसको कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। पर्याप्त होगा।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन। जो टेण्डर आपने इन्वाइट किये इसमें किस किस व्यक्ति की आफर आई परचेज करने के लिये ?

श्री हरिदेव जोशी : वह तो लिस्ट है नहीं इस समय मेरे पास क्योंकि यह आपने पूछा नहीं था। पर याददाश्ती से कह सकता हूं कि तीन चार लोगों की तरफ से कलकत्ता से आफर आई थी।

श्री भैरोंसिंह : वे कौन कौन से सेठ थे ? क्या इनमें वे लोग भी हैं जिनके टेण्डर आने से पहले इस मिल को ठेके पर जिसके जरिये चलाया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी ने कभी चलाया ही नहीं। इमेजिनरी बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसे ठेके पर चलाया जावे, मैरीना वूल ठेकेदार इसके लिये उपलब्ध कराए इस प्रकार के प्रोपोजल क्या नहीं आये ?

श्री हरिदेव जोशी : जब टेण्डर इन्वाइट किये थे उसके बाद तो कई प्रकार की चीजें आईं पर हमने इनको ड्राप कर दिया है अब।

श्री दौलतराम सारण : मैंने एक सूचना मांगी थी कि जो विशेषज्ञों की राय आई है उस रिपोर्ट की एक नकल मुझे उपलब्ध कराई जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई रिपोर्ट नहीं है, केवल एक लैटर है।

श्री दौलतराम सारण : वह है तो वही दीजिये। मैं तो टेक्निकल ओपीनियन की कापी चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने रिपोर्ट मांगी थी There is no report as such.

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो उनकी राय की कापी मांगी थी ?

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्रीजी।

श्री दौलतराम सारण : क्या सरकार इसका आश्वासन देती है इसमें जो घोटाले हुए हैं, मशीनें नयी के नाम पर पुरानी खरीदी गई हैं, केवल ऊपर का ढक्कन नया लगा दिया गया, बाकी तो इसमें बड़ा भारी

Page No 24

(श्री दौलतराम सारण)

घोटाला है पहले भी बजट के समय ये बातें मैंने सदन में रखी थीं, इन सबकी सरकार जांच कराने को तैयार है ?

प्राइवेट सैक्टर से कान्सपिरेसी करके इस पब्लिक सैक्टर को वे गिराना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : I object it, Sir.

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पुरानी मशीनें नई के नाम पर खरीद ली गई हैं इस मिल में ? अध्यक्ष महोदय, इस पर जवाब चाहता हूं मैं सरकार का। नये का पैसा चुकाया गया और एग्रीमेन्ट के विरुद्ध जाकर पैसा चुकाया गया है। गम्भीर आरोप है अध्यक्ष महोदय मेरे इस बारे में।

श्री भैरोंसिंह : आप यह उत्तर दे दीजिये ये मशीनें बिल्कुल नई थीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, जी हां, जी हां। और ?

ग्राम चतरगंज में ट्रैसपासर्स के मामले

276. **श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डौली)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम चतरगंज तहसील हिन्डौली में आबादी के आस पास कब से और कितने ट्रैसपासर्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उपरोक्त ट्रैसपासर्स में से तहसील द्वारा भूमि कब और किन किन के खाते बंधी दी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि चक्की वाला स्थान पंचायत से बेचान किया गया था और उसका पट्टा भी पंचायत के द्वारा ही दिया गया था ? वह आराजी आबादी में लेने के बाद बेचान की गई थी या राजस्व में रहते हुये की गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार हिन्डौली द्वारा इसी चक्की के पास एक चमार के मकान व बाड़ को आग लगाई थी ?

(4) क्या चमार ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-1-69 क्रमांक 441 राजस्व मंत्री को पेश किया ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम चतरगंज तहसील हिण्डौली की आबादी के आस पास कुल 31 ट्रैसपासर्स हैं और ये ट्रैसपासर्स सम्वत् 2025 से हैं। ट्रैसपासर्स की सूची संलग्न है। इन ट्रैसपासर्स में किसी भी ट्रैसपासर्स के भूमि तहसील द्वारा खाते में नहीं बांधी गई है।

(2) चक्की वाला स्थान खसरा नम्बर 526 रकबा।) पांच विस्वा में बना हुआ है जो अभी तक रेवेन्यू से आबादी में मुन्तकिल नहीं हुआ है। यह चक्की वाला स्थान अवैधानिक तरीके से पंचायत द्वारा जरिये मिसल नं० 18 दायरा 18-10-62 को बेचान किया गया है और रकम नजराना 60) रु० दिनांक 24-10-62 को रोकड़ पंचायत में जमा हुये हैं। यह आराजी अभी तक आबादी में मुन्तकिल नहीं हुई है। यह भूमि राजस्व विभाग की होते हुये तथा आबादी में मुन्तकिल होने के पूर्व-ही ग्राम

(श्री गंगाराम चौधरी)

पंचायत ने अवैधानिक तरीके से दिनांक 25-12-62 को बेचान की है ।

(3) यह सत्य नहीं है ।

(4) जी हां

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री केशरी सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि चमार के मकान जलाने पर जब शिकायत की गई तो उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री गंगाराम चौधरी : शिकायत होते ही वह जिलाधीश बून्दी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई । जिलाधीश ने एस० डी० ओ० को जांच करने के लिये आदेश दे दिये हैं—जांच जारी है ।

श्री केशरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ी खेद जनक बात है कि चमारों पर-अनुसूचित जातियों पर राज्य सरकार, भारत सरकार जोर दे रही है उन्हीं के मकानों को, रहने के स्थान को राज्य सरकार जला देती है ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ? प्रश्न पूछिये ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय प्रश्न के भाग 4 में उत्तर दे दिया गया है यह सही नहीं है । नाथू चमार को बेदखल करने की तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही की थी लेकिन अब तक कब्जा नहीं हटाया गया है और न कोई मकान जलाने की बात सही है ।

श्री केशरीसिंह हाडा : मैंने स्पेसिफिक पत्र सं० 441 दिनांक 26-1-69 उसका प्रार्थना-पत्र राजस्व मंत्री को भेज दिया था । क्या उसने प्रार्थना पत्र झूठा दिया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया जिलाधीश बून्दी को वह फारवर्ड कर दिया गया है । जांच जारी है ।

श्री केशरीसिंह : जांच कब से जारी है ?

श्री अध्यक्ष : जांच, भेजी गई तब से ।

श्री केशरीसिंह हाडा : कितना अर्सा हो गया ? अध्यक्ष महोदय स्वायत्त शासन मंत्रीजी चमारों के मकान जला रहे हैं और 41 की फौज लेकर बैंठे हैं उन्हीं चमारों पर तो राज्य कर रहे हैं और उन्हीं के मकानों को जलाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । नैक्स्ट ।

सुखाड़िया मार्केट का निर्माण

277. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़ के कपासन शहर में सुखाड़िया मार्केट किस संस्था द्वारा निर्मित कराया गया व कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्केट के निर्माण हेतु सरकार ने ऋण दिया था व इस हेतु पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन भी हुआ था ? अगर हां, तो कब व कितना कितना ?

(3) क्या यह सही है कि इसके निर्माण में घोटाला हुआ है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : (1) कपासन नगरपालिका द्वारा निर्मित सुखाड़िया मार्केट कमेटी द्वारा निर्माण कार्य वर्ष 1958 में शुरू किया गया था जो वर्ष 1960 में समाप्त हुआ।

(2) राज्य सरकार ने एक लाख रुपयों का ऋण स्वीकृत किया था। जो निम्न प्रकार नगरपालिका को दिया गया था:—

(1)	26-12-58	40,000
(2)	2- 3-59	30,000
(3)	27- 3-59	40,000

पब्लिक का कितना कन्ट्रीब्यूशन हुआ यह जानकारी प्राप्त करने के लिये जांच करवाई जा रही है।

(3) घोटाला होने सम्बन्धित जानकारी नहीं है। नगरपालिका के इस सम्बन्ध के हिसाब की विशेष आडिट करवाई जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस मार्केट का निर्माण स्वंयं नगरपालिका के द्वारा नहीं करवाया जाकर एक अन्य पब्लिक कमेटी के द्वारा निर्माण करवाया गया है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : जी हां, एक पब्लिक की कमेटी बनी थी और उसने 62,300 रुपये खर्च करके यह बनाया था उसके बाद अधूरा होने पर नगरपालिका को निवेदन किया गया। नगरपालिका ने अधूरे काम को पूरा किया उस पर एक लाख रुपया दिया गया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगरपालिका को जो ऋण दिया गया वह ऋण नगरपालिका ने इस पब्लिक कमेटी को ट्रांसफर कर दिया और उस पब्लिक कमेटी ने ही मार्केट बनाया था ?

श्री मुल्कराज थिन्द : सारा नहीं दिया गया था कुछ ऋण दिया गया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम यह जानना चाहते हैं कि नगरपालिका के द्वारा उस कमेटी को कितना रुपया दिया गया ?

श्री मुल्कराज थिंद : इसके लिये मैं निवेदन करूं हमने कलक्टर को लिखा है और उनको स्पेशल आडिट के लिये कहा है। जब तक स्पेशल आडिट नहीं हो जाता है वह स्पंष्ट नहीं होता हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम यह जानना चाहते हैं राज्य सरकार की स्थिति यह नहीं है कि नगरपालिका ने कितना रुपया पब्लिक कमेटी को ट्रान्सफर किया है और कितना युटिलाइज हुआ है ? आडिट से हमारा कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी हैं या नहीं।

(मौन अस्वीकृति)

नहीं है

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय वह वर्षों से सवाल चल रहा है। आज भी सरकार कह रही है कि पता नहीं है। हम जानना चाहते हैं लाखों रुपया पब्लिक कमेटी को निर्माण के लिये मिला। पब्लिक कमेटी को जो लोन मिला वह नगरपालिका से मिला जो लाख पर है और आज तक राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि कितना रुपया दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी में नहीं है।

श्री मुल्कराज थिंद : जैसा मैंने निवेदन किया कलेक्टर को लिखा है। 62,300 रुपये पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन से हुये थे और एक लाख रुपया राज्य सरकार ने ऋण दिया है उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी ने पब्लिक कमेटी के चन्द व्यक्तियों को थोड़ा सा लोन इसके लिये दिया है। कलेक्टर को हमने आडिट के लिये लिखा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगरपालिका पब्लिक कमेटी को अपना फन्ड ट्रांसफर नहीं करती है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब यह सही है कि नगरपालिका अपना फन्ड ट्रान्सफर नहीं करती है तो फिर यह पैसा कैसे ट्रांसफर किया गया ?

श्री मुल्कराज थिंद : चैयरमैन और वाइस चैयरमैन उस कमेटी में थे इसलिये अधूरे काम को पूरा करने के लिये उनको पैसा दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब यह सरकार स्वीकार करती है कि नगरपालिका का कोई फण्ड किसी पब्लिक कमेटी को ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता है तो राज्य सरकार ने जो गैर उचित कार्यवाही की उसका क्या एक्शन लिया ?

श्री मुल्कराज थिन्द : इसकी जांच की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फंड ट्रांसफर हुआ इसमें जांच का क्या सवाल है। जांच तो घोटाले के सम्बन्ध में हो सकती है।

श्री मुल्कराज थिन्द : नगरपालिका ने कमेटी को जो ऋण दिया है वह अधूरे काम को उचित ढंग से पूरा करने के लिये दिया है उसकी जांच के लिये कलेक्टर को लिखा है। कलेक्टर ने क्लियर लिखा है कि इसकी जांच उस समय तक नहीं कर सकते हैं जब तक स्पेशल आडिट नहीं हो जाता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस जांच के लिये कब आर्डर दिये। जांच की रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री भीखा भाई (स्वायत शासन मंत्री): पहले भी इसकी आडिट की गई थी अब फरवरी में इसके लिये दुबारा कहा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जांच किस बात की जितना पैसा ट्रांसफर किया गया उसका प्रोपर युटिलाइजेशन हुआ या नहीं—इस बात की नहीं है—हमारा प्रश्न तो यह है कि इस प्रकार पैसा ट्रांसफ़र करना ही अवैधानिक है। प्रापर युटिलाइजेशन का सवाल नहीं है।

श्री भीखा भाई : यह 58 की बात है, 59 में नगरपालिका का एक्ट बना है। उसके पहले क्या प्रोविजन था सरकार के काम के अतिरिक्त गैर सरकारी काम भी करते रहे है इसलिये चूंकि इसमें चेयरमैन शामिल था, उपाध्यक्ष शामिल थे अनियमितता आज के रूल्स के अन्तर्गत है पहले यह अनियमितित नहीं थी। यह उस समय की बात है, आज की बात नहीं है फिर भी हम तैयार हैं जो अनियमितता हुई है उसकी जांच कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

Page No 28

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): क्या यह सही है कि यह कर्जा नगरपालिका अधिनियम बनने के बाद दिया गया था ?

श्री मुल्कराज सिंह : जी हां।

श्री भीखा भाई : यह प्रस्ताव पास हुआ है 58 में।

श्री भैरों सिंह : प्रस्ताव नहीं। आपने कहा कि यह कर्जा नगरपालिका अधिनियम के बनने के पहले दिया गया था इसलिए उस समय क्या स्थिति थी उसकी मैं जानकारी करूंगा और उप-मंत्रीजी कह रहे हैं कि यह बाद में दिया गया था। इन दोनों में कौन सा उत्तर सही है यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री जय नारायण सालोदिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं स्पष्ट कर दूं कि सोसाइटी बनने में मेरे नाम की स्वीकृति मैंने कभी नहीं दी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपके नाम पर और आपकी आड़ में जिस प्रकार के घोटाले होते हैं मैं समझता हूं कि जहां आपका नाम आये वहां आपको इस प्रकार की गंध आये कि गड़बड़ी है मैं समझता हूं आपको ज्यादा विजीलेन्ट होकर कार्यवाही करनी चाहिये

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का नाम इस्तेमाल हो तो उनकी कन्सेन्ट ली जाती है या वैसे ही इस्तेमाल करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, स्वायत्त शासन मंत्री स्थगित प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्नों में पहला मेरा ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसको आने दीजिए फिर ले लेंगे। स्वायत्त शासन मंत्री।

स्थगित प्रश्न

11-3-70

नगरपालिका टोंक द्वारा आने जाने वाली सवारियों पर लगाया गया टैक्स

52. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या नगरपालिका टोंक द्वारा पुराना एक आना, नये 6 पैसे प्रति सवारी आने जाने पर टैक्स लिया जाता है ? यदि हां तो किस कानून व नियमों के तहत ?

2. क्या यह सच है कि राज्य की अन्य नगरपालिकाओं से इस प्रकार का सवारी टैक्स नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो फिर टोंक में ही क्यों लिया जाता है ?

3. इस टैक्स से कितनी आमदनी हर साल होती है उसमें से कितना सालाना यात्रियों की सुविधा पर खर्च किया जाता है ?

4. क्या यह भी सच है कि इसकी वसूली के लिये सवारियों की गिनती को लेकर मोटर कर्मचारियों व चुंगी कर्मचारीयों में हमेशा विवाद होता है जिससे गाड़ियां

(श्री जयनारायण सालोदिया)

15–20 मिनट तक वहां रुकी रहती हैं और एक ही गाड़ी को दोनों ओर की चौकियों पर रुकने से करीब आधा घन्टा लेट होना पड़ता है ? यदि हां तो टैक्स की वसूली बुकिंग पर ही टिकट बिक्री के आधार पर क्यों नहीं की जाती है ? क्या यह भी सच है कि बसों के अलावा जीपों, कारों आदि गाड़ियों से यह सवारी टैक्स नहीं लिया जाता हैं ? यदि हां तो फिर बसों में चलने वाली जनता से ही क्यों लिया जाता है ?

(5) क्या सरकार इसे बन्द करके जनता की परेशानी दूर करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिद): (1.) भूतपूर्व टौंक रियासत के नोटीफिकेशन दिनांक 1-1-1918 के अनुसार टोंक से बाहर जाने व टोंक में आने पर एक आना अर्थात 6 पैसे प्रति सवारी मोटर स्टेन्ड टैक्स लिया जाता है।

(2) जी हां। प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार लिया जाता है।

(3) वर्ष 1968-69 में 49547.15 पैसे व इस वर्ष में जब तक 53437.99 पैसे हुई है।

नगरपालिका द्वारा मोटर स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिए ठहरने के जनाने व मर्दाने वेटिंग रूम जिनमें हवा व रोशनी का प्रबंध है बनाये हुए हैं। फ्लश के तहारत हैं व पेशाबघर हैं।

यात्रियों के लिए प्याऊ लगाई हुई है व पानी का नल है। इसमें व्यय होता है।

(4) टैक्स बस कन्डेक्टर की मारफत वसूल होता है, इसलिए सवारियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। विवाद होने व बसों के लेट होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

हर प्रकार की टैक्सी गाड़ी में यात्रा करने वाली सवारियों से यह कर लिया जाता है।

(6) जी नहीं, टैक्स वसूली में परेशानी होने का प्रश्न नहीं होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने जो कहा कि राजस्थान की किसी म्युनिसिपैलिटी में इस तरह का टैक्स नहीं है तो टौंक रियासत के पुराने ही कानून को क्यों फालो कर रहे है ? अब कितने साल तक टैक्स लेते रहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें परिवर्तन करना चाहते है या नहीं ?

श्री मुल्कराज थिद : विचाराधीन है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वहां सवारियों की गिनती होती है और उस पर फिर विवाद होता है। कन्डक्टर कहता है कि 21 सवारियां हैं और आपका आदमी कहता है कि 21 नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। क्या यह सत्य है ?

श्री मुल्कराज थिद : जो सवारियों की परेशानी बताई है उसके लिए आपने सुझाव दिया है टिकट के ऊपर जो टैक्स वहां लगाया जाये और टिकट के ऊपर ही चार्ज कर लिया जाये और उसके बाद संबंधित विभाग म्युनिसिपैलिटी को पैसा जमा करा दें....

श्री जयनारायण सालोदिया : जब सवारियों से टैक्स लेते हैं तो जीप और कार वालों से क्यों नहीं टैक्स लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या जीप और कार वालों से भी लिया जाता है ?

श्री मुल्कराज थिंद : जी हां ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह गलत है । मैं चैलेन्ज करता हूं नहीं लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर ।

श्री जयनारायण सालोदिया : गलत जवाब दे रहे हैं । जीप और कार वालों से नहीं लिया जाता है । खास बात तो यही है कि सरकार समाजवाद का नाम लेती है और गरीबों से टैक्स लेती है और जीप और कार वालों से नहीं लेती है ।

श्री मुल्कराज थिंद : सवारियों के रूप में चाहे वह कार में हो या गाड़ी में हो उनसे टैक्स लिया जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्रियों से लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आप जांच कर लीजिए ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं चैलेन्ज करता हूं कार और जीप वालों से नहीं लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज । विद्युत मंत्री जी

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

पोली फेज मीटर्स की खरीद

48. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या विद्युत मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सन् 67-68 व 68-69 में बड़ोदा इलेक्ट्रिकल आनन्द से पोली फेज-मीटर्स का क्रय किया गया था ? अगर हां, तो कब कब कितना कितना व किस किस दर से ?

(2) क्या यह सही है कि आर. एस. ई. बी० के असिस्टेन्ट इन्जीनियर श्री बज ने इस माल का कम्पनी के गोदाम पर निरीक्षण किया व विभाग को यह रिपोर्ट दी कि यह माल इंन्डियन स्टेण्डर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि यह माल आई० एस० एस० के पास भेजा गया जिसने भी श्री बज की राय का समर्थन किया ? यदि हां, तो मीटर्स क्यों खरीदे गए ?

(4) क्या यह सही है कि इन मीटर्स के क्रय के लिये टेण्डर्स आमंत्रित किए गए थे ? अगर हां, तो जिन जिन फर्म ने टेण्डर्स दिए उनके दरों की तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, मैसर्स बड़ोदा इलेक्ट्रिक मीटर्स लि० को आर्डर पोली फेज मीटर्स के लिए दिए गए थे:—

आर्डर की तारीख	संख्या	दर
27-2-68	1,000	85) रु०
24-10-68	4,600	85) रु० (10-25 एम्पीयर)
		95) रु० (50 एम्पीयर)

बाद में 27-2-68 के आर्डर की क्रय दर 81) रु० की गई ।

Page No 31

(श्री खेत सिंह)

(2) जी हां 24-10-68 के आर्डर के अधीन मीटर्स आई० एस० एस० के अनुसार थे, पर 27-2-68 के अधीन मीटर्स में आई० एस० आई० के अनुसार वोल्टेज वैरियेशन टैस्ट में थोड़ा फर्क था।

(3) आई० आई० एस० ने श्री बज की राय का समर्थन किया था। दोनों रिपोर्ट पर विचार करने पर तकनीकी सदस्य ने राय दी कि इसके कारण मीटर्स की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता। चूंकि मण्डल को मीटर्स की सख्त जरूरत थी और फर्म ने 5 परसेन्ट यानि 4 रूपये प्रति मीटर की कम दर पर देना स्वीकार कर लिया, स्टोर परचेज कमेटी ने यह मीटर 81 रूपये की दर पर खरीदने का निर्णय लिया।

(4) जी हां, फर्मों की सूची जिन्होंने टेन्डर दिये थे मय तुलनात्मक दरें सूची 'ए' 'बी' (सी) पर दी हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जब आपके असिस्टेन्ट इन्जीनियर और आई०एस०एस० दोनों ने इनको सब स्टेन्डर्ड माना तो क्या कारण था कि आपने सब स्टेन्डर्ड होते हुए भी खरीद किया और टेन्डर को स्वीकार किया ?

श्री बरकतुल्ला खां (विद्युत मन्त्री): आई०एस०एस० ने सब-स्टेन्डर्ड नहीं माना?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो बज की रिपोर्ट थी उसी को वैरीफाई किया और समर्थन किया तो क्या कारण था कि आपने उनको परचेज किया ?

श्री बरकतुल्ला खां : बज की रिपोर्ट के बाद आई० एस० एस० को लिखा गया और उन्होंने जो जबाब दिया वह यह था कि मीटर के अन्दर इनहेरेन्ट डिफेक्ट हो सकता है 2 परसेन्ट और 1 परसेन्ट हो सकता है उसके वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से। तो टोटल लासेस 3 परसैन्ट तक हो तो ठीक है और इनको जब टेस्ट किया गया और रिपोर्ट आई उसके हिसाब से फ्लक्चुएशन को और इनहेरेन्ट डिफेक्ट को मिला कर 3 परसेंट के नीचे रहा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान के टेक्नीकल एक्सपर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार जिस प्रकार से मीटर को होना चाहिए था वह नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जो स्पेसीफिकेशन हमने आई० एस० एस० के स्टेण्डर्ड से ऊपर रखा था उसके हिसाब से नहीं था इस लिए 5 परसेंट इसकी कीमत कम करवाई गयी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सही है कि मीटर्स परचेज करने के पहले और टेन्डर को स्वाकार करने के पहले जैसा मैंने पहली बार भी पूछा था कि इनके सेम्पल को एग्जामिन नहीं किया गया और टेस्ट नहीं करवाया गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : सेम्पल को टेस्ट करवाया गया जो कि रूटिन होता है लेकिन स्पेशल टाइप के टेस्ट गवर्नमेंट आफ इण्डिया की मार्फत उनकी लेबोरेटरीज में होते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

Page No 32

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। जैसा पिछली बार पूछा था कि क्या फाइनेन्शियल रूल्स के अधीन आवश्यक है कि किसी भी माल को परचेज करने के पहले सेम्पल का टेस्टिंग किया जाना आवश्यक है ताकि वह माल टू दी मार्क परचेज किया जा सके। पिछली बार भी यही प्रश्न था और इस बार भी यही है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर फाइनेन्शियल रूल्स को कहीं ब्रेक नहीं किया है जिन फाइनेन्शियल रूल्स को आप रेफर कर रहे हैं। उन रूल्स को मैं आपको पढ़कर सुना दूं कुछ समय लगेगा और आपको गलतफहमी भी नहीं रहे इसमें यह था कि फाइनेन्स रूल्स के अन्दर यह है कि इन्स्ट्रक्शन्स बिलो रूल 2 आफ एपेन्डिक्स 16 जिसके अन्दर है पैरा 5–

"If the supply is not in conformity with the sample, the Inspecting Officer shall, if he is not himself the Purchase Officer, forthwith draw attention of the Purchase Officer to the defects found by him."

यह रूल फोलो किया गया है और मि० बज ने इनको कहा है। उसके बाद है पैरा 7 जिसके अन्दर यह कहा गया है:–

" The Purchasing Officer shall then either reject the supply or ask the supplier to replace it at his own cost by good supplies. If due to exigency of work and the slight nature of defects, he does not consider it advisable to reject the supply, draw attention of theHead of theDeptt. to this matter after recording a note to the effect that such acceptance is necessary and submit his recommendations about the amount that should be deducted from the approved rates."

यह टेक्निकल मेम्बर ने फोलो किया है, उसने कहा है कि 5 परसेंट हो जाना चाहिए"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: जो माननीय मन्त्री द्वारा पढ़कर सुनाया गया है वह फाइनेन्स रूल्स में नहीं वह परचेज ऑर्डर की कन्डीशन्स में लिखा है। वह जनरल फाइनेंश रूल्स में यह जब कभी···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

स्थगित किया गया

श्री भैरोंसिंह : क्या मतलब क्वेश्चन स्थगित किया गया। प्रश्न 108 कई बार स्थगित किया गया है और आज जवाब दे रहे हैं·····

श्री अध्यक्ष : मैंने स्थगित किया है।

श्री भैरोंसिंह : इस क्वेश्चन को भी स्थगित किया है ?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन को भी स्थगित किया है और स्थगित प्रश्नों को भी स्थगित किया है।

श्री भैरोंसिंह : स्थगित प्रश्न जिनका आज उत्तर नहीं दिलाया जा रहा है। उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : जो स्थगित प्रश्न है जिनका उत्तर आज नहीं दिया जा रहा है उनको भी स्थगित किया गया।

श्री लाभचन्द वैद : 280 का जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : वह गायब होगया है।

श्री भैरोंसिंह : यह बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है। इस सम्बन्ध में इन्होंने एक कॉल अटेन्शन नोटिस भी दे रखा है। यह हरिजनों का मामला है और सन् 66 से उनकी तनख्वाह बाकी है और उनकी तनख्वाह का पेमेन्ट नहीं हो रहा है। 66 हजार रुपया बाकी है और 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह प्रश्न आया है तो इस समस्या का निदान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इनका निदान मैं स्वयं करा दूंगा, माननीय मंत्री को बुलाकर माननीय सदस्य की बात कराकर।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

फिक्स्ड वेतन पाने वाले तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार

257. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने तहसीलदार व नायब तहसीलदार ऐसे हैं जिनको वार्षिक वृद्धि न दी जाकर, एक ही फिक्स्ड वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ऐसे मामलों को अब निपटाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) प्रत्येक तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपनी अपनी वेतन-शृंखलाओं में जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है, वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अतः उनको वेतन वृद्धि न मिलने का व फिक्सड वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जिन तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को उच्चतम वेतन दिया जा चुका है उनको वेतन वृद्धि देने का प्रश्न ही नहीं रहता है। केवल ऐसे ही तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही हैं, जिनकी वेतन वृद्धि किसी सजा के रूप में स्थगित की गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

लिंक रोड जयपुर कार दुर्घटना में महिला की मृत्यु

259. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25-12-69 को लिंक रोड, जयपुर पर कार, नम्बर आर. एस. एल. 8169 द्वारा एक दुर्घटना हुई जिसमें श्रीमती गुलाबी देवी माता श्री दुर्गासिंह मारी गई और श्री काशीनाथ सिंह अध्यापक करौली जख्मी हुए ?

(2) क्या यह सही है कि यह कार जयपुर के मशहूर जौहरी दुर्लभजी परिवार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की है और उसी परिवार के श्री सुधीर कुमार उसको दुर्घटना के समय चला रहे थे ?

(3) क्या यह सही है कि दुर्घटना होने पर श्री सुधीर कुमार कार लेकर भाग गए और पुलिस को दुर्घटना की कोई सूचना नहीं दी ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ दुकानदारों ने फोन करके फायर ब्रिग्रेड की गाड़ी बुलाई जो घायल श्रीमती गुलाबी देवी को सड़क से उठाकर काफी देर बाद अस्पताल ले गई जहां पर पहुंचने के बाद उसका देहान्त हो गया ?

(5) क्या इस दुर्घटना के संबंध में कोई केस रजिस्टर किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसके खिलाफ ? उक्त केस में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) 25-11-69 को लिंक रोड, पर कार आर. एस. एल. 8169 द्वारा एक दुर्घटना हुई जिसमें श्रीमती गुलाबी देवी माता श्री दुर्गासिंह मारी गई लेकिन काशीनाथ नाम का कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ।

(2) गाड़ी आर. एस. एल. 8169 का मालिक श्री अश्विनी कुमार पुत्र ईश्वर लाल दुर्लभजी सी-स्कीम, प्लाट नं० 27 है लेकिन तफतीश से यह बात सामने नहीं आई कि इस दुर्घटना के समय सुधीर कुमार नाम का व्यक्ति गाड़ी चला रहा था।

(3) जी हां। यह सही है कि दुर्घटना होने के बाद ड्राइवर गाड़ी को लेकर भाग गया व पुलिस में कोई सूचना नहीं दी।

(4) जी हां। यह सही है कि किसी पब्लिकमैन द्वारा फोन करने पर फायर ब्रिग्रेड की गाड़ी आई और घायल गुलाबी देवी को अस्पताल ले गई जहाँ पर दूसरे रोज उसकी मृत्यु हो गई।

(5) जी हां। इस दुर्घटना के बारे में मु० नं० 467 धारा 279/387 ता० हि० तारीख 25-11-69 आ. के. मानक चौक पर कायम किया गया और तफतीश से श्री अब्दुल मजीद पुत्र नूर मोहम्मद मुसलमान सा० चार दरवाजा मुलजिम होना पाया गया। उसके खिलाफ धारा 304 A भा० द० सं० में चालान किया जा रहा है।

समाज कल्याण परियोजना श्री माधोपुर

262. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण परियोजना श्री माधोपुर (सीकर) कब से चालू हुई है व उसमें आज तक कितना कितना खर्चा हुआ है ? अलग अलग मद वाइज बताने का कष्ट करें।

(2) इस योजना में श्री माधोपुर में कार्य कर रहे कर्मचारियों की तनख्वाह, टी. ए. व डी. ए. कब से बकाया है व उनको नहीं देने का क्या कारण है ?

(3) इस बकाया का कब तक चुकारा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण परियोजना श्री माधोपुर दिनांक 19 अगस्त, 1959 से

(समाज कल्याण मंत्री)

प्रारम्भ हुई उसमें हुये खर्च की वर्षवार व मदवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस परियोजना में कार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन माह जनवरी 1970 से तथा टी० ए०, डी० ए० मास दिसम्बर 1969 से बकाया है इसका कारण केन्द्रीय बोर्ड व राज्य सरकार से अनुदान समय पर प्राप्त नहीं होता है।

(3) इनको अनुदान का भुगतान 31 मार्च से पहले पहले हो जायगा जिसके फलस्वरूप परियोजना क्रियान्वयन समिति अधिक से अधिक अप्रेल के प्रथम सप्ताह में यह भुगतान कर सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

नगर बस स्टेन्ड की सड़क

267. **श्री मजलिसखां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर बस स्टेण्ड पर सड़क की बहुत खराब हालत हो चुकी है और उसमें 24 घन्टों पानी भरा रहता है और जिससे सड़ांध भी मारती है ? क्या यह भी सही है कि जिस समय उक्त पानी से गाड़ियां गुजरती हैं तो गन्दा पानी पास की दुकानों और चलने वालों के कपड़ों को खराब करता है ? यदि हां, तो इस टुकड़े की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती ?

(2) क्या नगर बस स्टेण्ड का स्वयं निर्माण मंत्री ने निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वहां के कार्यकर्ताओं को शीघ्र से शीघ्र मरम्मत कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि आश्वासन पूरा नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) जी हां, नगर बस स्टेन्ड के पास की सड़क नगरपालिका क्षेत्र में आती है इसलिए इसकी मरम्मत नगरपालिका द्वारा कराई जानी चाहिये।

(2) यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये इस सड़क की मरम्मत का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

नगरपालिका केकड़ी द्वारा बेची गई जमीन

268. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केकड़ी नगरपालिका द्वारा दिनांक 1-1-69 से 20-6-69 तक जमीन बेची गई ?

(2) अगर हां, तो किन-किन को, कितनी-कितनी दर व कितनी-कितनी जमीन किस-किस क्षेत्र में बेची गई ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समय में किन-किन को और कहां-कहां किस दर पर कितनी जमीन किराये पर दी गई ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इनमें कितने ऐसे प्रार्थी थे जिनके प्रार्थना-पत्रों पर कार्यालय द्वारा ऐतराजात

(श्री देवीलाल बुरासिया)

किए जाने के बावजूद भी उन्हें जमीन बेची व किराए पर दे दी गई व इन्हें किन कारणों से बेची व किराए पर दी गई ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) ऐसी कितनी जमीनें व प्लाट हैं जिन्हें केकड़ी नगरपालिका ने अनधिकृत रूप से किराए पर दीं व बेचीं और तत्पश्चात् जिलाधीश, अजमेर ने उक्त किराएनामें व बेचान नाम रद्द किए ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पूर्ण विवरण सहित सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पूर्ण विवरण सहित सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पूर्ण विवरण सहित सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) दि० 1-1-69 से 7-6-69 तक केकड़ी नगरपालिका ने प्रशासक नगरपालिका की सूचनानुसार अनधिकृत रूप से जमीन न किराये पर दी न बेची है।

जिलाधीश द्वारा रद्द किये गये मामलों की सूची "घ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई हैं)

पुलिस इन्सपेक्टरों व अधिकारियों के खिलाफ एन्टीकरप्शन में दर्ज मामले

269. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि पुलिस इन्सपेक्टरों व अधिकारियों के खिलाफ एन्टी-करप्शन में केस दर्ज हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो किस-किस के खिलाफ कब कब केस दर्ज हुए हैं और किस-किस के प्रति क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त इन्सपेक्टर व अधिकारियों के खिलाफ जो जो केस चल रहे थे उनमें इन्सपेक्टर व अधिकारियों को उसी जिले में लगवा रखा था ?

(4) यदि हां, तो क्यों और किस-किस को लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ? क्या इसके जांच का कोई प्रभाव पड़ा है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस अधिकारियों की जिलों में नियुक्ति

326. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित कर रखी है और उसी के अनुसार स्थायी आदेश हैं कि कोई पुलिस अधिकारी, विशेषतौर से सब इन्सपेक्टर, अपने गृह जिले में नहीं रखे जायेंगे ?

(श्री दौलतराम सारण)

(2) राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारी व सब-इन्सपेक्टर अपने गृह जिले में नियुक्त हैं ? कहां-कहां और कौन-कौन ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि धौलपुर सब-डिविजन के कई थानों में वहीं के निवासी सब-इन्सपेक्टर नियुक्त हैं ? यदि हां तो कौन कौन, कहां-कहां और कब से तथा क्यों ? क्या इनके विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1969 से पूर्व ऐसे आदेश थे कि अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को उनके गृह जिले में नहीं लगाया जावे, किन्तु राजस्थान सरकार ने उनके आदेश संख्या स. 1/20/सा.प्र./क/63 दिनांक 10-6-68 से उपनिरीक्षक के विषय में इस प्रकार का प्रतिबन्ध हटा लिया है।

(2) वांछित सूची संलग्न है।

(3) धौलपुर सब-डिविजन में भरतपुर जिले का निवासी केवल श्री धर्मसिंह पुत्र रामसिंह है जो दिनांक 7-8-68 से थाना मनिया में लगे हुए हैं, और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

पुलिस चौकी पेच की बावड़ी के हैड कान्स्टेबिल के विरुद्ध शिकायत

327. श्री देवीलाल चुरासिया (केकड़ी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पुलिस अधीक्षक, बून्दी को हैड कान्स्टेबल, पुलिस चौकी, पेच की बावड़ी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई ? अगर हां तो उक्त शिकायत किस बाबत थी ?

(2) उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक बून्दी ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां, पुलिस चौकी पेच की बावड़ी के इन्चार्ज श्री सत्यनारायण, एच० सी० के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एक शिकायत श्री एस० बी० चौधरी ने यह की थी उनसे एच०सी० के 5) रु० सूर्यमल स्थाई फण्ड के लिये जबरदस्ती कर के ले लिये। दूसरी शिकायत श्री मोहन खटीक ने एच० सी० द्वारा ज्यादती करने की थी।

(2) दोनों शिकायतों की जांच जारी है।

भूतपूर्व आई.जी.पी. के विरुद्ध शिकायतों की जांच

328. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पुलिस के भूतपूर्व आई.जी. श्री हनुमानप्रसाद के निवास स्थान पर लगे टेलिफोन का स्थानीय व बाहरी फोन का खर्चा सन् 67-68 एवम् 68-69 में प्रति माह कितना कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य अधिकारियों को उनके निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के माहवारी व वार्षिक खर्च के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह सही है कि आई.जी पी. के विरुद्ध जीप की मरम्मत के लिए धन का दुरुपयोग, सरकारी विभाग के लिये किट बॉक्सेज की खरीद, पुलिस की वर्दी के लिये खरीद किये गये कपड़े में भारी भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में पद का दुरुपयोग कर हजारों सरकारी रुपयों का दुरुपयोग व गोल-माल किये जाने की शिकायत हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या उसकी जांच करवाई है ?

(4) उक्त अधिकारी के विरुद्ध की गई उक्त मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों की प्रतिलिपि तथा सरकार के किसी विभाग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

पुलिस थाना, थांवला मूण्डवा में दर्ज मामले

329. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना थांवला जिला नागौर में दर्ज मुकदमा नम्बर 3/67 का चालान हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) पुलिस थाना मूण्डवा जिला नागौर में दर्ज मुकदमा नम्बर 26/67 का अभी तक चालान पेश हुआ या नहीं ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ? इन केसेज का नतीजा क्या हुआ ?

उत्तर

(1) मुकदमा नम्बर 3/67 का चालान दिनांक 20-4-67 को अदालत में पेश कर दिया गया है व अभी जैरतजवीज है।

(2) मुकदमा नं० 26/67 का चालान दिनांक 22-10-67 को अदालत में पेश कर दिया गया है और दिनांक 11-10-69 को अदालत में मुकदमा खारिज कर दिया।

लाडनूं के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

330. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना, लाडनूं, जिला नागौर के मौजूदा थानेदार के खिलाफ कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कौन कौनसी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? जांच के दौरान क्या क्या आरोप सिद्ध हुए ?

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस थाना लाडनूं, जिला नागौर के मौजूदा थानेदार श्री नरप

(गृह मन्त्री)

सिंह के खिलाफ निम्नलिखित तीन शिकायतें (उनके आगे अंकित तारीखों को) एस० पी० आफिस नागौर में प्राप्त हुई थी :—

1. परिवाद श्री चुन्नीलाल उप सरपंच, ग्राम पंचायत, मंगलपुरा दिनांक 20-1-70 को प्राप्त हुई जो जरिये नं० 656 ता० 21-1-70 को वृत्ताधिकारी डीडवाना के पास वास्ते जांच एवं रिपोर्ट के भेजी गई। उक्त जांच वृत्ताधिकारी डीडवाना द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी है तथा उनके पास पेन्डिंग है।

2. परिवाद श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान दिनांक 23-12-69 को प्राप्त हुई। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर गृह निरीक्षक नागौर से जांच करवाई गई तथा जांच से शिकायत झूठी पाई गई।

3. परिवाद श्री बंशीलाल उपमंत्री स्वर्णकार संघ, लाडनूं का दिनांक 23-1-70 को प्राप्त हुआ। उक्त रिपोर्ट पर गृह निरीक्षक नागौर से जांच कराई गई। जांच से उक्त शिकायत झूठी पाई गई।

अलवर जिले में डाके, चोरी व कत्ल के मामले

331. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में गत वर्ष में कितने डाके, चोरियां, व कत्ल हुए ?

(2) डाकू कितने पकड़े गए व अन्य मुलजिम कितने ?

(3) कितने मुलजिमों को सजायें दी गई और कितना माल बरामद किया गया ? थानावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में सन् 1969 में 4 डकेतियां, 506 चोरियां व 37 कत्ल हुए।

(2) 26 डाकू, व 460 अन्य मुलजिम पकड़े गये।

(3) 21 मुलजिमों को सजा हुई, तथा 269962 रु० 63 पैसे का माल बरामद किया गया। थानेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम पंचायत, समरानियां के निकट के ग्राम में भूतपूर्व डी. वाई. एस. पी. द्वारा खेती

332. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के शाहबाद तहसील की ग्राम पंचायत समरानियां के निकट के ग्राम में, इस क्षेत्र में डाकू सुरक्षा के लिये आये भूतपूर्व डी.वाई. एस. पी. श्री दुर्गापालसिंह करीब 250-300 बीघा भूमि पर ट्रेक्टर आदि चलाकर तथा एंजिन व पम्पिंग सेट लगाकर खेती कर रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो यह भूमि किस-किस खसरा नम्बर की किस-किस प्रकार से प्राप्त की थी ? क्या यह सही है कि जिस भूमि पर उक्त अधिकारी काश्त कर रहा है वह सरकारी थी ?

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जिला बूंदी में ट्रैसपासर्स के विरुद्ध कार्यवाही

333. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिंडोली): राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बून्दी में धारा 19 काश्तकारी कानून के अन्तर्गत कितनी सरकारी खातें की आराजी काश्तकारों के खाते हो गई है ? इसके आंकड़े बीघों, में कृपया तहसीलवार बतलायें ?

(2) इसी धारा के अन्तर्गत कितने काश्तकारों की खाते की जमीनें दूसरों के खाते हो गई हैं ? तहसीलवार बतलावें ?

(3) सरकार ने जिला भर में कितने काश्तकारों पर ट्रैसपासर्स करार देकर मुकदमे चलाये ? कितनों का फैसला कर दिया गया है और कितने अभी चल रहे हैं ?

(4) सरकार ने ट्रैसपासर्स से जुर्माना कितने गुना लिया और खाते लगाने के लिये गैर कमाण्ड एरिया में कितने गुना लेकर जमीनों के अधिकार काश्तकारों को दिये जा चुके हैं ? कृपया तहसीलवार बतलावें ?

(5) क्या यह सत्य है कि काश्तकारी कानून की धारा 19 के प्रभाव में आने के कारण हजारों काश्तकारों से बिना मुआवजा के जमीनें सरकार ने छिनवा दी ?

, उत्तर

(1) धारा 19 काश्तकारी कानून के अन्तर्गत सरकारी खाते की आराजी काश्तकारों के खाते दर्ज नहीं की जाती है। अत: आंकड़े बताने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) उपरोक्त धारा 19 के अन्तर्गत 2344 काश्तकारों के खाते की जमीनें दूसरों के खाते हो गई हैं। तहसीलवार सूचना निम्न प्रकार है :–

नाम तहसील	तादाद काश्तकार	रकबा एकड़ों में
बूंदी	657	1420
पाटन	139	631
नैनवां	1186	5219
हिण्डौली	362	841
योग	2344	7211

(3) सरकार द्वारा इस जिले में 39517 काश्तकारों पर ट्रैसपासर्स कानून के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये। इनमें से 33136 फैसले हो चुके हैं और 6381 अभी चल रहे हैं।

(5) ट्रैसपासर्स पर जुर्माना वार्षिक लगान के 15 गुना तक वसूल किया गया है और खाते लगाने के लिए प्रिमियम की राशि विनियमित भूमि के लगान को 20 गुनी तथा पेनल्टी 15 गुना ली जाकर खातेदारी दी जाती है।

(5) जी नहीं, धारा 19 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने वाले काश्तकारों को धारा 20 टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत मुआवजा देने का प्रावधान है। जिसके लिए खातेदार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है।

तहसील बीकानेर के अधीनस्थ ग्रामों में अग्निकांड की घटनाएं

334. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर के अधीनस्थ ग्रामों में अग्निकाण्ड की घटना से किन काश्तकारों के मकान व ढाणी जलने व अग्निकांड से हुए नुकसान के प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, बीकानेर के सम्मुख सहायतार्थ सन् 1968 से 1969 में प्रस्तुत किये गये ? प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान व सहायता के रूप में दी गयी सरकारी धनराशि की मात्रा की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसीलदार बीकानेर के सम्मुख कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ। विकास अधिकारी पंचायत समिति बीकानेर के सम्मुख प्रस्तुत हुए आवेदन-पत्रों के बारे में सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

सीमेन्ट वर्कर्स लाखेरी के साथ एग्रीमेन्ट

335. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका के क्षेत्र में सीमेंट वर्क्स लाखेरी के निवेदन करने पर एक रिजर्व एरिया बनाया जाकर राज्य सरकार के व कम्पनी के बीच इकरारनामा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस रिजर्व एरिया के अन्तर्गत आने वाली भूमि को पंचायत, नगरपालिका, सरकार बेच नहीं सकती और न कोई अधिकार कर सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि रिजर्व एरिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा मकान बना लेने पर मुकदमें चल रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इसी रिजर्व एरिया में सड़क के किनारे व कम्पनी की रेल्वे लाईन के बीच गांधीपुरा की आबादी के पास श्रीराम कल्याण वल्द उदयलाल जो लाखेरी में खन्दी के लेनदेन का कार्य करते हैं, को 15 बीघा जमीन खसरा नं० 1704, 1704/2 का एलॉटमेन्ट कर दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि यह एलॉटमेन्ट गैर-कानूनी है फिर भी राजनैतिक आधार पर तहसील व पटवारी ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जिससे जिससे सारी जनता में भारी असन्तोष है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि लाखेरी सीमेन्ट कंपनी तथा राज्य सरकार के बीच में दिनांक 24-1-57 तथा 14-3.58 को एग्रीमेन्ट हुए हैं जिनमें सीमेन्ट कंपनी लाखेरी के लिए एरिया नगर पालिका, ग्राम पंचायत व लोकल बॉडीज के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना तय हुआ है। इसके क्षतिपूर्ति स्वरूप ए० सी० सी० लाखेरी

(राजस्व मन्त्री)

10,000) रु० (दस हजार रुपये) सालाना नगर पालिका, लाखेरी को अदा करती है।

(2) जी हां, यह सही है कि इस रिजर्व एरिया के अन्तर्गत आने वाली भूमि को पंचायत, नगरपालिका तथा सरकार बेच नहीं सकती है और न कोई अधिकार ही कर सकता है।

(3) जी हां, यह सही है कि रिजर्व एरिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा मकान बना लेने पर उनके विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं।

(4) जी हां, यह सही है कि इसी रिजर्व एरिया के खसरा नम्बर 1704 क्षेत्रफल 14 बीघा 17 बिस्वा का आवंटन तहसील पाटन की मिसल नम्बर 44 तारीख 21-7-58 से श्री रामकल्याण वल्द उदयलाल ब्राह्मण साकिन लाखेरी को लीज शर्त पर काश्त करने हेतु हुआ है। चूंकि तहसील के रेकार्ड में इस रिजर्व एरिया का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है और तबही से वह इस भूमि पर काबिज़ चला आ रहा है।

(5) जी हां, यह सही है कि यह एलॉटमेन्ट गैरकानूनी है और तहसील द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

जिला नागौर के भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजे का भुगतान

336. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो जिला नागौर के कितने भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजे के बॉन्ड या नकद भुगतान करना शेष है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) कुल कितने भूतपूर्व जागीरदारों को उस जिले में मुआवज़े का भुगतान करना था? जिसमें से अब तक किस किस वर्ष में कितने कितने मामलों में भुगतान किया गया?

(3) क्या सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई अवधि निर्धारित की थी? यदि हां, तो कब से कब तक की और उक्त अवधि में कार्य पूरा क्यों नहीं किया गया?

(4) अब यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रखी है।

(2) इस जिले में कुल 27,075 भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा चुकाया जाना है। जिनमें से माह फरवरी, 1970 तक तक 18,370 को मुआवजा बॉण्ड 16,048 को अतिरिक्त पुनर्स्थापन अनुदान बॉण्ड्स और 12,865 को मुआवजा की नकद राशि चुकाई जा चुकी है।

(3) ऐसी कोई अवधि सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की है।

(4) मुआवजे तै करने का कार्य करीब दो वर्ष में पूरा हो जायगा।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

Page No 43

जिला नागौर में चारागाह की भूमि

337. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर के किस किस गांव में कितनी कितनी भूमि चारागाह भूमि घोषित की हुई है तथा उन गांवों की पशुओं की संख्या कितनी है ?

(2) भूमि के चारागाह घोषित होने के बाद किस किस ने काश्त करके कब्जा कर लिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि पशुओं की संख्या के अनुसार चारागाह भूमि छोड़ी जाती है ? यदि हां, तो नियमानुसार किन किन गांवों में कम या अधिक चारागाह भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) प्रति पशु आधा बीघा भूमि चारागाह भूमि रखने का जो सरकार ने आधार तय किया है वह किस आधार पर तय किया है ?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका झालावाड़ द्वारा प्लाटों की नीलामी

338. **श्री लछमण तानीवाल** (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झालावाड़ नगरपालिका द्वारा 1-1-64 से 2 जनवरी 1970 तक किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां पर व कितने कितने प्लाॅट कितने कितने रुपयों में बेचे व नीलाम किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त अवधि में बेचे व नीलाम किए प्लाटों पर कितने लोगों को मालिकाना हक दिया कितनों को नहीं ? मालिकाना नहीं देने का कारण क्या है व इस प्रकार के हक कब तक दे दिये जावेंगे ?

(3) क्या नगरपालिका ने ऐसे प्लाॅटों को भी बेचा है जो नगरपालिका के अधिकार में नहीं थे तथा जिन पर तहसील का अधिकार था एवं उनको तहसील द्वारा मालिकाना हक खरीददारों को दिलवाये जाने की कार्यवाही जारी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) ब्यौरावार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) (अ) 41 प्लाॅटों पर खरीददारान को कब्जा पट्टा दिया जा चुका है जिनके नाम सूची प्रश्न के भाग 1 में प्रस्तुत के क्रमांक 1,2,3,5,7,8,9,10, 12,13,15, 16,17,19,20,21,22,23,24,25, 34, 42,44,47, 48,49,50,51,53,56,62, 63,64,65,66,67,68,73,75,76, व 77 पर है ।

(ब) 18 प्लाॅटों की रजिस्ट्री होना बाकी है । पट्टे नक्शे तैयार है, खरीददारान ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है जिनका लिस्ट में सीरियल नं० 4,6,11,14,18,26,32,33, 35,43,57,58,59,60,69,70,71, व 72 है ।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(स) 4 प्लाटों के पट्टे तैयार हैं लेकिन अभी तक खरीददार नहीं ले गये हैं। इनकी लिस्ट में सीरियल नं० 46,52,54,व 55 है।

(द) 10 प्लाटों के खरीददारों ने पट्टों के लिए स्टाम्प पेश नहीं किए हैं जिनके लिस्ट में सीरियल नम्बर 26,36,37,38, 39,40,41,45,61 व 74 है।

(ह) 4 प्लाट नगरपालिका ने मोटर स्टेण्ड के पास नीलाम किये थे परन्तु भूमि राजस्व विभाग द्वारा उनकी बतलाई गई है। इसलिए लिस्ट में सीरियल नं० 28,29,30 व 31 के रुपये लौटाना है। सिरियल नं० 28 की राशि लौटादी गई है।

(3) जी हां।

प्लाट नं० 2,3,4,5 जो लिस्ट में सिरियल नं० 28,29,30 व 31 पर है व वर्णन दे दिया गया है।

तहसील द्वारा मालिकाना हक खरीददारों को दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है या नहीं यह सूचना प्राप्त नहीं है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

गृह निर्माण के लिये ऋण

339. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर शहर में हाउसिंग लोन देने की योजना किस सन् में लागू की गई व आज तक कितने व्यक्तियों को हाउसिंग लोन दिया जा चुका है जिन व्यक्तियों को हाउसिंग लोन दिया गया है उनका नाम, पिता का नाम, धनराशि बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि हाउसिंग लोन आज तक बीकानेर शहर में किसी भी पिछड़ी हुई जाति के व्यक्ति को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है।

उत्तर

(1) बीकानेर शहर में भवन निर्माण ऋण योजना वर्ष 1955-56 से लागू की गई। आज तक 653 व्यक्तियों को ऋण दिया जा चुका है। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सत्य नहीं है पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को भी बीकानेर में हाउसिंग लोन स्वीकृत किया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

नगरविकास न्यासों के जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

340. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने नगर विकासन्यास कब से काम कर रहे हैं ? उनमें कितने ऐसे हैं जिनके जन प्रतिनिधियों व कर्मचारियों पर गबन के केस चल रहे हैं या साबित हो गये हैं ? हर न्यास की अलग अलग सूचना सदन की मेज पर रखें।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) कितने केस ऐसे हैं जिनकी वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. के तहत चल रही है ?

(स्थगित किया गया)

फतेहसिंह धर्मशाला, जयपुर

341. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फतेहसिंह जी की धर्मशाला स्टेशन रोड़, जयपुर को यू. आई. टी. ने एक्वायर की है ? यदि हां, तो वहां के बाशिन्दाओं को जो कि 20 वर्षों से उसमें रहते हैं उनके आवास का प्रबन्ध किसी अन्य जगह क्या राज्य सरकार ने किया ।

(2) क्या यह भी सही है कि धर्मशाला के मालिकों को मुआवजा अदा किया है ? ये कितने व्यक्ति हैं व प्रत्येक को कितना कितना पैसा दिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) इस धर्मशाला की हद हदूद में कितने परिवार रहते थे ? उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि इस धर्मशाला के मालिकों को वहीं पर प्लाट एलाट किये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस को कितनी कितनी जमीन व कितने कितने रुपयों में दी गई ?

(5) इस धर्मशाला की जमीन जो नगर विकास न्यास, जयपुर ने एक्वायर की है उसकी मार्केट वेल्यू इस समय क्या है ?

(6) क्या यह सही है कि इस भूमि का नगर विकास न्यास के पास साइट प्लान बना हुआ है ? यदि हां, तो यह प्लान क्या है ? उनकी प्रति नक्शे सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति अवाप्त की है उनका मुआवजा निश्चित किया गया है अधिनिर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) मकान मालिक एव किरायेदारों की सूची अधिनिर्णय में अंकित है ।

(4) अवार्ड में जिन व्यक्तियों की सिफ़ारिश की गई है उनके आवंटन का मामला न्यास के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में न्यास निर्णय दिनांक 3-1-70 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(5) राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की निर्धारित सुरक्षित दर 10/- रु० प्रतिवर्ग गज से कायम की हैं । तथा बाजारी दर से नीलाम होने से ही ज्ञात हो सकती हैं ।

(6) योजना का मानचित्र संलग्न है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

प्रतापगढ़ शहर में पानी की टंकी

342. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ शहर में वाटर सप्लाई टंकी बहुत छोटी

(श्री हरलाल मीणा)

हैं ? यदि हां, तो नल कनेक्शन एवं आबादी को देखते हुए बड़ी टंकी बनाने की क्या योजना है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि यह टंकी वाटर वर्कस विभाग की नहीं होकर नगर पालिका की पुरानी टंकी है ? यदि हां, तो इस टंकी की क्या कन्डीशन है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रतापगढ़ शहर में वाटर सप्लाई की टंकी बहुत छोटी है, उसकी क्षमता सिर्फ 20,000 गैलन की है। आबादी को देखते हुए टंकी बड़ी होनी आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य किया जा सकेगा।

(2) टंकी नगरपालिका द्वारा इस विभाग को सुपुर्द की गई है। लोहे की टंकी है। इसकी कन्डीशन ठीक है।

गांवों व शहरों में पानी का अभाव

343. श्री हंसराज आर्य (मादरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन किन जिलों की कौन कौनसी तहसीलों में कितने कितने गांवों का पानी खारा है ?

(2) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वे करवाई है ? यदि हां, तो कब ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार पीने के पानी के अभाव को कोई महत्व नहीं देती है ?

(4) गांवों और शहरों में पीने के पानी के अभाव को पूर्ण रूप से मिटाने के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचा है और कब तक इस समस्या का समाधान कर दिया जावेगा।

(5) क्या युद्धस्तर पर सरकार ने इस समस्या का समाधान करने का निश्चय कर लिया है। यदि हां, तो कितने समय में।

(6) पहली योजना से लेकर आज तक गांवों में पीने का पानी के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(6) शहरों और कस्बों में पीने का पानी पर आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उत्तर

(1) कुल गांव 1612 हैं प्रत्येक पंचायत समिति के खारे पानी वाले गांवों की संख्या की सूची संलग्न है।

(2) जी हां, सन् 1964, 1966 में सर्वे पूर्ण की गई। जिसके अन्तर्गत मास्टर प्लान बनाया गया जिसकी लागत 70 करोड़ रुपये हैं। मास्टर प्लान की प्रतिलिपि बहुत बड़ी होने की वजह से सदन की मेज पर अभी रखा जाना संभव नहीं।

(3) जी नहीं, बहुत महत्व देती है।

संपूर्ण शहरों में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जलदाय योजना शुरू हो जावेगी। गावों की समस्या बहुत बड़ी

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

है, इसलिये इसकी पूर्ण निवारण की अवधि बताया जाना मुश्किल है। किन्तु सरकार अपने सीमित साधनों में इसे शीघ्र से शीघ्र हल करने के प्रति जागरूक है।

(4) सरकार समस्या को शीघ्र से शीघ्र हल करने को इच्छुक है, समय का प्रश्न साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है।

(5) मार्च सन् 1969 तक ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर 3021 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

(6) शहरों और कस्बों में पीने के पानी की योजनाओं पर मार्च 1969 तक 16 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किया गया।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

जयपुर में फौजियों के लिये सुरक्षित भू-खण्ड

344. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं):—क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर विकास न्यास, जयपुर ने कोई ऐसा निश्चय किया था कि फौजियों के लिये कुछ भू-खण्ड सुरक्षित रखे जावेंगे? यदि हां, तो कब और कितने कितने भू-खण्ड सुरक्षित किये गये और उनके वितरण के लिये क्या प्रक्रिया निश्चित की गई?

(2) अब तक कितने फौजियों की दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं? सूची दरख्वास्ते प्राप्त होने की तारीख मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन फौजियों को भू-खण्ड एलॉट कर दिये गये हैं उनकी सूची मय पूरे पते के और दरख्वास्त देने की तारीख भू-खण्ड एलाट करने की तारीख तथा भूखण्ड किस साइज का कितने मूल्य में किस स्कीम में एलॉट किया है तथा उनको कब्जा देने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

भूखण्डों का अलाटमेन्ट करने के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया

345. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं):—क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा किन किन को कहां कहां पर कितना कितना भू-खण्ड अलॉट किया गया? भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र किस किस तारीख से नगर विकास न्यास के पास विचाराधीन थे? सूची व्यक्तियों के पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नगर विकास न्यास को भूखण्ड अलॉट करने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये हुए हों, तो उनकी प्रतियां भी सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस संबंध मे कोई नियम, उप नियम बनाये हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 48

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) इस समय भू-खण्ड अलाट करने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नागौर जिले में बनी सड़कें

346. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माणमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1963-64, 64-65, 65-66 व 1966-67 में अकाल राहत कार्यों में नागौर जिले में कितनी सड़कें बनीं ? प्रत्येक पर किस किस वित्तीय वर्ष में कितना कितना अर्थ वर्क, ग्रैवलिंग वर्क व मैटीरियल कलेक्शन वर्क हुआ तथा कितनी कितनी मील में व कितनी कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या इस व्यय का ऑडिट विभाग द्वारा या डिपार्टमेन्ट द्वारा हुआ है ? यदि हां, तो उन आडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जावें ?

(3) क्या इन आडिट रिपोर्टों पर या अन्य किसी शिकायत पर कोई जांच हुई ? यदि हां, तो ऐसी तमाम जांचों की जांच रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखा जावे एवं जो जांच पेन्डिग हैं वो किन किन अधिकारियों के पास किन किन मुद्दों पर व किन किन अधिकारियों के खिलाफ कब कब से पेन्डिग हैं ?

(स्थगित किया गया)

प्रतापगढ़-चित्तौड़ सड़क

347. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ):—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ आने व जाने के लिये मध्य प्रदेश नीमच-मन्दसौर होकर जाना आना पड़ता है ? यदि हां, तो यह कितना लम्बा रूट है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिले से मिलाने के लिये प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ सड़क का काम चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां । इस मार्ग की लम्बाई 143 किलोमीटर है ।

(2) जी हां, वर्ष 1961-62 से कार्य आरम्भ हुआ है ।

देसलसर व जांगलू ग्रामों में बिजली

348. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या तहसील नोखा के ग्राम भामटसर से देसलसर तक विद्युतिकरण करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक हो जावेगी ?

2. क्या यह सही है कि ग्राम भामटसर देशलसर व जांगलू काफी बड़े 2 गांव हैं और यहां की जनता द्वारा कई बार बिजली की मांग की गई है ? यदि हां, तो इन गांवों में बिजली कब तक लगा दी जावेगी ।

उत्तर

1. जी नहीं । अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

(विद्युत मंत्री)

2. ग्रामों के छोटे बड़े के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता पर इन ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

बिजली के कनेक्शन देने का आधार

349. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. (अ) आवेदन-पत्र जमा होने के बाद कितने दिनों पश्चात् डिमान्ड नोटिस निकलने चाहिये? फिर सिक्यूरिटी जमा होने के कितने दिनों बाद कनेक्शन आॅर्डर निकलने चाहिये? एवं कनेक्शन आॅर्डर निकलने के कितने दिनों पश्चात् कनेक्शन दिये जाते हैं?

(ब) क्या कनेक्शन मांग के क्रमानुसार प्राथमिकता अनुसार दिये जाते हैं? यदि हां, तो किस किस मामले में इस क्रम नियम को तोड़ा है?

2. क्या श्री प्रकाशचन्द मदनलाल एवं श्री रूपचन्द सिंहल सादड़ी (पाली) को कृषि कनेक्शन स्वीकृत हुए? यदि हां, तो क्या उन्हें स्वीकृत कनेक्शन उन्हीं के नामों से किन्हीं दूसरों के कुओं पर दे दिये गये? क्या ऐसा करना नियमों के अनुकूल है।

3. क्या सादड़ी (जिला पाली) के निम्न सज्जनों ने उनके निजी निम्न मीटर विद्युत बोर्ड फालना के कार्यालय में टैस्टिंग के लिये रसीदों से जमा करवाये हैं:—

नाम मीटर नम्बर रसीद नम्बर तारीख

(क) श्री अनोपचन्द अमीचन्द मी. नं, 10078820 तारीख 18-1-68

(ख) श्री दानमल नथमल मी. नं. 1091326 रसीद नं. 20051100 तारीख 6-8-68

(ग) श्री बाबूलाल दलीचन्द मी. नं, 7024282 रसीद नं० 2005197 तारीख 6-8-68 यदि हां, तो वे मीटर अब कहां हैं?

उत्तर

(1) तकनीकी क्षमता, वान्छित धनराशि की उपलब्धि, प्राथमिकता के निश्चत होने आदि नियमान्तर्गत औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर करीब 1 माह में डिमान्ड नोटिस प्रचलित करने के आदेश हैं। कनेक्शन के आदेश प्रचलित करना केवल सिक्यूरिटी डिपोजिट करने पर आधारित नहीं है। अपितु इसका सम्बन्ध एल० फार्म देने आदि से भी है। कनेक्शन आदेश देने के बाद परिस्थिति के अनुसार कनेक्शन देने में समय लगता है। न्यूनतम समय एक कनेक्शन के लिये 5 दिन हैं और यदि उसी लाइन पर कनेक्शन अधिक हैं तो स्वभावत: समय अधिक लगना अपेक्षित है। नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पंजीकृत होने की तारीख के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करके तदनुसार तकनीकी क्षमता और आर्थिक दृष्टि से उचित होने पर कनेक्शन देने के आदेश हैं और इसके अनुसार कनेक्शन दिये भी जाते हैं। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को आदेश है कि वे इस सिद्धान्त के अनुपालन होने की अपने निरीक्षण के समय जांच करें और कोई उल्लंघन दृष्टिगत होने पर उसकी जांच करके उचित कार्यवाही

(विद्युत मंत्री)

करें। ऐसे उल्लंघनों की सूची मण्डल के पास उपलब्ध नहीं है। यदि विशिष्ट मामले बताये जायं तो उनकी जांच एवं उस पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

(2) जी हां, श्री प्रकाशचन्द मदनलाल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-12-65 को फालना उपखण्ड कार्यालय में पेश हुआ था। प्रार्थना-पत्र में जो कुछ बताया गया था वहीं पर कनेक्शन दिया गया है। कनेक्शन ऑर्डर में उपभोक्ता के वही हस्ताक्षर हैं जो कि मूल प्रार्थना-पत्र पर हैं अतः कनेक्शन उसी कुए पर दिया गया है जहां चाहा गया था। और न ही किसी व्यक्ति ने इस संबंध में कोई सूचना ही दी है।

श्री रूपचन्द सिंहल ने अपना प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-6-66 को फालना उपखंड के कार्यालय में पेश किया था। उन्होंने एक नक्शा भी पेश किया जिसमें कुवा जहां पर कनेक्शन अभी मौजूद हैं बताया गया है और उसमें यह तस्दीक की गई है कि कुआ श्री रूपचन्द सिंहल और श्री ललित कुमार, घीसूलाल, देवीचन्द जैन की भागीदारी का है और उसी पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं। कनेक्शन इस ही कुए पर दिया गया है।

(3) चूंकि कनेक्शन उन्हीं कुओं पर दिये गये, जिनके लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये गये थे अतः नियम विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(क) मीटर नं० 10078820 जो फालना उपखण्ड कार्यालय में दिनांक 9-1-68 को जमा किया गया था। वह मीटर अन्य मीटरों के साथ तारीख 30-5-68 को जोधपुर प्रयोगशाला में मीटर टैस्टिंग हेतु भेजा गया था तथा यह वहां से लौटकर अभी तक नहीं आया है। इसके लिये प्रयोगशाला को पत्र लिख दिया गया है। श्री अनोपचन्द अमीचन्द का कनेक्शन प्राथमिकता में नम्बर आते ही मण्डलीय मीटर द्वारा दे दिया गया था।

(ख) श्री दानमल नथमल सादड़ी का मीटर फालना कार्यालय के भण्डार में मौजूद है। जैसाकि प्रश्न में मीटर नं० 1091326 बताया गया है मगर मीटर का सही नम्बर 10091326 है। श्री दानमल नथमल का प्राथमिकता में नम्बर आते ही मण्डलीय मीटर द्वारा कनेक्शन दे दिया गया था और उनको यह लिखकर सूचना दे दी गई है कि वे अपनी निजी मीटर फालना उपखण्ड के कार्यालय से ले जावें।

(ग) श्री बाबूलाल दलीचन्द का मीटर नम्बर 7024282 फालना उपखण्ड कार्यालय की गलती से दूसरे उपभोक्ता मैसर्स गोयल इन्डस्ट्रीज फालना के यहां दिनांक 9-10-68 को लगा दिया गया था यह मीटर वहां से उतरवाकर वापस फालना उपखण्ड के भण्डार में मंगा लिया गया है और श्री बाबूलाल को लिखकर यह सूचना दे दी गई है कि वे अपना निजी मीटर फालना उपखण्ड के कार्यालय से ले जावें। इनका कनेक्शन भी प्राथमिकता में नम्बर आते ही दे दिया गया था।

ग्राम चौथ-का-बरवाड़ा के वार्ड नं० 10 में बिजली

350. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) सवाई माधोपुर जिले के ग्राम चौथ-का-बरवाड़ा में विद्युत लगे कितने दिन हो गये ?

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

(2) क्या उक्त ग्राम के वार्ड नं० 10 में आज तक बिजली नहीं पहुँचाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त वार्ड में निवास करने वाले व्यक्ति किस जाति से संबंध रखते हैं और उक्त वार्ड सर्वे में शामिल था या नहीं ?

उत्तर

(1) 4 वर्ष 6 महिने। चौथ का बरवाड़ा का विद्युतिकरण 17-7-65 को हुआ था।

(2) जी हां। क्योंकि न तो समाज कल्याण विभाग ने इसके लिये धनराशि एवं स्वीकृति उपलब्ध कराई है और न पंचायत से वांच्छित धनराशि प्राप्त हुई है जिसे रु० 236.33 का एस्टीमेट बनाकर सरपंच को डिमान्ड नोटिस भेजा जा चुका है।

(3) जहां तक जानकारी है, अनुसूचित जाति (रेगर) निवास करते हैं। सर्वे करने के पश्चात् ही डिमान्ड नोटिस सरपंच को भेजा गया है।

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ को ऋण

351. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ को कभी ऋण दिया था ? यदि हां, तो कब कब किस किस कार्य के लिये कितना कितना ऋण दिया गया ? इस संबंध में किये गये इकरारनामों की प्रतियां सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऋण का उपयोग व वापिस भुगतान किये गये इकरारों के अनुसार हुआ या नहीं ? यदि न हुआ तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1-राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जब कायम हुआ था तब उसके रोजाना के खर्चे चलाने के लिये कोई रकम बोर्ड के पास नहीं थी। इस काम के लिये राजस्थान सरकार ने पहला कर्जा 50,000) रु० का कार्य जरिये हुक्म नं० एफ 2 (1) एफ (ब) 63 बौल/तारीख 20-6-1963 दिया। इसके बाद दूसरा कर्जा जरिये हुक्म नं० एफ 2 (1) एफ बी– 66 बौल तारीख 15-12-66 100000) रु० (एक लाख) रुपये का मंजूर हुआ। तारीख कर्जा 83,-000)रु० का बोर्ड के लिटिगेशन चार्जेज के लिये दिया गया यह कर्जा जरिये हुक्म नं० एफ 12 (25) रा०क०/67 दिनांक 23-6-68 दिया गया।

2-इन कर्जों का उपयोग इकरारनामे के अनुसार किया गया है और यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुए हैं। 83000) रु० में से पूरी रकम खर्च नहीं हुई है जैसे मुकद्दमात दायर किये जा रहे हैं इस रकम में से खर्चा हो रहा है।

कर्जों की अदायगी इकरारनामों के अनुसार अभी तक नहीं हो पाई है। किन्तु बोर्ड ने अपने कुछ बौण्ड्स सरकारी कज के पेटे जमा कराने का प्रस्ताव पास किया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

सेण्ड स्टोन का उत्पादन

352. श्री रामकिशन (वैर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सेण्ड स्टोन का उत्पादन कहां कहां होता है ? यह उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में किस किस जिले में किन किन खानों से होता है ? कृपया सम्पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में सेण्ड स्टोन के उत्पादन पर सरकार द्वारा ली जाने वाली रायल्टी में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) एक ही उत्पादन तथा एक ही किस्म पर विभिन्न रायल्टी दरों के नियमन किस कारण से है ? क्या सरकार इन दरों पर एकरूपता के लिये कोई विचार कर रही है ?

उत्तर

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

ऊनी तथा सूती खादी में रियायत

353. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सालाना खादी बोर्ड की ओर से 2 माह तक ऊनी तथा सूती खादी में जो रियायत दी जाती है उससे खादी उद्योग को सालाना कितनी हानि होती है और उस हानि को कैसे पूरा किया जाता है ?

(2) पिछले पांच सालों में सालवार कुल कितनी हानि हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(3) खादी बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड की ओर से सालाना या माहवारी क्या सहायता मिलती है ?

उत्तर

(1) इस रियायत से खादी उद्योग को हानि नहीं होती अपितु बिक्री को प्रोत्साहन मिलने के कारण लाभ होता है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड से कोई सहायता नहीं दी जाती है ?

अलवर जिले की बेराइट्स की खान

354. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में बेराइट्स की कितनी खानें है तथा किस किस पार्टी के पास कितनी कितनी खानों की लीजें हैं ? इनमें से कितनी चालू हैं और कितनी बंद पड़ी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अलवर जिले में बेराइट्स का वार्षिक उत्पादन कितना है ? यदि बन्द खानों को चालू कर दिया जावे तो उत्पादन कितना बढ़ सकता है ? क्या सरकार ने बन्द खानों को चालू करने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार को चालू खानों से वार्षिक आमदनी कितनी होती है ? यदि बन्द खानें चालू करदी जावे तो वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हो सकती है ?

(खनिज मंत्री)

उत्तर

(1) 26 खानें हैं जिसमें से 3 बन्द हैं 23 चालू हैं सूची संलग्न है।

(2) अलवर जिले में बेराइटीज का वार्षिक उत्पादन 1969 वर्ष 4842 मेट्रीक टन हुआ बंद खानों को चालू करने का प्रश्न नहीं उठता चूंकि 2 सरन्डर है व एक बन्द है।

(3) वार्षिक आय 68-69 की 408-90/ बन्द खान चालू होने से विशेष आय में वृद्धि होने की कोई विशेष संभावना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

कस्बा लाडनूं के छात्रावास

355. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में विभाग की ओर से और विभाग से सहायता प्राप्त छात्रावास चल रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से कब कब से ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त छात्रावासों के लिये कौन कौन से मकान कब कब से किराये पर ले रखे हैं तथा प्रति माह क्या किराया दिया जा रहा है ? किरायेनामों की प्रतियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) यदि उक्त मकानों में से किसी का मूल्यांकन (असेसमेन्ट) सार्वजनिक निर्माण विभाग के किन्हीं अधिकारियों द्वारा करवाया गया हो, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति मय नक्शों के सदन की मेज रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त छात्रावासों के लिये किराये पर लिये गये मकानों में क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं तथा कितनी मन्जिल के मकान बने हुए हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) असेसमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है। नक्शा उपलब्ध नहीं है।

(4) छात्रावासों के भवनों में प्राप्त सुविधाऐं आदि की सूचना उपरोक्त सूचनाओं के साथ है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न
(11-3-70)

नगरपालिका केकड़ी

68. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगरपालिका केकड़ी का सन् 1968-69 व 1969-70 का विभागीय

(श्री देवीलाल बुरासिया)

अंकेक्षण हो गया है ? अगर हां, तो अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें । सन् 1968-69 के अंकेक्षण आक्षेपों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

सन् 1968-69 का अंकेक्षण हो गया है । सन् 1969-70 का नहीं हुआ है ।

सन् 1968-69 के अंकेक्षण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सन् 1968-69 के अंकेक्षण की रिपोर्ट नगर पालिका को दिनांक 20-2-70 को प्राप्त हुई है इसलिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

नगरपालिका लाडनूं का स्टोर

70. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर के स्टोर का कब कब, किस किस अधिकारी द्वारा चैकिंग किया गया और उसमें क्या क्या सामान, कितने कितने रुपयों का कम पाया गया ?

(2) आज दिन स्टोर के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्टोर में सामान है या नहीं तथा इसकी जांच किस प्रकार से की गई ?

उत्तर

(1) दिनांक 3-2-69 को लेखाधिकारी द्वारा स्टोर का चैकिंग किया था । सामान जो कम पाया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है । स्टाक रजिस्टर में कीमत दर्ज नहीं होने से सूचनाएं दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(2) प्रशासक, नगर पालिका द्वारा जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर सूचनाएं प्राप्त हो सकेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

नगरपालिका नागौर द्वारा निर्धारित गृह कर

71. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका नागौर ने जो गृह कर की राशि निर्धारित कर रखी थी इसमें संशोधन करके पूर्व निर्धारित राशि को कम या अधिक किया है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1967 के बाद अब तक किन किन मामलों में कितनी कितनी राशि पूर्व में थी और कितनी कितनी कम या अधिक किन किन कारणों से किस अधिकारी द्वारा कब कब की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या इस कार्यवाही को करने वाला अधिकारी उक्त कार्य के लिये सक्षम था ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

गोचर भूमि पर कब्जा

83. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील नोखा के अधीनस्थ गांवों की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा करने व कास्त करने आदि के कुल कितने मामले इस वक्त चल रहे हैं ? गांव का नाम व जिन व्यक्तियों ने गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा किया उनके नाम भूमि की तादाद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील नोखा के अधीनस्थ गांवों की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा करने व कास्त करने आदि के कुल 4 मामले इस वक्त तहसील नोखा में चल रहे हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

नायब तहसीलदार का बकाया वेतन भत्ता

86- श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रणवीर सिंह नायब तहसीलदार दिसम्बर सन् 1963 से 31 मार्च, सन् 1964 तक फलौदी जिला जोधपुर में रहे जो कि फेमिन में नियुक्त थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समय का वेतन व छुट्टियों का वेतन बार बार रेवेन्यू बोर्ड व जिलाधीश, जोधपुर के लिखने पर भी आज तक नहीं दिया गया ?

(3) उक्त नायब तहसीलदार की फलौदी, नागौर जिला कार्यालय, फैमीन शाखा, टौंक ट्रेनिंग स्कूल, केकड़ी तहसील किशनगढ़ तहसील में कितना कितना वेतन भत्ता बकाया रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त नायब तहसीलदार 22-9-1969 को किशनगढ़ से रिटायर हो गये परन्तु अभी तक पेन्शन भी प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 27-12-63 से 31-3-64 तक श्री रणवीरसिंह तहसील फलौदी में नायब तहसीलदार रहे हैं व फैमिन में कार्य किया है।

(2) जिलाधीश जोधपुर से जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है राजस्व मण्डल अजमेर ने उसके लिये ताकीद कर दी है।

(राजस्व मंत्री)

(3) श्री रणवीरसिंह नागौर जिले में दिनांक 1-4-64 से 17-8-64 तक फैमिन नायब तहसीलदार के पद पर रहे हैं। दिनांक 31-3-64 तक भुगतान जिला जोधपुर से करने के बाद, अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र तहसील फलौदी से नहीं आने के कारण, इस जिले के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका। टोंक ट्रेनिंग स्कूल में ये 18-8-64 से 23-2-65 तक रहे, इसका भुगतान 1298.05 पैसे का इनको कर दिया गया है। ये रकम श्री रणवीरसिंह की मार्फत तहसील केकड़ी दिनांक 29-3-66 को दी गई है। तहसील केकड़ी वा तहसील किशनगढ़ में दिनांक 8-3-65 से 21-7-68 व 22-7-68 से 22-9-69 तक क्रमशः रहे हैं इस समय का वेतन भत्ता देना कोई शेष नहीं है।

(4) जी हां। दिनांक 22-9-69 को ये 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किशनगढ़ से रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने राज्य सेवा से मुक्त होने के बाद आज तक पेंशन स्वीकार करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है और ना ही इन्होंने दूसरे आवश्यक कागजात जैसे फोटो, उंगलियों व अंगूठे के निशान इत्यादि आज तक दिये हैं। इसके बिना इनका पेंशन केस जिलाधीश अजमेर के कार्यालय में अपूर्ण पड़ा है।

स्थगित प्रश्न

12-3-70

सरकार द्वारा नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को अनुदान

स्थगित किया गया

120. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार ने किन किन नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को किस किस काम के लिये कितना कितना अनुदान व कर्जा गत पांच सालों में दिया है और क्या वह समय पर उन्हीं कामों में खर्च किया गया है जिनके लिये दिया गया था? यदि हां, तो क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिये हैं या बाकी हैं? यदि बाकी हैं तो किस में और कितने सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

स्थगित किया गया

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने तहसील नोहर के गांव दासूवाली के हरिजनों की 113 बीघा भूमि पर खड़ी फसल का कतिपयों द्वारा पुलिस को मदद से जबरन कब्जा कर लेने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

बजट के सम्बन्ध में माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं व्यवस्था बाद में लिखकर दूंगा। उस व्यवस्था के प्रश्न को उस वक्त में रूल आउट किया है। उसी प्रश्न पर जो कि व्यवस्था का प्रश्न है आज व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दिनांक 9 मार्च, 1970 को बजट के उपस्थापन के पूर्व

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए मुख्य रूप से निम्नांकित आपत्तियां प्रस्तुत की थीं :—

(1) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव जो दिनांक 29-1-1970 को सदन द्वारा अभिस्वीकृत हुआ है, वह नियम 286 के अनुसार पारित नहीं किया गया है।

(2) इस कार्यवाही के कारण संविधान के अनुच्छेद 176 की पालना नहीं हुई है। अतः अब सदन की आगे की कार्यवाही यदि की गई तो वह अवैध और असंवैधानिक होगी।

श्री अग्रवाल ने अपने तर्क के समर्थन में प्रक्रिया के कतिपय नियमों का उल्लेख किया है और संविधान के अनुच्छेद 176 का भी हवाला दिया है। मैंने दिनांक 9-3-70 को इस व्यवस्था के प्रश्न को संक्षेप में अस्वीकार करते हुए यह कहा था कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है और संसदीय परम्पराओं के निर्माण में काफी योगदान देने वाला है अतः मैं इस पर अपनी विस्तृत व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं।

सर्व प्रथम, मैं इस प्रश्न की वैधानिक स्थिति को लूंगा। संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अन्तर्गत, राज्यपाल महोदय, प्रत्येक वर्ष, सत्र के आरम्भ में, विधान सभा को संबोधित करते हैं। इसी अनुच्छेद का खण्ड (2) निर्धारित करता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए नियमों में उपबन्ध किया जायेगा। इस सदन ने संविधान के अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के जो नियम बनाये हैं उनमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय का नियतन, चर्चा की व्याप्ति, भाषणों के लिए समय सीमा आदि विषयों के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्यपाल महोदय ने दिनांक 29-1-70 को सदन के विनिश्चय के लिए रखा गया यदि संविधान के अनुच्छेद 176 को प्रक्रिया के नियम 14, 15, 16, 18, 19 और 20 के साथ पढ़ा जाय तो किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्रभाव नकारात्मक हो गया है, बल्कि मैं समझता हूं, इस वस्तु स्थिति के बाद माननीय श्री सतीशचन्द अग्रवाल की यह आपत्ति कि संविधान की औपचारिकताओं एवं अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है, स्वतः ही तर्क हीन हो जाती हैं।

श्री अग्रवाल के तर्क-वितर्क का बल मुख्यतः इस बात पर है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर नियमानुसार उनको मत व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया अतः ऐसा प्रस्ताव नियमों के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव नहीं माना जायेगा। मैंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और उन विचार श्रृंखलाओं को भी समझने की कोशिश की है जो औचित्य प्रश्न उठाने के समय कई माननीय सदस्यों द्वारा व्याप्त की गई थी।

माननीय सदस्य जानते हैं कि संसदीय कार्य-प्रणाली में किसी प्रश्न पर बहुमत का मत ही सदन का निर्णय माना जाता है। जब कभी आसन द्वारा कोई प्रश्न नियम 283 के अन्तर्गत, सदन का विनिश्चय प्राप्त

(श्री अध्यक्ष)

करने के लिए रखा जाता है तो सामान्य-तौर पर सदन के सैन्स का अन्दाजा केवल संगृहीत आवाजों के वोल्यूम पर ही करना पड़ता है। यह ही एक मात्र तरीका ऐसा है जिसके आधार पर आसन अपनी राय घोषित करता है। इसके अतिरिक्त मेरा विश्वास है कि ऐसा कोई सुनिश्चित नियम नहीं है जो आसन का, उसकी राय बनाने के लिए, मार्गदर्शन करता हो। असल में यह एक प्रातीतिक स्वरूप (Subjective nature) का प्रश्न है और उस पर निर्णय लेना उसके प्रकार, आचरण, क्रिया, आसन की राय पर माननीय सदस्यों की आपत्ति करने का ढंग, अभियाचन की उग्रता (Intensity of Demand) तथा अन्य तत्संगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

कई अवसरों पर मैंने देखा है कि माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठे-बैठे, परस्पर बात करते हुए या केवल अपना विरोध रजिस्टर कराने की दृष्टि से केजुअल तरीके पर धीमी आवाज में 'हाँ' पक्ष जीता या 'ना' पक्ष जीता बोल जाते हैं और उसके पीछे कोई गम्भीरता अथवा वास्तविक धारणा नहीं होती। वर्तमान मामलों में भी कुछ इसी प्रकार की ध्वनि का आभास हुआ। यदि श्री अग्रवाल अथवा श्री भैरोंसिंह की आपत्ति करने की इस क्रिया को सदन के मूड, आसन की राय को चैलेन्ज करने के ढंग और उसके पश्चात् प्रतिवाद के अभाव की पृष्ठभूमि में देखा जाय तो माननीय श्री अग्रवाल द्वारा दी गई समस्त दलीलों में कोई वजन नजर नहीं आता।

यह तो था प्रस्तुत मामले का सैद्धान्तिक (Academic) पहलू। इसका दूसरा पहलू संसदीय व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं से संबंध रखता है।

1924 में इस प्रकार के विभाजन की मांग के प्रश्न को जब सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में उपस्थित किया गया था तो तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए यह कहा था :—

"The volume of sound for 'Ayes' is so preponderating that he did not think a division was necessary."

इसी प्रकार लोकसभा में 25 जुलाई को जब एक सदस्य ने डिविजन की मांग की तो आसन की ओर से यह कहा गया :—

"As soon as any Hon. member says a Division ought to be held, it is open to the Chair to accept or not to accept the demand for Division. If I find that there is a good volume in favour of Division, I may order Division."

इसी संदर्भ में मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में समाविष्ट निम्नांकित व्यवस्थाएं भी ध्यान देने योग्य हैं :—

(1) When each party has responded according to their opinion, the Speaker endeavours to judge from the loudness and general character of the opposing exclamations or form the consideration of the probabilities

(श्री अध्यक्ष)

of the case which party have the majority. As his judgment is not final, he expresses his opinion thus : 'I think 'Ayes' or Noes (as the case may) have it.' If the House acquesce in this decision, the question is said to be 'agreed to' or 'negatived' to the supposed majority on either side.'

(P. 408)

(2) Members must bear in mind that their opinion is collected from their voices in the House and not mearey by a division."

(P. 408)

इन कुछ व्यवस्थाओं के उदाहरणों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि आसन अपने विवेक में विभाजन की किसी भी मांग को अनावश्यक मान कर अस्वीकार कर सकता है। 29-1-70 को जब मैंने धन्यवाद प्रस्ताव को सदन के विनिश्चय के लिए रखा तो उसके पक्ष में प्रचुर और अधिक मात्रा में आवाजें थीं और विरोध में केवल दो ही सुनाई दीं। इस स्पष्ट प्रमाण की रोशनी में मेरे द्वारा यह घोषणा कि 'हां पक्ष जीता'-'हां पक्ष जीता' बिल्कुल ठीक और उचित थी और यह मेरे विवेक में था कि मैं विरोध की इस नगण्य मात्रा को नजर अन्दाज कर दूं।

इस सारी पृष्ठभूमि में 29 जनवरी, 1970 के कार्य विवरण को देखने से मालूम होगा कि धन्यवाद-प्रस्ताव पर, बहस समाप्त होने के पश्चात्, सदन का विनिश्चय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया नियम 283, 284, 285 और 286 (2) में अपेक्षित है उसका पूर्णतया पालन किया गया है। इसी प्रसंग में नियम 286 के इन्टरप्रिटेशन का सवाल भी उठाया गया। नियम 308 मुझको इन्टर-प्रिटेशन की शक्ति प्रदान करता है। मैं समझता हूं कि यदि नियम 286 की भावना को, पूर्व उल्लिखित विश्लेषण और व्याख्या की इस पृष्ठभूमि में देखा जाय तो व्यवस्था का प्रश्न स्वतः ही हल हो जाता है और ऐसी किसी प्रकार की शंका अथवा सन्देह की गुन्जाइश नहीं रहती जिस पर मुझे कोई विशेष निर्णय देना पड़े।

एक और महत्वपूर्ण बात औचित्य प्रश्न उठाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। नियम 294 के अधीन ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित मुद्दों पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जिस विषय से सम्बन्धित अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह गत सत्र की कार्य सूची में प्रविष्ट किया गया था और उसका उसी सत्र में विधिवत निपटारा भी हो चुका था। यह प्रक्रिया निर्विवाद तौर पर मान ली गई है कि ऐसे कार्य के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जिस पर सदन द्वारा पहले निर्णय दिया जा चुका है। इस प्रक्रिया की पुष्टि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 1953 में दिये गये एक निर्णय से भी होती है।

(2) यदि श्री अग्रवाल अपना औचित्य प्रश्न विनिश्चय की घोषणा के तुरन्त पश्चात् पूरी गम्भीरता से उठाते और उनकी इस चुनौती में वास्तविकता होती तो उसी समय उस पर निर्णय दिया जा सकता था।

Page No 60

(श्री अध्यक्ष)

मुझे ऐसा कोई दृष्टान्त भी नहीं मिला है कि एक सत्र के कार्य से सम्बन्धित औचित्य प्रश्न दूसरे सत्र में उठाया जा सकता है, अतः श्री अग्रवाल का औचित्य प्रश्न नियम 294 (2) की परिधि में नहीं माना जा सकता। प्रोविजनल पार्लियामेन्ट में दिनांक 10-3-1951 को आसन द्वारा यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि यदि अध्यक्ष किसी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न का कागनीजेंस न लें तो ऐसा करना पूर्णतया उनके अधिकार क्षेत्र में है।

अतः इन परिस्थितियों में मेरा अभिमत है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत औचित्य प्रश्न को ठीक तरीके पर रूल आउट किया गया है और धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही नियमसंगत, वैध और संसदीय परम्पराओं के अनुरूप हुई है।

श्री भैरोंसिंह : बहुत बढ़िया !

श्री विजय सिंह : इतनी देर में तो राज्यपाल महोदय खुद आकर दुबारा भाषण दे सकते थे। इसकी विशेष आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

मुख्य मंत्री जी।। गंगानगर सम्बन्धी मामले पर वक्तव्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाया जाय। अभी फसल की कटाई शुरू हो गई है और जवान सिंह, एक्स एम. एल. ए. के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लिया है पुलिस की मदद से, पुलिस की चौकी वहां पर बना रखी है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैंने जानकारी की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : और अभी होली के दिन गोली चलाई गई है और हरिजनों के खिलाफ मुकदमे बनाये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैंने जानकारी प्राप्त की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हनुमानगढ़ में भी बनाये गये हैं, भादरा के अन्दर मुकदमे चल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसकी विशेष तौर से जानकारी के लिए सबसे पहले...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पूछें !

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की गई है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों की फसल पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : आज ही आपका स्थगन प्रस्ताव आया और आज ही जानकारी के लिए भेजा है। ऑर्डर प्लीज ! अब नहीं, यह स्टेज नहीं। स्थान ग्रहण करें।

गंगानगर जिले की समस्याओं के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने गंगानगर जिले सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। लगभग एक सप्ताह तक चलते रहने वाले इस विचार विमर्श के दौरान विभिन्न मांगें रखी गईं। हमने इन मांगो पर और इस जिले एवं सम्पूर्ण राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले इनके प्रभाव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक जिले की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। किन्तु उन पर विचार, अन्य से उन्हें अलग करके नहीं किया जा सकता। जो भी निर्णय लिया जाय उसका सम्पूर्ण राज्य में लागू नीति के साथ तारतम्य होना चाहिये। यद्यपि हमने इस जिले की विशेष प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिए हैं तो भी माननीय सदस्यों से मेरे कथन पर उपरोक्त संदर्भ में विचार करने का निवेदन करूंगा।

राज्य सरकार निम्नलिखित निर्णयों की घोषणा पहले ही कर चुकी है :—

1. परियोजना क्षेत्र में स्थित अनुओकुपाईड राजकीय भूमि की नीलामी बंद करदी गई है और परियोजना क्षेत्रों की ऐसी सिंचित भूमि का आवंटन आयन्दा आरक्षित मूल्य पर भूमि हीनों को किया जाकर प्राथमिकता अनुसूचित जाति एवं जन जाति को दी जायेगी।

2. व्यवसायिक फसलों से उपकर (सेस) हटा दिया गया है।

3. गैर सरकारी एवं सरकारी सदस्यों की एक समिति माननीय उप निवेशन मंत्रीजी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई है। यह समिति गंग नहर, भाखरा एवं राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्रों में स्थाई एवं अस्थाई गैर कानूनी आवंटन की जांच कर और गैर कानूनी रूप से काबिज लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं आयन्दा गैर कानूनी स्थायी और अस्थाई आवंटन की सम्भावनाओं को समाप्त करने के उपाय के बारे में सिफारिश करेगी।

बाकी बची हुई मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण मांग जिले की तीनों सिंचाई योजनाओं में स्थित भूमि से सम्बन्धित है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में अनूपगढ़ शाखा तक की सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 9,01 लाख एकड़ है। इसमें से 4 हजार एकड़ भाखरा सिंचित क्षेत्र में पड़ता है। इसलिये अनूपगढ़ शाखा तक कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 8,96 लाख एकड़ है जिसमें से लगभग 1,50 लाख एकड़ बीकानेर जिले में पड़ती है।

मैंने माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए तीनों परियोजनाओं अर्थात् गंग, भाखरा तथा राजस्थान नहर परियोजना में उपलब्ध सिंचित क्षेत्र और अब तक किये गये आरक्षण एवं आवंटन के आंकड़ों की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी है। (परिशिष्ट 'क')।

इसके अवलोकन से विदित होगा कि भाखरा एवं गंग नहर क्षेत्र में अब अधिक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भूमि आवंटन हेतु नहीं बची है । विचार विमर्श के दौरान अधिक बल राजस्थान नहर क्षेत्र पर दिया गया है अतः मैं पहले इस परियोजना के बारे में कहूंगा ।

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र 1955 के पूर्व के आरजी काश्तकार पट्टाधारक ।

मुख्य मार्ग 1955 के पूर्व के आरजी काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की है । उनके द्वारा उक्त अधिकार राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 15 ए के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके, जिसे इस विश्वास के साथ लागू किया गया था कि इससे पहली बार सींची जाने वाली भमि के वितरण में अधिक समानता लाई जा सकेगी । राज्य सरकार सदैव से लम्बे अर्से से कब्जे में चली आ रही भमि पर किसानों को उपयुक्त अधिकार देने के पक्ष में रही है ।

इस संदर्भ में हमने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

(1) सन् 1955 से अब तक बराबर चली आ रही ऐसे आरजी काश्तकारों की कब्जा काश्त की भूमि पर सीलिंग सीमा तक खातेदारी अधिकारी दिया जायेगा ।

(2) एक मुरब्बा (25 बीघा) भूमि निःशुल्क दी जायगी और 25 बीघा से ऊपर की भूमि का अरक्षित मूल्य लिया जावेगा ।

(3) सीलिंग सीमा से अधिक भूमि उनसे ले ली जायगी और अन्य भूमि हीनों में बांट दी जावेगी ।

(4) 1955 से पूर्व के ऐसे आराजी काश्त पट्टाधारकों का जिनके पास 25 बीघा से कम भूमि है उक्त भूमियों पर निःशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जावेंगे और उन्हें इतनी अतिरिक्त भूमि आरक्षित दरों पर आवंटित की जायेगी कि उनके पास कुल मिलाकर एक मुरब्बा भूमि हो जाए ।

(5) उक्त खातेदारी अधिकार दिये जाने में जागीर क्षेत्र के किसानों को खालसा क्षेत्र के सन् 1955 के पूर्व के आरजी काश्तकारों के समान माना जावेगा ।

(6) उपरोक्त 55 पूर्व के आरजी काश्तकारों को उपरोक्त हिसाब से अधिकार उसी अवस्था में दिए जावेगी जबकि वह भूमि 1955 के पहले से अब तक बराबर उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है परन्तु कब्जा काश्त में, यदि अन्य का कब्जा नहीं रहा हो, दो वर्ष तक के व्यवधान (Break) को माफ किया जावेगा ।

(2) सन् 1955 के बाद के आराजी काश्त पट्टाधारक ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु वर्तमान नियमों के अनुसार 1955 के बाद के आरजी काश्तकारों के पट्टे (लीज) समाप्त हो जाते हैं । इस लिये इन व्यक्तियों के लम्बे कब्जा काश्त को देखते हुए इन्हें एक मुरब्बा (25 बीघा) तक भूमि आरक्षित मूल्य पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है । यह आवंटित केवल ऐसे वास्तविक भूमिहीन कास्तकारों को किया जावेगा जो सन् 1955 के पूर्व से क्षेत्र में रहते हैं । उनके अधिकार क्षेत्र में एक मुरब्बा से अधिक भूमि सरकार ले लेगी और क्षेत्र के अन्य भमि हीनों को आवंटित कर देगी ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों द्वारा आरक्षित मूल्य का भुगतान ।

वर्तमान में आरक्षित मूल्य का एक भाग आवंटन के समय एवं शेष राशि 10 समान किश्तों में भुगतान की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के मामले में आवंटन के समय भुगतान योग्य राशि 5 प्र. श. तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में 12 ½ प्र. श. है ऐसा महसूस किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कुछ आवंटियों के लिये पहली किश्त की अग्रिम राशि अदा करने में कठिनाई होती है। इन लोगों की आर्थिक कठिनाईयों का समृद्ध व्यक्ति अनुचित लाभ उठाते हैं और आवंटित भूमि का हस्तांतरण हो जाता है। इस प्रकार के हस्तांतरण के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अपेक्षित है । राज्य सरकार इन्हें रोकने के उपायों पर विचार कर रही है और माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेगी ।

किश्त अदा करने की असमर्थता से होने वाले हस्तांतरण को रोकने के लिये राज्य सरकार ने इस वर्ग के आवंटियों से ली जाने वाली किश्त में रियायत दिये जाने का निर्णय लिया है । अब किश्त निम्न प्रकार से ली जावेगी:—

प्रथम वर्ष-कुछ भी नहीं। अब तक मूल्य का 5 प्र. श. अग्रिम लिया जाता था ।

द्वितीय वर्ष- 2½ प्र. श. भूमि की सिंचाई होने एवं फसल कटाई के बाद में (अभी 9½ प्र. श. लिया जाता है)

तृतीय वर्ष–4 प्र. श.

चतुर्थ वर्ष 5 प्र. श. जब तक सिंचाई बारह मासी न हो जाय, सिंचाई प्रणाली बारह मासी हो जाने के पश्चात पूर्ण भुगतान होने तक 8 प्र. श.

4. **सन् 1955 के बाद के आरजी काश्त पट्टाधारकों तथा अन्य व्यक्तियों को स्थाई आवंटन**

15 बीघा के स्थान पर ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को 25 बीघा भूमि आवंटित की जावेगी ।

ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें पहले 15 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी 10 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटित की जावेगी । यह आवंटन कार्य शीघ्र पूरा किया जावेगा और इसके लिये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

5. **आरजी पट्टे के अधीन भूमि का आवंटन।**

स्थाई रूप से आवंटन नहीं किये जाने तक बची भूमि को उपलब्ध पानी के समुचित उपयोग हेतु आराजी पट्टे पर दिया जावेगा ।

1955 के बाद के आरजी काश्त पट्टा धारकों (ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने 1955 से 1960 के बीच आरजी काश्त पट्टे पर भूमि लेली है) के अलावा समस्त वर्गों के व्यक्तियों द्वारा अस्थायी पट्टे पर धारित भूमियां 1955 से गंगानगर जिले मे गंगानगर क्षेत्र में रहने वाले वास्तविक भूमिहीन काश्तकारों तथा बीकानेर जिले में बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक साल के लिए अस्थायी काश्त पट्टे पर दी जायगी। उक्त सभी भूमियों को लाटरी निकालकर पात्र (एलीजिबिल) आवेदकों को वितरित की जायेगी।

आरज़ी काश्त पट्टा धारकों द्वारा देय शुल्क अत्यधिक माना गया है इसलिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी भूमि 4 रु० प्रति बीघा की समान दर पर दी जायगी और इस पर कोई सरचार्ज देय नहीं होगा।

6. गंग नहर

गंग नहर क्षेत्र में 32844 बीघा नहरी एवं 60434 बीघा बारानी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है।

यह निर्णय लिया गया हैं कि सन् 1953 से सन् 1960 तक जिनका इस भूमि पर लगातार कब्जा रहा है उन आरजी काश्त पट्टाधारकों को यह भूमि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत एक मुरब्बा तक आरक्षित मूल्य पर आवंटन की जावेगी। यह मूल्य वर्तमान 10 किश्तों के स्थान पर 15 बराबर किश्तों में वसूल किया जावेगा।

7. भाखरा परियोजना

सीलिंग सीमा के अधीन रहते हुये छोटे, 3 एकड़ तक के, भूखण्ड भूमि की वर्तमान बाजार कीमत पर उनको आवंटन होंगे जिनकी जमीन इन टुकड़ों से लगती हुई हैं। जहां एक से अधिक किसानों की भूमि ऐसे छोटे भूखण्ड से लगता है आवंटन लॉटरी द्वारा किया जावेगा। छोटे भूखण्ड के आवंटन के समय जिलाधीश 3 एकड़ की सीमा में मामूली हेर-फेर कर सकते हैं। 3 एक से बड़े भूखण्ड उन व्यक्तियों को आवंटन किए जावेंगे जिनको पहले एक मुरब्बे से कम भूमि दी गई है ताकि उनके पास एक मुरब्बा तक भूमि हो जावे।

8. उपनिवेशन क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को निकालने की मांग।

भाखरा एवं राजस्थान नहर परियोजना के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें न तो पहले पानी मिला है और न भविष्य में मिलने की आशा हैं। निर्णय लिया गया है कि ऐसे क्षेत्रों को कॉलोनी से तीन माह के भीतर निकाला जाकर वहाँ के किसानों को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिया जावे। कॉलोनी से किस क्षेत्र को निकाला जाय यह तय करने के लिये इकाई चक होगी न कि गांव।

9. पैतालीसा....गांव

गैर दाखिलकारों को निरंतर कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि पर निम्न-लिखित आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावेगा:—

(क) सन् 1928 के पहले से कब्जा काश्त में चले आ रहे गैर दाखिलकार:

सीलिंग सीमा तक भूमि। प्रथम 50 बीघा मुफ्त एवं शेष आरक्षित मूल्य पर।

(ख) गैर दाखिलकार जो 1928 से 1955 के बीच किसी तारीख से आजतक लगातार कब्जा काश्त में चले आ रहे हैं अर्थात् 1955 से पूर्व के गैर दाखिलकार:

सीलिंग सीमा तक। प्रथम 25 बीघा मुफ्त शेष आरक्षित मूल्य पर।

(ग) उपरोक्त दोनों वर्गों के गैर दाखिलकारों में से उनको जिनके पास 25

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बीघा से कम भूमि है इतनी और भूमि आरक्षित मूल्य पर, यदि गांव में भूमि उपलब्ध हो, दी जावेगी जिससे कि उनके पास 25 बीघा तक भूमि हो जावे।

(घ) सन् 1955 के बाद के गैर दाखिलकार (यानी सन् 1955 से सन् 1960 तक)

25 बीघा आरक्षित मूल्य पर।

गैर दाखिलकार के कब्जे काश्त में यदि 2 वर्ष तक का व्यवधान होगा तो वह माफ किया जा सकेगा बशर्ते कि भूमि पर इस बीच कब्जा और किसी का नहीं रहा है। उपरोक्त अधिकार देते समय गैर दाखिलकार एवं उसके संयुक्त परिवार के सदस्यों की कब्जे की समस्त भूमि को हिसाब में लिया जावेगा।

मालिक इत्यादि—

(i) मालिकों के परिवार के उन सदस्यों को जो अपने कब्जे में भूमि रखते थे, परन्तु अलग होने के कारण राजस्व अभिलेख में गैर दाखिलकार दर्ज किये गये, उनके कब्जे काश्त की भूमि के लिये सीलिंग सीमा तक दाखिलकार मान लिया जावेगा।

(ii) मालिकों के उन सभी रिश्तेदारों को जिनके नाम बंदोबस्त रिकार्ड में किसी भी श्रेणी में दर्ज है मालिक शुमार किया जावेगा।

(iii) भूमि, जिसे अधिकार देने से पूर्व वार्षिक रजिस्टरों में खुदकाश्त के रूप में दर्ज किया गया है, उसके मालिक या रिश्तेदारों (धर्मपत्नि पुत्र एवं भाई) को ऐसी भूमि का खातेदार शुमार किया जावेगा।

10. सीलिंग—

जिले की तीनों परियोजनाओं में खातेदारी अधिकार देते समय एवं आवंटन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जावेगा कि किसी व्यक्ति को सीलिंग सीमा से अधिक जमीन न मिल जावे। सीलिंग में उस व्यक्ति के अपने नाम पर अथवा उसके संयुक्त परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज भूमि भी शामिल होगी।

11 विलेज सरवेन्ट्स (गांव के नौकर)

एक मुरब्बा की सीमा तक विलेज सरवेन्ट्स को विलेज सर्विस ग्रांट में उसको मिली हुई भूमि पर खातेदारी अधिकार निःशुल्क दिये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

12. किश्त अदायगी में चूक—

मूल्य की किश्त जमा कराये जाने में चूक होने की घटनाएं हुई हैं। वर्तमान नियमानुसार किश्त अदा नहीं करने वाले आवंटियों को भूमि से बेदखल और उनका पट्टा निरस्त किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में पानी के अभाव में फसल नहीं होने से किश्त अदा नहीं की जा सकी। राज्य सरकार की यह घोषित नीति रही है कि काश्तकारों को उनकी भूमि पर सहूलियत से जीविका उपार्जन करने का पर्याप्त अवसर दिया जावे। हमने इसलिये ऐसे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाकर निर्णय लिया है कि चढ़ी हुई किश्तों की पट्टाधारकों/आवंटियों से

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

वसूली इस प्रकार से की जावेगी कि वह एक वर्ष में दो से अधिक किश्त अदा करने के लिये बाध्य न हो।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सन् 1955 से पूर्व के आरजी काश्त पट्टाधारकों, 1955 से पूर्व के आरजी काश्त पट्टाधारकों 1955 के बाद के आरजी पट्टाधारकों इत्यादि को यदि वह आवंटित भूमि का मूल्य एक किश्त में अदा करे तो मूल्य में 25 प्रतिशत छूट दी जावे। जिन आवंटियों ने कुछ किश्त अदा कर दी है और शेष मूल्य एक किश्त में अदा करना चाहते हैं उन्हें यह छूट शेष रकम के अनुपात में दी जावेगी। यह छूट केवल मार्च 1972 तक उपलब्ध होगी।

माननीय सदस्य मानेंगे कि जहां राज्य सरकार लोगों की उचित कठिनाइयों का समाधान सहानुभूति से करने को तैयार हैं वहां आवंटन की शर्तों की गम्भीर अवहेलना को प्रोत्साहन नहीं दे सकती और इसलिये यह तय किया गया है कि आयन्दा किश्त समय पर अदा नहीं करने वालों से 9 प्रतिशत के हिसाब से तावानी ब्याज लिया जायेगा और दो वर्ष तक किश्त अदा न करने वाले व्यक्ति को बेदखल किये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जावेगी।

कुछ दिन पूर्व गैर कानूनी आवंटन, कब्जा और हस्तान्तरण के मामलों की जांच हेतु मैंने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। इस कमेटी की नियुक्ति इसलिये की गई है कि राज्य सरकार की यह नीति है कि राजकीय भूमि केवल उनको ही मिलें जिन्हें वह आवंटित की गई है और जो उस पर खुदकाश्त करें। नियमों के जो अभाव इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक है, उन्हें दूर करने के लिये एक और उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जावेगा जो राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटन के लिये प्रचलित नियमों में परिवर्तन का सुझाव देगी और अस्थायी पट्टों की शर्तों की जांच करेगी।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

"राजस्थान नहर क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के लोगों को भूमि विक्रय और आवंटन के नियमों की वर्तमान योजना का परीक्षण करना और उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के प्रकाश में तथा क्षेत्र की समस्याओं एवं अन्य बातों पर विचार कर इन नियमों के परिवर्तन हेतु सुझाव देना"।

समिति अपना प्रतिवेदन तीन मास भीतर प्रस्तुत करेगी।

13. गुरुद्वारों की भूमि—

गुरुद्वारों की भूमि कुछ मामलों में ग्रन्थियों की खातेदारी दर्ज हो गई है। यह भूमि धार्मिक संस्थानों के लिये थी और इसको ग्रन्थी के नाम दर्ज होने से यह संस्थान जमीन की वार्षिक आय से वंचित हो गये हैं। ऐसी भूमि को भविष्य में ऐसी धार्मिक संस्थान की खातेदारी में अब दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। पहले निर्णीत मामलों के लिये यह तय किया गया है कि यह ग्रंथी राज्य सरकार को उनके नाम दर्ज खातेदारी की ऐसी भूमि का बाजार के भाव से मूल्य अदा करेंगे।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

14. मंडी—

चम्बल, भाखरा एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडी घोषित किये गये क्षेत्रों के शीघ्र और उचित विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था क्या होगी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। निर्णय की घोषणा लगभग एक माह में की जावेगी।

15. उद्योगों के लिये भूमि का आरक्षण–

मंडी क्षेत्रों में उद्योगों के लिये भूमि के आरक्षण का निर्णय लिया जा चुका है। यह तय हुआ है कि उद्योगों हेतु भूमि के आवंटन के वर्तमान नियम ऐसी मंडियों पर लागू कर दिये जावें।

16. विस्थापित व्यक्ति–

अलवर एवं भरतपुर में विस्थापितों को भूमि रुपया 150 प्रति स्टेंडर्ड एकड़ के हिसाब से दी गई है जबकि जिला गंगानगर में दर 450 रु० प्रति स्टेंडर्ड एकड़ रखी गई है हमने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास मंत्रालय से निवेदन किया था किन्तु खेद के साथ माननीय सदस्यों को सूचित करना पड़ रहा है कि केन्द्रीय सरकार ने हमारी प्रार्थना को पहले स्वीकार नहीं किया। हमने पुनः केन्द्रीय सरकार को यह विषमता हटाने के लिये निवेदन किया है।

भूमि दरों का संशोधन (रिवीजन)–

जिले में लागू संशोधित लगान की दरों में कमी करने की मांग बराबर उठाई जा रही है। गंगानगर का अधिकांश भाग बारहमासी सिंचाई के अन्तर्गत आ चुका है। हालांकि इस योजना क्षेत्र में सब जगह बारहमासी सिंचाई नहीं हो रही लेकिन निकट भविष्य में ही ऐसा होने लग जायेगा।

इस क्षेत्र में भूमि दर पिछली बार सन् 1946 में भूतपूर्व बीकानेर रियासत के समय में निर्धारित हुए थे। चूंकि उस समय सिंचाई की योजना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी, अतः उस समय के भू-प्रबन्ध विभाग ने वहां पर "हुई-बोई" प्रथा से भूमि दर वसूल करने की प्रणाली लागू की थी।

भूमि दर निर्धारण का आधार बीकानेर रियासत में उस समय के मूल्य जिनका आज के बाजार भावों से कोई तालमेल नहीं है। आज के बाजार भाव उस समय के भावों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक है। फिर भी जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है राज्य सरकार कृषकों के कल्याण की प्राथमिकता देती रही है और इसी उद्देश्य से यह तय किया गया है कि लगान दरों में इस प्रकार क्रमिक वृद्धि की जावे जिससे कि किसान पर अधिक भार न पड़े।

गंग एवं भाखरा नहर क्षेत्रों में लगान की दरें निम्नानुसार संशोधित की जायं :—

(क) बारानी भूमि—इस क्षेत्र में भूमि वर्ग वही रहेगा (बारानी) और उसी वर्ग की भूमि पर लगान दर 25 प्रतिशत अधिक होगी। नो तोड़ भूमि पर उस क्षेत्र की बारानी की न्यूनतम भू दर पर 25 प्रतिशत बढ़ाकर ली जावेगी।

(ख) बारानी भूमि जिसमें अब सिंचाई होने लगी है-भूमि का वर्ग बारानी से नहरी में बदल जाने पर भूमि दर निम्नानुसार होगी :–

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वर्तमान बारानी दर में 25 प्रतिशत वृद्धि के बाद 1.50 प्रति बीघा और जोड़ा जावेगा। यह दर वहां प्रचलित प्रथा हुई-बोई यानि सिंचित हुई क्षेत्र पर वसूल की जावे संशोधन के फलस्वरूप वृद्धि वर्तमान दर की साढ़े बारह प्रतिशत होगी वहां हुई-बोई प्रथा चालू रहेगी।

(ग) सिंचित (बारहमासी)—जो क्षेत्र पहिले से ही सिंचित हैं, उन पर प्रचलित दर साढे बारह प्रतिशत प्रति बीघा की बढोत्तरी की जाकर दरें फसल बोई गई क्षेत्र पर ही लगाई जावेगीं।

(घ) सिंचित (नॉन-पेरिनियल)—ऐसे क्षेत्र में सिचाई बारहमासी होने तक कोई वढ़ोत्तरी नहीं की जावेगी। तत्पश्चात वृद्धि "ग" में निदेशित के अनुसार होगी।

(ङ) बारानी भूमि जो गंग नहर क्षेत्र में सिंचित हुई है के एवं आसपास के सिचित क्षेत्र में लाग लगान की दरों में जिसकी वसूली हो रही है—वर्तमान समय में ऐसी भूमि पर इस क्षेत्र में आस-पास के क्षेत्र की भांति बारह-मासी या नॉन पेरेनियल क्षेत्र में लाग दरों पर वसूल की जा रही है।

भूमि दरों में सशोधन के कारण इस प्रकार वसूल की जाने वाली राशि पर साढ़े बारह प्रतिशत प्रति बीघा बढोत्तरी की जावेगी।

यदि ऐसे कुछ क्षेत्र में अब भी बारानी भूमि दरें ही ली जा रही हैं तो उपयुक्त "ख" के उपबन्ध लागू होंगे। ऐसे क्षेत्रों में हुई-बोई प्रणाली पहिले से ही प्रचलित है।

ऊपर वर्णित भूमि दरों में वृद्धि से कृषकों पर अधिक भार नहीं पड़ेगा। बारानी भमि पर लागू भूमि दर में 25 प्रतिशत प्रति बीघा की दर से वृद्धि होने पर तहसील श्री गंगानगर, श्री करणपुर, पदमपुर, शादूलशहर, नोहर एवं भादरा में 8 पैसे से 19 पैसे प्रति बीघा की ही बढ़ोत्तरी होगी।

जो क्षेत्र पहले से ही सिंचित है उस क्षेत्र की भूमि दरों में प्रति बीघा बढोत्तरी 12 पैसा से 25 पैसा वृद्धि होगी, जबकि उस क्षेत्र में जो रकबा अब सिंचित हुआ है, प्रति बीघा 1.58 पैसे से 1.69 पैसे प्रति बीघा तक की वृद्धि होगी।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में जहां कहीं भू-प्रबन्ध का रिविजन हो उन क्षेत्रों में बारानी भूमि के वर्तमान लगान में 25 प्रतिशत से अधिक बढोत्तरी न की जावे। जिन तहसीलों में वहां की वर्तमान लगान की दरें अधिक हैं वहां ऐसी दरों का प्रथम मेरिट पर परीक्षण बन्दोबस्त के समय रिविजन के समय यह तय किया जावेगा कि इन दरों को जैसे का तैसा रखा जावे अथवा कम किया जावे। पिछले एक वर्ष के दौरान लगान की जो भी दरें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है उनका भी रिविजन उपरोक्त आधार पर किया जावेगा।

गंगानगर जिले में भाखरा परियोजना क्षेत्र में खुशहाली करके निर्धारण के तरीकों के खिलाफ कुछ प्रश्न सामने आये हैं। लोगों की यह शिकायत है कि भाखरा की नहरों के लिये जो क्षमता निर्धारित है उससे किसानों को कम पानी मिलता है और ऐसी स्थिति में खुशहाली कर देना मुश्किल हो जाता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सरकार पहले भी यह घोषणा कर चुकी है कि खुशहाली कर केवल सिंचित क्षेत्र (Matured area) पर ही लागू होगा और सारे कमान्ड पर नहीं। इसके साथ यह भी घोषणा की जा चुकी है कि 5 एकड़ तक सिंचाई करने वाले काश्तकारों से कोई खुशहाली कर वसूल नहीं किया जायगा। इससे अत्यधिक छोटे काश्तकारों को राहत मिलेगी। यह तो सबको विदित है कि खुशहाली कर केवल खातेदारी जमीन पर ही लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नीलाम या निर्धारित मूल्य पर बेची हुई या गैर-खातेदारी जमीन पर खुशहाली कर नहीं लिया जाता है। इन घोषणाओं के बाद भी सरकार ने इन समस्याओं पर और विचार किया और काश्तकारों की शिकायतों को दूर कर उनको राहत पहुंचाने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्णय और लिये हैं :—

(1) अभी तक किस सिस्टम से कितनी तीव्रता का पानी काश्तकारों को मिलता है इसका बिना लिहाज किये matured area पर खुशहाली कर लगाया जाता रहा है। इससे उन काश्तकारों पर भी खुशहाली कर लग जाता है कि जिनके खेतों को पूरा पानी नहीं मिलता है। अतः खुशहाली कर को सुनीतिपूर्ण और न्याय-संगत तरीके से लगाने के लिये खुशहाली कर की राशि भाखरा प्रणाली की प्रत्येक लघु वितरिका (minor distributory) के लिये प्राप्त सिंचाई की वास्तविक तीव्रता (intensity) पर आधारित होगी और इसकी दर (matured area) पर 11 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगी।

(2) लघु वितरिका (minor distributory) के लिये प्राप्त सिंचित तीव्रता 50 प्रतिशत से अधिक है तो खुशहाली कर सिंचित क्षेत्र (matured area) के प्रति-एकड़ के लिये 11 रुपये प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जायगा।

(3) लघु वितरिका (minor distributory) के लिये प्राप्त सिंचित तीव्रता 40 प्रतिशत से ऊपर व 50 प्रतिशत तक है तो matured area के प्रति एकड़ पर 6 रुपये प्रति वर्ष की दर से खुशहाली कर वसूल किया जायगा।

(4) यदि लघु वितरिका (minor distributory) के लिये प्राप्त सिंचित तीव्रता 30 प्रतिशत से ऊपर 40 प्रतिशत तक है तो matured area के प्रतिएकड़ पर 3 रुपये प्रति वर्ष की दर से खुशहाली कर वसूल किया जायगा।

(5) यदि लघु वितरिका (minor distributory) के लिये प्राप्त सिंचित तीव्रता 30% तक है तो कोई खुशहाली कर वसूल नहीं किया जायगा।

(6) सिंचित तीव्रता के बढ़ने या घटने पर उपरोक्त निर्णयानुसार खुशहाली कर में बढ़ोत्तरी या कमी होती रहेगी।

इन उपरोक्त रियायतों के साथ-साथ राज्य सरकार यह भी चाहती है कि किस किस सिस्टम में सिंचाई तीव्रता निर्धारित तीव्रता से कम है उसको निर्धारित तीव्रता तक लाया इसके लिये निम्न प्रस्ताव कार्यान्वित किये जा रहे हैं जिससे स्थिति में सुधार होने की पूर्ण सम्भावना है :—

(1) भाखरा-प्रणाली में संगर माईनर लौंगवाला डिस्ट्रिब्यूटरी, बड़ोपुल माईनर,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उत्तरी घग्गर नहर, खारा उपशाखा का पिछला भाग, श्यामसिंहवाला डिस्ट्रीब्यूटरी, किशन• पुरा माइनर आदि के करीब 40 हजार एकड़ क्षेत्र को राजस्थान नहर क्षेत्र प्रणाली में हस्तान्तरित किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र को राजस्थान नहर से पर्याप्त पानी मिल सके। साथ-साथ जो थोड़ा बहुत पानी भाखरा क्षेत्र में बच जाता है वह भाखरा के बचे हुए क्षेत्रों की स्थिति को सुधारने के काम आ सकेगा।

(2) सरहिन्द फीडर को राजस्थान फीडर से हरियाणा में एक लिंकचेनल के जरिये जोड़ा जा रहा है जिस पर राज्य सरकार को 6 लाख से भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इस लिंकचेनल के बन जाने से सार्दुल व करनीसिंह शाखाओं की जल वितरण की स्थिति में और भी सुधार हो जावेगा।

(3) यह भी देखा गया कि भाखरा प्रणाली की कुछ नहरों में सिंचाई की तीव्रता अभी निर्धारित तीव्रता से अधिक है जबकि कुछ प्रणालियों में निर्धारित तीव्रता से कम। इस प्रश्न की पूर्णरूप से जांच की जा रही है ताकि हमें पूरा जल ही प्राप्त न हो अपितु भाखरा प्रणाली की अन्य नहरें भी जल का अपने हक के अनुसार सुनीति–संगत लाभ प्राप्त कर सकें।

(4) इस बात का हर सम्भव प्रयत्न किया जायगा कि भाखरा प्रणाली में जो हमारा हिस्सा है उसके मुताबिक समय पर निर्धारित मात्रा का पानी हमको मिलता रहे। इसकी समुचित व्यवस्था के लिये ठोस कदम उठाये जावेंगे।

(5) रावी, व्यास, और सतलज के पानी में राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है और अपने हिस्से का पानी गंग केनाल, भाखरा केनाल और राजस्थान नहर के जरिये प्राप्त कर सिंचाई के काम में लाया जाता है। राजस्थान के सिंचाई अधिकारियों का कोई सैल इस समय चंडीगढ़ में नहीं है इससे कई बार हिस्से से कम पानी रिलीज होता है या हिस्से का पानी समय पर रिलीज नहीं होता है जिससे राजस्थान में असन्तोष उत्पन्न होता है। इन नदियों में जल वितरण रेग्यूलेट करने के लिये जॉइन्ट कन्ट्रोल की मांग पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ इसलिये इस मसले पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाय जब तक राजस्थान के हित में यह आवश्यक है कि हम राजस्थान राज्य के सिंचाई अधिकारियों का एक सैल चंडीगढ़ में खोल दें जिसमें एक वाटर कन्ट्रोलर (अधीक्षण अभियन्ता) व अन्य अधिकारी रहेंगे जो समय समय पर वाटर रिलीज और उनके हिसाब किताब रखेंगे और इस बात की व्यवस्था करते रहेंगे कि राजस्थान अपने हिस्से का पानी जिस समय उसको मिलना चाहिये और जिस मात्रा में मिलना चाहिये वह उसको उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था को कर देने से मुझे आशा है कि स्थिति में काफी सुधार होगा।

गंग कैनाल

वैसे गंग कैनाल की सिंचाई तीव्रता 60 प्रतिशत है इसमें समेजा और लालगढ़ 6 मासी नहरों को छोड़कर बाकी सब नहरों पर सिंचाई तीव्रता इस समय 60 प्रतिशत से ऊपर और 90 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। 6 मासी नहरों में खरीफ की फसल की क्षमता तो इतनी ही है लेकिन काश्तकार रबी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की भी फसल बो देते हैं और बाद में उनको पकाने के लिये अतिरिक्त पानी की मांग करते हैं। परन्तु नहरों के 6 मासी होने की वजह से रबी में पानी देना सम्भव नहीं होता है इसलिये यह असन्तोष का कारण बन जाता है। यद्यपि इन प्रणालियों पर रबी में 25 प्रतिशत से ऊपर तक तीव्रता प्राप्त की जा चुकी है। इनको भी बारहमासी करने के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

रावी और व्यास के पानी में जो राजस्थान नहर का हिस्सा है यह सोचा गया है कि उस पानी में से 0.4 मिलियन एकड़ फीट गंग कैनाल सिस्टम एवं 0.4 मिलियन एकड़ फीट भाखरा सिस्टम के पानी की स्थिति को सुधारने के लिये अतिरिक्त हिस्सा दिया जाय। यह पानी राजस्थान नहर के बारह मासी में होने पर आसानी से मिल सकेगा जिससे 6 मासी नहरों को बारह मासी में परिणित करने में सहूलियत हो जायेगी। वैसे अभी भी राजस्थान कैनाल से गंग कैनाल को समय समय पर अधिक पानी दिया जा रहा है। यह सुविधा भी जारी रहेगी। इस तरह कुछ अर्से बाद ये दोनों सिस्टम भी बारह मासी हो सकेंगे।

वैसे आपको मालूम होगा कि राजस्थान सरकार ने प्रयत्न कर गंग कैनाल सिस्टम को 600 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी एवं राजस्थान कैनाल को 1000 क्यूसेक्स भाखरा से अतिरिक्त पानी रबी फसलों को पकाने की दृष्टि से और व्यवस्था की है जिससे काश्तकारों को काफी लाभ होगा।

गंग कैनाल सिस्टम में बोर्डर एरिया की टेलरीचेज में पानी पहुंचने में कुछ असुविधा होती है उनको दूर करने के लिये राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत इस साल पांच लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जिससे ऐसी नहरों को पक्की की जावेगी जिससे पानी सुविधाजनक तरीके से पहुंच सके। इसी तरह भाखरा में भी संडड्यून्स को हटाने के लिये एवं नहरों को पक्की करने के लिये इस वर्ष 2 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है जिससे धीरे धीरे ऐसे रीचेज में सुधार किया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा जो संशोधित दरें दिनांक 10-3-70 को जारी की गयी हैं उन दरों पर भी पुनः विचार किया गया। दिनांक 10-3-70 के आदेश के अनुसार ज्वार, ग्वार एवं चारे की फसलों पर 6 रुपये प्रति एकड़ देना पड़ता था उसे अब 6 रुपये के स्थान पर 4 रुपये प्रति एकड़ किया जा रहा है। क्योंकि यह फसल चारे के उपभोग में ली जाती है इसी प्रकार गोचनी एवं बैजड़ की दरें जो संशोधित दरों के अनुसार 12 रुपये प्रति एकड़ है उसे अब 8 रुपये प्रति एकड़ किया जा रहा है क्योंकि गोचनी में गेहूं की मात्रा अधिक होती है अतः इन जिन्सों को भी गेहूं के समान मानकर 8 रुपया प्रति एकड़ वसूल किया जायगा।

गंग कैनाल की सामयिक नहर लालगढ़ और समेजा की रबी फसलों की दरों में गेहूं जौ एवं ओट के अलावा प्रथम पानी 4.70 रु. एवं दूसरा पानी 4.70 वर्तमान दरों में लिया जा रहा है उसे अब प्रथम पानी पर पलेवा की दर यानि 4.00 प्रति एकड़ लिया जायगा।

राजस्थान कैनाल के काश्तकारों को वर्तमान दरों के अनुसार प्रथम पानी रबी

Page No 72

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की फसलों में 4.70 रुपये दूसरे पानी में 4.70 एवं तीसरे पानी में 3.85 रुपये देने पड़ते हैं यानि एक फसल के तीन पानी के लिए 13.25 रुपये देने पड़ते हैं उसे अब प्रथम पानी के लिए पलेवा की दर यानि 4.00 रुपये प्रति एकड़ देनी पड़ेगी एवं एक से अधिक पानी देने पर वही दर देनी पड़ेगी जो भाखरा एवं गंग कैनाल के काश्तकार देते हैं।

राजस्थान सरकार ने एक सदस्यीय मोतीराम समिति का गठन किया है जो निम्न-लिखित विषयों पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी–

(1) गंग नहर, भाखरा एवं राजस्थान नहर से सम्बन्धित शेयर सप्लाईज की जांच करना तथा कमी को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए मार्गोपाय, वेज एण्ड मीन्स सुझाना।

(2) सप्लाईज के आन्तरिक वितरण की जांच करना तथा हित ग्राहियों (बैनिफियरीज) के लिये सामयिक वितरण इक्विटेबल डिस्ट्री-ब्यूशन का सुनिश्चयन करने के लिये जहां कहीं आवश्यक हो उनमें सुधारात्मक कदम उठाने हेतु सुझाव देना।

(3) वर्तमान पद्धति में सप्लाईज को बढ़ाने के लिये मार्गोपाय की जांच करने तथा उनके बारे में रिपोर्ट देने ताकि अब तक प्राप्त सिंचित क्षमता से सिंचाई का पूर्ण लाभ मिल सके।

(4) वे सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित अन्य विषयों की भी जांच करेंगे।

(5) भाखरा की नहरों की छोर (Tail) पर स्थित रकबों में जहां पानी अपेक्षित मात्रा में नहीं पहुंचता है उनसे पानी के सप्लाई की क्या दर वसूल की जाय?

(6) भाखरा की ऐसी नहरों में जिनमें सदा जल प्रवाहित नहीं होता व पानी की सप्लाई नियमित नहीं है और फसल पूरी नहीं आती उनसे क्या दर वसूल की जाय?

यह समिति अपना प्रतिवेदन तीन माह में प्रेषित करेगी।

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसक कॉपीज करवाली हैं जो माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायेंगी जिससे वे डिटेल्स में इसको देख सकें।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : पाकिस्तान को जो पानी 1 अप्रैल से बंद हो जायगा। उसका उपभोग आप कहां और कैसे करेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा और दूसरा 500 नलकूपों के लगाने के लिये आपने चर्चा नहीं की।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं इरिगेशन की मांग पर कल जो वाद-विवाद हुआ उस समय इस बारे में काफी कहा जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो माननीय मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है उस पर हम चर्चा चाहते हैं इसके लिये कम से कम एक दिन का समय निर्धारित किया जाना चाहिये। वैसे और भी मोशन्स हमने दिये हैं गंगानगर एजीटेशन के सम्बन्ध में उसके लिये समय निर्धारित कर दें और इसकी एक कापी हमें मिल जाय तो चर्चा में सुविधा हो सकेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फाइनेन्स बिल के पास होने के बाद में अप्रेल के बाद के महीने में, मेरी जानकारी है, एक दिन निश्चित किया गया है अगर नहीं किया गया है तो एक दिन और विषयों के साथ इस पर भी चर्चा हो सकती है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : कुछ मांगें और रह गयी हैं उन मांगों के संबंध में कुछ प्रकाश नहीं डाला गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस संबंध में बहुत सी चीजें कह दी हैं इसके अतिरिक्त और कुछ बातें हैं जिन पर विचार करके जब गंगानगर के बारे में चर्चा होगी उस समय प्रकाश डालूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पहले इस बारे का स्टेटमेंट आ जाये तो गंगानगर की समस्या पर विचार अच्छी तरह से हो सकेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यहां चर्चा होगी उससे पहले स्टेटमेंट आ जायगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : गंगानगर आन्दोलन से सम्बधित काफी मांगें रह गई हैं जिन पर मुख्य मंत्रीजी ने प्रकाश नहीं डाला है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे मुख्य मंत्रीजी उन मांगों के सम्बन्ध में अपना निर्णय घोषित करें।

श्री हंसराज आर्य : चूरू के आन्दोलन से सम्बन्धित मांगों के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रेण्ट रिपोर्ट के बारे में कहा है दूसरी रेण्ट रिपोर्ट लागू होगी वह भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। मुख्य मन्त्री जी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लि. का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बेलेन्स शीट सदन की मेज पर रखता हूं :—

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (सभापति प्राक्कलन समिति): मैं प्राक्कलन समिति 1969-70 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं।

(1) सामान्य प्रशासनिक संगठन से संबन्धित प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) लघु सिंचाई योजनायें विषयक प्राक्कलन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,31,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 31

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 31 मुख्य शीर्षक 67 भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,44,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 13

श्री विशम्बर नाथ जोशी (राज्य मंत्री वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 54, 55, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हमारे मुख्य मंत्री का भारतीय नरेशों के संबन्ध में मांगें रखना कहां तक उचित है !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंड़ावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं । मांगों पर बोलने वाले बहुत से माननीय सदस्य होते हैं समय बहुत कम मिलता है । इससे होता क्या है कि पहले बोलने वाले माननीय सदस्य घंटा घंटा ले लेते हैं बाद में बोलने वाले सदस्यों को समय नहीं मिलता । अतः सबको समानरूप से समय मिल जाय इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : सुविधा के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है । माननीय सदस्यों के नाम दलों की ओर से दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न दलों की ओर से जिन माननीय सदस्यों के नाम दिये जाते हैं उनको समय दिया जाता है । उसके अलावा कई माननीय सदस्य जिनके नाम दलों की ओर से नहीं दिये जाते हैं फिर भी वे आकांक्षा रखते हैं बोलने की ऐसी स्थिति में सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों को दुविधा न हो इसलिये अधिकाधिक समय दिया जाता रहा है । अब समय 15 मिनिट विशेष स्थिति में 20 मिनिट, विशेष स्थिति में दस मिनिट । इसी अनुपात में समय दिया जाता रहेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

मांग संख्या 9. 31 व 13 पर

निम्नांकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :

मांग संख्या 9

(1) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (मंत्रियों पर होने वाले नाजायज खर्चों में कमी न किये जाने के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

(2) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागों के पारस्परिक सामन्जस्य के अभाव के कारण होने वाली देरी व फिजूल खर्चों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

(3) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में 50 रुपये कम कर दिये जायें (सामान्य प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिये मंत्रियों के निवास स्थानों पर जल और विद्युत व्यय में कमी करने और अनेक दौरों पर नियन्त्रण की आवश्यकता पर विचार)।

(4) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर चर्चा के लिए)।

(5) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में अकर्मण्यता के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

(6) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का मंत्रियों द्वारा दुरुपयोग करने के विषय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 31

7. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दी जाने वाली सुविधाएं बिना मुआवजे के समाप्त करने के विषय में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

(8) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जिला रसद विभाग द्वारा गेहूं व्यवस्थित तरीके से गोदामों में नहीं रखने के कारण राज्य सरकार को हो रहे भारी नुकसान पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासहाय (कठूमर सु) :

मांग संख्या 9

(9) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में बढ़ती जा रही धांधली पर चर्चा के लिए)।

(10) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दण्डाधीश, अलवर, द्वारा की जाने वाली अभद्रता पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा):

(11) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्री–मंडल पर किये जाने वाले अनावश्यक खर्चे पर चर्चा के लिये)

(12) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्री–मंडल के सदस्यों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(13) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्री-मंडल

(श्री महेन्द्र सिंह)

के सदस्यों द्वारा सरकारी विहीकल्स के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(14) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि अवाप्ति कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में भूमि अवाप्ति में बरती गई ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(15) श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा फिजूल खर्चे पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहुत सारे महकमें व्यर्थ हैं जिन्हें तोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(17) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन की शुद्धि के लिये दैनिक कामों से अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जा रहे दखल हटाने पर चर्चा के लिए)।

(18) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेतन की अधिकतर सीमा एक हजार से अधिक नहीं रखने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 13

19. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67—भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दिये गए वादों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

20. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में पक्षपात व मनमानी से जनता की परेशानियां पर चर्चा के लिये)।

21. श्री कल्याणमल (जहाजपुर): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में सुव्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

22. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की कार्य कुशलता में निरन्तर गिरावट पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य का मंत्री-मण्डल छोटे किये जाने पर चर्चा के लिए)।

24. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में दिन प्रति

(नाथूराम करोल)

100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मन्त्रिमण्डल का आकार छोटा किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 13

138. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर पालिकाओं का चुनाव समय पर न कराने पर चर्चा के लिए)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

महारानी श्रीमती शिवकुमारी

139. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की नगर पालिकाओं के चुनाव सम्पन्न कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही अभी तक भी नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :

140. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

141. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 31

142. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय नरेशों के भत्तों को समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

143. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रिमण्डल की अधिक संख्या बढ़ाकर राज्यकोष पर अत्यधिक भार डालने पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वित्त मंत्री द्वारा अपने निज के बंगले पर सरकारी सामान से मरम्मत आदि करवाने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा किये जा रहे खर्चे की सीमा निर्धारित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय जांच आयुक्त द्वारा जांच में अनावश्यक देरी करने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियुक्ति विभाग

मांग संख्या 9

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां):

129. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की पदोन्नति व एरियर्स आदि मामलों का अभी तक निर्णय नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

130. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रियासतों के समय के कर्मचारियों की पदोन्नति एरियर्स आदि के मामले अभी तक तय नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

131. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न विभागों में सरप्लस घोषित कर्मचारियों में से कई कर्मचारियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

132. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय(फोरेस्ट विभाग के अधीन आदि सरप्लस में लिए गए कर्मचारियों की अन्य विभागों में की गई नियुक्ति और उसमें सीनियोरिटी में बरते गए पक्षपात चर्चा के लिए) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर):

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

133. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्री मण्डल का आकार कम कर उसकी संख्या 18 करने पर चर्चा के लिये) ।

134. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा मोटर गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री देवीदत्त गाड़िया

135. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सरकारी बंगला अलोट किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 13

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

महारानी श्रीमती शिवकुमारी

श्री देवीदत्त गाड़िया

136. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की कच्ची एवं गन्दी बस्तियों के विकास की योजनाओं की क्रियान्विति अभी तक भी नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 9

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़):

137. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सुधार हेतु राज्यस्तर पर एक आयोग के गठन पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रिमण्डल पर होने वाले यात्रादि के अधिक खर्च को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में खर्चा कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखा कार्यालयों के दृष्टिकोण में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(स्थानीय निधि लेखा परीक्षण संस्थाओं द्वारा परीक्षण की प्रणाली के विरुद्ध पंचायतीराज संस्थाओं की शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अनुभवहीन लेखा लिपिक लगाने की प्रवृत्ति को रोकने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निधि लेखा परीक्षण संस्थाओं की पंचायतीराज संस्था की सालाना अंकेक्षण रिपोर्ट को सदन में रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 31

125. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व नरेशों के भत्ते आदि समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

126. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय बचत संगठन के प्रति जनता की रुचि बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

128. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग के एनफोर्समेन्ट निरीक्षकों के प्रति भ्रष्टाचार की शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

(श्रीमती मदनकौर)

107. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने लोकपाल और लोक आयुक्त संस्थाओं को नहीं अपनाया, इस सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

108. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यभार की अधिकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 13

109. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक बंगलों और विश्राम गृहों में सफाई और व्यवस्था के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक बंगला और विश्राम गृहों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा आवास-गृह की तरह उपयोग करने पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साधारण लोगों के लिये कम कीमत पर आराम–प्रद आवास गृह बनाने सम्बन्धित योजना बनाए जाने पर चर्चा के लिए)।

112. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा आवास गृहों की अधिक कीमत लगाने सम्बन्धित चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

113. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (262 नॉन गजेटेड कर्मचारियों की छंटनी कर देने तथा एक भी राजपत्रित अधिकारी की छंटनी नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बड़े अधिकारियों के पदों के सृजन करने के बारे में चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न विभागों में समन्वय के अभाव को दूर करने में सामान्य प्रशासन विभाग की असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

116. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रिमण्डल पर होने वाले अधिक खर्चे के रोकथाम के बारे में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन

(श्री भैरोंसिह)

मांग संख्या 13

96. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत. मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न नगर विकास मण्डलों में सरकार द्वारा सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में व्याप्त गंदगी व गंदी बस्तियों के विकास में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)

98. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त फिजूल खर्ची के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में, राज्य सरकार के सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशा–सन में प्रचलित दोष–पूर्ण लेखा प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त लालफीताशाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधीन सेवाओं से सम्बन्धित कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापन (managerial) की नई सेवाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में राज्य सरकार के संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर्म-चारियों और अधिकारियों के नई भर्ती के चुनाव का तरीका दोषपूर्ण होने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

(राजवी श्री रूपसिंह)

85. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा प्रशासन में हस्तक्षेप व सरकारी मुलाजिमान के तबादलों में दिलचस्पी लेने व हस्तक्षेप करने के बाबत चर्चा के लिए) ।

87. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के दौरे नियमित किए जाने बाबत चर्चा के लिए) ।

88. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के टी० ए०, डी० ए०, टेलीफोन, पानी, बिजली, मकान, कार पैट्रोल वगैरह पर अपव्यय पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 31

89. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-- भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के भत्ते खत्म करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

मांग संख्या 13

90. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउस, देहली, में विधायकों को कमरे व अन्य सुविधायें उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिए) ।

91. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक बंगलों व परिधि गृहों में विधायकों को होने वाली भारी असुविधाओं एवम् कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

92. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूल की जीपों व गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 9

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)

93. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सतर्कता आयोग के कार्य-कलापों पर चर्चा के लिए) ।

94. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही न करने के विषय में चर्चा के लिए) ।

95. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों पर अत्यधिक खर्च होने की स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

(श्री मूलचन्द डागा)

रुपयों में खरीद की गई जमीन के संबंध में जांच न की जाने पर चर्चा के लिए)।

75. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में खेतड़ी हाउस रोड पर दांता हाउस के पास दूध बेचने वाले सुबह शाम भैंसें खड़ी करके इलाके में गंदगी फैलाते हैं तथा आवागमन रोकते हैं किन्तु नगरपालिका अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

76. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

77. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19– सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्यापक रूप से फैलते हुए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

78. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा सु.) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में मित-व्ययता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

79. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में अव्यवस्था है, उसे दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

80. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डगसु.): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ से अनेकों विभागों को हटाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(झाला-वाड़ में अधिकारीवर्ग की नियुक्ति में अनु-चित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

82. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार सु.): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19, सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर जिले में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

83. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा अपने क्षेत्र का दौरा पार्टी प्रचार के लिए करने व राजकीय कार्य समझकर न करने के बाबत चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वरिष्ठ अधिकारियों की पुनः नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

द्वारा अनुचित हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 31

65. मांग सं० 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नरेशों को दिये जाने वाले भत्ते आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 9

66. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कलेक्टरों द्वारा जनता की समस्याओं पर विचार न करने के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

67. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में भारी मितव्ययता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

68. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था में जनता में भारी असंतोष के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

69. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय के वित्त विभाग द्वारा पेंडिंग केसेज के निबटारे में अनावश्यक देरी के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

70. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में सेवा की भावना का भारी अभाव है, इस पर चर्चा के लिए) ।

71. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीशों की अकर्मण्यता के कारण फैसले होने में देरी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 31

72. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67- भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (भारतीय नरेशों को जो भत्ते आदि दिये जा रहे हैं उन्हें खत्म करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 13

73. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व नगरपालिका पाली द्वारा बनाये गए झूले की जो अधिक कीमत दी गई उसके संबंध में कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

74. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व नगरपालिका द्वारा बिना कानून के छः हजार

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

मांग संख्या 31

54. मांग सं० 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाजवाद और समानता के आधार पर नरेशों के भत्ते आदि की समाप्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

55 श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व मामले निपटाने में देरी पर चर्चा के लिए)।

56. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण राज्य कोष पर अत्यधिक भार पर चर्चा के लिए)।

57. मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19 सामन्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण में अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों को दिये जाने वाली ऐच्छिक अनुदान के कारण राज्य कोष पर अतिरिक्त भार पर चर्चा के लिए)।

59. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाजवाद में बाधक नौकरशाही में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

60. मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

61. मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेतन मानों में विषमता को कम करने तथा नौकरशाही को अनुत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

62. मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सेवाओं के लिये वर्क लोड निश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 31

63. मांग सं० 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दिए जाने वाले भत्ते आदि समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

64. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में सरकार

Page No 86

(श्री श्रोमदत्त भाटी)

44. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपयाँ कम कर दिया जाय (नगरपालिका के चुनावों में भ्रष्टाचार रोकने हेतु चुनावों से 3 माह पूर्व सार्वजनिक नल, रोड लाइट्स व सड़कें बनाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं में 6 माह से ज्यादा अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त नहीं किये जाये, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

46. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आम प्रशासन सुस्त है व उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हजारों छोटे कर्मचारियों की कटौती करके मिनिस्टरों की फौज को बढ़ाया गया है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 31

47. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाजवादी समाज की स्थापना हेतु राजाओं को दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 9

48. श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारियों को सुविधा न देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

49. मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊँची तनख्वाह के अधिकारियों की कमी व आवश्यक पदों की समाप्ति पर चर्चा के लिये)।

50. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में प्रशासन होने से कार्य की गति धीमी होने पर चर्चा के लिए)।

51 श्री बनवारीलाल (धौलपुर): मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में सब-ट्रेजरी के बजाय ट्रेजरी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

52. मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर को जिला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

53. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग सं० 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

Page No 87

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

सरकारी गाड़ियों को घरू काम में लाते हैं, इस पर पाबन्दी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल-प्रसाद शर्मा (अकलेरा):

36. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में राजनैतिक हस्तक्षेप, उप मन्त्रियों के पास पर्याप्त कार्य न होने तथा मन्त्रियों के दौरे के समय जिला अधिकारियों की अनावश्यक उपस्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 31

37. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67- भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त करने सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करने हेतु)।

मांग संख्या 9

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा):

38. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में बरती जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रिमंडल के सदस्य चुनावों के समय सरकारी पद पर रहने से सरकारी गाड़ियों व कर्मचारियों का दुरुपयोग करते हैं, अतः चुनाव से 3 माह पूर्व ही मन्त्रिमण्डल भंग करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

40. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में वार्ड नं० 36 में सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (एयरफोर्स कमान्डेन्ट के बंगले के पीछे के क्वाटर्स की एप्रोचिंग रोड को पक्का बनाने व वर्षा में पानी भर जाने से रास्ता रुक जाता है उसे ठीक रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 संख्या कम कर दिया जाय (जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में रातानाड़ा की मुख्य सड़क, सूरसागर सड़क, मदासिया महामन्दिर सड़क, पूंजलापुर रोड लाइट्स लगाने व जो लगी हुई हैं उनमें पर्याप्त वाट के वल्ब लगाने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 27- विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वार्ड नं० 36 जोधपुर में अमरसिंहजी का हाता, रातानाड़ा, में बिजली (Road lights) लगाने व सड़कें एवम् नालियां व ड्रेनेज बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कबाड़ियों का मोहल्ला वार्ड नम्बर 33 जोधपुर में पक्की नालियां व सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

(श्री ग्रमीलाल यादव)

दिन बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में लालफीताशाही तथा भाई भतीजा वाद को समाप्त कर शुद्ध प्रशासन देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 31

26. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाजवादी समाज में नरेशों को दिये जाने वाले भत्ते आदि की समाप्ति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

27. श्री नन्दलाल (किशनगंज): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों में राजनैतिक हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

28. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर): मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रि-मंडल का आकार छोटा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के दौरे कम किए जाने पर चर्चा के लिए)।

30. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिए)।

31. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों की सुविधाएं हटाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

32. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागाध्यक्षों के कार्यालय राज्य के कोनों में रखने के बजाय राज्य के मध्य स्थानों पर रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला स्तरीय कार्यालय जिला हैडक्वार्टर्स अथवा जिले के मध्य स्थान पर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कई अनावश्यक बड़े अधिकारियों के पद समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारी वर्ग

(श्री हरजीराम बुरड़क)

द्वारा की जा रही अनुशासनात्मक व विभागीय कार्यवाही में पक्षपात व अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19· सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(राजस्व अपील लेट अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या अधिक होने के कारण समय पर फैसला नहीं किये जा सकने पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन मामलों का समय पर फैसला नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

150. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल द्वारा तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की नियुक्ति में पक्षपात पर चर्चा के लिए।

151. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों द्वारा अनावश्यक दौरा करने से राज्यकोष को हानि पहुंचाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 13

152. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्किट हाउसों तथा डाक बंगलों में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मोटर गैरेज की गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

154. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26, विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संचालक लोकल बौडीज द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार नगर पालिका डीडवाना द्वारा लोगों से बकाया राशि को वसूल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

155. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर पालिका, लाडनूं, जिला नागौर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर पालिका, नागौर द्वारा लगाये गये गृहकर की राशि में अनियमित रूप से कमी करने तथा रेकार्ड में हेर-फेर की चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देव स्थान धर्म पुरा विभाग द्वारा मन्दिरों के पुजारियों को निर्धारित मुआवजा देने में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से

(श्री हरजीराम बुरड़क)

100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, में राजस्थान के विधायकों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

159. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प बचत व स्टेट लॉटरी के उप संचालक प्रचार की गलत नियुक्ति किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका लाडनूं में कर्मचारियों की गलत नियुक्ति किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 9

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) :

161. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों का रवैया जनता के प्रति संतोषजनक नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री आलमअलीखां (फतेहपुर) :

162. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन राज्य में भूखमरी व बेरोजगारी मिटाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) :

163. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक खर्च में कमी करने और अधिकारियों द्वारा राज्य की घोषित नीतियों का पूर्णतया पालन न करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

164. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिए) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

165. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अलवर द्वारा एक चपरासी को बुरी तरह पीटने तथा अन्य चपरासियों से अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 31

श्री विजयसिंह (मकराना) :

166. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों को किए गए वादों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी-सु.) :

167. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के भत्ते कम करने के बारे में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 13

श्री रावतराम (छापर सु.):

168. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर-पालिका छापर(जिला चुरू) द्वारा कस्बा छापर में सफ़ाई न कराये जाने से महामारी फैलने का पूर्ण अंदेशा हैं, तत्संबंधी स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) :

169. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छापर नगरपालिका में चल रही हड़ताल के कारण भारी अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

170. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर गेरेज जयपुर के ड्राइवर्स व वर्कशाप स्टाफ को अभी पूरी ऊनी (गर्म) वर्दी नहीं मिलने संबंधी चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर गेरेज, जयपुर के ड्राइवर्स और. वर्कशाप स्टाफ को राजपत्रित अवकाश के दिन बुलाया जाता है परन्तु न तो उन्हें ओवर टाइम मिलता है और न ही उन्हें कम्पन्सेटरी अवकाश ही दिया जाता है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) :

172. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के डाक बंगलों का प्रबन्ध ठीक नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

173. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर-पालिकाओं के चुनाव समय पर करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के बारे में मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सामान्य प्रशासन के संबंध में प्रशासन सुधार आयोग के जरिये कुछ सुझाव दिये गये थे। उन सुझावों के बावजूद भी प्रशासन पर होने वाले व्यय को देखते हुए, जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए, प्रशासनिक जो कठिनाइयां हैं उस प्रशासन के जरिये जनता की समस्या का उचित समाधान नहीं होता है तो मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख और खेद होता है कि सचिवालय और अन्य कार्यालयों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको देखते हुए जनता की यह धारणा बनती जा रही हैं कि यह प्रशासन जनतन्त्रात्मक प्रणाली के उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि बहुत से अधिकारी हैं उनको जिस स्तर पर होना चाहिये वे उस स्तर के नहीं हैं, वे काम नहीं करते। सचिवालय में शिकायतों के निवारण के लिये स्पेशल अफसर भी नियुक्त हैं पर यह देखा गया है कि जितनी शिकायतें हैं उनका जिस तरह से जिस स्तर पर निर्णय हो जाना चाहिये नहीं हो पाता। कोई निर्धारित

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अवधि नहीं है कि इतने समय में तो निर्णय ले ही लिया जाना चाहिये। कितना ही महत्वपूर्ण मामला क्यों न हो समय पर निपटारा नहीं होता और इस कारण शिकायतों की समाप्ति नहीं होती।

(1.10 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन) भ्रष्टाचार की भी इसमें गुंजाइश रहती है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार पनपता है। इसको ठीक करने के लिये समय समय पर सुझाव आते रहे हैं सरकार के सामने, पर इसके बावजूद भी प्रशासन में जितना सुधार होना चाहिए नहीं हुआ। जिला स्तर पर रैवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ, पटवारियों के खिलाफ परगना अधिकारियों के खिलाफ तहसीलदारों के खिलाफ जो शिकायतें हैं उनको भी जब हम देखते हैं तो वे भी बढ़ती जाती हैं। उनका भी ठीक ढंग से निपटारा नहीं होता।

मैं इस सुझाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि राज स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि ऐसी शिकायतों का शीघ्र निपटारा उनके मार्फत हो सके और जनता की शिकायतों का तुरन्त समाधान हो सके। जिला स्तर पर भी एडवाइजरी कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए ताकि वे जिला स्तर पर डिले होती है तो उसको देखें।

आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राजस्थान का मन्त्री मण्डल बहुत बड़ा है, इसमें कटौती होनी चाहिए और अगर न भी हो तो इन पर टेलीफोन और यात्रा भत्ता व्यय जो अधिक होता है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह प्रजातान्त्रिक युग है, पहले जैसा राजाओं का युग नहीं है। वे जनता के प्रतिनिधि हैं। बिना किसी कारण टूर और टेलीफोन आदि में जो खर्चा होता है अनाप-सनाप उसको रोकने की नितान्त आवश्यकता है।

सरकार के सभी विभागों में भी कटौती होनी चाहिए और इसके लिए मन्त्री मण्डल में कटौती होनी चाहिए। नहीं तो जिन पर ज्यादा खर्चा होता है उन मिनिस्टरों की रोकथाम करने की आवश्यकता है।

पंचायतों की ओडिट प्रणाली के बारे में भी कई शिकायतें पेश हुई है। जो रूल्स के अनुसार गम्भीर मामले हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए।

टैक्स वसूलियों में भी बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। इनमें ऑडिटर्स इन्सपेक्टर्स बहुत परेशान करते हैं जनता को इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए।

पंचायत राज की एन्युअल ऑडिट रिपोर्ट विधान सभा में रखी जानी चाहिए। इस बारे में कई सालों से मामला विचाराधीन है लाखों रुपया पंचायत राज प्रणाली पर खर्च होता है और जो मामला पी.ए.सी. के समक्ष नहीं आ सकता उसे सदन में लाया जाना चाहिए ताकि उस बारे में भी जांच हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, भूतपूर्व नरेशों के प्रिविपर्स के बारे में केन्द्रीय सरकार ने और राज सरकार ने कमिटमेंट किया है कि उनके प्रिविपर्स व विशेष अधिकार शीघ्र ही खतम किये जावेंगे तो इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं मुद्दों के साथ जो मैंने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन पर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चाहूंगा कि मंत्री महोदय उचित उत्तर दें और कमेटियों के गठन के बारे में विशेष रूप से सरकार की ओर से उत्तर प्राप्त करने की अपेक्षा रखता हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद हुआ तो जनता ने यह सोचा था कि अब हमने आजादी प्राप्त कर ली है, हमें शुद्ध स्वराज मिलेगा प्रजातन्त्र में हमें आराम मिलेगा। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस आजादी के बाद अच्छा प्रशासन, ईमानदार और सच्चा प्रशासन तो मिला नहीं एक भ्रष्टाचारी प्रशासन जनता के पल्ले पड़ गया। इसके लिए अगर मैं यह भी कहूं कि जवाहरलालजी ने भी इस भ्रष्टाचार को पनाह दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि उन्होंने इसको समाप्त करने के बारे में कुछ भी नहीं किया। बल्कि कोई मामला इस तरह का उनके ध्यान में लाया गया तो उन्होंने उसे ओवरलुक कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार का पौधा आज इन बाईस वर्षों में बहुत विशाल रूप धारण कर चुका है। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं बहुत गहरी और मजबूत हो गई। सारे देश में वह गहराई से फैल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज कोर्टों में और थानों में खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो पैसा देगा उसका काम होगा। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह कांग्रेसी सरकार है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है बिलकुल।

श्री रामकिशन : आप जागृत अवस्था में बोल रहे हैं या सुप्त अवस्था में ? क्योंकि बच्चों को नींद भी तो आ जाती है।

श्री विजयसिंह : इसी तरह से जो हमारा सेक्रेटरियेट है।

सेक्रेटरी, डायरेक्टर जितने हैं वह सब केवल नाम मात्र के हैं और नाम मात्र के होने की वजह से उनकी कुछ चलती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिल और दिमाग से और अपनी शिक्षा पर गरूर करके कहें कि इसने इस प्रकार का कार्य किया है मैं तो इसको खींचूंगा तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनका या तो तबादला हो जायगा या फिर उन पर किसी प्रकार के आरोप लगा दिये जायेंगे और किसी न किसी प्रकार उनको तंग किया जायगा ताकि उनको सरन्डर होना पड़े। इसलिये सेक्रेटेरियेट तो केवल मिनिस्टरों का गुलाम मात्र है। वे अपनी कार्य प्रणाली से कोई काम नहीं करते हैं। प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रान्सफर जो एम. एल. एज. के द्वारा होते हैं, आप तुरन्त बन्द कर दीजिये और यह सारा मामला सेक्रेटेरियेट पर छोड़ दीजिये कितना फरक आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, एम. एल. एज. बंगलों में कितने ही आदमी अपना काम करवाने आते हैं जो कहते हैं पैसे कितने ही लग जाय यह करा दें, वह करा दें। क्योंकि इस प्रकार का कार्य कुछ एम. एल. एज. करते हैं। कुछ लोग चुनाव हार गये हैं उनका यह धन्धा बन गया है। जो पहले एम. एल. ए. रह चुके हैं वे सब इन बातों को जानते हैं और उनका यही धन्धा है। आपने कभी यह कोशिश की, यह क्यों हो रहा है, कभी नहीं। मैंने एक पटवारी है नबाबअली मकराना में उसको 100 रुपया बिघोड़ी के

(श्री विजयसिंह)

दिये और उसने कच्ची रसीद देदी और पैसे जमा नहीं किये। उसकी शिकायत मैंने नागौर में की। उसको सस्पेन्ड किया गया और उसने अपना चार्ज छोटूराम को दिया। उसने चार्ज में कहीं यह नहीं बताया कि 100 रुपये की कच्ची रसीद है। उसके बाद हमारे मथुरादासजी ने अपने दबदबाव से, रौब दुआव से उसको फिर बहाल करवा दिया। मैंने असेम्बली में भी सवाल रखा परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है वह पटवारी आर. आई. बन गया। मेरा पटवारी से कोई विरोध नहीं है परन्तु उन्होंने जो यह काम किया और मैं सरकार के नोटिस में लाया और सरकार ने कुछ नहीं किया। कहते हैं एन्क्वायरी करा रहे हैं। कोई परबतसर के एस. डी. ओ. हैं वे इन्क्वायरी कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल से एक भी फैसला नहीं किया। मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एन्क्वायरी की क्या जरूरत है? उन्होंने एक कच्ची रसीद दी है मैंने उस कच्ची रसीद को विधान सभा में रखी है। उस कच्ची रसीद से पता लग सकता है कि उन्होंने रुपये लिये हैं या नहीं लिये हैं। तीन साल हो गये कोई एन्क्वायरी नहीं हो रही है। जब यह चीज दूसरों को मालूम पड़ती है तो दूसरे व्यक्ति भी यह सोचते हैं कि उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो हम भी इस तरह के कार्य करते जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मकराना में माईनिंग का दफ्तर है। वहां जितने असिसटेन्ट इंजिनियर आते हैं वे सब एक एक खान को दो-दो तीन-तीन आदमियों को अलाट कर देते हैं और हजारों एप्लीकेशन्स उन्होंने पेन्डिग रख रखी हैं इसलिये कि जो पैसे दे, उसको खान अलाट की जायगी नहीं तो नहीं की जायगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर वे इस तरह का धन्धा नहीं करें तो पत्थर भी सस्ता हो जाय और बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाय। परन्तु पैसे खाने के लिये यह नहीं होता है। क्या सरकार ने कभी इस प्रकार का प्रयत्न किया, कभी जांच करने की कोशिश की कि इस प्रकार क्यों होता है। एक नहीं बहुत से महकमों में ऐसा होता है। क्या सरकार ने कभी ऐसा सोचा कि इतनी ऐप्लीकेशन्स क्यों पेन्डिग पड़ी हैं? तहसीलदार और एस. डी. ओ. अपने फैसले चार चार साल तक लिंगर ओन करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका केवल एक ही कारण है और वह है भ्रष्टाचार। हर काम के लिये सौदे-बाजी करते हैं चाहे वह काम गलत हो या सही। वे सब इसी आशय से बैठे रहते हैं कि कहीं से पैसे मिलें तो काम करें। सरकार ने आज तक किसी बात को नहीं सोचा। आज हमारे राजस्थान में 37 मिनिस्टर हैं इनका क्या काम है, काम कुछ नहीं है केवल मात्र मोटरों को इधर उधर दौड़ाना। कार फोकट की, पेट्रोल फोकट का बीबी जी साग-भाजी लेने जायें तो मोटर में, काकीजी श्रृंगार का सामान लेने जाय तो मोटर में, चाचा जी घूमने जायें तो मोटर में, साहब जादे रंगरेलियां करने जायें तो मोटर में, बकरी के लिये घास आ रहा है तो मोटर में। राजस्थान मोटर गेरेज की गाड़िया फोकट में घूमती रहती हैं परन्तु मैं राजस्थान सरकार को एक बात बताना चाहता हूं राजस्थान की जनता आपके इन कारनामों से अब चुप रहने वाली नहीं है। आपकी मोटर को रोक लिया जायगा और पूछा जायगा फिजूल खर्चा करने वालों को मोटर में घूमने की इजाजत नहीं

(श्री विजय सिंह)

दी जायगी-जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, आप फिजूल में जनता का पेट्रोल जला रहे हैं। जनता आपको वहीं उतार देगी और फिर आप अपनी एनसल्ट महसूस करेंगे। रिक्शा भी आपको नहीं मिलेगा, जो आप कारनामें कर रहे हैं वह अच्छे नही हैं। इस प्रकार की फिजूल खर्ची किस पर पड़ती है, गरीब आदमी पर पड़ती है, उसका शोषण होता है और फिर आप कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं। गरीब आदमी की रोजी-रोटी छीनकर ही आप समाजवाद लाना चाहते हैं ?

अभी मुझे होटल वालों ने बताया जो टैक्स लगाया है 10 रु० की आमदनी के लिए उसके लिए एक 15 रु० रोज का आदमी रखना पड़ेगा। इस तरह आपका जो टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम है वह भी गलत है। टैक्स वसूल करने का तरीका या तो ऐसा होना चाहिये कि बैंक के मारफत वसूल हो जाय या फिर पोस्ट आफिस के जरिये होना चाहिये और जो जमा नहीं कराये उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये न कि आपके सैल्स टैक्स आफिसर और इन्कम टैक्स आफिसर के जरिये होनी चाहिये ये तो आपकी टैक्स की नीति के कारण ही दिनों-दिन लखपति बनते जा रहे हैं। उनकी पहले पैदा क्या थी और आज क्या है इसको सरकार ने कभी नहीं सोचा।

अब मैं एक उदाहरण देता हूं। एस.एम.एस. हासिपटल में मेडिकल ज्यूरिस्ट हैं श्री दुग्गड़, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होते हुए भी उनको मेडिकल ज्यूरिस्ट बनाया गया। दूसरी तरफ एक अन्ना नाम का व्यक्ति था। कोई मेहता ए०इ०एन० है उनके यहां नौकरी करता था। उन्होंने 50 रु० का कोई केस लगा कर इस भारत की आजादी में उसको उबली हुई तेल की कढ़ाई में डाल दिया। मैंने स्वयं ने देखा है उसके हाथ जले हुए थे, उसका सारा शरीर जला हुआ था लेकिन नतीजा क्या हुआ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस वालों ने दो घण्टे लगा दिये चाहे उस बेचारे गरीब की जान ही चली जाय लेकिन पुलिस वालों का अपना रवैया है। इसके बाद क्या होता है, उपाध्यक्ष महोदय कि हॉस्पिटल वालों ने लिखकर दे दिया कि यह तो बहाना बाजी है, क्योंकि उनके पास पैसे पहुंच चुके थे। सारा शरीर जला हुआ था और तेल की कढ़ाई में डालने वाले को सजा मिलनी चाहिये थी, पुलिस ने भी कहा हम जानते हैं, हमारे सामने यह सब कुछ हुआ है परन्तु हम क्या कर सकते हैं मेडिकल ज्यूरिस्ट ने इस प्रकार की रिपोर्ट दे दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल ज्यूरिस्ट इस वजह से वहां नहीं बैठता है। उसको चाहिये कि वह नेकनियति से काम करें, सतर्कता से काम करें क्योंकि वहां काम भी काफी होता है। कोई आदमी इस जमाने में काम नहीं करता है, यह हर महकमे में होता है। कोई आदमी काम करता नजर नहीं आयेगा।

और एक एक कागज को महीने महीने तक इधर उधर दौड़ायेंगे और कोई भी आदमी कानून का जानकार नहीं है। इसका कारण यह है कि सिफारिशों से वह बने हुए हैं। तो सिफारिशी टट्टू क्या करें, वह जानते कुछ नहीं हैं और बैठे बैठे आब्जेक्शन्स करते रहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरी एक टोपीदार बन्दूक थी जो कि परबतसर पुलिस स्टेशन पर 442 नम्बर पर रजिस्टर्ड है। वह बिल्कुल फूट गई और उसके लिए मैंने डी०एस०पी० को कहा कि यह बिल्कुल बेकार है तो डी०एस०पी० ने थानेदार को लिखा कि इसको जमा करा

(श्री विजय सिंह)

दो। तो थानेदार ने मुन्शी को लिखा कि इसको जमा कर लो और मुन्शी कहता है कि मैं जमा नहीं करता। अब आप ही बताओ मैं उसको कहां ले जाऊं ? पुलिस वाले कभी भी नोटिस चेप देंगे कि आपकी इतने नम्बर की बन्दूक कहां है। कहने का मतलब है कि छोटी-सी बात नहीं कर सके।

आप कहते हैं कि हम लोन देते हैं। एक लोन की एप्लीकेशन के ऊपर हजारों ओब्जेक्शन होते हैं कि यह नहीं है, यह नहीं है। उनको जो भी करना है वह पहले कर देना चाहिये कि इसके अन्दर यह खाना पूर्ति होनी चाहिये और फिर बाद में यह काम होगा। दुबारा एप्लीकेशन क्यों लौटे ? पहले उसकी जांच होनी चाहिये और उसमें जो भी खामी हो उसका पूरा किया जाना चाहिये। परन्तु होता क्या है कि हजारों एप्लीकेशनस लोन की पड़ी हुई हैं केवल इसी वजह से कि परसेन्टेज चाहिये उनको। परसेन्टेज जिसको मिल जाता है उसको तो लोन मिल जाता है और परसेन्टेज नहीं मिलता तो लोन भी नहीं मिलता है। जो आपकी पुलिस है, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पुलिस को रिटायर कर दो। कोई व्यवस्था ही नहीं है। पुलिस का काम ही कुछ नहीं है। कोई ऐसा थाना नहीं है जिसमें थानेदार किसी प्रकार की तानाशाही नहीं करता हो और भ्रष्टाचार नहीं करता हो। आप मुझे एक भी थाना बतादो कि फलां थानेदार ईमानदारी से काम कर रहा है ? अगर कर रहा है तो आप मुझे बतायें। हजारों केसेज दर्ज हैं कि जिनमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बस थानेदार साहब कुर्सी पर बैठ कर डंडा चलाते हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं करते हैं। लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने का सवाल आता है तो वह पुलिस कहां है ? लॉ एण्ड आर्डर केवल मिनिस्टरों के लिए ही नहीं होता है हर नागरिक के लिए होता हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमको फलां आदमी से खतरा है तो पुलिस वाले कहते है कि पहले उसको मारने दो फिर हमारे पास आना। तो यह क्या करते हैं ? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे फलां आदमी से खतरा है तो पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिये और उस आदमी को पुलिस को वास्तव में देखना चाहिये और उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिये। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते हैं केवल मात्र अपने पैसे पीटने के। कुछ बात यह भी है कि पुलिस वालों को तनख्वाह कम मिलती है। उनको तनख्वाह आपको ज्यादा देनी चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पुलिस की डिमाण्ड कल है।

श्री विजयसिंह : यह सामान्य प्रशासन है इसमें पुलिस भी आती होगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी और मंत्री को भेज दो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपसे ज्यादा जानकारी है।

श्री यशवंत सिंह नाहर : पुलिस का तो डिपार्टमेंट ही अलग है।

श्री विजयसिंह : सामान्य प्रशासन का मतलब सारी जगह गड़बड़ घोटाले हैं, सारा प्रशासन बिगड़ा हुआ है और सुलझ नहीं रहा है। और आपको सुधारना है तो दस-बीस आदमियों की टोली लेकर इधर पधार जाओ, उससे सारा प्रशासन सुधर जायेगा। कल आपको राजस्थान में जवाब देना मुश्किल हो जायेगा। तो एक निवेदन

(श्री विजयसिंह)

मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा घोटाला कराते हैं दल बदलू और इनको जब तक आप प्रेरित करेंगे यह सबसे ज्यादा घोटाला करेंगे.........

श्री उपाध्यक्ष : यही आप स्वयं अभी कह रहे थे।

श्री विजयसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दल बदल ही इसलिए किये जाते हैं कि वहां हमारे काम हों, हम कुछ पैसा कमायें। नहीं तो दल बदलने की क्या आवश्यकता पड़ती है? और ज्यादा से ज्यादा दलबदलू सेक्रेटेरियट में फिरते हैं। पासेस को आप देख लीजिए वहीं सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे कि इसका यह कर दो, इसका यह कर दो। वे सेक्रेटरी के पास जाते हैं और जब सेक्रेटरी नहीं करता है तो उसकी शिकायत चीफ मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर साहब उनको डांटते हैं और उनका काम करवाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने ग्राउन्ड ही नहीं बनाया।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया।

श्री विजयसिंह : अच्छा उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको शीघ्र ही समाप्त करूंगा क्योंकि मेरे दल के कई माननीय सदस्यों को बोलना है। एक मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जागीरदारों के मुआवजे के बारे में। उनको आपने मुआवजा दिया। अच्छा होता यदि आप उनको मुआवजा टाइम से देते और ढंग से देते। आपने उनको परेशान करके मुआवजा दिया। उससे उनको भी पूरा पैसा नहीं मिला और जागीर कमिश्नर के यहां क्लर्क बैठे हैं उन्होंने मजे कर लिये, लाखों रुपये कमा लिये और बंगले बना लिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुआवजे का सिस्टम रखा था वह बहुत गलत था। जब हम लोगों ने त्याग किया और बलिदान किया तो आपको सोचना चाहिए था। अगर हमें पता होता कि आपसे राज्य नहीं चलेगा तो हम राज्य ही नहीं छोड़ते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोशिश तो बहुत की थी।

श्री विजयसिंह : कोशिश कभी नहीं की। मैं आपको फिर कह दूं आपको शर्म आनी चाहिए नाबालिग से भी साइन कराके आपने उनकी जागीरें ले लीं। कम से कम आपको सोचना चाहिए था। जब मेरा ठिकाना जागीर में था तो मेरे पास हजारों बीघा जमीन थी और जब मैं नाबालिग था तब मेरी जागीर खत्म हुई। उस समय नागौर के कलेक्टर श्री भंवरलाल शर्मा थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपकी एक बीघा जमीन भी नहीं है तो हमारी रेस्पान्सीबिलिटी है आपको जमीन देने की। तहसीलदार आये उन्होंने कहा कि जमीन कहाँ लेना चाहते हो तो मैंने कहा कि जवाई पर दे दो। तो 6 महीने बाद वह कहते हैं कि वहां तो जमीन नहीं है। फिर मुझको पूछा गया कि आपको जमीन कहां देनी चाहिए मैंने कहा चम्बल पर दे दो तो फिर 6 महीने बाद कहा कि वहां भी नहीं है। मैंने कहा कि भाखरा पर दे दो तो साल भर के बाद कहा कि वहां भी नहीं है। फिर मैंने कहा कि संसार के किसी भी कोने में दे दो......

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य अपनी पैरवी नहीं करें।

श्री विजयसिंह : आप अपने कानों को डाक्टर साहब के कमरे में जाकर साफ करवाओ। मैंने कहा था कि उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसी महकमे के ऊपर आपका कन्ट्रोल नहीं है, केवल टेलीफोन पर आपका कन्ट्रोल है जिसमें लाखों रुपये खर्च होते हैं और वह टेलीफोन भी नाजायज तौर पर होते हैं। जो आपका कहना नहीं मानता है तो आपके पास उनके ट्रान्सफर आर्डर्स पड़े रहते हैं। इस प्रकार से आपका राज्य चलने वाला नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन में राजस्थान में स्वच्छता लाइये, इसको सुधारिये। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आपने प्रिवीपर्स के लिए किया है आपको अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, लोगों को ढोंग दिखाना चाहते हैं......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मांग यहां पर रखी है इसी से अन्दाज होना चाहिए।

श्री विजयसिंह : मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांग को यहां पर स्वीकार कराने के लिए रखा है और जो आप बोल रहे हैं वह दूसरा है।

श्री विजयसिंह : स्वीकृति का सवाल तो यह है मंत्री महोदय, कि स्वीकृति तो हम यह भी करवाना चाहते हैं कि 36 में से 15 मिनिस्टर कम कर दें। आप आज 15 मिनिस्टर कम कर दें तो मैं राजा-महाराजाओं से बात करके कहूंगा कि आप त्याग दें।

श्री नत्थीसिंह : यह सौदा कर लें।

श्री विजयसिंह : सरदार पटेल ने सन्धि की थी तो यह विश्वास दिलाया था कि आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, लेकिन आप विश्वासघात कर रहेहैं तो आपके 100 रुपये की वेल्यू क्या रहेगी, 10 रुपये की कीमत क्या होगी जिसमें आप लिखते हैं आई प्रोमिज टू पे। आप अपने प्रोमिजेज को इस तरह से तोड़ेंगे तो आपके प्रोमिजेज की वेल्यू क्या रहेगी? आपकी बात को कोई नहीं मानेगा तो देश विदेश में उसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका अन्दाज लगा लें। ये प्रिविपर्स और प्रिविलेजेज तो थोड़े समय में ही खत्म हो जायेंगे। आपको करने की ही आवश्यकता नहीं है। इनके अन्दर करामात होगी तो अपने प्रिविपर्स अच्छे ढंग से युटिलाइज करेंगे तो जनता के काम में ला सकते हैं, और अभी भी जनता के काम में आ रहा है। यह आपका सबजेक्ट नहीं है। यह सेन्ट्रल का सबजेक्ट है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको विथड्रा कर लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सैन्टर में पेश करना चाहिए।

श्री विजयसिंह : हां सैन्टर में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यहां नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा समाज एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमारा प्रशासन अभी रूढ़िवादी परम्पराओं पर चल रहा है। जो प्रशासन प्रणाली आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व लाठी के बल पर, जनता को दबाये रख कर साम्राज्य-

(श्रीमती मदनकौर)

वाद को शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाने के लिए रची गई थी वही प्रशासनिक प्रणाली आज भी ज्यों की त्यों हमारे प्रशासन में बनी हुई है।

उपाध्यक्ष जी, कल्याणकारी राज्य में प्रशासन का उद्देश्य है जनता को निर्भीक और स्वावलम्बी बनाया जाय। कमजोर और अज्ञान तबके को शोषण से बचाना और उसके आर्थिक विकास में प्रशासन सहायक बने। मुझे यहां यह कहते कतई हिचक नहीं है कि मौजूदा प्रशासनिक प्रणाली ने अपनी उपयोगिता खो दी है। अगर समाज में हमें व्यवस्थित परिवर्तन लाना है तो इस प्रशासनिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने होंगे, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उपाध्यक्षजी, कानून और नियमों में परिवर्तन आ सकता होता, तो आगया होता। पिछले 20 वर्षों में गरीब तबके का उद्धार हो गया होता। इस राजस्थान की विधान सभा ने ही राज्य को ऐसे प्रगतिशील कानून दिये हैं जिनकी सहायता से गरीब तबके को राहत मिल सकती थी। भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून, पंचायती राज सम्बन्धी कानून और मनीलेण्डर्स कानून इसके कुछ एक उदाहरण हैं। पिछले 20-22 वर्षों में हमारी राज्य सरकार ने अरबों रुपया विकास कार्यों पर खर्च कर दिया, लेकिन इसका पूरा फायदा नहीं मिला, और जिसमें जिस वर्ग को ताकतवर बनाने का हमारा उद्देश्य था वह तो और गरीब बन गया है। इस सम्बन्ध में, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि राज्य सरकार देश के साथ-साथ राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने की ओर राज्य में समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से राज्य के लिए एक सर्वांगीण विकास कार्यक्रम तैयार करे, और इस कार्यक्रम में प्राथमिकताएं निर्धारित की जायं, और इन कार्यक्रमों को सही रूप से क्रियान्वयन किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इन कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, और आवश्यकता के अनुसार और अनुभवों के आधार पर इसमें संशोधन भी किया जाय। ऐसे सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए, उपाध्यक्षजी, एक विकास सेवा, एक स्टेट डैवलपमेंट सर्विस की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, जैसे अर्थशास्त्र और व्यवस्थापन के ज्ञाताओं को सम्मिलित किया जाय। इस प्रकार की सेवाओं में एसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाय जिनकी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में आस्था हो, जो परिश्रमी हों, ईमानदार हों, और निष्ठावान हों।

उपाध्यक्षजी, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और यह भ्रष्टाचार हमारे आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध हुआ है। इसके फलस्वरूप हमारे जन-जीवन का वातावरण ही दूषित बन गया है। अब यह भ्रष्टाचार हमारे समाज में क्षय रोग की तरह से पनप रहा है और इस रोग का निवारण किये बिना किसी भी प्रकार की तरक्की हमारे समाज में सम्भव नहीं है। (विपक्ष की ओर हियर हियर,) उपाध्यक्षजी, इसी सदन में मन्त्रीगण, जन-प्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों के विरुद्ध समय समय पर दोषारोपण होते रहे हैं। निस्सन्देह इनमें से अधिकांश आरोप निराधार और तथ्यहीन साबित हुए हैं, फिर भी लोकतन्त्र में जन-प्रतिनिधियों का आचरण जनता के सामने आदर्श रूप में

(श्रीमती मदनकौर)

आना चाहिए। इससे लोकतन्त्र में लोगों की आस्था बढ़ेगी, लोगों का लोकतन्त्र में विश्वास बढ़ेगा, अतः राज्य सरकार को चाहिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में लोक आयुक्त और लोकपाल सम्बन्धी संस्थाओं को मान्यता दें। ऐसा करने से प्रशासन के प्रति जनता का सरकार में विश्वास और भी दृढ़ होगा, और साथ ही साथ हमारे जन-प्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों के आचार व्यवहार पर कुछ अंकुश भी रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य-सेवाएं दिन प्रतिदिन शिथिल और निरुत्साही बनती जा रही हैं। संविधान में राज्य-सेवाओं को बड़ा संरक्षण प्राप्त है। मैं मानती हूं कि ऐसा संरक्षण जन-हित में था ताकि उच्चाधिकारी निष्पक्ष रूप से अपने उत्तरदायित्वों को निभाते रहें। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस संरक्षण का उल्टा ही असर पड़ा है। एक बार राज्य सेवा में प्रवेश करने के पश्चात् एक भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना तो दूर रहा वह समय समय पर वरिष्ठता के आधार पदोन्नतियां पाते रहे हैं, और इससे योग्य और ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। वे शिथिल और निरुत्साही बनते जाते हैं। इसके सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को निवेदन है कि यह संवैधानिक संरक्षण इतना अधिक दिया जाना उचित नहीं है। दूसरे कल-कारखानों और उद्योगों में लगे हुए जो कर्मचारियों के समतुल्य ही हमारे राज्याधिकारियों को संरक्षण दिया जाना पर्याप्त होगा। मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगी कि उचित समय पर इस विषय पर केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित करे। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की सेवाओं को इतना संरक्षण, इतना उच्च वेतन कम काम और कम उत्तरदायित्व के ऊपरांत भी उनमें असन्तोष व्याप्त है। इसका एकमात्र कारण हमारे प्रशासन में पक्षपात का वातावरण है। सिफारिश और खुशामद ने तो परिश्रम और योग्यता को पीछे ढकेल दिया है। तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति तो कठिन ही हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस सम्बन्ध में कि राज्य सेवाओं के नियमों को सुधारा जाय। राज्य-सेवाओं के नियम दोषपूर्ण हैं, और उनमें निरन्तर संशोधन करने के बावजूद भी नाम मात्र को भी उनकी पालना नहीं की जाती है। समय समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं होती हैं। उपाध्यक्षजी विभिन्न राज्य-सेवाओं के वर्गों की वर्ग-वरिष्ठता निर्धारित नहीं की जाती है और एडहाक प्रोमोशन्स की तो भरमार लगी रहती है। ऐसी स्थिति में राज्य सेवाओं में एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, एक ऐसी उलझन पैदा हो गई है कि अनुचित रूप से लाभान्वित अधिकारी भी असन्तुष्ट हैं। उसे भी सन्तोष इस सेवा में नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे कल्याणकारी राज्य की आकांक्षाओं को यह असन्तुष्ट कर्मचारी और यह असन्तुष्ट सेवाएं सफल बनाने में असमर्थ रही हैं।

राज्य सरकार को चाहिये कि इन राज्य सेवाओं का फिर से विश्वास प्राप्त करे। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सेवाओं के नियमों को रेशनेलाइज किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सेवाओं के सम्बन्ध

(श्रीमती मदनकौर)

में नियम बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन अठारह वर्ष के कार्य काल के पश्चात् भी इस सदन में ऐसे बिल का सरकार की ओर से नहीं लाये जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। उपाध्यक्ष महोदय, निष्पक्षता का तत्व हमारे आचार विचार में से ही नहीं बल्कि हमारी विचारधारा में से निकल चुका है। प्रत्येक नियुक्ति अथवा पदोन्नति के समय एक रस्सा कशी शुरू हो जाती है और ऐसे समय में योग्य व्यक्ति को उन्नति अथवा पदोन्नति मिलना असम्भव ही नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। इतना ही नहीं, सिफारिश करने वाला व्यक्ति भी दुविधा में पड़ जाता है। इसलिए यह उचित होगा कि भविष्य में अब लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाय तो राज्य के बाहर से निष्पक्ष और अनुभवी व्यक्तियों में से की जाय। और मैं यह भी चाहूंगी कि लोक सेवा आयोग का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा प्रशासनिक प्रणाली में प्रशासन को रूढ़िवादी परम्पराओं ने घर कर लिया है। आज उत्तरदायित्व से बचे बिना कोई निर्णय लिये पत्रावली को इधर उधर सरकाने को योग्यता का नाम दिया जाता है। इस लाल फीताशाही के फलस्वरूप, उपाध्यक्ष महोदय, जनता का प्रशासन में ही नहीं बल्कि सरकार में भी विश्वास कम होता जा रहा है। इस परम्परा को सुधारने के लिए मैं राज्य सरकार को सुझाव दूंगी कि प्रत्येक नई नियुक्ति और पदोन्नति के समय अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, इस प्रशिक्षण के स्तर पर ही इन अधिकारियों और कर्मचारियों को कल्याणकारी राज्य के सम्बन्ध में उनके उत्तरदायित्व, उनके कर्त्तव्य का और कार्य प्रणाली का पूरा अध्ययन कराया जाय। राज्य में अभी एक अधिकारी प्रशिक्षण शाला है और वह बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाय, इसमें अधीनस्थ सेवा और लिपिकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारी मौजूदा लेखा प्रणाली हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। यह प्रणाली विस्तृत व्यापक विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। यह प्रणाली मौजूदा परिस्थितियों में मितव्ययता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने में भी असफल रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है राज्य सरकार को कि इस प्रणाली को सरल बनाया जाय और विभाग के अध्यक्षों पर अधिक वजन डाला जाय। उनके ऊपर काम करने के सम्बन्ध में अधिक उत्तरदायित्व डाला जाय। मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगी कि इसके साथ साथ पर्फोर्मेन्स और एचीवमेंट आडिट प्रणाली को हमारे राज्य में लागू किया जाय। इससे कार्य-कुशलता और ईमानदारी की भी जांच हो सकेगी।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से दूसरे राज्यों और केन्द्र से लगातार सम्पर्क बनाये रखने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी। दूसरे राज्यों में किये गये विकास कार्य, वहां की गई प्रगति और वहां की समस्याओं और इसके साथ साथ केन्द्र द्वारा मिलने वाले अनुदान आदि से हमारे विभागाध्यक्षों और उच्च अधिकारियों को पूरी तरह से जानकारी रखना

(श्रीमती मदनकौर)

नितान्त अनिवार्य है ताकि एक राज्य में किये गये काम से, उनके अनुभवों से हमारे राज्य को भी लाभ मिल सके। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को समय समय पर केन्द्रीय मंत्रालय और हमारे राज्य के समान परिस्थितियों वाली राज्यों में भेजा जाना चाहिए। यह उच्च अधिकारियों के कर्त्तव्य में शुमार होना चाहिए कि वह समय समय पर दूसरे राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों का दौरा करते रहें। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि उस दौरे को परिवार के सदस्यों के साथ नहीं किया जाय, इन दौरों को साइट सींग का अवसर नहीं बनने दिया जाय, अन्यथा इनका मकसद ही समाप्त हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं राज्य सरकार को फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन तेज गति से आ रहे हैं और हमारी सरकार यह परिवर्तन शांत और व्यवस्थित तरीके से लाने को वचनबद्ध है, लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि सरकार प्रशासनिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाये जिसके फलस्वरूप एक शुद्ध, संतुष्ट, ईमानदार, निष्ठावान और समाजवादी अर्थ व्यवस्था में आस्था रखने वाला प्रशासनिक वर्ग देश के सर्वांगीण विकास में जुट कर देश को समृद्धि और सबल बनाने में अपना पूरा योगदान दे सके। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन, विविध विभाग और भारतीय नरेशों के भत्तों पर यह सदन विचार कर रहा है, जहां तक भारतीय नरेशों के भत्तों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह अब नहीं, आज से बाईस वर्ष पहले समाप्त हो जाने चाहिये थे। लेकिन यह समाप्त नहीं हुए इसलिए आज कांग्रेस सरकार केवल समुफा छोड़ कर इसका श्रेय लेना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस चेष्टा से हिन्दुस्तान के जन मानस पर इसका कोई असर नहीं होगा। शायद बम्बई से आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री को पहली बार सूझा और वित्त मंत्रीजी ने भी अपने भाषण में कहा कि हमारी मान्यताओं और प्रचलित नियमों के खिलाफ है, समाजवाद के आचरण के खिलाफ है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि बम्बई में पहले पहले समाजवाद का नाम उन्होंने सुना हो और उसके पहले समाजवाद का नाम नहीं सुना हो, कभी समाजवाद का जिक्र नहीं हुआ हो, समाजवाद का शब्द पहले कभी प्रयुक्त नहीं हुआ हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दम्भपूर्ण बातों से यह लोग न तो देश का कल्याण कर रहे हैं और न राजनीति में अपनी जबान की सत्यता को सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार के व्यवहार से केवल एक ही बात चलाई जा रही है कि जब जैसा मौका होता है, राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार उसी प्रकार का ऐलान कर देती है। बाकी उसका बहुत बड़ा लाभ हो जाता हो, मैं समझता हूं उसका बड़ा लाभ कोई नहीं है। आज भी अगर सरकार इस कदम को उठाती है तो हमारा दल इसका स्वागत करेगा, लेकिन स्वागत इस बात के साथ करेगा कि बाईस साल तक जो कांग्रेस सरकार ने यह

(श्री रामकिशन)

अपराध किया है, इसकी तो हमारा दल निन्दा करता है और रास्ता भूलने-भटकने के बाद में आज जो इस कदम को उठाने जा रही है तो उस कदम का करना चाहता है स्वागत, उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री विजयसिंह : आपके दल में कितने सदस्य हैं ?

श्री रामकिशन : हमारे दल में सारे देश में बड़ी भारी संख्या में सदस्य है, आप जानते नहीं है। आपकी पार्टी तो यहां और गुजरात मे बैठी है, उड़ीसा में टूट फूट गई है। लेकिन आप नौजवान हो, आप इस लड़ाई को मत लड़ो। आपके पास दूसरे प्रिविलेज आ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रियों ने अपने बजट में शानदार ढंग से एक फिरका लगाया है, एक घोषणा की है कि भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स और विशेष सुविधाओं को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि यह मौजूदा शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवाद की चर्चा तो 1955 में आवड़ी में शुरू कर दी गई थी। मान लीजिये कि छः-सात साल भूल में निकल गये, कभी कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की घोषणा में और कभी गांधीवादी राज्य स्थापित करने की घोषणा में, लेकिन जिस समय आवड़ी में प्रस्ताव पास किया था उसके बाद भी तो देश में असमानता थी। उस वक्त आपने यह कदम क्यों नहीं उठाया? मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जनता को धोखा देने के लिए और कम्युनिस्टों के वोट पाने के लिए इन्द्रा सरकार की यह एक चाल है। वह चाहती है कि कम्युनिस्टों के सामने-चाहे वह मार्क्सवादी हों, चाहे दूसरे वादी हों-एक सगूफा छोड़ दें कि भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स और विशेष सुविधाओं को समाप्त कर रही है सरकार, इसलिए केन्द्रीय सरकार का वह लोक सभा में समर्थन करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केन्द्रीय सरकार की आस्था का प्रश्न नहीं है, अगर आस्था का प्रश्न होता तो यह बाईस साल के पहले समाप्त हो गये होते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस शताब्दी को दुनियां के इतिहास में सबसे शानदार शताब्दी और क्रूर शताब्दी के रूप में समझता हूं। मैं शानदार शताब्दी तो इस अर्थ में समझता हूं कि आज समानता के लिए मनुष्य संघर्ष कर रहा है, जाति-जाति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। इसलिये हमें इस शताब्दी का अभिनन्दन करना चाहिये, इस शताब्दी का गुणगान करना चाहिए, इस शताब्दी का यशोगान करना चाहिए, इसके साथ साथ यह शताब्दी क्रूर शताब्दी भी है क्योंकि जब हम समानता की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे भय है, आज प्रत्येक विचार करने वाले व्यक्ति को यह खतरा है कि समानता के नाम पर देश में ऐसे वर्ग का निर्माण न हो जाय।

(2 म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि जहां देश में समानता लाने की चर्चा की है वहां एक नवीन वर्ग का निर्माण कर रहे हैं और उस नवीन वर्ग को ये सब विशेष सुविधाएं दे रहे हैं। जितनी आपने अपने लिये और आपने जो यह नवीन वर्ग का निर्माण किया हैं, उनके लिये सुविधाएं रखी हैं, उनको आप कम नहीं करना चाहते।

(श्री रामकिशन)

जितनी सुविधाएं पुराने नरेशों को नहीं थीं उनसे ज्यादा सुविधाएं आपने इस नये वर्ग के लिये दे रखी हैं। पुराने नरेशों की सुविधाएं समाप्त हों, इसका तो मैं स्वागत करता हूं पर मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो यह नया वर्ग बना रहे हैं, इनको जो सुविधाएं दे रखी हैं, इनको कम करने के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं। आप एक वर्ष में एक मन्त्री पर 3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं और लोगों को मुगालता देते हैं कि इन पर इतना खर्चा नहीं होता। पर अब लोग मुगालते में रह नहीं सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि मन्त्री जिस मकान में रहता है, उस मकान की कीमत को देखते हुए दो ढ़ाई हजार माहवार से कम में नहीं मिल सकता, ऐसे बंगलों में इन लोगों को रख कर और विशेष प्रकार की सुविधाएं दे कर आप एक नये वर्ग को जन्म दे रहे हैं। राजाओं का प्रीवीपर्स खत्म हो तो इसके साथ साथ अपने खर्च को भी कम कीजिये और सीमा बांध दीजिये कि किसी मन्त्री पर चाहे वह मुख्य मन्त्री हो या दूसरा मन्त्री हो उस पर 1500 से ज्यादा माहवार खर्चा नहीं होगा। यह अगर आप करते हैं तब तो मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान सरकार समाजवाद में आस्थावान है। अगर यह नहीं करते हैं कि एक मन्त्री पर 1500 से ज्यादा खर्चा किसी हालत में नहीं होना चाहिये तो मैं तो कहूंगा कि यह समानता लाने का, प्रीवीपर्स खत्म करने का आपका एक शिगूफा मात्र हैं। इस से या तो आप समझते होंगे कि इससे डर कर भूतपूर्व नरेश आपका समर्थन करेंगे, या कम्युनिस्ट समर्थन करेंगे। अगर वास्तव में समानता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो यह सीमा बांध दीजिये कि चाहे सरकार का कोई मन्त्री हो, चाहे मुख्य मन्त्री हो, चाहे कोई सेठ साहूकार हो, कोई भी 1500 माहवार से ज्यादा खर्चा नहीं करे। इस कदम को अगर आप उठा सकें तो मैं आपके इस कदम का स्वागत करूंगा। परन्तु ऐसी स्थिति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि जहां यह कहा जाता है कि भूतपूर्व नरेश बड़ी सुविधाओं का उपभोग करते थे। पर आज मन्त्री लोग कितनी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, एक टेली-फोन पर मंत्रियों के लिये कितनी विशेष सुविधा दे रखी है, मंत्रियों पर टेलीफोन का कितना खर्चा आता है? मथुरादासजी ने टेलीफोन पर तीन महिने में 33 हजार रु० खर्च किया है, पता नहीं वे टेलीफोन पर सारे दिन गजल या कव्वाली ही गाते रहें।

आज आप विशेष वर्ग की सुविधाओं के लिये हिन्दुस्तान में 30 करोड़ रु. खर्च कर रहे हैं वहां आप भूतपूर्व नरेशों का 5 करोड़ का सुविधा भत्ता बन्द कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि सरकार के कुल मन्त्रियों, उपमन्त्रियों, अधिकारियों और नई जो रूलिंग क्लास पैदा हो रही है, इन पर जो खर्चा विशेष सुविधाओं में खर्च कर रहे हैं, उस खर्च में कमी नहीं करते। एक मन्त्री 33 हजार रुपया 3 महीने में खर्च कर दे तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है?

मुख्य मन्त्रीजी आपने तो मन्त्रियों की फौज बना रखी है। जिस समय यह मन्त्रियों की फौज इकट्ठी की गई थी तो आपने कहा था कि इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब इन मन्त्रियों और उपमन्त्रियों की ट्रेनिंग पूरी हो

(श्री रामकिशन)

गई होगीं । आज मन्त्रियों, उप मन्त्रियों के पास कोई काम नहीं है, एक दो मन्त्रियों के पास काम है, तीन चार मंत्री आपके पास रहते हैं, उनके पास काम है, डिप्टी मिनिस्टरों के पास कोई काम नहीं है । अगर उन के पास कोई काम है तो यह है कि झंडी कार लेकर घूमें और पटवारियों का ट्रान्सफर करे । आज आप राज्य के एक्सचेकर को अपने को बनाये रखने के लिये, दलीय स्वार्थों के लिये बरबाद कर रहे हैं, 40 की फौज के पास कोई काम नहीं है । मन्त्री की क्या योग्यता होनी चाहिये, उसकी क्या जानकारी होनी चाहिये, इसको बगैर देखे आपने यह 40 की फौज खड़ी कर रखी है । मुख्य मन्त्री जी इस बात को तो आप खुद स्वीकार करेंगे कि आपकी इस 40 की फौज में अधिक ऐसे मन्त्री और उप मन्त्री हैं जो जल्दी जल्दी में 26 जिलों के नाम नहीं गिना सकते....

श्री भैरोंसिंह : जल्दी 2 में नहीं धीरे धीरे भी नहीं बता पायेंगे ।

श्री राम किशन : मैं जल्दी जल्दी का ही कह रहा हूं ।

तो क्या आप अहसास नहीं करते कि राजस्थान के एक्सचेकर का धन आप इन पर बर्बाद कर रहे हैं ? आपने किसी योग्यता के आधार पर क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने के आधार पर मन्त्री नहीं लिये हैं । आपने तो यह देखा कि धमकी किसने दी है, किसको नहीं लेने से सारा बना बनाया खेल बिगड़ता है-उसी को मन्त्री या उपमन्त्री ले लिया या फिर किसी को वर्ल्ड ब्यूटी के कम्पिटिशन के हिसाब से ले लिया ताकि बाहर से आने वाले देखें कि मन्त्री कितना सुन्दर है । बाकी योग्यता, आचरण, कर्म, ज्ञान की दृष्टि से आप नहीं बता सकते कि इस मन्त्री को लिया है ।

तो प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का मामला लाये, उसका तो स्वागत है पर आप एक नई क्लास का निर्माण कर रहे हैं । उसको जो सुविधाएं, विशेष प्रकार की सुविधाएं दे रखी हैं उनके बारे में आपने क्या किया है, आपका क्या विचार है यह आप जब उत्तर दें तब बतायें, हंस कर नहीं टाल दें । आप स्केन्डिनेविया और दूसरे देशों में गये वहां क्या है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे शासक हो, चाहे मंत्री हो कोई भी 3 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता । पर आपके यहां पर 3 लाख रुपये एक मंत्री पर खर्चा है । विश्वम्भरनाथ जी जोशी को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 3 लाख का खर्चा है इसीलिए वे फुदक रहे हैं पर मैं बताऊं उनको कि एक मंत्री पर 3 लाख रुपये यहां कैसे खर्च किया जाता है । आप जिस बंगले में रहते हैं, उसकी क्या कीमत है, टेलीफोन, नल, बिजली, कार आदि की जो मंत्रियों को सुविधाएं दे रखी हैं, उनकी कीमत क्या है, आपके बंगले पर पहरेदार हैं, उनकी क्या कीमत आती है ? यह सब देखेंगे तो आपको विश्वास हो जायगा कि राजस्थान के एक मंत्री पर 3 लाख रुपया खर्चा पड़ता है । मिनिस्टरों का ज्यादा और डिप्टी मिनिस्टरों का कुछ कम । तो क्या आप इस 3 लाख के खर्च को 18 या 20 हजार के भीतर लाने के लिए तैयार हैं ? अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो यह भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार को खत्म करने की आपकी बात केवल दम्भ है, केवल एक शिगूफा है । विशेषाधिकार

(श्री रामकिशन)

का यह 5 करोड़ का खर्चा बन्द हो जाय इससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो जायगा। मैं भी भूतपूर्व नरेशों से निवेदन करूंगा जो इस सदन के भी माननीय सदस्य हैं, कि आपका यह भत्ता समाप्त होते ही आपका जो कन्जर्वेटिव चेहरा है वह समाप्त हो जायगा और क्रांतिकारी चेहरा उभर आएगा। आप भी इनको कह सकेंगे कि जो विशेष सुविधाएं लेते हो, जो विशेष सुविधाएं नई रूलिंग क्लास के लिए दे रखी हैं, उन विशेष सुविधाओं को खत्म करो।

तो आज यह समानता लाने का कहा जाता है, समाजवाद का नारा लगाया जाता है पर आप देखिए कि आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन क्या है? आपने अपने पुत्र की शादी की। मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र चिरायु हो, अच्छा जीवन बिताए, पर आपने किस ठाट-बाट से अपने पुत्र की शादी की! ....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यह जो 30 रुपया रोज का हाथी का सा खर्चा एक-एक माननीय सदस्य पर होता है, इसको भी बन्द करना चाहिए।

श्री रामकिशन : आपने जैसी शानदार शादी अपने पुत्र की की थी, नूरजहां की भी ऐसी शानदार शादी नहीं हुई होगी, जैसी कि आपने अपने पुत्र की की। फिर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, किस तरह की समानता लाना चाहते हैं, कैसा समाजवाद आप लाना चाहते हैं? भूतपूर्व नरेशों में से भी किसी ने इतनी शानदार शादी नहीं की होगी। आप तो मुख्य मंत्री हैं, आपकी नकल सिचाई-मंत्री भी करते हैं, समाज कल्याण मंत्री भी करते हैं। आप समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं तो तब्दीली नीचे से लानी होगी। आप इसमें परिवर्तन लायें तो ठीक है, वरना यह तब्दीली लाने का, समानता लाने का केवल दम्भ है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। स्वेच्छा से अनुदान देने का मंत्रिमण्डल को, मंत्रियों को अधिकार है। स्वेच्छा से अनुदान देने के लिए 130 हजार रुपये इस साल रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप इस परम्परा को कहां तक चालू रखेंगे? यह तो वही परम्परा है कि भूतपूर्व नरेश या जागीरदार किसी पर खुश हो जाते थे तो किसी को दस रुपया, किसी को 20 रुपया दे देते थे। मुख्य मंत्री को 30 हजार का अनुदान देने का अधिकार है। मंत्रियों को 50 हजार का अनुदान देने का अधिकार है, स्वास्थ्य मंत्रीजी को 10 हजार का अनुदान देने का अधिकार है। यह जो अनुदान देने का रखा है, इसके लिए मैं यह नहीं कहता कि ये मंत्री अपने परिवार के लोगों को बांट देते होंगे। आप दूसरों को देते हैं। मैंने आपकी लिस्ट देखी है, आप पढ़ लेना। मैंने देखी है, इतनी मोटी लिस्ट है 800–900 की लिस्ट है। पर इस लिस्ट में भरतपुर जिले का एक भी आदमी नहीं है जिसको आपने इस अनुदान का एक भी पैसा दिया हो। मैं इससे यह साबित करना चाहता हूं कि आप सारी कार्यवाही पक्षपातपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं। आपने यह अनुदान देने का क्या कोई मेरिट या कोई तरीका बना रखा है? अगर आपने कोई मेरिट या तरीका बना रखा है तो क्या उस मेरिट में भरतपुर का एक भी आदमी नहीं आता? पर आपने कोई मेरिट या तरीका

(श्री रामकिशन)

नहीं बना रखा है। भरतपुर के एक भी आदमी को आज तक इस अनुदान का एक भी पैसा नहीं दिया गया। अलवर का भी नाम नहीं था पर जब शोभारामजी मिनिस्टर बने तो उन्होंने अलवर में भी बांटा। इस तरह से आप क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात कर रहे हैं, यह आप देश का बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। भरतपुर के लोग कोई सौ पचास रुपये लेने के लिए गरजमंद नहीं है पर आप क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात करते हैं कि उदयपुर का मंत्री है तो वह उदयपुर वालों को अनुदान देता है, जोधपुर का मंत्री है तो वह जोधपुर वालों को अनुदान देता है, अलवर का मंत्री है तो अलवर वालों को अनुदान देगा और अगर भरतपुर का कोई मंत्री हो जाता है तो वह भरतपुर वालों को अनुदान देगा।

श्री विजयसिंह : आपका मतलब है कि प्रद्युम्नसिंहजी को फुलफ्लेज्ड मंत्री बनाया जाय ?

श्री रामकिशन : नहीं। मेरा मतलब है कि उनको निकाला जाय। सबसे अधिक ताज्जुब मुझे मुख्य मन्त्री के व्यवहार पर हुआ। आपने भी पैसा दिया है। आप उदयपुर से नहीं निकल पाए हैं। मैं समझता थां कि आप राजस्थान के नेता बन गए हैं लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी तो वही 15 मेहता, कोठारी, भण्डारी, वही उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पैसा अपने अधिकार में क्यों रखना चाहते हैं, सारी लिस्ट देख ली जाय, आपका ही उत्तर दिया हुआ है, मेरा उत्तर नहीं है, समय नहीं तो पढ़कर सुनाता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस पैसे को किस काम के लिए रखना चाहते हैं, डेढ़ लाख कोई बड़ी बात नहीं है। जिस राजस्थान के बजट में 2 अरब का प्रावधान हो, वहां डेढ़ लाख रखो लेकिन जिस प्रवृत्ति से आप पैसा दे रहे हैं, उससे राजस्थान की क्षेत्रीय सद्भावनायें नष्ट हो जाती हैं। लोग मानकर चलते हैं कि हमारे इलाके का भी मन्त्री हो जाय। मन्त्री तो सारे राज्य का होता है लेकिन आप अपने कर्म, वाणी व आचरण से राजस्थान के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान को इन्टीग्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सामान्य प्रशासन में जहां मन्त्रियों की बात थी, वह मैंने निवेदन की।

लेकिन राजस्थान का सामान्य प्रशासन क्या है? जैसा माननीय श्रीमती मदनकौर ने अभी कहा, मैं समझता हूं, उसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। थोड़ा इसलिए कि जब आदमी मृत्यु स्थल पर जाता है तो वहां उसको वैराग्य हो जाता है कि संसार नाशवान है, वहां से आने के बाद फिर वही आमोद प्रमोद में लीन हो जाता है। वही हालत मन्त्रियों की है। सदन में चर्चा होती है, उससे उनके चेहरे बनते और बिगड़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं फिर उनको पता नहीं कि राजस्थान का क्या हो रहा है। आप सामान्य प्रशासन पर लंबी चौड़ी रकम खर्च करते हैं। आप दूसरे राज्यों को देखेंगे, ब्रिटिश के समय का राज्य देखें, उत्तर प्रदेश या बिहार या उड़ीसा, यहां प्रति व्यक्ति जो सामान्य प्रशासन पर खर्चा है वह सारे राज्यों से ज्यादा है। वैसे तो कांग्रेस सरकार के आने के बाद प्रशासन का स्तर गिर गया लेकिन राजस्थान में तो कोई स्तर ही नहीं।

(श्री रामकिशन)

आप निरंतर खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसके अनुसार जो स्तर है, वह निरन्तर नीचे की ओर चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सामान्य प्रशासन पर 6.5 एक व्यक्ति पर खर्च हैं। आपसे बड़ा इलाका है, उसकी समस्यायें आपसे ज्यादा हैं, उसमें एक व्यक्ति पर 6.5 हैं, उड़ीसा में 3.12, मैसूर में 5.41, मध्यप्रदेश में 8.2 गुजरात में 8.68, बिहार में 5.21 और आंध्र में 8.8 और राजस्थान में 8.55।

यह आपके प्रशासन का जो खर्चा है राज्य का, उसका कारण बतायेंगे ? आप यह नहीं कह सकते कि क्षेत्र लम्बा है, अगर इलाका लम्बा है तो आबादी ज्यादा है। लेकिन आपने प्रशासन का खर्चा जान बूझकर बढ़ाया है। इसी सदन में पहले आपने घोषणा की थी और मेरे जैसे बेवकूफ लोगों ने भी जोर से तालियां बजाई थी, जब आपने कहा था कि कमिश्नर्स की पोस्ट्स एबालिश की गई। हमने कहा कि मुख्य मन्त्री ने यह अच्छा काम किया है लेकिन अब तो हर महकमे में नया कमिश्नर रखना शुरू कर दिया। सिंचाई कमिश्नर, वित्त कमिश्नर और तरह तरह के कमिश्नर बना कर आप प्रशासन पर खर्चा बढ़ाना चाहते हैं। आप नौकरशाही में फसे हुए हो, आपमें हिम्मत नहीं है क्योंकि आपके ही मिलने जुलने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत तौर से वे आप पर एहसान करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आप उनको मदद देते हैं। जब कमिश्नर के पद समाप्त कर दिए तो हर विभाग में कमिश्नर नियुक्त हुआ तो उस पर खर्चा और सुविधा बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ गई ?

मैंने एक बात और सुनी है कि विद्युत मंडल में भी डाइरेक्टर की पोस्ट क्रीएट कर दी है, वह अधिकारी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन प्रोग्राम को देखेगा। डाइरेक्टर नहीं जानता कि बिजली के लट्ठे कौनसे होंगे लेकिन एक आदमी को खपाना है। यह तो टेक्नीशियन का काम है कि देहाती विद्युतीकरण किस प्रकार हो लेकिन आप प्रशासन का जानबूझ कर खर्च बढ़ा रहे हैं और घोषणा हो गई कि राज्य सरकार प्रशासन में मितव्ययता करना चाहती है। 3 चपरासी, 13 पटवारी और 15 गिरदावर कम कर दिए लेकिन आपने कमिश्नर कितने कम किए ? कोई आई.ए.एस. और दूसरे कैडर के लोगों को कम किया है ? आप हमेशा छोटे आदमियों पर तलवार चलाते हैं और प्रशासन का खर्चा निरंतर बढ़ता चला जाता है।

तीसरी योजना के समाप्त होने के बाद राजस्थान की वित्तीय स्थिति समाप्त हो गई थी। पैसा नहीं था केन्द्रीय सरकार जो पैसा देती थी उससे वार्षिक बजट बनाते थे। उस समय जरूरत थी प्रशासनिक खर्चा घटाने की। चीनी आक्रमण के कारण अर्थ व्यवस्था कमजोर हुई लेकिन उसके बाद सामान्य प्रशासन पर उल्टे खर्च बढ़ाना शुरू हुआ। जरूरत इस बात की थी कि सिंचाई के साधनों पर ज्यादा पैसा लगाते लेकिन सामान्य प्रशासन पर तीसरी योजना में खर्च बढ़ाया। चौथी योजना में आपने घोषणा की है कि 3 अरब 2 करोड़ की होगी, बढ़ी हुई आबादी है अगर आप उसको ढाई प्रतिशत से मल्टीप्लाई करें तो प्रति व्यक्ति योजना व्यय कम होता जा रहा है। आप राशि बढ़ा रहे हैं लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से प्रति व्यक्ति व्यय कम होता जा

(श्री रामकिशन)

रहा है और सामान्य प्रशासन पर आज लोगों का खर्चा निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं कि 1965-66 में जब तीसरी योजना समाप्त हुई थी उस समय सामान्य प्रशासन पर आपका 3.17 करोड़ का खर्चा था और आज 1968-69 में वही खर्चा हो गया 4.56 करोड़। जो इसके संशोधित अनुमान आए हैं वह बन गया 5,06,14,000। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बड़ी बचत की बात करते हैं। कर आप लगाते हैं, जितने भी कर आपने लगाए, राजस्थान की जनता ने दिए। सरकार को मितव्ययता के मार्फत, खर्चा घटाने के मार्फत राज्य में जो इनीशिएटिव-इन्सेंटिव पैदा करना चाहिए था, उसमें मुख्य मंत्रीजी, आप पूरी तरह से असफल रहे हैं। इसके कई कारण होंगे। आपसे जब हम कभी भी कहते हैं तो आपको भी कष्ट होता है, आप नाराज होते हैं। इसका कारण यह है कि आप उदयपुर और जोधपुर के सर्किल में पड़े हुए हैं। हम चाहते थे कि आपका व्यक्तित्व बढ़े, आपको लोग राजस्थान का नेता माने लेकिन वही 15 परिवार मेहता, भंडारी व कोठारी इनमें से आपने किसी को चीफ सेक्रेटरी, किसी को सेक्रेटरी बनाया, सारा क्रम निरन्तर चलाना है। इसलिए प्रशासन व्यय में जब घटोती की बात आती है, तो वही चहरे आते हैं आपके सामने। तरक्की के मामले में, प्रमोशन्स के मामले में, भर्ती के मामले में, यही हाल है। अगर आप संपूर्ण राज्य को समान दृष्टि से देखते, नजदीक का रिश्ता कायम नहीं होता लेकिन क्योंकि आपका नजदीक का रिश्ता कमजोर होता है। आपमें साहस नहीं है। आप 20-22 वर्ष गद्दी पर बैठे। जनक भी 15 साल बाद गद्दी छोड़ गए। आप दुर्योधन नहीं हो, युधिष्ठर नहीं हो, मैं उस विवाद में नहीं पड़ता हूं। आपकी 22 साल में तबीयत नहीं भरी। राजस्थान की प्रगति नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार का हाल यह है कि माननीय श्रीमती मदन कौर कह रही थी भ्रष्टाचार के बारे में और हमारे जिले के आधे मंत्री प्रद्युम्नसिंह कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं है। वैसे तो हम चाहते हैं कि प्रद्युम्नसिंहजी तरक्की करें। ठीक है मुख्य मंत्री ने आपको मंत्री बनाया है, आप उनकी प्रशंसा करें लेकिन आप नौजवान हैं, आप नौजवानों की दुनिया में आ रहे हैं, उस दृष्टि से देखता हूं तो आप जब कहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं तो मुझे अफसोस होता है···

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने जब कहा कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तो मैंने कहा था कि गलत है।

श्री विजयसिंह : इसका मतलब मान गए कि भ्रष्टाचार है।

श्री रामकिशन : आप अपने संस्कारों को खराब मत करें। पुराने लोग तो 22 साल से गलत बातें करते आ रहे हैं। आपकी उम्र कम है, संस्कारों को बनायें नहीं तो बुढ़ापे में जाकर पतित हो जाओगे, यही कहते फिरोगे कि राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं है, तो आप क्यों इस पाप को अपने सर पर उठाते हो? आज राजस्थान की हालत क्या है? इसके प्रशासन पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। चाहे सचिवालय प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन चाहे सब-डिवीजन प्रशासन, हमारा खर्चा निरन्तर बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके अनुसार एफीशियेंसी का क्या हाल है? हमारे

(श्री रामकिशन)

भरतपुर जिले में डीग सब डिवीजन है वहाँ श्री राम नारायण शर्मा हैं एस. डी. एम. चोरी की भैंस घर ले ली....

श्री मदनसिंह : आप हमेशा भरतपुर के लिए बोलते हैं और मुख्य मंत्री हमेशा उदयपुर के लिए कोइ अन्तर नहीं है।

श्री राम किशन : आप सुन तो लेते। वह भरतपुर के नहीं हैं। चोरी की भैंस ले ली, सारा मामला आपके पास है, ऐसा होते हुए भी उस आदमी को तरक्की मिली, सजा देने का तो सवाल ही नहीं है, किस किस को सजा मिली ? कोई एक आध पटवारी को मिल गई हो लेकिन मुझे याद नहीं कि किसी गजेटेड अधिकारी को सजा मिलती हो। उस आदमी ने भैंस चोरी की ली उस आदमी के लिए कहते थे कि रिश्वत का यह हाल था जब चपरासी चेम्बर में आकर कहते थे कि फलाने फैसले में पैसा आ गया तो चेम्बर से उठकर बाहर पधारते। मैं कभी चर्चा नहीं करता क्योंकि भ्रष्टाचार जितना व्यापक होगा, उतना जल्दी कांग्रेस राज का अन्त होगा। सब बातें उस अधिकारी की फैली, तीन बार उसका ट्रान्सफर हुआ और तीनों बार कैंसिल हुआ। तो राजस्थान में भ्रष्टाचार की एक मिसाल नहीं। आपके कितने अधिकारी ऐसे हैं ? कुछ अधिकारी अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं और धन्यवाद के पात्र हैं। वे बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे है और ईमानदारी को लेकर बैठे हैं लेकिन ऐसे व्यक्तियों की राजस्थान में कोई कीमत नहीं है। उस हालत में वे प्रशंसा के पात्र हैं। आज वे लोग निराश हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास पोस्टिंग के लिये ट्रान्सफर के लिये पैसा नहीं है। हमें दूर जाना पड़ेगा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जाना पड़ेगा। आपका प्रशासनिक व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है लेकिन जनता की तकलीफ और कष्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, वे कम नहीं हो रहे हैं। आप भी देखेंगे तो आपको भी संतोष नहीं होगा। आप निश्चित रूप से यह जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य के कल्याण के क्या क्या काम करने चाहिये।

इसी सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में राजस्व मंडल की क्या स्थिति है उसके विषय में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। राजस्व मंडल एक तरह से रेवेन्यू की सबसे बड़ी अथोरिटी है। उसके जो सदस्य हैं उनके चरित्र पर किसी को शक नहीं होना चाहिये। लेकिन राजस्व मंडल के एक आध सदस्य ऐसे हैं जिनके विरुद्ध लम्बे 2 मामले चले हैं लेकिन वे कहां चले गये ? वे सारे दबे पड़े हुए हैं। क्या हुआ उनका ? यदि राजस्व मंडल जैसी संस्थाओं में इस प्रकार के सदस्य हों तो मुवक्किल और वकील और जनता क्या सोचेगी कि उनको वहां पर न्याय मिल सकेगा ? पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्व मंडल जैसी संस्थाओं में बढ़िया से बढ़िया आदमियों को सलेक्ट करना चाहिये जिनमें समाज की आस्था हो। लेकिन जिन्होंने आपकी अधिक सेवा की है उनको आपने राजस्व मंडल में लगा दिया और जिन्होंने आपके हुक्म का अच्छा पालन किया है उदयपुर के उनको आपने पब्लिक सर्विस में नियुक्त कर दिया। घुमा फिरा कर इन लोगों को बहुत सालों तक इधर उधर नियुक्त कर दिया जाता है। यदि इस प्रकर के कामों से जनता में असन्तोष फैल गया और दूसरी भावना फैल गयी तो शान्ति खतरे में पड़ जावेगी। मंत्री

(श्री रामकिशन)

और सचिव यदि जनता को न्याय नहीं दे सकते तो तो निष्पक्ष संस्थाये हैं जो इस प्रकार के कमीशन ही हो सकती हैं, उनमें ज्यादा ईमानदारी से काम हो सकेगा-इस प्रकार का जनता विश्वास करके चल सकती है लेकिन जब इन संस्थाओं की हालत ही आपने ज्यादा खस्ता कर दी है तो जनता का इन संस्थाओं पर से भी विश्वास उठ जायगा। इन संस्थाओं में आपने इस प्रकार के सदस्यों को भर रखा है जिनको आप सजा नहीं दे सकते। उनको वोर्ड में मत रखिये, उनको कमीशन में मत रखिये जिससे सार्वजनिक जीवन गंदा होने की संभावना हो। हमारे राज्य में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस मंडल में एक सदस्य अवश्य ही रखें। मैं किसी जाति विशेष की दृष्टि से यह बात नहीं कह रहा हूं। हिन्दुस्तान में संस्कार-जनित जो भावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं समझता हूं कि उनके साथ न्याय हो सके और आस्था जगाये रख सकें तो राज्य के लिए बहुत कल्याणप्रद होगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। तीसरी माँग है जिसमें काफी बचत हो सकती है। छोटे छोटे विभाग हैं, जैसे अल्प बचत विभाग, बीमा विभाग। इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इन सब विभागों पर जितनी निगरानी रखनी चाहिये और राज्य सरकार को उनके द्वारा जो रिजल्टस मिलने चाहिये वे नहीं मिल पा रहे हैं। छोटे विभाग हैं उनमें देखभाल कम है और उनमें फिजूल खर्चा अधिक है। उनके अलग अलग हैड्स के बजट हैं वे काफी होते हैं, उन पर निगरानी और नियन्त्रण इतना कम है कि वे नजर में भी नहीं आते। मंत्री महोदय को भी नहीं मालूम होगा कि विविध विभाग में कौन कौन विभाग होंगे। वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, जोशी साहब बैठे हैं। वित्त मंत्रीजी विविध में कितने विभाग हैं क्या आप बता सकते हैं? वित्त मंत्रीजी आपको पता नहीं। वित्त मंत्रीजी की यह हालत हैं तो छोटे मोटे मंत्रियों से तो क्या बनेगा। उनको पता ही नहीं है कि कितने विभाग हैं, क्या उनका संगठन है, क्या उनका बजट है और कैसे कन्ट्रोल करते हैं। इस राज्य का खुदा ही हाफिज है। भगवान के भरोसे से ही राज्य चल रहा है। चुस्ती से प्रशासनिक ढंग से प्रशासन चलना चाहिये उसमें मुझे शक है।

भारतीय नरेशों के लिये निवेदन करना चाहता हूं। बार बार कहा जाता है कि इसमें जल्दी सफलता मिलनी चाहिये। वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम कुछ करने जा रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। हम यह चाहते हैं कि संपति के अधिकारों पर भी दुबारा विचार करने की जरूरत है। इसलिये मौजूदा पार्लियामेंट को भंग करके नयी संविधान सभा बुलायी जानी चाहिये। राजाओं का प्रश्न तो एक झटके में हल हो जावेगा अरबों की सम्पत्ति वालों का सवाल है। वे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जावेंगे और मौजूदा संविधान के तहत तो हम यह परिवर्तन नहीं ला सकते आप समाजवादी बन गये हैं। बंबई से आने के बाद आपको समाजवाद का अहलाम हो गया है। कांग्रेस हाई कमान में आप सदस्य हैं और मैंने सुना है प्रधानमंत्री भी आप में ज्यादा विश्वास करती हैं। मौजूदा जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे सम्पत्ति के अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इसके लिये मुख्य मन्त्री स्पष्ट आश्वासन देंगे।

(श्री रामकिशन)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह वोट देने की जो उम्र है वह 21 साल नहीं होनी चाहिये और वह 18 साल की होनी चाहिये । सरकार की सेवाओं में आयें तो 18 साल की उम्र, विवाह शादी हो सकती है तो 18 साल की उम्र और बच्चे भी 18 साल की उम्र, में पैदा हो सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि 18 वर्ष की वोट देने के लिये उम्र क्यों न रख दी जाय । इससे 3½ करोड़ को वोट देने का अधिकार मिल जायगा । इससे एक क्रांति आयेगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर भी आपकी सरकार नहीं होगी ।

श्री रामकिशन : आपकी और आपके पुत्रों की सरकार हमेशा रहे मुझे इसमें क्या चिन्ता है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 18 साल की उम्र वोटर्स के लिये हो जानी चाहिये ताकि तब्दीली की प्रक्रिया देश में तीव्र हो सके । जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो एक गम्भीरता आ जाती है । जवान थे तो समाजवाद में चले गये और बुढ़ापा आया तो 15 दिन पहले सिन्डीकेट में थे और उसके बाद इन्डीकेट में आ गये । यह सोचने लगे कि मेरा क्या होगा और मेरे राज्य का क्या होगा ? चार निकल गये तो सरकार गिर जायेगी । जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो इस प्रकार की मन की कमजोरी आ जाती है और उम्र कम होती है तो तेजी रहती है । इसलिये यदि आप संपत्ति के सम्पूर्ण अधिकारों के विषय में विचार करना चाहते हैं तो आपको विधान निर्मात्रि परिषद् का निर्माण करना चाहिये । वोट की उम्र तो तत्काल हो जानी चाहिये ताकि तालमेल बिठा सकें ।

यदि आपने समाजवाद का लक्ष्य ही रख लिया है, लोकतन्त्र के लिये जो ट्रेनिंग होनी चाहिये वह नहीं है । समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक ट्रेनिंग होना आवश्यक है । आप समाजवाद की चर्चा करते हैं लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो समाजवाद में मूल रूप से विश्वास ही नहीं करते हैं । या तो ज्ञान नहीं है या विश्वास नहीं करते हैं । समाजवाद के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये क्या इस प्रकार का कैडर तैयार किया है ? ट्रेनिंग दी है ? आपके यहां तो उन चीजों का कोई जिक्र ही नहीं है । इस राज्य में छोटी मोटी तब्दीलियों के लिये सुझाव दिये गये हैं राज्य सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करे । और अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों की ट्रेनिंग तो पूरी हो गयी है और आपकी सरकार भी स्थाई हो गई है । फिर आपने 40 की भीड़ क्यों लगा रखी है ? आप भी खुद मानते हैं कि इनका कोई उपयोग नहीं है । उप-मंत्री रोते रहते हैं । वे कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है । ज्यादा से ज्यादा पटवारी का ट्रांसफर करा देंगे । राज्य मंत्री हैं उनके पास भी काम नहीं है । प्रशासनिक आयोग ने भी भी कहा है कि मंत्रिमण्डल की संख्या को छोटा करें और यह समझते हैं कि यह बहुत योग्य और अनुभवी हैं तो उनको प्रोडक्शन वाला प्रोग्राम दो । उनके सामने कोई टारगैट रखना चाहिये कि इतना इनको पूरा करना है । यदि उसको पूरा नहीं करते हैं तो उनको वहां बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । चाहे शिक्षा हो, टैक्स हो । शिक्षा वाले का टारगैट बन जाना चाहिये कि इतने निरक्षरों को साक्षर बना दिया जावेगा । यह तो कोई

(श्री राम किशन)

उनके सामने टारगेट नहीं। अंग्रेजों के समय में संशोधन कर दिया। गोरे लोग चले गये और काले लोग आ गये।

इसके अलावा और कोई तब्दीली हुई हो तो मुझे बता दें। मैं पुरजोर शब्दों में यही निवेदन करूंगा कि राज्य के वित्तीय संकट को देखते हुए आप इस प्रॉविजन को कम करें। इससे समाज में एक स्प्रिट पैदा होगी। आज ये सब गैर-क्रांतिकारी बन गये हैं। ये नौजवान हैं और इनको मोटरों में और वह भी हरी झंडी वाली गाड़ी में घूमने का शौक हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, ये इसी लोभ से बैठे हैं और इस लिये कोई तब्दीली नहीं करना चाहते हैं। ये भी महसूस करते हैं कि राज्य की हालत बिगड़ती जा रही है परन्तु जो लोभ इनमें पैदा हो गया है उसके कारण ये चुप हैं। 72 तक इनकी मार्फत कोई तब्दीली आ सकेगी इसमें मुझे शक है। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल।

श्री **बनवारीलाल** (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के ऊपर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। इसके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। आज हम सब जानते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब है, आर्थिक संकट है परन्तु यह भी सब जानते हैं कि जो बजट आपने पेश किया है और जो डिमाण्ड पेश हो रही हैं और जो पास होती भी जा रही हैं, उसी तरह से आज यह प्रशासन की डिमाण्ड है। इन सब को देखने से यह महसूस होता है कि जो आर्थिक संकट बताया गया है वह एक ढोंग है क्योंकि प्रतिवर्ष आप प्रशासन पर खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। प्रशासन के इस खर्चे को इस बर्दाश्त भी कर सकते हैं परन्तु एक तरफ तो यह खर्चा बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ प्रशासन की एफीसियेन्सी घटती जा रही है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सदन में हम कुछ मांग रखते हैं तो उस पर गौर न करके उसको टाल दिया जाता है। उसका जवाब दिया जाता है विचाराधीन है, राशि उपलब्ध नहीं है। अक्सर सेक्रेटरीज जो जवाब तैयार करके देते हैं वही यहां पर दे दिया जाता है। वास्तव में सदन में सदस्यों को बहस करने का जो मौका दिया जाता है उसका तात्पर्य यह है कि सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याओं को यहां पर कह सकें और राज्य सरकार उन पर गौर करें और मनन करें और मनन करने के बाद वह मानने लायक हो तो प्रशासन उसको माने परन्तु उसको टाला नहीं जाये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं–धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र, उस क्षेत्र की जनता पिछले 20 सालों से यह मांग करती आ रही है कि उनके साथ अन्याय किया गया है और राज्य सरकार इसको महसूस भी करती है। जिस समय रियासतों का एकीकरण हुआ था, धौलपुर रियासत राजस्थान की एक अलग रियासत थी और रियासतों के एकीकरण के समय धौलपुर की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि धौलपुर को एक अलग से जिला बनाया जायेगा परन्तु जिला आज तक वह नहीं बन पाया है। इसके बाद यह कहा गया कि एक

(श्री बनवारीलाल)

निश्चित काइटेरिया के अनुसार जिलों का पुनर्गठन किया जायेगा । मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि धौलपुर क्षेत्र की उपेक्षा करके उसको जिला न घोषित करके उसको एक सब-डिविजन घोषित किया गया। यह वहां की जनता के साथ अन्याय है । रियासतों के समय उसको एक जिला बनाने का कहा था और बाद में सदन में भी यह आश्वासन दिया गया था कि पुनर्गठन में एक निश्चित काइटेरिया के साथ इसको भी देखा जायगा । यह निश्चित काइटेरिया है-प्रशासन, राजस्व इन्कम और तहसील एवं अन्य प्रशासनिक दृष्टि। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर सब-डिविजन की पापुलेशन राजस्थान के 5 जिलों से ज्यादा है और दूसरे जहां तक राजस्व आमदनी का सवाल है यह राजस्थान के 8 जिलों से ज्यादा है । प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो धौलपुर सब-डिविजन का हैड क्वार्टर जिला भरतपुर है जो 150 मील की दूरी पर पड़ता है और वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके चारों तरफ उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पड़ती है । हमको भरतपुर जाने के लिये इन प्रांतों से होकर जाना पड़ता है। हमें इनके जिलों के अन्दर से, बीच में से गुजरना पड़ता है और जब कोई मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय वहां पधारते हैं तो वे स्वयं इस मांग को महसूस करते हैं परन्तु जवाब में यह आता है कि इस समय राशि उपलब्ध नहीं है । यह एक बुरी परम्परा है। मैं मानता हूं कि जो कुछ भी जवाब यहां दिया जायेगा वह आपके सेक्रेटरी द्वारा बनाया हुआ होगा लेकिन सदन में जो कहा जाता है उस पर गौर नहीं किया जाता है तो वास्तव में यह हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है । इसको प्रशासनिक दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से भी आप देखें । हम को हर तरह से नुकसान उठाना पड़ता है । पी. डब्लू. डी. का जो फण्ड्स एलाट होता है जिले के अनुसार वह वहीं खर्च हो जाता है, धौलपुर तक पहुंच ही नहीं पाता है । और भी कई मदों का रुपया हमारे यहां नहीं मिलता है । न्याय की दृष्टि से देखें तो हमको 150 मील का चक्कर लगाकर भरतपुर आना पड़ता है । समय भी नष्ट होता है और पैसा भी । इसी तरह से समाज कल्याण का जो पैसा दिया जाता है वह भी धौलपुर को नहीं दिया जाता है । वह भरतपुर में ही रह जाता है । ऐसा क्यों होता है ? क्या हम धौलपुर वाले आदमी नहीं हैं । ऐसा भेदभाव क्यों बरता जाता है ? मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वहां जो राशि आती है उसका समुचित रूप से वितरण हो।

इसके अलावा मैं फिर मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारी अपनी जो मांग है उसका हम शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं, तय करना चाहते हैं और चेतावनी देता हूं, और निवेदन भी करता हूं कि वे इस समस्या को सुलझावें, टालें नहीं और इस पर मनन करें प्रशासनिक दृष्टि से और धौलपुर को एक जिला बनावें । आम जनता की यह धारणा बनती जा रही है कि राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आन्दोलन किया जाये, भूख हड़ताल की जाये और अन्य अप्रिय घटनाओं से इसको प्राप्त किया जाय, यह मैं मुख्य मंत्रीजी को निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इसका शांतिपूर्वक ढंग से हल निकाल दें,

(श्री बनवारीलाल)

तय करदें अन्यथा हम लोगों को भी ऐसा कोई तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप देखेंगे कि कितने आदमी जेल में हैं, कितने भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कितने मर गये हैं और हम भी देखते हैं कि कितने आदमियों को आप मारते हैं। हमारी जान लेकर ही आप इस मसले को हल करना चाहते हैं तो हम इसके लिये भी तैयार हैं ....

श्री मदनसिंह : इसके लिये आप इधर आ जायें।

श्री रामकिशन : आप मुख्य मंत्री की तरफ नहीं देखें। दूसरी तरफ देखकर अपनी बात कहें।

श्री बनवारीलाल : देखूंगा और मेरा इरादा भी मजबूत है। वे मेरी बात को सुन रहे हैं। मेरी इस मांग का समर्थन सदन के सभी सदस्य भी करेंगे और धौलपुर से आपके प्रशासन में जो उपमंत्री हैं, जिले की मांग पर उनसे भी सलाह ले लें। उनकी जो सलाह होगी वह मैं मान लूंगा। वे भी आज इसको मना करने की स्थिति में नहीं हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपस में चर्चा नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल : वास्तव में आज स्थिति यह है कि उप-मंत्रीजी मना कर दें तो उनका धौलपुर में जाना ही बन्द हो जाये। मैं निवेदन करूंगा कि आप उप-मन्त्रीजी से भी सलाह ले लें। जो धौलपुर वाले चाहते हैं वह ही वे चाहेंगे वरना लोग उनका घेराव कर लेंगे। इसलिये मेरी यह मांग है कि धौलपुर को जल्दी से अलग से जिला बनाया जाये।

दूसरा मेरा निवेदन धौलपुर की सब-ट्रेजरी के बारे में है। इसकी वजह से हम सबको बड़ी परेशानी होती है। हमें बार बार भरतपुर जाना होता है। वित्त मन्त्रीजी जब धौलपुर आये थे तब उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि यहां पर ट्रेजरी को न बना कर कुछ ट्रेजरी के पावर्स सब-ट्रेजरी दे दिये जायेंगे जिससे वहां की जनता को राहत मिलेगी। परन्तु इस ओर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है और जनता को भरतपुर जाना आना पड़ता है और वहां पर ट्रेजरी कुछ न कुछ डिफेक्ट निकाल कर उनको वापिस कर देती है। इस तरह उनका 15/20 रुपया खर्च हो जाता है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें और धौलपुर को अलग से जिला बनवाने का फैसला कर आश्वासन दें और उसका जवाब दें अन्यथा हम लोगों को मजबूर होकर कोई दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : लाभचन्द वैद।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने छापर नगरपालिका के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 26 में प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। छापर नगरपालिका की स्थिति नाजुक है। यह स्थिति आज से नहीं बल्कि चार वर्षों से चली आ रही है। वहां के हरिजनों की तनख्वाह नहीं चुकाई जा रही है। इस बारे में मैंने सरकार का ध्यान 67 में आकर्षित किया था। समाजवादी सरकार का दम्भ करने वाली सरकार, हरिजनों के उत्थान का दावा करने वाली सरकार का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसके शासन

(श्री लाभचन्द वैद)

काल में लोगों को और खासतौर से हरिजनों को तनुखाह नहीं मिल पा रही है। मैं सदन के सामने जितने वेतन की बकाया है वह प्रस्तुत करना चाहता हूं।

31 कर्मचारियों का वेतन जून 66 से अक्टोबर 66 तक का 13,911 रुपया बाकी है। इन कर्मचारियों में 27 तो हरिजन कर्मचारी हैं। जिनके वेतन की डिक्री 13-3-67 को हुई थी। इसी प्रकार से 32 कर्मचारी का वेतन 8200 रुपया बाकी है।

17 हरिजनों का 1 मार्च 69 से 18 हजार रुपया बकाया है। 32 कर्मचारी जनवरी 67 से अगस्त 68 तक का वेतन मेडिकल अलाउन्स महंगाई भत्ता आदि का 20,500 रुपया बकाया है जिसके बारे में कोर्ट द्वारा अवार्ड दिया गया है। इसी तरह से 6 अन्य स्टाफ के कर्मचारियों का वेतन लगभग सात हजार रुपया बकाया है। इसी तरह से मेडिकल अलाउन्स का सब मिलाकर 66 हजार रुपया बाकी है। हरिजन कर्मचारी 15-10-69 से लगातार हड़ताल पर हैं अन्य स्टाफ 15-12-69 से हड़ताल पर हैं 6 महीने तक लगातार हड़ताल पर हैं आखिर उस नगर की क्या हालत हो सकती है, आप ही इस पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने अपना प्रार्थना-पत्र स्वायत्त शासन मन्त्री जी को मुख्य मन्त्री जी को, राष्ट्रपति को, प्रधान मन्त्री को सबको भेजा लेकिन अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई न किसी के कान पर जूं ही रेंगी है। अन्य जो ऊंचे अधिकारी हैं उनकी कुछ भी बकाया नहीं है प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं एक भी पैसा बाकी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने आपको समाजवादी कहलाने वाली सरकार हरिजनों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है वह अत्यन्त लज्जा की बात है। आज वहां के हरिजनों की हालत यह है कि वे अपने मकान गिरवी रख कर लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? आज सरकार की यह हालत है कि हरिजन कर्मचारियों की तनुखाह तक नहीं चुका सकती ऐसी सरकार को अविलम्ब स्तीफा दे देना चाहिये। इनको राज करने का कोई अधिकार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारा प्रशासन आज आलोचना का विषय है। प्रशासन के बारे में हमें काफी आलोचना सुननी पड़ती है उपाध्यक्ष महोदय, कौन अधिकारी भ्रष्ट है, कौन नहीं है इस बहस में न पड़ते हुए मैं नीति सम्बन्धी कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज राजस्थान में सभी अधिकारी भ्रष्ट हों यह बात सही नहीं है ऐसे भी अफसर हैं जो ईमानदार और अपना कार्य निष्ठा के साथ करते हैं। दोनों प्रकार के अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज के बदलें हुए समय में सेवाओं को चाहिए कि वे भी समय के अनुसार अपने आप को बदलें। हमारी सेवाओं का जो ढांचा है, वह बहुत पहले से बना हुआ है वही ढांचा अभी तक चला आ

(श्री शिवनाथसिंह)

रहा है. उस लाइन को ये लोग छोड़ना नहीं चाहते। आज देश की आर्थिक स्थितियां बदल रही हैं, लोगों की मनोवृत्तियां बदल रही हैं लेकिन हमारे प्रशासन की जो मनोवृत्ति पहले से चली आ रही है उसको हम बदल नहीं पाये समय के अनुकूल। आज हम जिन नीतियों के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन नीतियों का सही रूप में क्रियान्वयन इन अधिकारियों के द्वारा नहीं हो पा रहा है। जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं जिस रूप में आज वे कार्य कर रही हैं वे गरीबी को ही पनपाना चाहती हैं। आम आदमी के साथ में हमारी सेवाओं का कोई आदर नहीं है। सरकारी अफसर कोई भी जनता का प्रतिनिधि हो वह चाहे गांव का पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद् का प्रधान हो या विधायक भी हो वे सबकी आलोचना करते हैं। इस तरह से जो भी इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव हैं उनको सरकारी अधिकारी अपना दुश्मन मानते हैं। वे इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स को बढ़ावा देना नहीं चाहते।

(2.45 म० प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

अगर हम सेवाओं का जो दृष्टिकोण हैं उसको बदल नहीं पाये तो हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं. आपसे निवेदन करूं सेवायें सरकार की जड़े हैं, ये सेवायें जिस तरह से आज की सरकार पर हावी हैं उसको देखते हुए हम कितने ही प्रगतिशील कदम उठाना चाहें, ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारी सरकार ऐलान करती है कि हमें हरिजन को इस गान्धी शताब्दी वर्ष में जमीन का अलोटमेण्ट करना है, यह आदेश होते हुए भी उनको जमीन नहीं दी गई। यह घोषणा कितने कार्यरूप में परिणित हुई वह तो माननीय मंत्री आंकड़े देंगे तभी पता चलेगा। फिर भी आप और हम जानते हैं कि जितनी सुविधायें हमने हरिजनों को देने की घोषणा की है उतनी दे नहीं पाये। इस बारें में आप पूरे राजस्थान के आंकड़े देख लीजियेगा आप देखेंगे बहुत कम का हिस्सा इन लोगों को अलोट हुआ है। इस तरह से राजस्थान सरकार की नीति की अनुपालना नहीं होती है इसका कारण यह है कि सेवाओं का एक प्रकार का दृष्टिकोण पड़ गया है जो गरीब तबके को उठने देना नहीं चाहते।

इसी प्रकार से हमारे जो लेण्ड रिफोर्म्स के कदम हैं उनके लिये भी ये सेवायें ही बाधक हैं। इनका इस प्रकार का दृष्टिकोण हो गया है राजस्थान सरकार पर ये हावी हो गये हैं और समाज पर ये हावी हो गये हैं। जैसे शिवजी ने अपनी जटा में गंगा को बान्ध लिया था उसी प्रकार से राज्य की सेवाओं ने हमारी सरकार को बान्ध लिया है। इसलिये मेरा खासतौर से सेवाओं से निवेदन है कि वे अपने दिमाग को बदलें और बदले हुए जमाने को देखते हुए अगर वे अपने को नहीं बदलेंगे तो जनता उनको बरदाश्त नहीं करेगी।

आज हम देखते हैं सेवावर्ग में अलग अलग वर्ग बन गये हैं आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आर० ए० एस० जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। आई० ए० एस० अधिकारी जो सेक्रेटेरियट में बैठा हुआ है वह हर लेवल पर अपने स्तर के अधिकारियों को प्रोटेक्ट करता है। आर० ए० एस० अधिकारी अपने लेवल तक प्रोटेक्ट करता

(श्री शिवनाथ सिंह)

है। यही कारण है कि ये लोग प्रशासन पर पूरी तरह से हावी हो गये हैं।

मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिये लेकिन वह प्रोटेक्शन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो जनहित में बाधक हो। आज आई० ए० एस० अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। ज्यादा कोई शिकायत हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका तबादला कर दिया जाता है। इस बारे में हमारी सरकार को भारत सरकार से कहना चाहिये कि इन पर राज्य सरकार का पूर्ण नियन्त्रण हो और राज्य सरकार उनके खिलाफ ऐक्शन ले सकती है। इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिये। जब कि आज हरेक के मूलाधिकार में परिवर्तन हो रहा है, राजा महाराजाओं के प्रिविलेजेज समाप्त किये जा रहे हैं वहां पर आई. ए. एस. अधिकारियों के प्रिविलेजेज को कायम रखना न्यायसंगत नहीं है। जो संविधान में इनको संरक्षण दिया गया है उसको समाप्त कर देना चाहिये। यह संरक्षण समाप्त नहीं करेंगे तो इनकी मेन्टेलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं आई० ए० एस० क्या करते हैं आजकल नये कालेज के निकले हुए छात्र होते हैं आई. ए. एस. में जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको दो साल की ट्रेनिंग देकर उनको कलेक्टर बना दिया जाता है उनको किसी प्रकार का एक्सपीरियन्स नहीं होता। फील्ड एक्सपीरियन्स नहीं होता, जनता के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिये इसकी जानकारी उनको नहीं होती, इसलिये वे जनता के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मेरा इस बारे में निवेदन है कि जब तक उनका दस साल का अनुभव न हो जाय उनको कलेक्टर का पद न दिया जाय।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमने कमिश्नर्स की पोस्ट्स को एबोलिश कर दिया है आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब अधिकार कलेक्टर को हैं। इसलिये दस साल का जब तक अनुभव नहीं हो तब तक उनको कलेक्टर का पद नहीं देना चाहिए। बिना दस साल का अनुभव हुए उनमें संजीदगी नहीं आयगी उनको एक्सपीरियन्स नहीं होगा तब तक इनको कलेक्टर की जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाना चाहिये। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ध्यान दें इसी तरह से एस० पी० के पद पर भी ऐसे ही व्यक्तियों को प्रोमोशन दिया जायगा।

आज सर्विसेज में जिस प्रकार डिससेटिसफेक्शन है उसको देखते हुए आज जनता भी सर्विसेज के कारनामों से असन्तुष्ट है इस तरह से दोनों ही आपसी व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं हैं। आज एक कारण सर्विसेज में असन्तोष का है वह यह है कि प्रोमोशन्स जो होते हैं वे लिमिटेड दायरे में होते हैं। सेक्रेटेरियट के लोगों की अलग क्लास होगई है जिस किसी आफिसर को मौका मिले वह सेक्रेटेरियट से बाहर निकलना ही नहीं चाहता और फिर उनको प्रोमोशन के रूल्स ये ही सेक्रेटरियट वाले बनाते हैं और जब वे ही बनाते हैं तो अपने फायदे के लिये ही बनावेंगे यह स्वाभाविक है। तो इस स्थिति में मेरा सुझाव है कि ऐसा भी प्रावधान कर दिया जाना चाहिये कि कोई भी अधिकारी एक लिमिटेड पीरियड से अधिक सेक्रेटेरियट में न रहने पावे। या फिर सेक्रेटेरियट की सर्विस को अलग बना दिया जावे।

(श्री शिवनाथ सिंह)

इसमें एक बात और है जितने प्रोमोशन्स के रूल्स बनते हैं सेक्रेटेरियट में जो काम करते हैं उसकी सर्विसेज के मुकाबले में फील्ड वालों को अधिक नम्बर मिलना चाहिये। पर होता उल्टा है राजस्थान सरकार इस मसले पर सोचे और इसके लिये आवश्यक नियम बनावे ताकि सर्विस में आपस में रंजिश न पैदा हो। आज आम सर्विस वालों में यह भावना बनी हुई है बल्कि बनती जा रही है कि रिटायर्ड आदमियों के लिये यह सरकार नये नये पद बनाती हैं और वहां से रिटायर होने पर इन पर उनको बिठा देती है। मैं नहीं कहता कि सभी मामलों में ऐसा होता है। पर अधिकांश मामलों में यही देखने में आता है। 58 साल के बाद में जब एक आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद दूसरे व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिये इससे सर्विस में संतोष रहेगा और जो ईमानदार हैं उनको प्रोमोशन का मौका मिलेगा।

हमारी सर्विस का भार जनता पर कितना बढ़ गया है यह मेरे पूर्व वक्ता श्री रामकिशनजी ने काफी अच्छी तरह से बताया है। मैं भी निवेदन करूंगा कि यह टोप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। डवलपमेन्ट में हम जितना खर्च करते हैं उससे कहीं अधिक प्रशासनिक खर्चा हमारा हो गया है। सर्विस में एक आदमी एक बार आ गया तो वह निकाला नहीं जाता। घोषणाएं आप करते हैं कि हम इतना करटेल करते हैं, पर होता नहीं है, उनको और कहीं आपको रखना पड़ता है। निकाल नहीं सकते। जहां रिक्रूटमेन्ट आप बन्द कर सकते हैं ऐसी बहुत सी जगह हैं, वहां आप बिलकुल बन्द कर दें। इससे यह जरूर है कि थोड़ी बेरोजगारी तो बढ़ेगी, पर इसके लिये और हल निकाला जाना चाहिये। सर्विस क्लास आज भार बनकर रह गई है जनता पर इस भार को तो हल्का करना ही होगा। आज तो यह भी स्थिति बन गई है कि जनहित के सरकार के आदेश भी बहुत सीमा तक पालन नहीं किये जाते। जनहित के लिये सरकार पैसा भी खर्च करती है, पर इस सिविसेज के मेन्टल एटीट्यूड की वजह से खर्च नहीं होता वह पैसा सहीरूप में। यह मेन्टल एटीच्यूड उनका बदलना होगा।

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं अपने ही जिले की। हमारे जिलाधीश थे अब तो वे चले गये हैं। हमारे जिले में पिछली साल अकाल था उससे पहले साल भी था इस साल भी है। राज सरकार ने इसके लिये फण्ड अलाट किया, पर एक पैसा उसमें से उसने खर्च नहीं किया और उस फण्ड को सरेण्डर कर दिया। मेरी मान्यता है कि इस जिले में कोई अकाल राहत काम खोलने की आवश्यकता नहीं है, यह और ऊपर से लिखकर दे दिया। किस आधार पर उसने यह अपनी मान्यता बनाई, कह नहीं सकता जहां तीन तीन साल से अकाल पड़ता रहा हो तो यह जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं इस मैंन्टल सैट-अप के अधिकारी। ये जनता के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते। जनता के दुख दर्द को समझने की इनमें सामर्थ्य का नितान्त अभाव है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो इस सर्विस का मेन्टेल एटीच्यूड चेन्ज नहीं किया जावेगा तब तक सरकार की नीतियों को ये ठीक रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते।

(श्री शिवनाथ सिंह)

राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्स के बारे में और उनके विशेषाधिकारों के बारे में कहा गया। देश में आज वातावरण बन गया है कि इनके प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त किये जायं। हो सकता है कि राज सरकार की कम्पीटेन्सी में यह बात न हो। पर ये जल्दी ही समाप्त हों इस दिन की हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस सदन में पहले भी इस आशय का एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा गया था अगर आवश्यकता हो तो अब भी ऐसा प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार के पास भेजना चाहिये। जितना जल्दी हो इनको समाप्त करके जनता में समानता की भावना लाई जावे।.......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: आप अब अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री शिवनाथ सिंह:....पर उनको कहीं मुआवजा देने की बात न आ जावे। मुआवजा इनको नहीं दिया जाना चाहिये नहीं तो जनता इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह तो कुए से निकाल कर खाई में फेंक देने जैसी बात हो जावेगी। इन सबको जनता के समानस्तर पर लाया जाना चाहिये। ये पीढ़ियों से शासन करते आये हैं उनके लिये अब आगे कोई प्रावधान नहीं रखा जावे।

श्री सभापति: माननीय राजवी रूपसिंह।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव सामान्य प्रशासन पर भारतीय नरेशों की प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकारों पर रखा है और उन पर मैं बहस करूंगा।

राजाओं के प्रिविपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किये जाने की जो आज मांग एक पार्टी की तरफ से की जा रही है उसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि जिस वक्त हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से स्वतन्त्र हुआ उस वक्त हमारे देश में 552 प्रिन्सली स्टेटें थीं। देश के स्वतन्त्र होते ही ये 552 रियासतें भी स्वतन्त्र हो गईं। उनको यह राइट था कि चाहे वे हिन्दुस्तान में रहें, चाहे पाकिस्तान में जावें और चाहे हिन्दुस्तान पाकिस्तान दोनों से इण्डिपेण्डेन्ट रहें।

लेकिन हमारे देश की जनता ने यह निश्चय किया कि इनका युनीफिकेशन भारत के साथ में होना चाहिये। इसके लिये हमारे स्वर्गीय सरदार पटेल साहब ने तमाम राजाओं को इकट्ठा किया और कहा कि भारत की एकता के लिये आप लोगों को त्याग करना चाहिये और भारत से अलग स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये। न पाकिस्तान में जाना चाहिये। इस पर इन राजा महाराजाओं ने यह समझते हुए कि हमारे बाप दादा यहीं जन्मे, यहीं मरे, यहीं रहे तो अब हमारा भी फर्ज हो गया है कि अब जब हमारा देश विदेशी दासता से मुक्त होकर पूर्ण स्वतन्त्र हो गया है तो हमें भी इसमें हाथ बटाना चाहिये और इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सबने अपने राज भारत में मिला दिये। उन्होंने अपनी राजसत्ता के साथ साथ अपनी करोड़ों की जायदाद, सम्पत्ति, हथियार, पुलिस, मिलिटरी, पी.डब्लू.डी., सब सौंप दिये और इसके

(राजवी श्री रूपसिंह)

एवज में केवल उनको कुछ वार्षिक भत्ते के रूप में प्रिविपर्स दी गई अपना झण्डा लगाने को दिया गया जिसका कोई लाभ उनको नहीं है। पुलिस की थोड़ी गारद मिल गई। तो इस तरह के कुछ प्रिविलेज मिले। प्रिवीपर्स लेना 268 राजाओं ने नामन्जूर किया तो उन 268 को मुआवजे के रूप में पांच करोड़ रुपया मिला और इसके बाद वह भी धीरे धीरे कम होता गया और आज वह 3 करोड़ के आस पास रह गया है। जो हमने गंगानगर कैनाल के लिये लोन लिया है और जिस पर 12 करोड़ रुपया हम ब्याज का खर्च करते हैं, उससे भी यह रकम तिगुनी कम है। इसके अलावा राजस्थान में 37 मिनिस्टरों का जितना सालाना खर्चा है उतना भी उनको नहीं मिल रहा है।

(3 म. प.)

अगर सेन्ट्रल सरकार राजाओं की प्रिवीपर्सेज खतम करेगी तो उनके साथ विश्वासघात होगा। इसके अलावा इस सरकार को इन्हें खतम करने का राइट नहीं है। जो प्रिविलेज व प्रिवीपर्स उनको मिले थे वह कान्स्टीट्यूशन में प्रोवाइड किये गये थे इसलिये इनके प्रिविलेजेज व प्रिवीपर्सेज हर सूरत में प्रोटेक्ट किये जायेंगे। आर्टिकल 362 आफ दी कान्स्टीट्यूशन के अन्दर जो उनके राइट्स और प्रिविलेजेज हैं वह आर्टिकल 292 में प्रोटेक्ट किये गये हैं और उसमें यह है कि ये प्रिविलेजेज और प्रिवीपर्स वैसे के वैसे ही रखे जायेंगे। अगर भारत सरकार खतम करना चाहती है तो आर्टिकल 143 के अनुसार प्रेसीडेन्ट के पास एप्रोच करें और प्रसीडेन्ट सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन लेकर कुछ करें इससे पहले कुछ करने का अधिकार नहीं है। यह ठीक है कि आप धींगामस्ती में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह उनके साथ किये गये वायदे को तोड़ देना ठीक नहीं है। हम जो वर्ड दे देते हैं तो हमारा फर्ज है उसको निभायें। दूसरे देशों में हमारी इज्जत तभी बढ़ सकती है जब हम अपने किये गये वायदों को निभायेंगे।

राजाओं के आज आप प्रिविलेजेज और प्रिवीपर्स खतम करके नये राजा कायम कर रहे हैं व उनको स्पेशल प्रिविलेजेज दे रहे हैं तो मेरा कहना है उनको भी आप खतम करें तब तो ठीक है नहीं तो एक तरफ राजाओं के प्रिविपर्स और प्रिविलेज खतम कर रहे हैं दूसरी तरफ इनको प्रिविलेजेज दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

अब मैं दूसरी बात सामान्य प्रशासन की बाबत कहना चाहता हूं। हमारे यहां पहले 22 स्टेट्स थीं और उनको मिलाकर राजस्थान बना तब काफी हेरफेर हुआ उसके बाद एक सेट-अप बन गया और ऐडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा किन्तु उस समय का खर्च तीन करोड़ का था और अब बढ़ता बढ़ता कई गुणा हो गया है और कोई हद ही नहीं रही है। इसमें मेरी मान्यता है कि ज्यादा खर्चा मिनिस्टरों का है। एक मिनिस्टर पर तीन लाख रुपया प्रतिवर्ष टी० ए०, डी० ए०, बंगलों, सरवेन्ट्स आदि पर खर्च पड़ता है। यह खर्च 37 मिनिस्टर और चीफ व्हिप का फिजूल में ढाई तीन करोड़ का सालाना खर्चा बान्ध रखा है। राजस्थान जो फाइनेन्स के पोजीशन में बहुत पूअर है उसके लिये इतने मिनिस्टर होना ठीक नहीं है। एक बात और कहना है कि मंत्री रखने हों उतने रख लें लेकिन एक पाबन्दी

Page No 122

(राजवी श्री रूपसिंह)

जरूर लगा देनी चाहिए। मिनिस्टर 29 दिन तक टूर करते रहते हैं, उनकी लिमिट बान्ध दी जाय जैसे पंजाब ने बान्ध दी है। 5 दिन आॅफिस में रहे और दो दिन टूर करें इसी तरह यहां भी कोई न कोई लिमिट बान्ध दी जाय जैसे हफ्ते में चार दिन यहां रहें और तीन दिन बाहर रहें या हफ्ते में 5 दिन यहां रहे और दो दिन बाहर रहें। इस प्रकार कोई न कोई लिमिट अवश्य होनी चाहिए वरना ये 29 दिन बाहर रहते हैं तो पब्लिक का खर्चा भी ज्यादा होता है और यहां के काम के लिये जो लोग बाहर से आते हैं उनका भी काम नहीं होता है—गवर्नमेंट का काम भी सफर होता है। इसके अलावा ये लोग

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जहां जाते है वहां के गवर्नमेंट सरवेन्ट्स अपना काम करने के बजाय इनका काम करते हैं। याने तहसीलदार, सब इन्सपेक्टर सब इनकी एस. डी. एम., ड्यूटीज में लगे रहते हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों के लिये सीलिंग बान्ध दें कि वो हफ्ते में पांच दिन तो यहां काम करेंगे और बाकी दिन बाहर रहेंगे।

हमारे यहां मंत्रियों को जो फैसीलिटी कार, टेलीफोन, बंगला, सरवेन्ट्स आदि की दी है वैसे ही राजाओं की प्रिविलेज हैं इसलिये राजाओं की प्रिविलेज खतम करने के साथ में इनके प्रिविलेज भी खतम कर दें और इनकी तनख्वाहें निश्चित करदें चाहे वह तीन हजार हो या चार हजार हो लेकिन तनख्वाहें बांध दें। इसलिये यदि ज्यादा खर्च करेंगे तो वे अपनी पाॅकिट से खर्च करेंगे सबके साथ समान बर्ताव हो जायगा और आपका समाजवाद का नारा भी सफल हो जायगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान में मंत्रियों द्वारा कार का मिसयूज बहुत किया जा रहा है पहले हमारे यहां 100 लीटर पेट्रोल मिलता था अब उसको बढ़ाकर 500 लीटर कर दिया है जिसका नतीजा यह हुआ कि मंत्रियों के बच्चे व नौकर सरकारी कारों को लिये फिरते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपना भाषण समाप्त करें।

राजवी श्री रूपसिंह : मैं खत्म कर ही रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : कभी कभी बोलते हैं, इनको बोलने दें।

राजवी श्री रूपसिंह : अभी खत्म कर देता हूं। मंत्रियों की कार के लिये जो खर्च होता है, वह बहुत ज्यादा होता है। मैं मानता हूं गवर्नमेंट की जो ड्यूटी अदा करते हैं उनको फैसीलिटी मिलनी चाहिये लेकिन उनका मिसयूज नहीं होना चाहिये पहले 100 लीटर पैट्रोल मिलता था अब 500 लीटर हो गया है लेकिन फिर भी मेरा कहना है इसकी लिमिट बान्ध दी जाय। जिससे यदि ज्यादा करेंगे तो आप अपने पास से देंगे। बम्बई में सरकार ने एक मंत्री को 300 लीटर तक की सुविधा दे रखी है इससे ज्यादा वे खर्च करते हैं तो अपनी पाॅकिट से पट्रोल का खर्चा देते हैं।

टेलीफोन की सुविधा मंत्रियों को जरूर मिलनी चाहिये लेकिन उसके अन्दर भी सीलिंग कायम कर देना चाहिये यानी एक

(राजवी श्री रूपसिंह)

मंत्री 200 रुपया या 500 रु० तक का टेलीफोन कर सकता है। उसके बाद कोई खर्च करेगा तो मंत्री को स्वयं को उसका खर्चा भुगतना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री मथुरादास जी का 5000) रु० टेलीफोन का खर्चा हो गया तो मेरा कहने का मतलब है कि देयर मस्ट बी सीलिंग। एक लिमिट बान्ध देने के बाद खर्चा कम हो जायगा टेलीफोन के अलावा बिजली और पानी के लिये जितना खर्चा मंत्रियों पर हो रहा है, मैं समझता हूं ज्यादा खर्च नहीं होता होगा लेकिन फिर भी कोई न कोई सीलिंग बाध देना चाहिये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है सीलिंग बान्धना जरूरी है—

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : Wind up your Speech.

राजवी श्री रूपसिंह : अब मैं एक निवेदन सर्किट हाउसों के बारे में करना चाहता हूं। दिल्ली में सर्किट हाऊस बना हुआ है। वहां मंत्रियों के लिये रूम रिजर्व होते हैं, जब मंत्री लोग वहां नहीं रहते हैं तो रूम्स क्यों रिजर्व रखे जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब दूसरे आदमी वहां जाते हैं तो उनको रूम्स नहीं मिलते हैं। अगर मंत्री वहां हों तो ठीक है कि रूम रिजर्व कर दो लेकिन मंत्री वहां नहीं हों तो मेरा अर्ज करना यह है कि रूम्स रिजर्व नहीं रहने चाहिये। कोई आदमी वहां जाय और रूम्स खाली हो तो उनको प्रोवाइड कर देना चाहिये। मंत्री महोदय भी तो वे ही हैं जो हम में से बनाये गये हैं तो उनमें व हममें क्या फर्क है। अब मुझे टाइम नहीं दिया गया है— इसलिये एक बात और कहनी थी वो रह गयी। थैंक्स,

श्री सभापति : माननीय श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो बहस हो रही है यह सामान्य प्रशासन और राजाओं के प्रिवीपर्स के संबंध में है। मैं समझता हूं कि कभी भी बहस जिस समय शुरू करें तो यह समझ कर चलना चाहिए कि उसके सिद्धान्त ढंग से हों और उसका नतीजा निकले और बहस शुरू हो रही है सामान्य प्रशासन पर और यह कहें कि गायें अच्छी नहीं हैं और बछड़े अच्छे नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि न तो प्रशासन का ही कुछ मतलब निकलता है और न बहस का हीं कोई तथ्य निकलता है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय और दूसरे मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन तभी सफल हो सकता है जब राज्य करने वाले, उनके नीचे नौकर और उनकी पार्टी तीनों का एक समान दृष्टिकोण बने। कांग्रेस का राज्य हैं कांग्रेस समाजवाद लाना चाहती हैं तो मंत्रियों से लेकर उनके नीचे जितने सेक्रेटरीज हैं और नीचे उनकी पार्टी इन तीनों के समान दृष्टिकोण जब तक नहीं होंगे तब तक प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल सकता। जैसा प्रजातंत्र है और राजाओं का सा प्रशासन आप चलाना चाहते हैं और आज आपकी सारी जीवन की गतिविधियां राजाओं की सी हैं। आपकी वैसी ही सालगिरह मनती है, वैसे ही नजराने लेते हैं और वैसे ही आपके सेक्रेटरी और नौकर सीखते हैं, वैसे ही नीचे की पार्टी के लोग सीखते हैं इसलिये जब

Page No 124

(श्री मदन सिंह)

तक तीनों के समान ढंग और समान विचारधारा नहीं होगी तब तक प्रशासन ठीक नहीं हो सकता। राजाओं के समय एक पद्धति थी कि उनके नीचे तक सब का एकसा दृष्टिकोण होता था। जैसे जोधपुर का उदाहरण लें। जोधपुर के दरबार का एक दृष्टिकोण था तो उनके सारे जागीरदारों का भी वही दृष्टिकोण था और इसीलिए उनका प्रशासन ठीक ढंग से चलता था। आज प्रजातंत्र के अन्दर प्रजा को सहूलियत तभी मिल सकती है जब कि तीनों का दृष्टिकोण एक हो और जो लम्बी चौड़ी सेक्रेटेरियट में आपने रचना रच रखी है इसमें भी कमी बेशी होनी चाहिए। आज एक गरीब एक दरख्वास्त देता है चाहे पुलिस में दो या अकाल मंत्री को दो उस दरख्वास्त का पन्ना जब तक पुराना नहीं पड़ जाता है तब तक उसका जवाब नहीं मिलता और यह इसलिए है कि आपने डिपार्टमेंट के नीचे डिपार्टमेंट बना दिये हैं। रेवेन्यू के अन्दर पहले कागज रेवेन्यू 'ए' में जावेगा, फिर रेवेन्यू 'बी' में जायेगा और फिर रेवेन्यू 'सी' में जायेगा और जाते जाते वह आदमी खत्म हो जायेगा और जो उसकी इच्छा है वह पूरी नहीं होगी। अपना राज्य शुरूआत का राज्य है। हमारा सीधासादा प्रशासन ऐसा चलना चाहिए कि गरीब गया उसकी वहीं की वहीं दरख्वास्त ले ली और उसका जबाब उसको मिल गया। एक आदमी चाहे कि उसकी तीन रोज में दरख्वास्त पास हो तो वह हो सकती है और एक गरीब आदमी जाये तो उसकी दरख्वास्त 12 महीने में भी पास नहीं हो सकती। फौजियों के संबंध में आप देख लें कि आपने सारी व्यवस्थायें कर रखी हैं। आपके यहां मंत्री भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, क्लर्क भी हैं लेकिन वह काम क्यों नहीं होता क्योंकि आपने एक ऐसा तरीका अपनाया है अंग्रेजों के जैसा। दरख्वास्तें पैंडिंग पड़ी रहती हैं और आप उन पर विचार तक प्रकट नहीं करना चाहते हो कि आप क्या करना चाहते हो तो यह अच्छा प्रशासन नहीं है। मैं उदाहरण बताऊं कि मुख्य मंत्री जी ने खुद ने एन्टीकरप्शन को कई दफा लिखा है कि 8 रोज में हम इसका जवाब चाहते हैं। ऐसे चैक भी पकड़े गये थे और मैंने उदाहरण भी दिया था। लेने वाले के दस्तखत, देने वाले के दस्तखत और पैसा खाया उसका विवरण और बैंक की नकलें सारी चीजें उसके अन्दर हैं और एन्टीकरप्शन में आज भी 6-7 महीने से पड़ा हुआ है। केवल डी० एस० पी० है उनको जीप नहीं मिलती, साधन नहीं मिलते और कुछ विहम्जीकल लोग ऐसे बैठे हैं कि जो यह कहते हैं कि इस केस को अब नहीं लिया जाये और बाद में लिया जाये। तो यह बदनामी है और जहां बदनामी है तो समझलो कि प्रशासन अच्छा नहीं है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि अकाल राहत मंत्री यहां नहीं हैं। आज दो साल से दांता में जिस समय बाढ़ आई तो दो साल से यहां अनाउन्स कर रहे हैं कि फलां फलां एरिया के अन्दर लोग बाढ़ से पीड़ित हुए और कहा कि हम उनको रिलीफ देंगे। कहा जरूर यही है। इसमें बीस चिट्ठियां लिख दीं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। वहां पक्षपात हो रहा है। वहां के गांवों से नाराज हैं। मंत्री चाहें तो भी नहीं करना चाहते हैं। यह अच्छा प्रशासन नहीं है। जहां का कलेक्टर अपनी मर्जी के माफिक चलता है तो यह सारा ओलम्भा सरकार पर पड़ेगा कि आपने ऐसी व्यवस्था

(श्री मदन सिंह)

बना रखी है कि कलेक्टर की ऐसी पावर्स हैं कि कलेक्टर कभी कहता है कि मेरे पावर में है तो कभी कहता है कि मेरे पावर के बाहर है और पावर ही पावर के बीच में कागज फिरता रहता है और गरीबों को राहत नहीं मिलती। इसलिये प्रशासन वही अच्छा हो सकता है जिसमें निष्पक्षता से काम हो आप किसी कर्मचारी से कोई नहीं डरें, नीचे वाला कर्मचारी ऊपर वाले कर्मचारी से नहीं डरे, इस तरह से नेक प्रशासन तभी कहलाया जा सकता है जब कि आप पक्षपात रहित रहें। किसी की सिफारिश नहीं मानें जब कुर्सी पर बैठते हैं तो न्यायाधीश की तरह बैठेंगे तो होगा और राजस्थान गवर्नमेन्ट के लिए तो मैं समझता हूं कि मैं विरोधी होता हुआ ही नहीं बल्कि आज जितने भाषण हुए कांग्रेस के लोगों की भी यह राय है कि आपके प्रशासन में निश्चितरूप से पक्षपात होने के कारण से और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स इतने बढ़ गये हैं कि जिससे कामों के निकलने में अड़चनें होती हैं। हां, गम्भीर मसलों में आप 6 महीने ले सकते हों लेकिन मामूली सी दरख्वास्त आती है कि चोरी हो गयी या पटवारी ज्यादा वसूली कर रहा है वह रेवेन्यू ए, बी, सी में जाये और जब तक कागज खत्म हो जाता है तब तक जवाब नहीं आता है। इसलिए आपको सही दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, आज भी सुनता हूं कि माधोसिंह जी के जमाने में महाराजा साहब खुद खड़े रह जाते थे और 6 घण्टे में जवाब आ जाता था और यहां एक मामूली सी दरख्वास्त का 6 महीने में जवाब नहीं आता है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा है तो अच्छा प्रशासन उसको कभी नहीं कह सकते।

सभापति महोदय, मैं लड़ाई के अन्दर अदीस-अबाबा गया तो वहां बादशाह वापिस आये तब उन्होंने नया प्रशासन चलाया यह जान कर कि नये सेक्रेटरी जनता को बहुत दुख दे रहे हैं। पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर शनिवार को जितने भी प्रजा के लोग हैं वह चाहें तो गवर्नमेन्ट के प्रशासन को क्रिटिसाइज करें उसके लिये ताला लगाकर एक बड़ा बक्स रखवा दिया उसमें जो दरख्वास्तें डाली जाती थीं उनका एक हफ्ते के अन्दर जवाब आ जाता था। वहां के लोग इससे बहुत खुश हुए। आज जनता पढ़ी हुई नहीं है, आज गरीब जनता दरख्वास्त नहीं लिख सकती। परसों की ही बात है वित्तमंत्री जी को कहा था कि आपके सामने समाज कल्याण विभाग है आप हरिजनों को पैसा क्यों नहीं देते उन्होंने कहा कि इसके लिए फार्म भरा जाता है। वह फार्म कहां है तो वह कहते हैं कि फार्म ले आओ।

मैं फार्म लाऊं और आप मंत्री बने रहें, और मैं फार्म जाकर लाऊं काम कराऊं आपके सारे के सारे सीकर के अन्दर जो कर्मचारी हैं वे बैठे रहें। क्या वे हरिजनों को सही समझा सकते कि किस तरह से फार्म भरे जाते हैं, इसका कायदा क्या है, इसका तरीका क्या है? गरीब हरिजनों को पता नहीं कि फार्म कैसे भरे जाते हैं। जो जमीन दी जायेगी और हरिजनों को लैण्ड एलाटमेन्ट होगा मैं निश्चितरूप से कहना चाहता हूं कि 100 में से एक-दो हरिजन ऐसे हैं जो सही तरीके से फार्म भर सकते हैं। न आपकी पार्टी फार्म भराती है, न सेक्रेटरी समझाते हैं, न एस० डी० ओ० और कलेक्टर समझाते हैं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री मदनसिंह)

कि फार्म भरने का क्या तरीका है, और हरिजन गली गली के अन्दर पहुंचते हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन का मतलब यह है कि किसी को आने की जरूरत न पड़े और सात दिन के अन्दर काम हुआ या नहीं हुआ उसका जवाब मालूम पड़ जाय। आपको मालूम होगा कि थोड़े दिनों के लिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर आये थे। आपने उनका काम देखा। 10 दिन में ऐसा फर्क ले आये कि आपके सेक्रेटेरियेट के चपरासी टांग ऊंची किये नींद में सोते रहते थे, उनका साफा उधर जा रहा है और किसी की दरख्वास्त जाने दे या न जाने दे इसका कुछ नहीं था, वे जग गये। वे लोग टाइम के इतने पाबन्द थे कि मदन सिंह से 10 बजे मिलना है। तो मिलना है। शाम तक उनके सेक्रेटरीज वहां पर रहते थे। सेक्रेटरीज भी अपने ढंग से रहते थे। आज सेक्रेटरी और मंत्री को देखते हैं तो एक दोस्त की तरह बैठे रहते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको 5 मिनिट से अधिक समय मिल चुका है। अब आप बिराजने की कृपा करें, क्योंकि आपके दल के और भी माननीय सदस्यों की इच्छा है बोलने की।

माननीय श्री यशवन्तसिंह नाहर ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरा नाम भी था।

श्री सभापति : आपका नाम है, लेकिन आप थे नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, महाराजा माधोसिंहजी के न्याय के साथ में मुझे जहांगीर के न्याय की याद आ गई है। उसने एक घंटा लगाया था जिसके लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत के और पूर्वी भारत से लगाकर पश्चिमी भारत के लोग न्याय पाने के लिए चलकर आते थे और इस प्रकार से चलता था कि आंख मींचकर न्याय और निर्णय हो जाया करता था। कौन जाने कि क्या था ? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रशासन के सम्बन्ध में अपना निरीक्षण करने बैठे हैं इससे पहले यह तय करना है कि आज का प्रशासन है क्या और उस प्रशासन के सम्बन्ध में हम कोई ऐसा सुझाव नहीं देने जा रहे हैं प्रशासन और जटिल हो जाय या प्रशासन रहे ही नहीं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि वह अनुभव तो है कठोर पर मुझे तोलाराम की आत्मा का किस्सा याद आता है...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप किस्सा कहेंगे तो हम रह जायेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं लम्बा नहीं करूंगा और प्रशासन से आगे नहीं बढ़ूंगा। हुआ यह कि भगवान धर्मराज के दरबार में यमदूत के हाथ से उसकी आत्मा निकल गई। उसको ढूंढा गया तो ढूंढने पर मालूम हुआ कि दफ्तर की फाइल में बैठी हुई उसकी आत्मा मी मी कर रही थी। रिटायर्ड होने के बाद उसके 15 वर्ष तक पैन्शन के कागज नहीं निकले थे। वह कहती है कि जब तक आफिस से मेरे पैन्शन के कागज न निकलें तब तक मैं धर्मराज की अदालत में आकर क्या करूंगी। मेरे बाल-बच्चे तो भूखों मर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल गलत बात हो।

(यशवन्तसिंह नाहर)

(3 15 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

लेकिन यहां राजस्थान में 58-59 के 11 वर्ष के कैसेज पड़े हुए हैं ....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ज्यादा हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह ऑडिट रिपोर्ट में आया है कि 11 वर्ष से कागज पड़े हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट का आदेश है कि रिटायर हो उससे एक साल पहले उसके पेंशन के कागज बन जाने चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि जितने रिटायर्ड हुए हैं उन सब के कागज इस तरह से पड़े हुए हैं। ऐसे 148 केसेज जो 65-66 की आडिट रिपोर्ट में आपको अंकित मिलेंगे। तब मुझे आश्चर्य हुआ है कि यह इतनी बड़ी प्राम्प्टनैस है। गवर्नमेंट के आदेश हैं कि रिटायर्ड होने के साल भर पहले उसकी पेन्शन के कागज तैयार हो जायं। तो फिर यह क्या बात है कि 11-11 वर्ष तक पेन्शन के कागज पड़े रह जाय। इसके पीछे कोई न कोई राज होना चाहिए। कोई चूक है कि नहीं ?

तो इस शासन व्यवस्था को स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आर्गेनाइजेशन और मेथड डिपार्टमेंट अलग विभाग हैं जो वाच डोग की तरह सेक्रेटेरियेट में काम कर रहा है। वह आर्गेनाइजेशन और मेथड डिपार्टमेंट नाम तय करता है, उसके काम का निर्णय तय करता है, लेकिन काम मल्टीप्लाई होता है और चलता रहता है। मैंने निवेदन किया था कि गत वर्ष माननीय उपमन्त्री जी ने मेडिकल डिपार्टमेंट का इन्सपेक्शन किया तो मुझे यह पता लगा कि 6-7 महीने पहले के कागज एक आलमारी के पीछे पड़े हुए उनको मिले। इस राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जितने भी क़दम उठाये हैं उनकी मैं सराहना किये बिना नहीं रहूंगा। इसके आधार पर आपके यहां पर कमीशन बैठे हैं और इन कमीशनों के द्वारा यह सेक्रेटेरियेट और डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से सुधरे उसके सम्बन्ध में अलग अलग रिपोर्ट्स हुई हैं। उनकी पालना हुई है और किस सिस्टम से हुई है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना नहीं चाहूंगा। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि तरह तरह के डिपार्टमेंट आपके वर्क कर रहे हैं। तरह तरह के प्रोग्रेसिव रिफार्म्स एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय है कि जो कांटीन्यूअस प्रोसेस में चलता है। आदमी वहां पर काम करता है तो उसके सामने कठिनाइयां आती हैं और आदमी के द्वारा त्रुटियां होती हैं और त्रुटि करना आदमी का काम है। आदमी की कमजोरी है तो उसके ऊपर आपका एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी है तब मालूम पड़ा कि जब प्राइवेट फर्म्स के अन्दर इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जब एक तरह से 5 दिन का सस्पेन्शन सम्भव है तो हमारे यहां पर सालों तक आदमी अन्डर सस्पेन्शन हैं जिनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और प्रेलिमिनेरी केसेज चल रहे हैं। उनकी संख्या करीब 200 की है जिनके ऊपर एक साल में सरकार 1,12,000 रु० केवल सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह देने के लिए करती है। तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संभव है कि मेरा यह निवेदन बहुत बड़े

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

एक्सपर्ट्स के सामने बिलकुल ठीक न बैठे, लेकिन जब प्राइवेट फर्म्स और इन्डस्ट्रियल फर्म्स पर आप यह लागू करते हैं कि 4 दिन से ऊपर का सस्पेन्शन नहीं होगा तब हमारे यहाँ पर 2-3 साल और 5 साल से सस्पेन्डेड गजेटेड ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए मैं यह सोचता हूं कि इसके सम्बन्ध में बहुत बड़ी तरमीम होनी चाहिए। कम से कम 1 महीने – 6 महीने भी मुझे ज्यादा लगते हैं—एक महीने से ऊपर का सस्पेन्शन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, और चार्जशीट दें उसी के साथ में सस्पेन्शन होना चाहिए। आजकल सस्पेन्शन पहले हो जाता है और चार्जशीट साल-साल भर तक नहीं दी जाती है। नतीजा यह होता है कि ऑफिसरों के अन्दर में बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती रहती है, और लम्बे अर्से तक न तो चार्जशीट दी जाती है और न समय पर अपना निर्णय कर पाते हैं और न समय पर आपका विजिलेन्स कमीशन निर्णय कर पाता है।

आपने मेरिट्स के लिए प्रोसेस तय किया है और कैश प्राइज देना तय किया है। इसके बाद भी जो शासन तन्त्र चल रहा है उसके आधार पर जो यहां के सेक्रेटेरियेट में कागज ढेरों पड़े रहते हैं और दिनों तक नहीं मिलते हैं। मेरा खुद का एक केस में काम पड़ा। मेरे एक मित्र जो कि गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं उनका साल भर हो गया कागज नहीं निकल रहे हैं। जब मैं खुद सेक्रेटेरियेट में जाकर बात करता हूं तो एक ही बात सामने आती है कि प्रोसेस में चल रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यहां डेलिगेशन आफ पावर्स भी हो गये हैं और निर्णय के लिए भी अधिकारी नियुक्त हो गये हैं, लेकिन जितनी भी बीच की स्टेजेज हैं, जैसे लोअर डिविजन क्लर्क के ऊपर अपर डिविजन क्लर्क, फिर सैक्शन ऑफिसर और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी के पास आता है जो कि निर्णय करने के अधिकारी हैं उनके पास कागज पहुंचता है। उसके बाद न मालूम एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट में और किस किस प्रोसेज में रोता फिरता है। तो मेरा निवेदन है कि यू० डी० सी० का क्लास को आप खत्म करदें और एल.डी.सी. जो रहता है वह डाइरेक्टली जिस अधिकारी को निर्णय करने का अधिकार है उसके पास लेकर चला जाय तो उसके ऊपर जिम्मा है, नहीं तो जिम्मेवारी कहीं ट्रेस नहीं कर सकेंगे। नतीजा यह हो रहा है कि कागज की लौटा-फेरी में एडमिनिस्ट्रेशन बदनाम हो रहा है।

सैकिण्ड चीज मैं यह निवेदन करूं कि आपकी सैक्रेटेरियट सर्विस ट्रान्सफरेबल हो तो यह मेरा न तो अनुभव है न ज्ञान है लेकिन सेक्रेटेरियेट की जो छोटी सर्विस है वे ट्रान्सफरेबल नहीं हैं और ऊपर का जितनी सर्विसेज हैं सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी उनकी तो ट्रान्सफरेबल है लेकिन लोअर कैडर की सर्विसेज ट्रान्सफरेबल नहीं हैं। उसके पीछे कुछ एलाउन्स, कुछ स्पेशल पे है, और यह माना जाता है कि सेक्रेटेरियेट सर्विसेज ज्यादा बैटर हैं और उनको इसी काम में लगाया जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट इस पहलू पर विचार करे और सेक्रेटरियट की सर्विस को ट्रान्सफरेबल बनायें तो उसमें सुधार हो सकता है। यह मेरा सजेशन है कि सेक्रेटेरियट की सर्विसेज का ट्रान्सफर होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

तीसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हमारे यहां पर कार्डिनेशन हो रहा है उसके अन्दर आपने तरह तरह के सुधार करने का प्रयत्न किया है। इसके अन्दर कार्डिनेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अन्दर होता है, चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरीज का कार्डिनेशन करता है, हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स का कार्डिनेशन होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कार्डिनेशन होता है, फिर भी आज सब इनकार्डिनेटेड हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने एक ट्रेनिंग स्कूल खोला है, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता लेकिन हम जिस समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं उसमें हमारी सर्विसेज साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग, जो राजनीति को लेकर सेक्रेटेरियट में बैठे हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। वह जगह जगह हमारा प्लान किस तरह से अनसक्सेसफुल हो – यह प्रयत्न करते हैं। साथ ही वह अधिकारी भी काफी हैं जो हमारी सरकार की नीति के पालन में सदैव जुटे रहते हैं। और हमारे यहां जो ट्रेनिंग स्कूल है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का स्कूल है वह भी समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हो, इस बात की ट्रेनिंग उनको देता है, एक्सपर्ट ट्रेनिंग देता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आज जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है, कुछ दिनों से चल रहा है वह यह है कि क्या सर्विसेज इम्पार्सियल रहें या जो पार्टी आये उसके अनुकूल बनती चली जाये। यह बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हमारे वर्तमान फूड मिनिस्टर ने विचार व्यक्त किए हैं कि सर्विसेज को इम्पार्सियल नहीं रहना चाहिए और पार्टी के साथ रहना चाहिए। हमारे केन्द्र में जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उनका विचार है कि सर्विसेज का इम्पार्सियल करेक्टर होना चाहिए और लालबहादुर शास्त्री के वक्त में तो संविधान के आर्टिकल 309 को अमेंड करने की चर्चा भी चली थी। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार इस सदन के सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन केवल एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे यहां जो कमेटी होती है, प्लान को, पालिसी को फार्मुलेट करने के लिए कमेटी होती हैं, उनका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन हमारे आर्डर्स का, हमारे निर्देशों का पालन करने के लिए कमेटी वर्क कर रही है उनके कारण से तो समय ही खराब होता है और प्लान एक्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इसलिए फार एक्जीक्यूशन ऑफ आर्डर्स, एक्जीक्यूशन ऑफ डाइरेक्शन, एक्जीक्यूशन ऑफ प्लान, इनके लिए जो कमेटी बनी हैं, मैं समझता हूं कि इनसे अधिक कार्डिनेशन नहीं होकर इनकार्डिनेशन होता चला आ रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यू०डी०सी० कम कर दिये जाएं, एल०डी०सी० का डाइरेक्ट अधिकारी से सम्पर्क हो जाय तो सेक्रेटेरियट की बहुत सारी समस्यायें और मसले हल हो सकते हैं। इसके अलावा जो कमियां है, जो अभाव हैं वह पर्सनल्स की कमियां और अभाव हैं। इसको दूर करने के लिए जो प्रयत्न राजस्थान सरकार द्वारा हुए हैं, उनको मैंने देखा है और राजस्थान सरकार के द्वारा दूसरे प्रांतों के मुकाबले में इन कमियों और अभावों को दूर करने के लिए, और नेपोटिज्म और करप्शन को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यह चीजें आज हैं इसलिए अधिक डेलीगेशन ऑफ पावर किया जाय।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आपने बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा सबसे ज्यादा है यह गलत है, इसके मेरे पास फिगर्स हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का सामान्य प्रशासन का जी०ए०डी० का खर्चा 2.9 से ऊपर नहीं जाता है, 8.55 टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, जिसमें न्याय प्रशासन भी है, पुलिस भी है, जेल भी है और पूरे हिन्दुस्तान में इस दृष्टि से सबसे नीचे बिहार है, फिर आठवां नम्बर राजस्थान का आता है और ऊपर काश्मीर है, जिसका 24.45 है...

श्री रामकिशन : वह सेन्ट्रल पुलिस के खर्चे के शामिल होने की वजह से है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुछ भी कह दीजिए, पुलिस का खर्च है या नहीं इस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि आज पुलिस का आइटम नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग पर विचार किया जा रहा है। इस मांग के सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर साढ़े चार बजे दिया जायगा। अब अधिक से अधिक भाषण की समय सीमा दस मिनट।

श्री डूंगाराम राजोरिया !

श्री भैरोंसिंह : हम तो रह गये। पार्टी का ही नम्बर नहीं आया !

श्री जुझारसिंह : हमारी तरफ से भी किसी का नम्बर नहीं आया !

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : दस मिनट में क्या होगा ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज सामान्य प्रशासन की डिमाण्ड पर विचार हो रहा है, सामान्य प्रशासन ...

श्री भैरोंसिंह : रामकिशन जी के आदमी सात लेकिन पैंतालीस मिनट का टाइम मिला और हमें दे रहे हैं दस मिनट।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा रख लें कि केवल भैरोंसिंह जी बोलें और प्रेस और हम चले जायं। एक दिन पूरे टाइम यह बोलें।

श्री भैरोंसिंह : वह तो किसी दिन खाने के लिये निमंत्रण दे दूंगा। जो सुनाऊंगा वह आप सुन लेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : (दौसा सु.) उपाध्यक्ष महोदय, आज सामान्य प्रशासन, भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते तथा विविध विभागों की मांग पर विचार हो रहा है। मैं सबसे पहले सामान्य प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन देश का, एक राज्य का प्रशासन का एक ढांचा है जिसके माध्यम से सरकार चलाई जाती है और जिसके माध्यम से नागरिकों को सरकार के द्वारा सुविधायें दी जाती है। इसके द्वारा ही जो जन कल्याण के कार्य कराये जाते हैं यह किस प्रकार से कराये जायं और इसके साथ ही राज्य में जितनी डिफिकल्टी होती हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाय इस सम्बन्ध में व्यवस्था होती है। वास्तव में

(श्री डूंगाराम रांजोरिया)

प्रशासन सारे देश के लिए, हर देश के लिए एक आवश्यक चीज होती है। हमारे देश में प्रशासन का ढांचा पहले से चला आ रहा है और जो ढांचा पहले था उसके अन्दर अब परिवर्तन और सुधार करके उसको दूसरा रूप दिया गया है। प्रशासन के द्वारा ही पहले जो शक्तिशाली लोग थे, जो राजा लोग थे वह अपना राज्य बनाते थे और उसको कायम रखते थे और इसके द्वारा ही वह जनता को भी सुखी रखने की हर सम्भव कोशिश करते थे और समाज में, राज्य में किसी प्रकार की कोई हरकत होती तो उसको मिटाने की कोशिश करते थे और उस राज्य पर कोई दूसरी शक्ति चढ़ कर आती थी तो उस मुश्किल और मुसीबत से भी जनता को बचाने की कोशिश किया करते थे। इस प्रकार यह प्रशासन सदियों से चला आ रहा है। जैसे जैसे जमाने ने उन्नति की, जैसे जैसे व्यक्ति प्रशासन को समझने लगे उसी प्रकार से प्रशासन में भी परिवर्तन आते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यहां राजाओं का राज्य था, उसके बाद में अंग्रेजों की हुकूमत थी उस हुकूमत में, मैं जहां तक समझता हूं, गांधीजी वगैरह-इन बड़े लोगों ने यह महसूस किया कि यह अंग्रेज जो हमारे पर हुकूमत करते हैं, यह एक तरह से हमें नीचा समझते हैं और अपने राज्य में हमें किसी प्रकार की सहूलियत नहीं पहुंचाते हैं और जो हमारे से नीचे, पिछड़े हुए तबके हैं, उनको जहां राजाओं का राज्य है वहां किसी प्रकार की सहूलियत नहीं है राज्य में जिस प्रकार से सबका विकास होना चाहिए वह भी उनके राज्य में नहीं हो पाता है। इस प्रकार के उद्देश्यों पर देश के नेताओं ने विचार किया और फिर देश के अन्दर आजादी को हासिल किया। इस प्रकार के विचार पहले अपने दिमाग में लिये और बाद में देश में आजादी हासिल की। इसी प्रकार से अपने देश में जो राज्यों के अन्दर रहने वाले लोग थे, जो जनता थी उसने भी आजादी हासिल की और फिर अपने राज्य का चहुंमुखी विकास करने की कोशिश की। तो यह उद्देश्य था हमारे राज्य का कि हम हमारे राज्य को सुदृढ़ बनायेंगे, हम हमारे राज्य की जनता को लाभ पहुंचायेंगे और हमारे राज्य के अन्दर जितना गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको जिस प्रकार से पहले के प्रशासक दबाये हुए थे, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश की जायगी। इस प्रकार आजादी प्राप्त करने के बाद में यह प्रशासन की स्थिति बनाई गई।

इसके साथ ही साथ दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस देश ने भी आजादी हासिल की, उसने अपने यहां का कान्स्टीटयूशन बनाया, नियम बनाये और उनमें इस प्रकार का प्रावधान किया कि प्रशासन को किस तरह से चलाया जाय, हर व्यक्ति को किस तरह से लाभ पहुँचाया जाय। तो हर राज्य ने आजादी हासिल करने के बाद अपने अपने देश में इस प्रकार के संविधान बनाये हैं, इस दृष्टि से नियम बनाये हैं। हमारे देश में भी आजादी के बाद इस तरह का संविधान बनाया गया उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान रखे कि उससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति को लाभ मिले, जो छोटा है उसको ऊपर उठाया जाय और जो बड़ा है उसे बराबर में लाया जाय। इस प्रकार की बातें हमारे संविधान में रखी गई। पर आज 22 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे देश में जब कि हम सोचते थे कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

22 साल की आजादी के बाद भी न तो केन्द्रीय सरकार ने और न किसी राज्य सरकार ने ऐसे काम किये हैं जिससे कि देश के निवासियों को समान स्तर पर लाया जाय। यह कार्य सामान्य प्रशासन के जरिये ही होना चाहिये था पर इस प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। लोक सभा में और विधान सभाओं में जो पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रतिनिधि रखे गये हैं वे इसी उद्देश्य से रखे गये थे, उनको रखने का उद्देश्य यह था कि जो पिछड़े हुए तबके हैं उनमें लिये जो सुविधाएं संविधान में रखी गई हैं, वे पूरी सुविधाएं उन लोगों को दिलायें और पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की कार्यवाही करें। पर वह प्रतिनिधित्व तो दिया गया लेकिन इन पिछड़ी कोमों को ऊपर उठाने का जो इसके पीछे उद्देश्य था वह न तो केन्द्रीय सरकार ने ही पूरा किया और न राज्य सरकारों ने ही। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि यहां प्रशासन है, उसमें जितने अधिकार पिछड़े हुए तबकों को ऊपर उठाने के लिये दिये गये हैं, उनका कहां तक पालन हुआ है। यह मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

जिन जातियों की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति इस प्रशासन से ठीक की जा सकती थी, वह नहीं करके, जिस आदमी के हाथ में लकड़ी आई वही लेकर भाग गया, जिसके हाथ में डिपार्टमेंट लग गया वही लेकर भाग गया। इस प्रकार की पोजिशन हमारे राज्य में है इसे कैसे पूरा किया जाय, यह राज्य करने वाली पार्टी के लिये विचारने की बात है। वैसे राज्य सरकार बार बार आश्वासन देती है कि संविधान में जो अधिकार हैं वे इन लोगों को देते आये है और देते रहेंगे पर जो विश्वास दिलाते हैं उसमें से एक आना भर काम भी राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया है।

प्रशासन के बारे में मुख्य मंत्रीजी से एक शिकायत तो यह है कि $12\frac{1}{2}$ परसेंट नौकरियों में रिजर्वेशन के बजाय जो 28 परसेंट रिजर्वेशन पिछड़ी जातियों के लिये रखा है, उसके आंकड़े नहीं रखे हैं। मैंने तो जब से मैं इस विधान सभा में आया हूं, हर विभाग के आंकड़े यहां रखे गये हैं, उनकी बिना पर प्रशासन में शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा है, उसके आंकड़े उपलब्ध होने चाहिये थे जिससे हम महसूस करते हैं कि साढ़े बारह प्रतिशत का कोटा यहां तक पूरा हो गया है। यह मेरी शिकायत है, मैं तो यह आरोप लगाऊंगा कि राज्य सरकार साढ़े बारह प्रतिशत और 28 प्रतिशत की बात तो दूर रही, एक दो परसेंट भी इस कोटे को पूरा नहीं कर पाई है, इसी कारण से वह इस प्रकार के आंकड़े हमारे लिये उपलब्ध नहीं कराती है। इसीलिये उन आंकड़ों को उपलब्ध नहीं कराती है कि इस प्रशासन ने इन जातियों के लिये रिजर्व्ड कोटे को एक या दो प्रतिशत भी पूरा नहीं किया है। मेरी यही शिकायत हर सैशन में रही है। सरकार यह करती है कि आंकड़े दिये तो 20 साल के आंकड़े नहीं दिये इस साल के आंकड़े दे दिये। यह मेरी हमेशा से शिकायत रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने आई. ए. एस. हैं और उनमें कितने पिछड़े वर्गों के लोग हैं, किस विभाग में कितने आर. ए. एस. व्यक्ति हैं जब तक सरकार विभागों में पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देगी तब तक अनुसूचित जाति व जनजाति का विकास नहीं हो सकता।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

अभी तो मुझे और कई बातें कहनी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको दस मिनट का समय दिया गया था ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : तो सभापति महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा यह शिकायत मैंने बार बार सदन में रखी है और सरकार बहाने करती रहती है, इसलिये मैं चाहूंगा कि हमें हरसाल के पूरे आंकड़े इस साढ़े बारह परसेंट और 28 परसेंट रिजर्वेशन के मिलने चाहिये कि इतना तो कर दिया है और इतना और कर देंगे ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आज का जो प्रशासन है, वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उत्तराधिकारी है। जहां से यह प्रशासन आया है और जो अवगुण इसमें रहे थे, उनको आज भी हम नहीं छोड़ पाये हैं। उसकी जो भावनाएं स्वतन्त्र राष्ट्र में होनी चाहिये कि जो राष्ट्र की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझें, जो स्वतन्त्र भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की भावना हमारे प्रशासन में होनी चाहिये, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह भावना आज तक हम नहीं पनपा पाये हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लोग सात समन्दर पार से यहां आकर हुकूमत करते थे तो वे विश्वास के साथ हुकूमत नहीं करते थे, कागज पत्रों से अविश्वास की नजर से राज्य किया जाता था और आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में मूलभूत वही चीज मौजूद है । आज हमारे अधिकारी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते । हमारे यहां के जितने कायदे कानून बने हैं सब में अविश्वास की भावना है । और यही कारण है कि जो स्वातन्त्र्य का गुण हमारे यहां के प्रशासन में आना चाहिये था वह नहीं आ पाया है । आज के प्रशासन में कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता । हरएक अपनी जिम्मेदारी को टालना चाहता है । कोई अधिकारी इस जिम्मेदारी को छाती ठोककर नहीं ले सकता कि राष्ट्र की सम्पत्ति मेरी सम्पत्ति है, इसका जो कुछ करना है, मुझे करना है । वह गुण आज हमारे प्रशासन में नहीं है । आज प्रशासन की यह दशा हो रही है कि एक कागज आता है तो जब तक उस कागज को परस्यू करने वाला उस कागज के नत्थी होकर साथ साथ नहीं चले तो उस कागज का कहीं पता ही नहीं चलता । सेक्रेटेरियेट में कोई कागज जाता है तो चाहे कोई कितनी ही कोशिश करे पर काम समय पर नहीं किया जा सकता, वक्त की बरबादी होती है और जनता को पूरा पूरा हरेसमेंट होता है । आज जनता में जितना असंतोष है उसका 40 प्रतिशत कारण प्रशासन का यह इस तरह का तरीका है । आज इतनी ढिलाई प्रशासन में है कि आदमी एक अर्जी देता है और परेशान होकर निराश होकर बैठ जाता है । इसलिये मैं कहूंगा कि आज का जो यह हमारा प्रशासन है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हमें अपने तरीकों को बदलना होगा । कई तरह की कमेटियां बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

में सुधार लाने के लिये कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स आई पर हमें अफसोस के साथ यह मंजूर करना होगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सुधार नहीं हुआ। बल्कि हम देखते हैं कि हालत बद से बदतर होती चली गई। अंग्रेजों के वक्त में, रियासतों के समय में काम आज से जल्दी होता था, लोगों को हरेसमेंट नहीं होता था पर आज लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, काम होने में अत्यधिक देरी होती है और आज जनता में यह भावना घर कर गई है कि बगैर सिफारिश के कोई भी काम नहीं हो सकता। आज हरएक व्यक्ति के मुंह से आप यही सुनेंगे कि जब तक वायर पुलिंग नहीं हो, जब तक कोई सिफारिश नहीं हो, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। यह अपने आप में बहुत बुरी चीज है। इसके लिये मैं केवल प्रशासन को दोष नहीं दूंगी और न केवल मंत्रिमण्डल को दोष दूंगी, बल्कि हम जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हैं, वे भी इसके लिये उतने ही जिम्मेदार हैं। आज सिफारिश की मनोवृत्ति इतनी बुरी फैली हुई है कि बिना सिफारिश के कोई काम होता ही नहीं है। हम जानते हैं कि इस सिफारिश की प्रवत्ति से न अधिकारी खुश हैं, न हम खुश हैं और मंत्रिमण्डल भी खुश नहीं होगा पर आज सिफारिश की बात इतनी चल गई है कि बिना सिफारिश के कोई काम होता ही नहीं है। यह बहुत मुमकिन है कि कई लोगों को ऐसा शौक होता है कि उनके पास कई लोग आवें और उनके लिये वे सिफारिश करें, कई मंत्री भी ऐसे होंगे जिनको सलाम का चस्का लग गया है, वे चाहते हैं कि हमारे पास लोग आयें और हम उनकी सिफारिश करें।...

एक माननीय सदस्य : ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जो चाहते हैं कि लोग हमारे पास आयें और सलाम करें ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस सिफारिश की प्रणाली को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि शिक्षा विभाग में इस तरह के तबादलों की शिकायतें आती हैं, तो उनकी यूनियन हैं, दो तीन यूनियन के आदमी रखलें और दो तीन अधिकारियों को रख लिया जाय और जो शिकायतें हों तो तबादलों का काम वहीं सलट लिया जाय। लेकिन यह देखने में आता है कि मंत्रियों को शौक लगा हुआ है तबादले अपने हाथ में रखने का, तबादले वे करें वरना उनको क्या जरूरत है कि छोटे छोटे तबादलों में खामखाह नुक्ताचीनी करें ?

प्रशासन में नान-प्लान खर्चा बहुत ज्यादा है और प्लान का खर्चा बहुत कम है। हम ऐसा देखते हैं कि प्रशासन पर जितना खर्चा होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल तनखाओं में बंटता है, हमारा पैसा रचनात्मक कामों के लिए नहीं लेकिन बहुत बड़ी राशि केवल तनखाओं पर जाती है। इसका सबसे सुन्दर उदाहरण है पंचायत राज जिस पर सालाना 3 करोड़ खर्चा होता है आज उसके पास कोई रचनात्मक काम न होने से केवल तनख्वाह बांटने की मशीनरी मात्र हो गया है। हमारे प्रशासन में तनख्वाहों पर ज्यादा खर्च करना और कामों पर कम करना, इस तरह का सेट-अप कर दिया है। चाहें ओटोनोमस बोडी हो जैसे साहित्य अकादमी हो, संगीत नाटक अकादमी हो, उनको देखा है तो उनका ढांचा इस तरह से चलता है कि सृजन करने के लिए रुपया नहीं है। 65 प्रतिशत केवल तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

हमारे प्रशासन में सबसे पहले इसकी ओर देखना पड़ेगा कि हम प्लानिंग पर ज्यादा खर्च करें और नान प्लान पर कम। बार बार सवाल आता है किफायतशारी का। जैसे चीन व पाकिस्तान के आक्रमण से पहले खर्चा अंधाधुंध चला आ रहा था उसी तरह से अंधाधुंध हो रहा है लेकिन किफायतशारी कहीं नहीं होती है। अगर यह किफायतशारी खर्चे पर रखें तो सबसे ऊंचा जो तबका बैठा है उसको अपनी किफायत-शारी करनी होगी। ऊपर जो मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं, ऊंचे अधिकारी हैं, वह अपने यहां किफायतशारी नहीं करते तो नीचे वाले सोचते हैं कि हम क्यों करें, उसका दूसरे लोगों पर बुरा रीऐक्शन होता है।

जब एस्टीमेट्स कमेटी के दौरे का सवाल आया, तो हमने कहा कि जब मंत्री दौरे कम नहीं करते हैं तो हम ही क्यों करें। अपने आप में रीऐक्शन हुआ। इसी तरह और लोगों पर भी रीऐक्शन होता है। मुख्यमंत्रीजी से मैं इन मंत्रियों के खर्चे के बारे में कहना चाहती हूं क्योंकि आज जब मैंने कटौती प्रस्ताव देखे तो शायद 60 प्रतिशत कटौती प्रस्ताव मंत्रियों के खर्चे को लेकर है। इसलिए उनसे निवेदन करूंगी कि जो बेकार मंत्रियों के दौरे होते हैं ये एकदम ···

श्री अध्यक्ष : बेकार दौरे होते हैं या मंत्री ही बेकार हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी : बेकार मंत्रियों के बेकार दौरे होते हैं। इसके अलावा इमीजियेट काल्स का खर्चा है। टेलीफोन्स पर इतना खर्चा क्यों? इमीजियेट काल्स बुक करते हैं। जब आफिस में बैठे हुए हैं, आर्डिनरी ट्रंक काल्स से काम चला सकते हैं, अर्जेंट की भी जरूरत नहीं। वहां इमीजियेट काल्स बुक होते हैं, इसको घटाया जा सकता है।

हमारे कुछ मंत्री ऐसे हैं, खास तौर से उपमन्त्री जो दिल्ली में डेरा लगाकर बैठेते हैं, आखिर किस कारण से ? उनका काम क्या है ? मुख्यमंत्री को उनको स्पष्ट आदेश देने चाहिए तब वे दिल्ली जायं, वरना उपमंत्रियों का दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं होता है। दिल्ली जायं तो मुख्यमंत्री की इजाजत लेकर जायं या अपना काम बतायें। आज जब हम इधर उधर जाते हैं, किसी सड़क पर निकलते हैं तो एक झंडी उड़ती हुई कार जरूर मिल जाती है। आम जनता पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। मंत्रियों की इज्जत में फर्क आता है और लोगों को हंसी उड़ाने का मौका मिलता है।

समय बहुत कम है। प्रशासन पर मुझे कहने को बहुत है लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान छोटी छोटी बातों की ओर जी० ए० डी० मंत्री का खींचना चाहती हूं। सबसे पहले है विधायक होस्टल। मैं करीब करीब सारे राज्यों के विधायकों के होस्टल्स में जाकर ठहरती हूं। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहती हूं कि इतना गन्दा होस्टल विधायकों का, कहीं नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां खटमल है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मकान अच्छा है दरियां गंदी है और जिस तरह से दूसरी गंदगी है उसका मुकाबला हिन्दुस्तान के किसी राज्य के एम०एल०ए० हास्टल से नहीं। वहां के हाल की जब

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कभी मंजूरी लेनी होती है तो विधान सभा से अलग और जी०ए०डी० से अलग इजाजत ली जाती है। तीन दिन दौड़ने के बाद जाकर किराये पर लेने की मंजूरी मिलती है। बेहतर होगा कि आप इसे विधान सभा को सौंप दें जिस तरह से दूसरे राज्यों में विधायकों के हास्टल्स विधान सभा के अधीन होते हैं। दूसरे देशों से लोग आते हैं, वहां ठहरते हैं और सब कुछ तारीफ करेंगे और जाते समय धीरज से कहेगा कि आपका हास्टल गन्दा है, अच्छा नहीं। इसको सुधारना चाहिए।

तीसरी मेरी मांग है जयपुर शहर की गंदगी के बारे में, जो दुनिया का पिंक सीटी के नाम से जयपुर शहर मशहूर था, अगर उस पिंक सीटी को डर्टी सिटी कहा जाय तो उत्तम होगा। गलियों में जाने से ऐसा लगता है कि नर्क में भी इससे ज्यादा गंदगी नहीं होगी। एम० आई० रोड पर जहां कारें खड़ी रहती है, जो सारे शहर की नाक है, वहां पानी भरा रहता है। इधर हम टूरिस्ट्स को जयपुर शहर का लुभावना नाम देकर बुलाते हैं और वे आकर गंदगी देखते हैं। कम से कम जो हमारी राजधानी है, जो एशिया का सबसे पहला प्लान्ड सिटी कहलाने का गौरव रखता है, उसकी आज जो भ्रष्ट दशा हुई है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

मैं एक दिन अमृतपुरी गई थी वह शायद हमारे अमृतलालजी यादव के नाम पर लोकेलिटी बसाई गई है और अनुसूचित जाति के लोग वहां रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वहां अमृतपुरी में जिस तरह से कीचड़ भरा हुआ है, सड़क पर सूअर कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं, इतनी गंदी इतनी सूगली साइट मैने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब आप हरिजनों को एक लोकेलिटी में बसाते हैं और हरिजन मंत्री के नाम पर कॉलोनी बसाते हैं तो उसकी यह दशा? बेचारे अनुसूचित जाति के लोग ऐसी गन्दी बस्ती में रहते हैं आपने उनको नई बस्ती में बसाया है। एक फर्लांग तक कीचड़ में सूअर लथपथ होकर घूम रहे थे। तो जयपुर की यह दशा हो रही है।

नगर न्यास में वहां जितना पोल खाता हो रहा हैं, वह बहुत ही कम विभागों में····

(घंटी)

मैं बैठ जाऊंगी! सिर्फ नगरपालिकाओं के बारे में निवेदन करूंगी। इधर प्रशासन में सरप्लस लोग हैं, दूसरी ओर नगरपालिकाओं की हालत यह है कि कई नगरपालिकाओं में सेक्रेटरी नहीं है। बार बार देवगढ़ नगरपालिका के लिए लिखा गया कि कुछ काम नहीं चल रहा है, उसको सेक्रेटरी दिया जाय। आप कहते हैं कि नयी भर्ती होगी तब दिया जायगा, यह असंतुलन समझ में नहीं आता। आज हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है तो क्या समस्या है कि मौके पर सेक्रेटरी नहीं दिया जाता। बेकार लोगों के झुंड घूम रहे हैं तो उधर समय पर अधिकारी नहीं दे पाते।

(4. म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे कटौती प्रस्तावों के

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सम्बन्ध में संक्षेप में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में मंत्रियों के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा। बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिले के सिवाय शायद किसी दूसरे जिले का दौरा नहीं किया है। सिवाय अपने निर्वाचन क्षेत्र के और कहीं का शायद ही उन्होंने दौरा किया। या तो उनको जनता जानती नहीं या उनको कहीं से निमन्त्रण नहीं मिलता। बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो यहां से गंगानगर गये, वहां से दिल्ली और जयपुर पहुंच गये। मंत्रिमण्डल की ओर से निर्णय होना चाहिये कि किस कार्य के लिये मंत्री दौरा करें, चाहे राजस्थान का दौरा करें या अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें, उनको केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये ताकि सरकार को भी मालूम हो सके और इस पर सरकार को सोचना चाहिये।

मंत्री लोग अपने प्रभाव का कहां तक दुरुपयोग करते हैं इसके लिये उदाहरण के रूप में निवेदन करना चाहूंगा। राज्य के वित्तमंत्री ने अपनी लड़की की शादी में अपने मकान की रंग सफेदी, पी. डब्लू. डी. के कर्मचारियों और मजदूरों से करायी, मरम्मत आदि भी करायी। मैंने 8 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठियां लिखीं और टेलीग्राम भी दिये। 15/20 दिन के बाद मुझे मुख्य सचिव का लैटर मिला कि मैंने जांच करली है। पी. डब्लू. डी. के कर्मचारी और मजदूरों का उपयोग हुआ है उसका उन्होंने पैसा जमा करा दिया है। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। शायद कोई फरनीचर हो और सामान हो जिसके लिये तो नियम बने हुए हैं जिसका पैसा जमा करा दिया जाय लेकिन रंग सफेदी में कितना सामान लगा, कितना रंग लगा, कितने कर्मचारी लगे थे और किस प्रकार उनका पैसा जमा कराया गया यह समझ से बाहर की बात है। उसके बाद मैंने दो बार चिट्ठी लिखी लेकिन कोई जवाब नही आया।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो कार्यवाही की जाती है उसके अन्दर बहुत अनावश्यक देरी होती है मैंने सवाल पूछा था तो उत्तर में बताया गया कि पांच सात साल पूर्व के केसेज हैं। जो ईमानदार आदमी हैं, जो ईमानदार अधिकारी हैं; उनके मुकाबले में जो अधिकारी गल्तियाँ करते हैं उनको प्रोत्साहन मिल जाता है और ईमानदार अधिकारियों को नहीं मिलता। कई दफा सदन में सवाल उठाये गये और यह कहा भी गया कि निर्णय ले रहे हैं कि कोई सरल प्रोसिजर हो, निर्धारित समय में इन्क्वायरी हो जाय और फैसला हो जाय लेकिन इस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसके अलावा राजस्थान अपीलेन्ट और रेवेन्यू बोर्ड ये दो तो ऐसी अदालतें हैं जिनमें जनता का और खासतौर से किसान का ज्यादा सम्पर्क रहता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें पांच चार साल होना तो एक स्वाभाविक बात है और इतने लम्बे अर्से तक जमीनों के झगड़े में निपटारा न हो यह बड़े खेद की बात है। या तो राज्य सरकार को यह आदेश देने चाहियें कि निर्धारित समय

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में फंसने हो जायं और काम ज्यादा हो तो अतिरिक्त न्यायाधीश या अपीलेट अथोरिटी को नियुक्त करना चाहिये ।

इसके अलावा अपोइन्टमेंट और प्रमोशन्स के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की धांधलियां की जाती हैं जिनकी आये दिन विधान सभा में चर्चा होती रहती है । वित्त मंत्रीजी ने अल्प बचत और लोटरी विभाग में एक डिप्टी डाइरेक्टर प्रचार के लिये नियुक्त किया है । इस कर्मचारी ने इस विभाग में सेवा नहीं की है और न ही दूसरों की सिनियोरिटी वगैरह का ध्यान रखा गया है वैसे ही अपनी मर्जी से नियुक्ति कर दी है ।

नगरपालिकाओं में अपोइंटमेंट के लिये भी अलग बोर्ड बनाया गया है । वहां से सलेक्शन होने पर नियुक्ति करेंगे । न तो उस सलेक्शन कमीशन ने सलेक्ट किया और बिना सलेक्ट हुए एक अधिकारी को छः महीने ही लगाया जा सकता है लेकिन दो-दो वर्ष तीन-तीन वर्ष से काम कर रहे हैं और सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, संसार में जितने प्रकार के राजतन्त्र होते हैं उनमें सबसे ऊंची प्रणाली लोकतन्त्रीय होती है । अगर इस लोकतन्त्र में वहीं भ्रष्टाचार पनप गया तो इससे अधिक भ्रष्ट प्रणाली और कोई नहीं हो सकती । राजस्थान में पिछले 22 वर्षों से लोकतन्त्र के प्रति प्रशासन की असफलता और अकुशलता के कारण लोगों का मानस लोकतन्त्र से गिर रहा है । लोगों में एक आस्था होती है । एक तरफ तो राजनैतिक आधार के ऊपर देश में प्रशासन में कुशलता कांग्रेस के गत 22 वर्ष के शासन में आनी चाहिये थी लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके मुकाबले में दिन ब दिन लोगों का मानस गिर रहा है । कांग्रेस वाले आज प्रशासन में कुशलता की बात करते हैं, कटौती की बात करते हैं और खर्च में कमी की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान का यह भारी भरकम मन्त्रिमण्डल जिसमें 40 मन्त्री हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है । कई मंत्री तो ऐसे हैं जो तबादले और परिवर्तन का काम करते हैं झालावाड़ जिले के एक डिप्टी मिनिस्टर हैं श्री कन्हैयालालजी पटेल । उनका यह रोज का काम है कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार और एस. डी. ओ. का तबादला कराना । इसलिये कोई भी राज्य कर्मचारी अपने आप यह महसूस नहीं करता है कि इतने दिन तक जिले में मुस्तकिलतौर से रह सकूंगा । इससे उनका मनोबल गिरता है । इससे प्रशासन में काम करने की क्षमता गिरती है । मुख्य मंत्रीजी से स्पेशल तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम लोगों में और कर्मचारियों में जो मनोबल गिर रहा है, प्रशासन में जो रोज ब रोज हस्तक्षेप हो रहा है उसको तो कृपया रोकियेगा । आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि किस आधार पर यह परिवर्तन किये जाते हैं । एक हरिसिंह नाम के कर्मचारी को उन्होंने अपने पास रखा है जो अफीम का स्मगलर, चोर बाजार आदि धन्धे करने वाला था वह आम मशहूर हो गया कि आपको कोई तबादला कराना हो, तरक्की करानी हो तो मुझसे मिलिये । लोग

(श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा)

उसको पकड़ते हैं। अफीम का स्मग्लर, चोर बाजारी से आज जिले का एजेन्ट हो गया है इससे आपका प्रशासन बदनाम होता है और सरकार की भी बदनामी होती है। इसलिये आप इस प्रकार की अनियमितता और अव्यवस्था जो झालावाड़ जिले में हो रही है, उसको रोकियेगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने पिछले 22 वर्ष में लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति लूज होने के नाम पर लाठी चार्ज और गोली वर्षा की, अंग्रेजों के राज्य में भी ऐसी लाठी वर्षा और गोलीकांड नहीं हुए होंगे। समाजवादी अपने आपको घोषित करते हैं और इतना बड़ा कलंक राज्य के किसी मुख्य मंत्री के काल में लगे कि इतनी लाठी वर्षा और गोलीकाण्ड किये तो क्या फर्क है। आपके प्रशासन और राजा-महाराजाओं के प्रशासन में क्या फर्क है? लाठी और गोली चलाकर इस प्रशासन की व्यवस्था करना, प्रशासन की व्यवस्था का यह कोई साधन नहीं है। पिछले दिनों....

श्री रामचन्द्र आर्य : राजाओं के जमाने में बेईमानी कम थी और सुखाड़ियाजी के शासन में ज्यादा, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है।

श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा : अभी पिछले दिनों....

श्री उपाध्यक्ष : आपस में चर्चा नहीं करें माननीय सदस्य....

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : एक साधारण-सी घटना अभी पिछले दिनों झालावाड़ में हुई। झालावाड़ के अन्दर लड़कों का एक जूलूस निकल रहा था। इस सिलसिले में वहां के कलेक्टर, एस. पी. ने लाठी चार्ज कर दिया और इसके बाद भी बच्चों के साथ मारपीट की गई। आप प्रशासन के लिये, लॉ एन्ड ऑर्डर लूज होता है तो गोली चलायें इससे हम इन्कार नहीं करते हैं। परन्तु यह कौनसी इन्सानियत है कि आप लाठीचार्ज करते हैं लड़कों पर और लाठी चार्ज के नाम पर लोगों के मकानों में घुस जाते हैं, मरीजों को खाटों से घसीटा जाता है और उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की की जाती है और आप यहां पर यह कहें कि प्रशासन की व्यवस्था के लिये गोली चलानी पड़ती है तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा भारी कलंक है कांग्रेस शासन के लिये, आज आप एक साधारण से बच्चों के जुलूस पर भी लाठीचार्ज करते हैं। खैर, इस बात को आप अच्छा मानते हैं कि लाठीचार्ज होना चाहिये तो मानें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के प्रशासन की अकुशलता की वजह से जनता में कैसा जनमानस बनता जा रहा है। जो जनमानस बनता जा रहा है वह एक विद्रोहात्मक बनता जा रहा है, जो स्थिति इन्डोनेशिया और फ्रांस में बन गई थी ठीक उसी प्रकार की स्थिति आज राजस्थान के जनमानस में पैदा हो रही है। आज जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। यह सब प्रशासन की अकुशलता, निकम्मेपन के कारण है। इसके कारण जनमानस में एक प्रकार से उत्तेजना फैल रही है और करीब करीब वही स्थिति है जो इन्डोनेशिया और फ्रांस की थी। यदि यही

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

स्थिति बनी रही तो और आज के प्रशासनिक अधिकारियों पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो जनता का जनमानस इस प्रकार से सोचने लगा है कि लाठी का जवाब लाठी से और गोली का जवाब गोली से दिया जाये। यदि इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ तो इसके लिये राजस्थान का कांग्रेसी शासन जिम्मेदार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय-सु०): उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय समाप्त हो गया है और सभी सदस्य आपके दल के बोल चुके हैं। अब 4-30 बजे उत्तर प्रारम्भ होगा इसलिये अब समय नहीं दिया जावेगा।

श्री किशन लाल वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के आधार पर ही सब कुछ निर्भर होता है। सामान्य प्रशासन ठीक होता है तो शासन भी ठीक होता है और सामान्य प्रशासन में किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो शासन भी ठीक नहीं होता है। इसलिये सामान्य प्रशासन जो है वह शासन की जड़ है। आज हम देखते हैं कि इस सामान्य प्रशासन में किस प्रकार से कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इस भ्रष्टाचार की कितनी तरक्की हुई है जिसकी वजह से जनता परेशान है और सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। यह भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है और जिन विभागों में जहां भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं था वहां भी यह प्रवेश करता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन वह बढ़ता ही जा रहा है और इस भ्रष्टाचार के कारण सब जगह विद्रोह है। इसलिये मैं समझता हूं कि इनको समाप्त किया जाना बहुत ही जरूरी है और इसको समाप्त करने के लिये कड़े से कड़े कदम उठाये जायें। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और यह परिवर्तन इस प्रकार का हो कि नीचे से लेकर ऊपर तक समाजवाद का जो वर्तमान ढांचा है उसको ठीक किया जावे। उसमें पहले सुधार किये जाये तब जाकर यह समाज ठीक चल सकता है, हमारा शासन ठीक चल सकता है। यदि उस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकना है, और इसको रोकने के लिये हमने कोई कदम नहीं उठाया, कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मैं समझता हू लोगों को इस लोकतंत्र से नफरत होगी और कोई वक्त आ सकता है जिससे हमारा यह जनतत्र व लोकतत्र खतरे में पड़ सकता है। ऐसे अवसर पर उसके खिलाफ राष्ट्रपति शासन होगा या और किसी दूसरी हुकूमत को चुनेंगे क्योकि जनता इस भ्रष्टाचार से इस प्रकार परेशान हो गई है और बहुत अधिक इससे ऊब गई है?

हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? खासतौर पर कार्य कुशलता में गिरावट है और जो आफिसर हैं वे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हैं। उनमे काबलियत और योग्यता पूरी नहीं होती है जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन लूज होता जा रहा है और उसमें गिरावट आने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। किसी भी काम का प्रोसीजर देखा जाये वह काफी लम्बा होता है। कागज को जाने में महीनों लग जाते हैं और वह कागज बीसों जगह होकर जाता है और उसमें डिले हो जाती है और डिले के कारण मजबूर होकर उस

(श्री किशनलाल वर्मा)

व्यक्ति को जिसका कि काम होता है रिश्वत देनी पड़ती है। दूसरा कोई चारा उसके पास नहीं होता है। प्रोसीजर लम्बा होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं इसको समाप्त करने के लिये सबसे जो खास बात है वह यह है कि ऊपर से आदर्श कायम किया जाये। ऊपर से यदि हमारा शासन ठीक रहेगा एक आदर्श रहेगा, ईमानदारी और सच्चाई से काम होगा तो इसका असर नीचे तक भी पड़ेगा और काम ठीक प्रकार से चलेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एन्टीकरप्शन विभाग भी खोल रखा है और सतर्कता आयोग भी। इसमें जो लोग रिश्वत लेते हैं उनके केसेज पकड़े जाते हैं और उनको सख्त सजा भी दी जाती है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है परन्तु भ्रष्टाचार को रोकने के लिये इसको और सक्रिय करना पड़ेगा। इसको सक्रिय किये बिना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता है। इसलिये इसकी ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इससे भ्रष्टाचार किसी प्रकार खतम नहीं होता है, कम नहीं होता है, तो कोई दूसरा इसके समकक्ष विभाग खोला जाये जो भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर उसकी वजह से जनता परेशान है, जिसकी वजह से उसको तकलीफें बढ़ती जा रही हैं वे ठीक की जायें दूसरा अधिकारियों के ऊपर खौफ होना चाहिये। खौफ या भय रहता है तो वे रिश्वत लेने में हिचकिचाते है और उनको कोई डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, भय नहीं होगा तो वे खुले आम रिश्वत लेंगे और इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब यह सरकार नहीं थी और राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन था, उस समय सरकारी मुलाजिमों के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक खौफ था और उसकी वजह से भ्रष्टाचार काफी कम हो गया था और लोगों से भ्रष्टाचार की इतनी शिकायतें नहीं मिलती थीं लेकिन आज हम देखते हैं कि किस प्रकार यह भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जो भ्रष्टाचार है वह बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही साथ यह भी मैं बताऊंगा कि सामान्य प्रशासन विभाग में जो ऊपर से व्यक्ति, अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं वह कैसे नियुक्त होते हैं। वे योग्य नहीं होते, काबिल नहीं होते और उनमें बहुत से ऐसे हैं जो 55/58 साला है और रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक्सटेंशन दिया जाता है और ऐसी जगह पर उनको रखा जाता है जो टक्नीकल पोस्ट्स हैं और उस जगह पर नोन-टेक्नीकल परसन्स रखे जाते हैं। इसकी वजह से भी प्रशासन में ढिलाई आती है। जिसको हम रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ हम छोटे राज कर्मचारियों की छटनी करते हैं और दूसरी तरफ बड़े अधिकारियों को बराबर रखे चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं यह समाजवाद की नीति के विपरीत है। इस प्रकार मैं यह समझता हूं यह जो लोग हैं जिनकी कि कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके बिना विभाग का काम चल सकता है, उनको हटा दिया जाये। इसके अलावा बहुत-से ऐसे विभाग है जिनके बिना भी प्रशासन का काम चल सकता है। उनको बंद करके भी हम अपना काम चला सकते हैं और जो रिटायर्ड व्यक्ति है और जो डेपुटेशन पर आये हैं उनकी कमी करके, उनको वापिस करके हम प्रशासन के खर्च में कमी ला सकते हैं। जो लोग डेपुटेशन पर आये हुए हैं उनका डेपुटेशन समाप्त किया जाये ताकि समाजवाद की बात को प्रोत्साहन मिले और

(श्री किशनलाल वर्मा)

जो नवयुवक हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उनकी छंटनी न की जाये क्योंकि आजकल देखा जाये तो वैसे ही वे बहुत परेशान है और जिस पर बेरोजगारी और बेकारी का भी प्रश्न है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आफिसरों में भी बड़ा फर्क होता है। आज हम देखते हैं कि उदयपुर के आफिसरों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता हैं और दूसरे जो आफिसर हैं उनको आगे बढने का मौका नहीं दिया जाता है इससे उनमें परेशानी बढ़ती है और इससे भ्रष्टाचार के बढ़ने का मौका मिलता है। इसके अतिरिक्त इसको समाप्त करने के लिये सख्ती की आवश्यकता है, रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही नहीं की तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और भ्रष्टाचार में कमी नहीं हो सकेगी।

इसके अलावा नरेशों को जो भत्ते दिये जाते हैं वह आज की हवा के विरुद्ध हैं। आजके समय में इस प्रकार के विशेष भत्ते जनता बरदाश्त नहीं करेगी, सबके साथ समानता के व्यवहार की सब आकांक्षा करते हैं। एक तरफ तो समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के भत्ते दिये जाते हैं इनको समाप्त नहीं किया जाता है तो इनमें कमी की जा सकती है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर कम्युनिजम बढ़ता जा रहा है। यह सब असमानता का व्यवहार होता है इस कारण यह कम्युनिजम को प्रोत्साहन मिलता है।

अब मैं नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर शहर में गन्दगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दूसरे प्रान्तों के शहरों में हमने देखा है हमारे इस शहर से काफी अधिक सफाई है। जितनी गन्दगी राजस्थान की राजधानी में है उतनी और कहीं नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त कई जगह सड़कों की हालत बहुत खराब है जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जहां गाड़ियां वगैरह चल नहीं सकती। यहां एक बस्ती चौकड़ी तोपखाना हजूरी है आज हम देखते हैं इस कच्ची बस्ती में किसी प्रकार की तरक्की नहीं हुई। सड़कों की वही हालत खराब है अतः सड़कों की हालत ठीक की जावे और गन्दगी मिटाने के लिये सफाई अभियान चलाया जावे।

इसी तरह से हमारे विधायकों के जो होस्टल हैं, दूसरी जगह दूसरे प्रान्तों में वहां विधायकों को काफी सहूलियतें हैं, यहां हमारा जो गवर्नमेण्ट होस्टल है जहां विधायक रहते हैं वे इस प्रकार से रहते हैं जैसे वे कैद में रहते हों इस प्रकार के इनके कमरे हैं। इनकी व्यवस्था की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा प्रशासन लोकतन्त्र की नींव हैं, लोकतंत्र की रीढ है, अच्छे प्रशासन के अभाव में लोकतंत्र समाप्त हो जायगा। अगर हम लोकतन्त्र को पनपाना चाहते हैं, लोकतन्त्र की प्रणाली को देश में मजबूत करना चाहते हैं तो अच्छे प्रशासन की और अच्छे न्याय की व्यवस्था करनी होगी। अगर प्रशासन के तरीके भ्रष्ट होते हैं और न्याय की प्राप्ति में विलम्ब होता है तो बहुत बुरी

(श्री रामनारायण चौधरी)

बात है। मैं किसी अधिकारी पर स्पेसिफिक चार्ज लगाना नहीं चाहता लेकिन जब किसी पर्टीकुलर अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये जाते हैं तो बहुत ही गंभीर बात हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन से एक अधिकारी पर गम्भीर आरोप लगाये गये थे एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये गये थे जिसके लिये जांच बिठायी गई जिसकी एण्टी-करप्शन विभाग द्वारा जांच करवाई गई उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड में भेजा गया। रेवेन्यू बोर्ड वह पवित्र स्थल है जहां पर निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी रहने चाहियें। मेरा निवेदन है कि सरकार जनता को अच्छा प्रशासन दे, सस्ता न्याय दिलाए इसके लिये जरूरी है कि प्रशासन ईमानदार हो और न्याय हमारा सस्ता हो। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जगहों पर अधिकारियों को अदालती काम सौंप रखे हैं वहां पर अनुभव प्राप्त अधिकारियों को रखा जाना चाहिये। जो लोगों की शिकायतों को सुनकर उनके मुकद्दमों को फैसल करने में तत्परता बरते। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं आज अदालतों में पन्द्रह पन्द्रह वर्षों के मुकद्दमे फैसल नहीं हुए दिखाई देंगे। इस तरह ये अनावश्यक विलम्ब होने के कारण कितना बड़ा भारी खर्च हो जाता है उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे अदालतों के फैसले तुरन्त हों।

एक अधिकारी किसी मुकद्दमे का एडजोर्नमेंण्ट देता है तो उसके कोई खास कारण होने चाहिये। आप अदालतों का निरीक्षण करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुकद्दमों को अनावश्यक रूप से विलम्ब करने के लिये तारीखें डाल दी जाती हैं जिनके कारण लोगों को आर्थिक हानि के साथ साथ अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आप अधिकारियों को पाबन्द करें कि वे कार्यालयों में ठीक समय पर पहुंचे और पूरे समय सरकारी काम को अन्जाम दें और वह अपनी कार्यकुशलता और योग्यता का परिचय देकर जनता की अच्छे ढंग से सेवा करें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज इस प्रशासन के अन्दर विधायक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है उसको अपने क्षेत्र की नाना प्रकार के अभाव अभियोगों की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसके पास इस विधान सभा के अलावा कोई फोरम नहीं है, जो वह अपने इलाके की समस्या को रख सके और उनका समाधान प्राप्त कर सके। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि विधायकों की जो उनके क्षेत्र की समस्या होती है उनका निपटारा राज्य सरकार ही कर सकती है। इसलिये मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वे विभिन्न विभागों की कन्सलटेटिव कमिटीज को कायम करें जिसमें विधायकों को भी शामिल किया जाय इससे प्रशासन में मदद मिलेगी। और विधायकों का महत्व बढेगा और इस तरह से राजस्थान की सेवा करने की स्थिति में आ सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज अदालतों में जो देरी होती है आप

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो आपने व्यवस्था कर रखी है उसके हिसाब से असिस्टेन्ट कलेक्टर रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी होता है। मेरा यह निवेदन है कि यह अधिकार जिलाधीश के पास होने चाहियें। दूसरी अपील रेवेन्यू बोर्ड के पास होनी चाहिये रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी के पास रखनी चाहिये इससे हमें इन्साफ मिल सकेगा।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में इकोनोमी करने के नाम से 262 कर्मचारियों को रिट्रेन्च किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं इनमें किसी अधिकारी को भी रिट्रेन्च किया गया है? एल.डी.सी. आदि क्लर्क्स आपने जो बढ़ाये थे वे अधिकारियों की अनुपात से ही बढ़ाये होंगे। वैसी हालत में जब कर्मचारियों को रिट्रेन्च किया गया तो क्या अधिकारियों को भी रिट्रेन्च किया गया है। आपने कितने आई.ए. एस., आई. पी.एस. और आर.ए.एस. अधिकारियों को सरप्लस किया? मेरा ख्याल है कि आपने किसी भी आफिसर को सरप्लस घोषित नहीं किया है। आपने जहां 262 कर्मचारियों को घर भेजा वहां आप दो चार अधिकारियों को घर भेजकर कमी को पूरा कर सकते थे। आपने 265 घरों में अन्धेरा किया कुछ अधिकारियों को बचाकर यह अच्छा नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने गंगानगर का स्टेटमेंट देकर सदन का एक घण्टे से अधिक समय ले लिया तो कम से कम एक घण्टा तो सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा एक बजे शुरू हो गई थी। स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद इनको ले लिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : रोज आप समय बढ़ाते हैं और आज मुख्य मन्त्रीजी की मांग है इस लिए समय नहीं बढ़ायेंगे तो सभी मन्त्री यह कोशिश करेंगे कि उनकी मांगों पर भी समय नहीं बढ़ाया जावे। आज केवल मुख्य मन्त्रीजी को ही जवाब देना है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : भीखाभाई को भी तो जवाब देना है।

श्री भैरोंसिंह : उनको तो आप अपने साथ ही लेते जायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं नहीं चाहता कि मैं कारण बनूं। माननीय सदस्यों को ऐतराज नहीं हो तो मैं आध घण्टा बाद जवाब देदूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): (बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री देवीदत्त गाड़िया : समय बढ़ना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह ऐतराज की बात है, शामिल बैठकर आप कवे गिनने लगे कभी समय कम ले लेते हैं, कभी समय ज्यादा भी हो जाता है। दल के नेता हैं, आमतौर से जो चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं सुबह ही कह देते हैं। दो तीन बार सदन को अवगत करा दिया गया था कि साढ़े चार बजे

(श्री उपाध्यक्ष)

सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ होगा। हरएक सदस्यों को बाध्य किया गया था कि 10-10 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें। इसके बाद एक दो दल और भी रह गये हैं जिनके पूरे समय का उपयोग नहीं हुआ है। मैं समझता हूं पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो रिलेवेन्ट बात आज कहना चाहें कल कह दें। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा ··

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति नहीं है लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की डिमान्ड है। जो समय विवाद के लिये दिया गया है वह बहुत कम है। मैं नहीं बोलूं इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा है तो उनका ध्यान रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तभी सचेतक महोदय आम तौर पर अपनी अपनी सूचियां दे दिया करते हैं। यह सूची से ही स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह : हमारे सचेतक एबसेन्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके वरिष्ठ नेता महोदय ने दी है।

श्री दौलतराम सारण : यह बात नहीं है जितना मुख्य मन्त्रीजी सामान्य प्रशासन की तरफ ध्यान देते हैं उतना ही माननीय सदस्यों ने दे रखा है। मुख्य मन्त्रीजी 15 वर्ष से बैठे हैं जिस परम्परा को ये पनपा रहे हैं यही हालत यहां की है। रोज 10-11 बजे तक बैठते हैं फिर आज क्या बात हो गई। आज आप इस डिमाण्ड को चलने दीजिए जब तक सब न बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : हमेशा दलों की तरफ से सूचियां आती हैं वे काफी लम्बी आती हैं आप खुद सूची का मुलाहिजा फरमा लें। किसी सचेतक ने 1 बजे नाम भेजा और किसी सचेतक ने तीन बजे नाम भेजा है और वह भी दो दो नाम भेजे हैं। हमने यही सोचा कि आज चर्चा छोटी होने जा रही है इसलिये ····

श्री भैरोंसिंह : हमेशा रियायत की जाती है। मैं समझता हूं आज आसन पर प्रभाव मुख्य मंत्रीजी का नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं थोड़ा कन्सीडर कर सकता हूं। आधा घन्टा और बढ़ा दिया जाय। कौन कौन माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं। वे अपने नाम स्वयं बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 10 मिनिट बोलना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका इलाज तो यह है कि कोई न बोले।

श्री भैरोंसिंह : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय लेना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं 20 मिनिट लेना चाहता हूं।

श्रीरामानन्द अग्रवाल श्री भैरोंसिंह : (दोनों एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह: 20 मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर एक घन्टे के लिये बढ़ा देते हैं।

श्री रामकिशन : यह बहुत बढ़िया बात है।

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े पांच बजे सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अपने बजट भाषण में राजस्थान की वित्तीय स्थिति का एक नक्शा सदन के सामने प्रस्तुत किया था सदन में जिस प्रकार की आम चर्चा रही है उससे यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस स्थिति से निकलने के संबंध में जो भी उपाय निकाले हैं उनका कितना प्रभाव होगा यह तो अगला वर्ष का बजट जिस समय प्रस्तुत किया जायगा उस समय ही हम अच्छी प्रकार से देख पायेंगे लेकिन वित्तीय स्थिति के साथ साथ सदन में आज जिस प्रकार की चर्चा हुई और प्रशासन का अनुभव इस सदन के माननीय सदस्यों को और जनता को जिस प्रकार का हो रहा है उस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति भी काफी संकटपूर्ण बनी हुई है। सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। इसको मैं ऐसा समझता हूं सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों को अनुभव होगा। बजट भाषण में सरकार ने राजा महाराजाओं के प्रिविपर्स खतम करने के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त की और साथ ही इस बात की घोषणा की कि राजा महाराजाओं को जो विशेष सुविधायें मिल रही हैं वह राज्य सरकार समाप्त कर देगी। मैं उस प्रश्न के विश्लेषण में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मेरा सन्देह है कि राज्य सरकार की घोषणा केवल एक प्रकार की कागजी घोषणा है। उसके पीछे किसी प्रकार की लीगल सेंक्टिटि नहीं है, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कानूनी सलाह ली हो या भारत सरकार से परामर्श किया हो ऐसी स्थिति भी मुझे नहीं लगती। इसलिये मैं समझता हूं लोगों में जिस प्रकार नारा प्रचलित हुआ है उस नारे के प्रभाव में राजस्थान की सरकार पिछे न रहे इसलिये बजट भाषण में इस प्रकार का उल्लेख किया है। वास्तव में नीति हमारी राजस्थान सरकार की नहीं, भारत सरकार की है। किसी भी बात को सुलझाना चाहती है तो उसको राजनैतिक पाइन्ट से हल करने की कोशिश करती है। प्रिविपर्स का मामला कई वर्षों से चलता आ रहा है। इस आधार पर कभी धमकी, कभी वापिस लेने की धमकी इस प्रकार की स्थिति चाहे भारत सरकार ने अपने हाथ में ली हो, इन्होंने उसी रूप में आचरण किया। मैं उन राजा-महाराजाओं के सम्बन्ध में तो नहीं लेकिन राजस्थान की सरकार को यह बताना चाहता हूं कि राजा महाराजाओं का राजनैतिक आधार पर किस प्रकार पोषण करते हैं। मैं दो उदाहरण दूंगा—एक तो नबाव टौंक साहब का और दूसरा सिरोही के महाराजकुमार साहब का। अधिकांश माननीय सदस्य जानते हैं कि गरीब किसान की भूमि पर सिरोही महाराज कुमार ने

(श्री भैरोंसिंह)

किस प्रकार कब्जा किया, उस भूमि को बेचकर किस प्रकार अपनी सम्पत्ति बना ली और उसमें मुख्य मंत्रीजी का और वित्त मंत्री जी का किस प्रकार का आशीर्वाद रहा सभी माननीय सदस्य जानते हैं सीरोही के महाराजकुमार ने किसान को डंडे से मारकर भूमि ली है और उसको बेचकर पैसे अपने खजाने में जमा कर लिये। यह बच्चे बच्चे को जानकारी है यदि मुख्य मंत्री जी का और वित्त मंत्री का संरक्षण न होता तो किसान को डंडे से मारकर नहीं निकाला जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न टोंक के नवाब साहब का है, किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इस सदन को जानकारी होगी। इन्होंने टोंक नवाब साहब के विरूद्ध जो 1900-1910 में कर्जा था उस समय का कर्जा था राजनैतिक आधार पर राजस्थान की सरकार ने 1,37,600 रू० का भुगतान किया, भुगतान फर्जी था। लेने वाले का कोई हक नहीं था, मामला लिमिटेशन के बाहर था। कोर्ट में मामला जाता तो बुरी तरह परास्त होता लेकिन राजस्थान की सरकार ने राजनैतिक आधार पर 1 लाख 37 हजार 600 रुपया उस एक आदमी को दिला दिया। उपाध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं आज राजस्थान के मन्दिरों में चाहे ठाकुर जी की पूजा न हो अगरबत्ती के लिये पैसे न हो, राजस्थान की सरकार मन्दिरों की पूजा और सामग्री के लिये पैसे नहीं दे लेकिन नवाब साहब टोंक को आज की इस संकट पूर्ण आर्थिक स्थिति में दो लाख का कर्जा देवस्थान से दिलवाया मैं यह भी मान सकता था कि और कोई इण्डस्ट्री के एस्टेब्लिशमेन्ट के लिये दिया जा रहा हो, या कारखाना खड़ा करने के लिए दिया जा रहा हो, पाठशाला कालेज या होस्पिटल बनवाने के लिये दिया जा रहा हो पर ऐसा नहीं था। सदन के माननीय सदस्यों को सुन कर आश्चर्य होगा मैं उसको चार लाइनों में पढ़ कर सुना देता हूं :

"I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of loan of Rupees two lacs only to Nawab Tonk for domestic purposes."

मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को चुनौती देकर कहता हूं कि राजस्थान में एक भी ऐसा उदाहरण बतादें कि जिसमें राजस्थान की हकूमत ने डोमेस्टिक परपज के लिए कभी किसी को कर्जा दिया हो। सरकार ने कर्जा देने की एक प्रणाली बना रखी है, नियम है, उसकी व्यवस्था है कि किस किस काम के लिए कर्जा दिया जा सकता है। पर इस सरकार ने इन सब नियम उपनियमों को ताक में रख कर दो लाख का कर्जा नवाब साहब को दिलाया है देव स्थान विभाग से डोमेस्टिक परपज के लिये, डोमेस्टिक परपज के नाम पर। इतना ही नहीं जिस समय नवाब टोंक की रियासत मर्ज हुई, उससे पहले जिनके टोंक रियासत ने पट्टे खतम कर दिये थे और जो न जागीरदार थे न और जिनकी जागीर या रियासत पुनर्ग्रहण नहीं हो सकती थी उस हुकूमत ने उनकी तीन चार महिलाओं के नाम पर जागीर के पट्टे नये फरजी बनवा कर उनके आधार पर उनको जागीरदार मानकर जागीर पुनर्ग्रहण के नाम पर, इस सदन को सुन कर ताज्जुब होगा, राजस्थान सरकार वे इस चीटिंग के आधार पर

(श्री भैरोंसिंह)

2,44, 295) रुपया का पेमेण्ट किया। ऐसी यह हुकूमत है और कहती है कि हम राजा महाराजाओं को खत्म करना चाहते हैं। और भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी शायद यह कह कर इस मामले से बच जावें कि यह तो राजस्व विभाग का मसला था। मुझे इसकी जानकारी नहीं। पर 25 नवम्बर 1968 को राजस्थान सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश है जिसमें क्या लिखा है यह सुनकर सदन को ताज्जुब होगा। बम्बई में कांग्रेस का एक नीति प्रस्ताव पेश होता है कि देश में जमीनदारी और जागीरदारी नहीं रहेगी, सुखाड़ियाजी कहते हैं कि जागीरदारी और जमींदारी खतम कर दी जाय। मध्यवर्ती इस व्यवस्था को रखने को तैयार नहीं हैं। मैं उन्हीं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं यह आदेश तो आपके हुक्म से ही निकला है न। वह अधिसूचना इस प्रकार है :—

"संख्या एफ 101 (11) जी. ए. डी. 158 भाग 2 राजस्थान जागीर एबोलिशन एक्ट 1958 (1958 का 29) की धारा 6 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संदेय टौंक खानदान अलाउन्स के उक्त अधिनियम के उप-बन्धों से एतद्द्वारा छूट देती है।"

कहीं राजस्थान में इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा यह बेमिसाल है। चाहे जागीर किसी प्रकार की हो, इस प्रकार का एग्जम्पशन किसी हुकूमत ने नहीं किया। यह अध्यक्ष महोदय मुहम्मद अयूब खां और इस तरह से 60 आदमियों को राजस्थान की सरकार ने राजस्थान जागीर एबोलिशन एक्ट की उपरोक्त धारा से मुक्त किया है और उसकी यह आज्ञा राजस्थान की हुकूमत ने निकाली है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, इनकी शिकायतें करें तो किसके पास? राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने सदन में कई बार कहा है कि यह भारी भरकम मन्त्री मण्डल है। इसका उपयोग नहीं। इस मन्त्री मण्डल के द्वारा जनता की कोई सेवा नहीं हो रही है। जनता का पैसा खा रहे हैं ये सब मिलकर। इसको भी रोकना चाहें तो अध्यक्ष महोदय, 61/62 में राजस्थान में 9,18,873 रु० का मन्त्रियों पर खर्चा था। आज 70/71 में बजट एस्टीमेट में तो ये बहुत होशियार हैं, बताते नहीं, उस समय तो कम खर्च बताते हैं, पर रिवाइज्ड एस्टीमेट में देखें तो 35 लाख का खर्चा बढ़ गया इन पर। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से कि क्या राजस्थान सरकार की आय भी इसी अनुपात में दुगुनी बढ़ी है? कहा जाता है कि राजस्थान के प्रशासन में जितने ज्यादा मन्त्री होंगे प्रशासन में उतनी ही सुविधा आवेगी। प्रशासनिक स्तर अच्छा बनेगा और जनता की सेवा होगी। मैंने पहले भी कहा है और आज भी शिकायत कर रहा हूं कि जब मन्त्रियों का पैसा कम नहीं होता तो जिला में जाकर ये जिलाधिकारियों को परेशान करते हैं। सदन में जिलाधिकारियों की ब्यूरोक्रेसी के बारे में शिकायतें की गई। तो मैं कहता हूं कि जब तक इस सरकार के ये मिनिस्टर इनकम्पीटेन्ट हैं इनके सारे हावभाव और मनस्थिति के सम्बन्ध में लोगों की आस्था नहीं है तो स्वाभाविक है ऐसी इनकम्पीटेन्ट मिनिस्ट्री के नीचे ब्यूरोक्रेसी तो

(श्री भैरोंसिंह)

प्रभावशील होगी ही। आज कुछ अफसर ईमानदारी से काम भी करना चाहते हैं पर ये लोग उनको ऐसा करने नहीं देते। कुछ अफसर ट्रान्सफर करना नहीं चाहते पर ये मन्त्री इसमें दखल देते हैं, प्रशासन में नियम लागू करने में वे दिलचस्पी लेना चाहते हैं पर लेने नहीं देते। इसलिये पूछना चाहूंगा कि आखिर मन्त्री बनाने के सम्बन्ध में आपकी इतनी ज्यादा मजबूरी क्या है ? आप वर्षों से राज करते आ रहे हैं। एक ही सीट पर बैठे हैं। आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, आपको डर है कि कहीं अगर कुछ व्यक्तियों को इस मन्त्री मण्डल में से निकाल दिया तो वे मिल कर अपोजीशन में बैठ जावें और सुखाड़िया की गद्दी को खतरा पैदा हो जावे। यह दृष्टि-कोण है तो आप अपने मन्त्री के पद के लालच के कारण इनको मन्त्री पद का प्रलोभन देकर जमीन देने का लालच देकर इस प्रकार से राजगद्दी पर बैठे रहें तो सुखाड़िया जी, एक दिन आवेगा कि कहीं लोग जबर-दस्ती से आपको वहां से उठा कर कहीं ऐसी जगह न फेंक दें जहां से कभी किसी का पता नहीं लगता। पूंजी जो यहां बैठकर इकट्ठी कर ली है, उस पूंजी के हिसाब का पता नहीं लगता। अगर लोकतन्त्र में आपकी बहुत भी आस्था है तो जन भावना के अनुसार आपको अपने मन्त्री मण्डल का गठन करना चाहिये।

यह भी आपको पता होगा कि देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन की नियुक्ति की गई थी। उसने मन्त्रि मण्डल की संख्या कितनी हो इसके बारे में भी शिफारिश की है। जिस राज में जितनी जन-संख्या हो उसके अनुपात से यह संख्या निर्धारित हो। इसको देखते हुए मैक्सिमम नम्बर भी आप लें तो 12 आदमी आपके मंत्रि मण्डल में ज्यादा हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपको कि ऐसी कौनसी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। जिसके कारण आप इतने मंत्रियों को बनाये रखने की जिद् कर रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के प्रशासन में तीन बातें करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों ने कई बातें बताई। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का ढांचा प्रशासन का बना हुआ है उसमें आपको एक झटके से परिवर्तन करना पड़ेगा। आप रैडटेपिज्म खतम करना चाहते हैं इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और जनता का काम जल्दी से जल्दी हो इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं आप तो एक तो यह करना पड़ेगा कि बीच में यह जो मन्त्रि मण्डल सेक्रेटेरियट, रीजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट ओथोरेटी हैं इन में से रीजनल कमिश्नर का जो एक चौथा टायर है उसको निकाल देना होगा। यह थ्री टायर सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको रखना होगा। इस थ्री टायर सिस्टम में से यह चौथा डिविजनल कमिशनर वाला टायर निकाल दें। कलेक्टर जिला स्तर है तो उसका सीधा सम्बन्ध सेक्रेटरियट से हो, एस. पी. है तो सीधा सम्बन्ध आई. जी. से रहे, डी. आई. जी. की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हर स्तर पर हर विभाग में जो आपने एक एक डिविजन का आधार बना रखा है इस डिविजन के आधार को आप खत्म करिये।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि रेवेन्यू की अपील के मामले रेवेन्यू में जाती है फिर रेवेन्यू अपीलेट ओथोरेटी में जाती है तो निश्चित रूप से कहता हूं कि इससे मामलों

(श्री भैरोंसिंह)

के फैसलों में ढिले होती है। पर मुख्य मन्त्री जी स्वीकार करके चलेंगे कि अदालतों के सामने लोग आज नारे लगाते हैं कि अपीलेट कोर्ट पैसा खाती है इसलिये निवेदन करूंगा बीच की संस्था को एक झटके में अबोलिश कर दो।

अध्यक्ष महोदय यह प्रशासनिक रिपोर्ट हमारे सामने आती है करीब करीब सारी रिपोर्ट देखते है पर एक प्रश्न आकर खड़ा होता है कि कोई भी विभाग राजस्थान सरकार का इस तरह की सूचना नहीं देता कि इस विभाग से सम्बन्धित जितने नियम उपनियम आदि हैं उनका पालन किस स्तर पर किया गया है अथवा किस स्तर पर किया जायगा। इसकी भी सूचना दें। अचीवमेंट क्या क्या दिया गया है इसकी सूचना दी जाती है। बीस लाख का बजट प्रावधान था उसे खर्च कर दिया। इसकी सूचना दी जाती है। पर किस विभाग से सम्बन्धित कितने कानून कायदे नियम उपनियम बने हैं उनका उल्लंघन किस किस स्तर पर किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है और इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई यह रिपोर्ट अगर सदन में आने लग जावे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आमतौर पर जो कानून का उल्लंघन करने लग गये हैं सरकारी अधिकारी तो इससे उनको रोकने की ताकत विधान सभा में आजावेगी। जनता में आजावेगी ये सरकारी अधिकारियों द्वारा की जा रही बेईमानी को रोकने में समर्थ होंगे। पर राजस्थान सरकार जब स्वयं कानूनों का पालन नहीं करती उसका मन्त्रीमण्डल नहीं करता, उसके मन्त्रीमण्डल के सदस्य नहीं करते तो फिर अधिकारियों को रोकना कठिन है। अगर यह सिलसिला रिपोर्ट देने का बिठा दिया जाय तो ऊपर मिनिस्टरों की भी हिम्मत नहीं हो सकेगी। पर इससे मुख्य मंत्री जी को डर लगता है कि पहला प्रश्न तो मंत्रियों का ही आवेगा कि अमुक मन्त्री ने ऐसा कर दिया तो इसके कारण उनको यह रिपोर्ट दबानी पड़ेगी तो इससे ज्यादा अच्छा तो यही है कि ऐसा अधिकार नहीं दिया जावे।

पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कानून के पालन की आदत डलवाना चाहते हैं जनता में, अधिकारियों में सरकारी कर्मचारियों में तो उनकी कानून की अवहेलना की जानकारी समय समय पर मिल जावे इसकी आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेडटेपिज्म के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। फाइल एक जगह से निकल कर कई जगह जाती है। इसके लिए मद्रास सरकार ने एक सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया कि शैल बनायें। कितने कागज कितनी बार कहां कहां से निकल कर जाते हैं उनमें डील करने में ईमानदारी से काम होता है या नहीं इसकी चैकिंग के लिये उन्होंने कागजों का आडिट सिस्टम इन्ट्रोड्यूस कर दिया है। इसके सम्बन्ध में मैंने भी राजस्थान सरकार से दो वर्ष पहले भी निवेदन किया था और आज भी कहना चाहता हूं कि पेपर आडिट भी आप शुरू करिये ताकि इस से भी पता लग जावे कि कितना समय एक कागज को डील करने में लगना चाहिये था पर कितना लगा और ज्यादा लगा तो क्यों लगा इसके लिये कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। इससे कागज ठीक समय पर निकलना शुरू हो जावेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस राजस्थान के प्रशासन के लिए स्वयं मुख्य मंत्रीजी। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान का प्रशासन गिर रहा है। इसके लिए कोई उप मंत्री जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई मंत्री जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए राजस्थान की सर्विसेज जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए यदि सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो मुख्य मन्त्रीजी स्वयं हैं और उसका कारण उपाध्यक्ष महोदय स्पष्ट है। आज आप सर्विसेज में चले जाइये जो मुख्य मंत्रीजी के प्रति अपनी लायल्टी बतायेगा वह आदमी बना रह सकता है और जो मुख्य मंत्रीजी के प्रति डिस-लायल्टी बतायेगा उसी समय उसका झटका हुआ। यह मंत्री बैठे हैं, उप-मंत्री बैठे हैं उनके सेक्रेटरी उनको गांठते नहीं, उनके हैड आफ दी डिपार्टमेंट उनको गांठते नहीं हैं, डिप्टी सेक्रेटरी उनको गांठते नहीं है, फाइलें उनके पास जाती नहीं हैं, काम उनसे होता नहीं हैं। इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार का निकम्मा बना कर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के मंत्री मण्डल की, राजस्थान की सर्विसेज की, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की सारी पावर्स को अपने में सेन्ट्रेलाइज कर लिया और उसी के कारण एक व्यक्ति के हाथ में जब सारा प्रशासन सेन्ट्रेलाइज हो जाता है तो उपाध्यक्ष महोदय, आप मान कर चलें कि प्रशासन के स्तर में गिरावट आयेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रशासन की डीसेन्ट्रेलाइज करने की आवश्यकता है। कभी राज्य सरकार ने यह देखा कि कलेक्टर्स को जो अधिकार कानून में मिले हुए हैं उनके संबंध में कलेक्टर्स सेक्रेटेरियट में फाइलों को क्यों भेजते हैं? इसी प्रकार से एस० पी० को जो अधिकार हैं, कहीं सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को अधिकार मिले हुए हैं वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके सम्बन्ध में अपनी आज्ञायें क्यों नहीं प्रसारित करते? उसके लिए भी फाइलों में लिखेंगे चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लिखेगा फाइनेन्स मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर लिखेगा एफ.एस. और एफ.एस. लिखेगा डी.एफ.एस. यह सारा सिस्टम चलता रहता है। इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को यदि खतम करना है तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी सबसे पहले आपको इस सत्ता का मोह छोड़ कर जो सारी सत्ता को अपने में केन्द्रित करके मंत्री मण्डल को आपने पंगु बना दिया, सर्विसेज को पंगु बना दिया और जनता का सारा शोषण कर डाला। इसको रोकने के लिए आपको शासन को डीसेन्ट्रेलाइज करना पड़ेगा। जिन लोगों को अधिकार मिले हुए हैं वह उन अधिकारों का प्रयोग करके काम को डिस्पोज आफ करें। इस की जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद की बहुत चर्चा की जाती है। यहां तो एक अजीब समाजवाद है। हम गरीब और अमीर का भेद मिटाने की बड़ी कोशिश करते हैं। राजस्थान की सरकार कहती है कि रात दिन हम इसमें लगे हुए हैं कि गरीब की गरीबी कम हो और अमीर की पूंजी कम हो। दोनों का अन्तर मिटे लेकिन यहां तो गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी इसका अन्तर मिटने का सवाल नहीं है। मैं छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा।

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान में आर० ए० एस० अधिकारी 55 वर्ष के बाद रिटायर होंगे, आई.ए.एस. अधिकारी 58 के बाद रिटायर होंगे, पब्लिक सर्विस कमिशन के 60 वर्ष के बाद रिटायर होंगे, हाई कोर्ट के जज 60 वर्ष के बाद रिटायर होंगे और चीफ जस्टिस 62 के बाद रिटायर होंगे, विजीलेन्स कमिश्नर इस एग्रीमेन्ट के अनुसार 64 वर्ष के बाद रिटायर होंगे और श्री भगवतसिंह जी मेहता जो कि राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन के चेयरमेन हैं वे 65 वर्ष के बाद रिटायर होंगे। तो एक आर. ए. एस. आफिसर को 55 और आगे की लिंक 65 यह 10 वर्ष का अन्तर है। यह कोई इकानोमिक गैप नहीं है बल्कि यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है। 65 वर्ष तक सरकारी अधिकारी चलते रहें और मंत्रीगणों की तो कोई उम्र ही नहीं। वह तो कब्र में जावेंगे तभी मंत्री मण्डल को छोड़ेंगे। इसलिए वहां तो समाजवाद नहीं आ सकता लेकिन सर्विसेज के मामले में आप समाजवाद ला सकते हैं। राजस्थान में 55 और 65 का अन्तर यह किस प्रकार से अन्तर है समझ में नहीं आया। आपने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति 58 से ज्यादा का होगा तो उसको री-एम्पलायमेन्ट नहीं दिया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आपने क्यों री-एम्पलायमेन्ट दिया ? क्या उनके बिना राजस्थान का काम नहीं चलता था ? क्या हनुमान शर्मा के बिना सिविल डिफेन्स के लिए कोई मिलिट्री का अधिकारी नहीं मिल सकता था? क्या आपको श्री एल० आर० सरीन के बिना मेडिकल कालेज की व्यवस्था के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता था ? केवल मुखाड़ियाजी बात स्पष्ट है कि वह आपकी चम्पी करते हैं। न तो सिविल डिफेन्स से मतलब है और न मेडिकल सर्विसेज से मतलब है बस सुखाड़ियाजी लायल्टी होनी चाहिए जो लायल्टी जितनी ज्यादा दिखायेगा उतना ही वह इनाम पायेगा। आपने उनको री-हेबीलीटेट किया है। आप मेडिकल में देखलें आपने डाक्टर से डाक्टर को भिड़ाया। एक डाक्टर को एक से भिड़ाया, दूसरे को उससे भिड़ाया और डाक्टरों में उपाध्यक्ष महोदय युद्ध चल रहा है। इसी प्रकार से आप किसी को भी देखलें। आपने श्री भगवतसिंहजी को लगा रखा है। आपने श्री गोरधन सिंह जी को रखा आपने श्री आर० डी० माथुर को भी शायद पता नहीं रखा या नहीं लेकिन उनको भी एक कमेटी के अन्दर नियुक्त किया है। आपने श्री के० पी० यु० मेनन को सतर्कता आयोग का आयुक्त बना रखा है। तो सुखाड़ियाजी आप तो यह रूल बना दो कि जो राजस्थान का मुख्य सचिव होगा उसको री-एम्पलाय किया जायेगा ताकि मुख्य सचिव ईमानदारी से काम करें। आज जो मुख्य सचिव हैं उनके भी सर पर यहां पर तलवार लटकी हुई है। इसलिये आप तो यह रूल बना दो कि जो भी चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर होगा उसको पहले हिन्दी कमिशन का मेम्बर बनाया जायेगा और फिर चाहे हाईकोर्ट कुछ भी स्ट्रिक्चर पास कर दे उसके बाद में भी राजस्थान मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन का चेयरमेन बनाया जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि जिस समय श्री भगवतसिंहजी मेहता मुख्य सचिव थे तो उन्होंने एक आदेश निकाला वह मैं इस सदन में पढ़कर सुनाता हूं:—

(श्री भैरोंसिंह)

संख्या एफ. 8/33 नियुक्ति/क/55 दिनांक 1-11-66 वर्तमान नीति के अनुसार विशेष परिस्थितियों में सेवा निवृत्त होने पर भी अनुभवी राज्याधिकारियों तथा कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीनस्थ निगम में तथा अन्य स्वप्रबंध (आटोनोमस) प्रतिष्ठानों में कुछ काल के लिए पुनः नियुक्त कर लिया जाता है किन्तु विचार विनिमय के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य से निवृत्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को किसी भी राज्य सरकार के अधीनस्थ निगम, राजकीय उपक्रम एवं स्वप्रबंध (आटोनोमस) प्रतिष्ठानों में पुनः नियुक्त न किया जावे तथा राजकीय विभागों में जो कार्यकार (वर्कचार्ज) कर्मचारी हैं उन्हें भी 58 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जाये।

यह आज्ञा सरकार द्वारा प्रसारित पूर्व आदेशों को निरस्त करती है।

यह श्री भगवतसिंह जी मेहता जब चीफ सेक्रेटरी थे उस समय उन्होंने यह आदेश निकाले और मैं समझता हूं कि इन आदेशों का उल्लंघन किसने किया। इसका उल्लंघन उन्हीं मुख्य सचिव ने किया जिन्होंने कि यह आदेश निकाले थे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज इन लोगों को लेकर और इधर दूसरे कारपोरेशन्स हैं उनमें जो हार गये उनको लाकर बैठा दिया। ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में श्री ज्वाला प्रसादजी को ले आये, उधर श्री चन्दनमल जी वैद को ले आये। उधर श्री बालकृष्ण कौल को लाये थे बाद में वे चले गये। श्री द्वारकादास पुरोहित को हाउसिंग कारपोरेशन में बैठा दिया। आपने यह पिंजरापोल राजस्थान की जनता के पैसे से क्यों खड़ी कर रखी है? जो आज हारे हुए व्यक्ति हैं उनके प्रति आस्था नहीं बनी रह सकती और मैं मानता हूं कि पब्लिक के व्यक्ति यदि इन निगमों के अध्यक्ष हों वह ज्यादा अच्छा काम करेंगे लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको हारे हुए कांग्रेसी नेताओं के अलावा दूसरे व्यक्ति नहीं मिले। मेरि इच्छा है कि जितने भी कारपोरेशन्स हैं वहां से सरकारी अधिकारियों को हटाइये और उनके स्थान पर पब्लिक के आदमियों को रखिये जिनका कनविक्शन क्लियर हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : नाथूराम जी का भी यही हुआ।

श्री भैरोंसिंह : नाथूराम जी को नहीं रखा उनको तो बैलट पेपर खा गये नहीं तो ये उनको भी री-हेबीलीटेट कर देते। इसलिए सारी स्थिति में यह भारत सरकार ने भी निर्णय लिया है—मैं उस निर्णय के संबंध में समयाभाव के कारण पूरी प्रोसिडिंग्स नहीं पढ़कर सुनाना चाहता हूं लेकिन 25-11-69 को श्री जगन्नाथ राव भारत सरकार के मंत्री ने जो आई० ए० एस० आफिसर्स स्टेट कारपोरेशन्स में चेयरमैन बने हुए हैं, जनरल मैनेजर बने हुए हैं उस संबंध में वहां राज्य सरकारों से एक बात कही वह मैं थोड़ी सी चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

"This restriction of Government on I.A.S. Officers to opt before April, 1970 applies only to I.A.S. Officers who are managing directors or chairman, the top,

(श्री भैरोंसिंह)

posts not for any other I.A.S. Officer. Generally speaking I.A.S. Officers will have to opt out wheather to the management pool or to the parent deptt. We are not taking any more I.A.S. Officers in these."

'इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं'''

(5 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बैठक का समय बढ़ा रहा हूं। सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घन्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

कई माननीय सदस्य : एक घन्टा और बढ़ा दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, जितने विषय डील कर रहे हैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य उनकी वे चर्चा डिटेल में कर चुके हैं। उन्हीं बातों का फिर रिपीटिशन हो रहा है।

श्री मदनसिंह : बिल्कुल नई बातें हैं।

श्री विजयसिंह : इसमें एक भी पुरानी नहीं है।

श्री मदनसिंह : अगर आपकी खराबी नहीं निकली तो वही की वही बातें कहेंगे, हेमरिंग करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विषय इस तरह के हैं कि नाहर साहब उनको नहीं समझ सकते हैं। बदकिस्मती यह है कि कानून जो रिपील हो गया है उसका उद्धरण देते हैं तो इसको तो समझने का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्वयं ने 30 मिनट मांगे थे।

श्री भैरोंसिंह : बहुत जल्दी कर रहा हूं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक तरफ तो 65 साल की उम्र तक के लोग राज्य सेवा में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी उम्र घटा कर उनको अचानक रिटायरमेंट दे दिया है। यह न तो समाजवाद है और न किसी प्रकार का पूंजीवाद हैं, यह तो धींगामस्ती है जिससे कि गरीब का शोषण होता है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि आप आज इसके बारे में बतायें कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उम्र बढ़ाने के सम्बन्ध में विधान सभा का आमरूप से सरकार को समर्थन मिला था उसके बाद बिना इस विधान सभा की अनुमति के सरकार ने उनकी उम्र कैसे घटा दी और सरकार ने उनको किस प्रकार से हटाया ?

मैं उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मण्डल के सम्बन्ध में और इन्क्वायरी के सम्बन्ध में। मैं यहां पर इस सम्बन्ध में तो जिक्र करना नहीं चाहूंगा कि राजस्थान के विजिलेन्स कमीशन में किस प्रकार की व्यवस्था है। उसकी जब रिपोर्ट आयेगी उस समय चर्चा

(श्री भैरोंसिंह)

करूंगा। लेकिन रिपोर्ट के पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस सदन में एक स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करूंगा कि उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स के बारे में आज तक किस किस स्तर पर सरकार की ओर से क्या ऐक्शन लिया गया है। उसके बाद में पता लग जायगा कि इन्स्टीट्यूशन का कोई लाभ भी है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं तो मैं पहले रेवेन्यू बोर्ड को लेता हूं जिसका कि माननीय सदस्य को ज्यादा पता हो सकता है कि रेवेन्यू बोर्ड में कितने मामले पेंडिंग हैं? अब आप कहें तो मैं बता दूं? नई चीज है इसलिए सुन लें। राजस्व मण्डल में 62 से लेकर 69 तक 4822 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसी प्रकार से उदयपुर में 3822 मामले रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी के पास में है, बीकानेर में 3450 और कोटा में 4753 हैं, कुल 16851 मुकद्दमें रेवेन्यू बोर्ड में आज पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो राजस्व मण्डल के सम्बन्ध में आपको याद होगा, नाहर साहब, कि इसी सदन में मैंने कहा था कि राजस्व मण्डल बिल्कुल अयोग्य है और आज भी कहता हूं कि बिल्कुल अयोग्य है। इसलिए कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात से आप जज कर लें कि इसी राजस्व मण्डल का एक सदस्य राजस्थान ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी का चेयरमैन है और उसी राजस्व मण्डल, बोर्ड का दूसरा सदस्य एस. टी. ए. का चेयरमैन है। अब आप अन्दाजा लगायें कि एक ही बोर्ड के दो मैम्बर हैं और दोनों की बराबर हैसियत है और इतना तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो आर. टी. ए. का चेयरमैन है उसकी इन्टेग्रिटी पर आज तक राजस्थान के किसी व्यक्ति ने डाउट नहीं किया है, उसकी एफिशियेन्सी को किसी व्यक्ति ने चुनौती नहीं दी है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा अधिकारी है कि यदि राजस्थान में अयोग्यता की चैम्पियनशिप किसी को दी जाय तो वह निश्चित रूप से जीतेगा। उस व्यक्ति को एस. टी. ए. का चेयरमैन बना रखा है और उसको दुनिया भर का काम दे रखा है। उनकी योग्यता क्या है कि जिस योग्यता के आधार पर उनको एडजस्ट करते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। यदि समय मिला तो एक एक मेम्बर के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से गंगानगर जिले में झूठे कागज बना कर एक मैम्बर ने जमीन ले ली है और रेवेन्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं। उनसे आप लोगों के फैसले कराना चाहते हैं। मैं इसीलिये निवेदन कर रहा था कि हमने पिछले वर्ष सरकार से कहा था कि राजस्व बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय और सरकार ने घोषणा कि थी कि राजस्व बोर्ड का पुनर्गठन किया जायगा। अब जाकर एक विधेयक पेश किया है तो पिछले 12 महीनों में राज्य सरकार ने क्या किया है? इस सम्बन्ध में मैं जानकारी करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कुछ आफिसर्स के सम्बन्ध में कमीशन फार इन्क्वायरीज के मामले जाते हैं तो वहां हालत ऐसी है कि डिस्पोजल उनका जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था क्विक नहीं है और क्विक डिस्पोजल के लिये कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि 62 से लेकर 69 तक कुल मिलाकर 30-6-69 तक 179 केसेज फाइनल हुए हैं, 123 केसेज और बैलेन्स रहे

(श्री भैरोंसिंह)

हैं 56 केसेज और सारे सालों के बैलेन्स को निकाला जाय तो अधिकांश केसेज बैलेन्स में खत्म करेंगे तो उन अधिकारियों के जिनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था ऐसी चल रही है कि धीरे धीरे वे करना चाहते हैं ताकि आफिसर का रिटायरमेंट आजाय तो रिटायरमेंट के कारण हम-दर्दी पैदा हो जाय और उसके बाद में लें तो किसी प्रकार का कोई ऐक्शन नहीं हो।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, इस मन्त्री मण्डल के बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वे थोड़ा-सा मन्त्रि मण्डल से सतर्क होकर चलें। यदि मन्त्रि मण्डल के बारे में आप सतर्क होकर नहीं चलेंगे तो कई जगह झगड़े हो सकते हैं। मन्त्रि मण्डल के सदस्य का लड़का एक मर्डर केस में पड़ा है और राजस्थान सरकार की पुलिस उसको साबित करना चाहती है। मुख्य मन्त्रीजी के लिए चाहे वह अनुकूल हो या नहीं लेकिन मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़ा कुप्रभाव पड़ता है और सर्विस क्लास मखौल उड़ाती है। ऐसे लड़के का चालान यहां जयपुर में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पिता अपने पद पर बैठे हुए हैं और उससे तफतीश में बाधा पहुंच सकती है तो मोरेलिटि तो यह है कि वे मन्त्री अपने पद से स्वयं ही त्याग-पत्र दे दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह सवाल गया है सी. बी. आई. में।

श्री शंकरलाल : यह सी. बी. आई. में गया है आपके कहने से फिर इण्टरफियरेन्स का सवाल पैदा नहीं होता है। यदि वह मिनिस्टर का लड़का नहीं होता तो आज तक उसकी जमानत हो गई होती। आप सदन में जितनी बात करते हैं तो वह सी. बी. आई. उसकी इन्क्वायरी कर रही है।

श्री विजयसिंह : यह भी दिखावा है।

श्री मदनसिंह : मन्त्रियों को यदि ऐसा प्रिविलेज है तो दो-चार केसेज और होने दो।

श्री भैरोंसिंह : मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और राज्य सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि आप ही मंत्री बनें हमेशा नहीं बैठेंगे लेकिन इस विधान सभा का दूसरा दल भी उस पर बैठ सकता है, लेकिन आप जो परम्पराएं कोट करेंगे उन्हीं परम्पराओं का बाकी के लोग भी पालन करेंगे। अगर आप अच्छी परम्पराओं का निर्माण करते हैं तो मैं निश्चितरूप से कहता हूं कि राजस्थान की जनता आपका स्वागत करेगी, और यदि हम लोग जिसमें मैं भी शामिल हूं अगर इस विधान सभा में गलत परम्परा का निर्माण करेंगे तो उसका भुगतान निश्चितरूप से होगा और जनता उसका भुगतान करायेगी। हर कदम को राजनीति के आधार पर नहीं लेकर इस प्रश्न को इस आधार पर लेकर चलें कि अच्छी परम्परा का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिये।

मैं दूसरे मंत्री का नाम लेकर बताना चाहता हूं सदन को कि कई माननीय सदस्य यह नहीं चाहते थे जिस समय राजस्थान कैनाल का प्रश्न उठा था कि उसका पानी पाकिस्तान को मिले और उस सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह)

कई माननीय सदस्यों ने अपना रोष प्रकट किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का हाई कमिश्नर जयपुर आजाय और एक मंत्री के साथ जयपुर से चला जाय अजमेर को जहाँ पर वह कुछ व्यक्तियों से बातचीत करे जो कि अहमदाबाद से आये थे और उन लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कमिश्नर को अपने घर पर बुलाये और खाना खिलाये और खाना खाने के बाद वह दिल्ली चला जाय और इसकी सूचना भारत सरकार को न हो तो क्या इसको प्रोसीड करना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने नहीं लेकिन भारत सरकार ने मन्त्रियों के आचरण के सम्बन्ध में नियम बना रखे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की यात्रा के सम्बन्ध में मैंने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है और जिसकी प्रतिलिपि आपको मिली उस सम्बन्ध में आपने क्या ऐक्शन लिया है ताकि यहां पर किसी प्रकार का भ्रम न हो कि आप किस प्रकार की परम्परा राजस्थान में डालना चाहते हैं…

श्री रामसिंह कुड़ी : मंत्री का नाम नहीं बताया आपने।

श्री भैरोंसिंह : नवाब साहबा। मंत्री का नाम सबको मालूम है। अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के प्रशासन में चाहे हमें कितना ही कठोरता करनी पड़े वह करें ताकि उस कठोरता के आधार पर इस प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास हो इस प्रकार की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, और इसी व्यवस्था के आधार पर मैंने आपके सामने अपना कटौती प्रस्ताव रखा है। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और अन्य दो मांगों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। आज जो प्रशासन की स्थिति राजस्थान में है यदि उसको प्रशासनिक अराजकतावाद कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इधर से बोलने वाले माननीय सदस्य बोले हैं या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बोले हैं—सभी आज के प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार, मनमानी, पक्षपात इन बातों का आरोप चारों तरफ से और उस दल, जिसके हाथ में आज सत्ता है, के माननीय सदस्यों द्वारा लगाया जा रहा है……

श्री हंसराज आर्य : केरल से, बंगाल से लाख दर्जा अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर यह होता क्यों है, बजाय इसके…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई यह कहे कि मैं गधे से अच्छा हूं, तो क्या बात हुई। बड़ी अकल की बात कही।

श्री प्रद्युम्नसिंह : केरल और बंगाल की सरकार गधा है— इसका मतलब यह है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गधा कह रहे हैं बंगाल और केरल की सरकार को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य यह बात कह कर अपने दिल के अन्दर खुश न हों। वह शायद जानते होंगे, केरल में एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हमारी

(5.12 म. प.)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया सभानेत्री पदासीन)

पार्टी का योग है और हमारे मुख्य मंत्रीजी हैं उनका आपके दल ने समर्थन करके आपने और जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं सभी ने चाहे उनसे विरोध होते हुए भी उनकी नीतियों से विरोध होते हुए भी उनकी प्रशंसा की है और यह बात कही है कि उन्होंने केरल के अन्दर एक स्थाई शासन दिया है ''

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो बोले जाइये। आपके बिना तो इन्दिरा गांधी की सरकार भी नहीं चल सकती। आप काहे को चिन्ता करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर इस प्रशासन की स्थिति यह क्यों? हम एक एक घटना भ्रष्टाचार की या पक्षपात की गिनाने लगें, तो मैं समझता हूं कोई भी सदस्य उसको कितना ही गिना सकता है। प्रश्न यह है कि यह सारी स्थिति क्यों बनती है? यह प्रशासन इस देश में क्या देने जा रहा है? जहाँ तक हमने समझा है, मैं समझता हूं कि आज की सरकार राजनैतिक तौर से दिशाहीन है। आर्थिक रूप से दिशाहीन है और इसलिए जिस सरकार के सामने अपना राजनैतिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो, जिसके सामने आर्थिक नीतियां स्पष्ट नहीं हों वह एक मजबूत और साफ दृष्टिकोण रखने वाला प्रशासन दे ही नहीं सकती। यह बात अलग है कि राजनैतिक तौर से आप कुछ घोषणायें करते हैं, आर्थिक रूप से कुछ नीतियों की भी आप घोषणायें करते हैं लेकिन उन नीतियों में आपकी कितनी आस्था है, उन नीतियों को अमली तौर पर कार्यान्वित करने के लिए कितने कदम उठाते हैं—यह अगर देखा जाय तो खुद एक ओर घोषणा करेंगे और दूसरी तरफ अमल में उन नीतियों के खिलाफ कदम उठायेंगे। यह कारण है जब आपका मंत्रिमण्डल दिशाहीन है तो लाजमी तौर से आपकी सर्विसेज दिशाहीन रहेगी, और लाजमीतौर से आपके प्रशासन में लोगों का विश्वास नहीं होगा और यह इसका नतीजा है कि आज आपकी सर्विसेज को यह पता नहीं जो कि आपका काम करने वाले हैं, आपके खुद के मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं उनको पता नहीं कि जो आपने आज नीति बनाई है वह कल कायम रहने वाली है या नहीं, आपके यह जो सेक्रेटरीज हैं वह जानते हैं कि आज यह नीति बनी है, कल यह बदल जायेगी, या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई एडजस्टमेंट करना हुआ तो उसके लिए नये रूल्स बन जायेंगे, नया एक्ट तक भी बन सकता है, अगर एक माननीय सदस्य को इस असेम्बली में लाने के लिए एक्ट बन सकता है ...

श्री मदनसिंह : वह कौन हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नियमों में चेंज करनी हो .

श्री मदनसिंह : वह कौन है? नाम बतायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इतने नादान न बनें, वरना उनकी नादानी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माजना बिगड़वा लिया आपने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रशासन को वास्तव में टोन देना चाहते हैं, प्रसासन को मजबूत बनाना चाहते हैं, सर्विसेज से सही तरीके का काम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दृढ़ता से राजनैतिक लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट होना चाहिये और उस राजनैतिक लक्ष्य के अनुसार आपको अपनी आर्थिक नीतियों को स्पष्ट तौर से रखना चाहिए और उसी के अनुरूप आपको अपनी सर्विसेज को ढालना चाहिए। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि सर्विसेज का नीतियों से कोई ताल्लुक नहीं है। सर्विसेज एक ऐसी इंडिपेंडेंट शक्ति है, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं जो चाहे जैसी नीति हो उसके अनुसार अपने को ढाल लेता है। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी होक्स बनाने की बात है, यह जो तबका है, जिस क्लास की आज ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है, सर्विसेज बनी हुई है उस क्लास के हाथ सत्ता में रखने की बात है जिसके हाथ में आज सत्ता है, एसेम्बली में पावर है, आज सर्विसेज के अन्दर इसी तबके के लोग आये हुए हैं। आप अपना लक्ष्य बनायें, समाजवाद और उस लक्ष्य के अनुसार आप अपनी आर्थिक नीतियां बनायें और जो लोग समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जो विरोधी हैं और उन नीतियों को हर तरह से सेबोटेज कर रहे हैं उनको आपने सर्विसेज में रखे ना मंत्रिमंडल में रखें–मैं समझता हूं कि इससे आपके प्रशासन का टोन ठीक नहीं हो सकता है। मैं आज सबसे बड़ी बुनियादी कमजोरी आपके प्रशासन में पाता हूं जिसकी वजह से यह सारी गड़बड़ी हो रही है उसमें आपकी राजनैतिक मान्यताओं में सीन्सियरिटी की कमी है और आपके राजनैतिक पर्पज में साफ दिशा का नहीं होना है। उसकी वजह से आपकी आर्थिक नीतियों में ढिलमिलपना है और आपकी नीतियों के विरोध में काम करने की स्थिति है। उसकी वजह से चाहे रिक्रूटमेंट का सवाल हो, चाहे प्रमोशन का सवाल हो या लोगों को सर्विसेज में स्थायित्व देने का सवाल हो, या वेज स्ट्रक्चर का सवाल हो-इन तमाम के अन्दर आपकी नीतियों, जो आप घोषित करते हैं या समाजवाद की बात करते हैं, में यदि स्पष्टता होती तो इन तमाम बातों की आपके सामने दिक्कत नहीं आती। लेकिन चूंकि आप घोषणा करने के बाद अमलीरूप में आप चाहें जिस तरह ढाल देते हैं-आपने सीलिंग कानून बना दिया लेकिन उसको आप लागू करेंगे नहीं, उसको लागू करने के अन्दर आपने दस साल निकाल दिये। राजाओं की जमीन का अधिग्रहण करने का सवाल था, उसमें आपने रिट करवा दी और चार साल निकाल दिये। इस तरह नीतियों को सेबोटेज कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज आपका प्रशासन दिशाहीन है, न गरीब को राहत दे सकता है और अमीर तो राहत में हैं उसी को लाजिमीतौर से ज्यादा से ज्यादा राहत मिलती है।

सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने घोषणा की राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त करने के संबंध में आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपनी सहमति जाहिर करते हुए आपने विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात कही। जनसंघ के माननीय नेता अभी बोल रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता था, उनकी पार्टी की इस सम्बन्ध में नीति क्या है। लेकिन वह केवल यह बात कह कर रह गये कि इसका कानूनी पक्ष गवर्नमेंट ने मालूम नहीं किया और यह घोषणा कर दी। मैं यह समझ नहीं सका कि क्या वह कानून के आधार पर इन विशेषाधिकारों को कायम रखना चाहते हैं या उनको खत्म करना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि आज वह बतायें इस बात को ? मैं चाहूंगा, माननीय सदस्य आज या किसी और मौके पर इस बात को क्लीअर करें कि क्या वास्तव में उनकी टाइट बोटलनैक नीति है। आज देश की नीतियों का प्रश्न आ रहा है सामने, उसमें क्लीअर होना पड़ेगा। जहां तक हमारा सवाल है, हम कहना चाहेंगे कि राजाओं के प्रिवीपर्स बन्द होने चाहियें, राजाओं के विशेषाधिकार खत्म होने चाहियें और अगर कोई कानूनी अड़चन है, कोई वैधानिक अड़चन है और संविधान को संशोधन करने की जरूरत है तो संविधान में संशोधन करके यह करना चाहिये। लेकिन यह परिस्थिति कि जिसमें कुछ लोग बगैर काम किये प्रिविलेज्ड पर्सन की स्थिति में कायम रहें चाहे वह राजा हों, चाहे नवाब हों, चाहे जागीरदार हों या चाहे सम्पत्ति वाले सेठ हों.......

श्री मदनसिंह : चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह इसी प्रकार की परिस्थिति में रहें केवल कानूनी बात के कारण, केवल इसलिए कि कानूनी सलाह नहीं इस कारण उनको रहने दिया जाय ? सभानेत्री महोदया, हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राजाओं का प्रिवीपर्स बिना मुआवजा दिये खत्म होना चाहिये। हम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की नीति के खिलाफ हैं जो कि कम्पेन्सेशन की बात कह रही है कि पन्द्रह साल का कम्पेन्सेशन बारह साल में देकर चुकाना चाहिये। वह प्रिवीपर्स हमारे दृष्टिकोण से खत्म करना नहीं हुआ, बल्कि बारह साल तक देने की गारन्टी देना हुआ। मैं समझता हूं कि यह जनता के साथ विश्वासघात करना हुआ। इसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट के वित्त मंत्री ने राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त करने की घोषणा की लेकिन उसको अमलीरूप देने का कोई कदम नजर नहीं आया क्योंकि इन तमाम चीजों के लिए बजट में प्रोवाइड किया है जिस जिस तरह के चाहे कोई विशेषाधिकार देते हों उन सबका खर्चा इसमें इन्क्लूड किया है 1970-71 के बजट में, तो कब समाप्त करने का इरादा है ? क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना, फाइनल प्लान में इसको खत्म करने का प्रोग्राम है या इमीजियेटली करने का प्रोग्राम है ? मैं समझता हूं, जैसा बम्बई में कहा कि बाइस वर्ष तक हमने कुछ नहीं किया, हमारे पुराने पापों को माफ करो, हम अब ठीक करेंगे। लेकिन अब उसी रास्ते पर चलते जायं तो जनता माफ करने वाली नहीं है। इसलिए ठोस रूप से किस तरह से विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले हैं यह मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहिये और इसी सदन के अन्दर उन बिल्स को पास कराना चाहिए, या उन कानूनों के प्रावधान या प्रशासनिक आज्ञाओं के बारे में आपको बताना चाहिये जिनके जरिये कि इन विशेषाधिकारों को समाप्त किया जा सकता है।

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूंगा

(श्री रामानन्द अग्रवाल) (5-22 म० प०)

कि समय बहुत नहीं है इसलिये उन सब बातों को जिन्हें मैं कहना चाहता था, नहीं कह सकूंगा ।

एक बात की ओर मैं इस सदन का और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान विशेष तौर से दिलाना चाहता हूं । सर्विसेज में आज तीव्र असंतोष है, उनके अपने वेजेज के सवाल हैं, उनके अपने और भी कई सवाल हैं, जिनके मेमोरेन्डम उन्होंने आपके सामने पेश किये हैं । बजाय इसके वे हड़ताल पर उतारू हों, आपकी और उनकी शक्ति की आजमाइश हो, यह वाजिब होगा कि समय रहते रहते उनसे बात चीत करके फैसला करलें । आज जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उसकी विशेष दयनीय स्थिति है । जिस प्रकार हमारे समाज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थिति है उसी तरह की स्थिति आज हमारे कर्मचारियों के अन्दर इन फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की है । इनके साथ जो बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जाता है समाज में तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ दूसरे लोग, बड़ी जातियों वाले दुर्व्यवहार करते होंगे पर सर्विसेज में चपरासियों के साथ बाहर से कोई दुर्व्यवहार करने नहीं आता बल्कि जो उच्च वर्ग सर्विसेज में बना हुआ है, फर्स्ट क्लास आफिसर्स सेकिन्ड क्लास आफिसर्स चाहे थर्ड क्लास आफिसर्स हैं वे इन फोर्थ क्लास चपरासियों की जान को सारे के सारे आफत बने हुए हैं । आज सब आफिसर्स चपरासियों से डोमेस्टिक वर्क लेते हैं । मैं जानना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि जो यह चपरासियों से डोमेस्टिक वर्क लिया जाता है वह सर्विस रूल्स के मुताबिक है या सर्विस रूल्स के खिलाफ है ?

[श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन]

आज एक ब्राह्मण आफीसर है वह हरिजन चपरासी को अपने यहां नहीं रखेगा क्योंकि उसके घर पर उससे खाना बनाने का काम, पानी भरवाने का काम कैसे चलेगा ? मेरा अनुभव है कि महतर का लड़का चपरासी बन गया पर क्योंकि वह अफसर के घर में खाना नहीं बना सकेगा पानी नहीं भर सकेगा और बीवी नाराज हो जायगी इसलिए उसको धक्का दे कर निकाल दिया और किसी ब्राह्मण को या दूसरी जाति वाले को चपरासी रख लिया जो घर पर खाना बना सकता है, घर का और काम कर सकता है ।

मैं अलवर की एक दर्दनाक घटना आपके समक्ष रखना चाहता हूं । अलवर में श्री गोयल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहां थानागाजी से बुलाकर एक चपरासी को घर पर खाना बनाने के लिये रखा गया । वह चपरासी छुट्टी पर गया और छुट्टी से दो दिन बाद आया, इस पर उसको बुरी तरह से पीटा गया······

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कोई कटौती प्रस्ताव आपका नहीं है ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : है साहब । सबके पास पहुंच गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि उस चपरासी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उसको होस्पिटल में दाखिल कर दिया गया पर होस्पिटल में इन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के साढू एस. के. गुप्ता डाक्टर हैं, उनको इन्फ्लुएन्स करके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रात को 12 बजे अस्पताल से निकाल दिया। दूसरे तीसरे दिन फिर उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस पर तमाम आफीसर्स ने कान्स्पीरेसी करके, चाहे वह कलेक्टर हैं, एस. पी. हैं, चाहे मजिस्ट्रेट हैं सबने मिलकर इसको प्रेस्टिज का विषय बना लिया कि यह गोयल मजिस्ट्रेट का प्रश्न नहीं है, हम सब का प्रश्न है। हम सब आफीसर्स घर पर चपरासी से डोमेस्टिक सर्वेन्ट का काम लेते हैं। आज गोयल का सवाल आया है। कल हमारा सबका सवाल आ सकता है। चपरासियों ने अलग मीटिंग की; आफीसर्स ने अलग मीटिंग की। वह चपरासी एक्सरे करवाने गया तो थाना गाजी का थानेदार जीप लेकर आया और उस चपरासी को जबर्दस्ती जीप में बैठाकर ले गया कि चलो, यहां क्या करते हो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं। वह थानेदार उस चपरासी को जीप में बैठाकर थाना गाजी ले गया और उसका एक्सरे नहीं होने दिया। उसके चोटें आई थीं, जूतों से ठोकरों से उसको मारा गया। तमाम एसोशियेशन ने मिलकर प्रतिवेदन दिया। यहां एडजर्नमेंट मोशन रखा तो कलेक्टर से, उस आदमी के दस्तखतों से लिखाकर भेज दिया कि मुझे नहीं मारा गया, मुझे तो बेटे की तरह रखते हैं। आप सब जानते हैं कि चपरासी नौकरी में रहता है, उससे अफसर द्वारा दबाव में यह लिखाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इस घटना की जांच तो करवायें ही। इसके साथ ही आप चपरासियों को बुलाकर उनसे मिलें, कोई अफसर उस समय मौजूद नहीं हो और आप उनसे पूछें कि वे चीफ सेक्रेटरी के घर पर डोमेस्टिक सर्वेन्ट की तरह काम करते हैं या नहीं, यह उनसे आप पूछिये, कि दूसरे सेक्रेटरीज के यहां पर डोमेस्टिक सर्वेन्ट की तरह काम करते हैं या नहीं। आप उनसे पूछिये कि कौन कौन से आफीसर्स हैं जो चपरासियों से डोमेस्टिक सर्वेन्ट की तरह काम नहीं लेते हैं। या फिर रूल्स बना दीजिये कि चपरासियों से डबल टाइम, ओवर टाइम में वर्क लेते हैं, उसी के मुताबिक उन चपरासियों को तनख्वाह और भत्ता देना होगा। पर यह नहीं है। आप सब लोगों से कानून मनवाना चाहते हैं, चपरासियों को चार्जशीट देते हैं पर आपकी आंखों के सामने रूल्स का वायोलेशन हो, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। बूंदी में एस. पी. ने अपने अर्दली को गोली मार दी। यह घरेलू झगड़ा था। इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ होता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अलवर की घटना को यहीं खत्म नहीं किया जाय, इस सारी घटना की स्पेशल जांच करवाई जाय और तमाम चपरासियों से आफीसर्स के घर पर घरेलू काम लिया जाता है, इसकी जांच करायें।

अब मैं आपके रेड टेपिज्म का एक ज्वलन्त दर्दनाक उदाहरण रखना चाहता हूं। पिछली चीन की लड़ाई में 1962 की लड़ाई में अलवर के गांव अहमदपुर के दो आदमी लड़ाई में मारे गये, शहीद हो गये। उन शहीदों की बेवाओं को आपके आर्डर से 16-16 बीघा जमीन अलोट हुई। उन बेवा औरतों ने दरखास्त दी और कहा कि इन जमीनों को उनके नाम परमानेन्ट अलोटमेंट कर दिया जाय, पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। तहसील

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दार द्वारा उनको बेदखल करने के आर्डर, उनकी जमीनों को नीलाम करने के आर्डर किये हुए हैं। उन बेवाओं ने प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के पास 22-1-70 को दरख्वास्त पेश की, उसकी कापी आपको भेजी, एक कापी मुझे भी भेजी है। उस में एक शीट बनाकर भेजी है, शिड्यूल बना कर भेजा है। 20 चिट्ठियां अलग अलग आफीसर्स के पास, कलेक्टर, तहसीलदार और दूसरे आफीसर्स के पास लिख कर भेजीं। उसमें लिखा है कि 17 एप्लीकेशन्स कलेक्टर को, 8 एप्लीकेशन्स तहसीलदार को, दो एप्लीकेशन्स डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड के जरिये दी हैं, आर्मी हैड क्वार्टर से दो दरख्वास्तें आई हैं। इसके बावजूद शहीदों को बेवाओं की जो जमीनें देने का वादा किया, प्रधान मंत्री तक घूम आईं, आपके पास आ गईं। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कितने सतर्क हैं। 22-1-70 को कापी सब जगह जाने पर किसी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्टार्ड क्विश्चन भेजा, उसका कोई असर नहीं हुआ। 22-1-70 की दरख्वास्त आपके पास जरूर पहुंच गई होगी। दो महीने हो गये आपने क्या कार्यवाही की? आपका दिल इस चिट्ठी के आने के बाद पिघला कि नहीं कि दो शहीदों की बेवाएं हैं, उनको परमानेन्ट अलोटमेंट किया जाना चाहिये।

आज प्रशासन का यह हाल है कि जो बूढ़े अपंग लोगों को परेशान देते हैं, उसके लिये उनको रिश्वत देनी पड़ती है। अजमेर के बारे में कहा कि 10-10 रुपयों के लाटरी के टिकट खरीदने के लिये उन लोगों को मजबूर किया जाता है। जो लोग अपंग हैं, जिनके पीछे कोई नहीं, उनको यह कहें कि पीछे तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की जायगी, पहले दस, दस रुपयों के लाटरी के टिकट खरीदो। आपने खजान्ची को लाटरी टिकट बुक दे रखी है वह इन अपंगों को टिकट बेचेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तकदीर जाग जाय तो निहाल हो जायं।

समय समाप्त हो गया है आपका।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय इन मांगों के पारण तक बढाया जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या हमें समय मिलेगा ?

श्रीमती कांता कथूरिया (कोलायत) : मैं परसनल एक्सप्लेनेशन पर एक मिनट लूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचा करती थी कि विरोधी दल के माननीय सदस्य बुद्धिमत्ता से बात करते होंगे लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि अभी उन्होंने विचित्र बात कही है। कोई भी सदस्य इस सदन में विधेयक के मारफत नहीं आया करता। जनता के वोट से जीतकर आते हैं, विधेयक पास होने से कोई सदस्य नहीं आता है। सरकार गलती करती है और अगर लॉ डिपार्टमेंट के आर्डर को देखा जाय तो सरकार ने अपनी भूल सुधारने के लिए विधेयक पास किया। मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। सरकार ने जो भूल की थी, जो गलत आर्डर जारी किया था वह लॉ डिपार्टमेंट की गलती थी, उन्होंने अपनी भूल सुधारने के लिए किया था और मेरे को लाने के लिए नहीं

Page No 164

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

किया था। अभी जो माननीय सदस्य मेरी तरफ इशारा करके बोले हैं, वह बिल्कुल गलत है और मैं आशा करती हूं कि आइन्दा वह बुद्धिमत्ता से बात करेंगे। उनको मालूम होना चाहिये कि वे 1100 वोटों से जीते हैं तो मैं 4000 वोटों से जीती हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ऐसी निकम्मी सरकार में क्यों बिराजती हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बुद्धिमत्ता की बात तो कांताजी को मुख्य मंत्री से कहनी चाहिए थी, गलती उनसे हुई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कम से कम इन पर तो चार्ज समाप्त हुआ।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज इस सदन में सामान्य प्रशासन के संबंध में जो मांग प्रस्तुत की गई थी, उनके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने सर्विसेज का दृष्टिकोण समाजवादी हो, दूसरों का दृष्टिकोण समाजवादी हो, भ्रष्टाचार के संबंध में और कई प्रश्नों के संबंध में यहां पर जिक्र किया। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में सर्विसेज को संविधान और कानून के अनुसार संरक्षण भी प्राप्त है और उसी के अनुसार सरकार भी अपने नियम और उपनियम बना सकती है। इस देश में जब जनतंत्र को हमने स्वीकार किया है तो जो अभी कहा गया कि भर्ती के समय कुछ दृष्टिकोण रखा जाय या सर्विसेज के बारे में ट्रेनिंग दी जाय कि अमुक विचारधारा के बनें। मैं समझता हूं, सर्विसेज के बारे में यहां का मूल आधार जनतंत्र में हो सकता है कि जो नान आफीशियल्स, पोलिटिशन्स जो चुनाव के जरिए जनता के प्रतिनिधि बनकर आते हैं और जो सरकार बनती है, उसकी जो कुछ नीति हो, उस नीति के अनुसार सर्विसेज ईमानदारी के साथ उसका पालन करें। यही सर्विसेज से अपेक्षा रखकर चलते हैं। सर्विसेज अमुक प्रकार का दृष्टिकोण रखे, मैं समझता हूं, इस प्रकार की विचारधारा इस देश का जनतंत्र का जो आधार है, उससे मेल खाने वाली बात नहीं होगी लेकिन साथ ही जो निर्णय नीतियों के संबंध में हों, उस बारे में निश्चय ही उनको उस पर चलना चाहिए और न चलें तो उस बारे में आगे क्या हो सकता है, उस पर विचार करने का प्रश्न खड़ा हो सकता है।

उपाध्यक्षजी, यहां पर जिक्र किया गया कि प्रोमोशन्स के बारे में और चीजों के बारे में सर्विसेज के अन्दर एक डीमारेलाइजेशन पैदा हुआ है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप आल इन्डिया सर्विसेज के नियमों का अध्ययन करें, उनमें एक आई० ए० एस० अधिकारी जो भर्ती होकर आता है, उनके प्रमोशन के लिए कोई डी० पी० सी० नहीं बैठती। उनका प्रमोशन चाहे सीनियर स्केल में हो चाहे सिलेक्शन ग्रेड में हो, चाहे सुपर टाइम स्केल में हो, वह सिलेक्शन के तौर पर उन लोगों के अपोइंटमेंट्स व प्रमोशन्स होते हैं। हमारे राजस्थान की जो सर्विसेज हैं उसमें जब पहला सिलेक्शन होता है वह तो पी० एस० सी० के जरिए होता है। उसके बाद उनके प्रमोशन्स के स्टेजेज के अन्दर पी०एस०सी० के सदस्य के अलावा हैड आफ डिपार्टमेंट और कई जगह एक्सपर्ट को भी उनके साथ जोड़कर उनके प्रमोशन्स के नियम बनाए हैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं समझता हूं, जहां तक सरकार का प्रश्न है, वह इस बात को लक्ष्य में रखकर चलती है कि जिन लोगों को इसमें लिया जाता है, उन लोगों को निष्पक्षता से इस सम्बन्ध में प्रमोशन्स के मौके मिले।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उदयपुर के लोगों को पी० एस० सी० व राजस्व बोर्ड सब जगह सेक्रेटेरियट और दूसरी जगहों पर जोधपुर और उदयपुर के लोगों को विशेष तौर से रखने का सोचा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादातर, तो क्या पूरे ही आई० ए०एस० के लोग राजस्व मण्डल के सदस्य हैं। उसी प्रकार सेक्रेटेरियट में भी आई०ए० एस० के लोग हैं। जहां तक सेक्रेटरी की पोस्ट है, वह टेन्यूअर पोस्ट है। उस टेन्यूअर पोस्ट पर कम सीनियोरिटी वाला व्यक्ति भी आ सकता और जा सकता है। सिलेक्शन ग्रेड के अलावा सुपर टाइम स्केल के सेक्रेटरीज कुछ हमने बना दिए इसलिए कि कुछ को बनाना था, यहां यह भी कहा गया। तो भारत के कुछ राज्यों में पूरे सेक्रेटरीज सुपरटाइम स्केल आई० ए० एस० के हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 9 में से 9 सुपर टाइम स्केल, आई ए. एस. हैं। इसी प्रकार मद्रास में 12 में से 6 सुपर टाइम स्केल, गुजरात में 10 में से 10 और राजस्थान में 11 में से 7 हैं। पश्चिम बंगाल में 18 में से 8 हैं। तो कोई अलग पैटर्न राजस्थान में हो गया हो कि कुछ लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हमने सुपर टाइम स्केल की पोस्ट्स बनाई हैं, ऐसा नहीं है बल्कि कई जगह यह पैटर्न रहा है और उसके अनुसार ही राजस्थान में इस बारे में व्यवस्था की गई है। जो राजस्व मण्डल के अन्दर सदस्य हैं जो उनको खयाल होता है कि इस प्रकार की स्थिति चलती है, उदयपुर का कोई नहीं है...

श्री राम किशन : यह कहा ही नहीं मैंने, आप डिस्टार्ट कर रहे है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा। आपने पी० एस० सी० का जिक्र किया।

श्री रामकिशन : मैंने नहीं कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाँसवाडा के बारे में आपने कहा।

श्री रामकिशन : मैंने डिवीजन के लिए कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक है। मैं नहीं कहता कि आज सर्विसेज के बारे में कोई आदमी कहीं जा सकता है उसके लिए जो अथोरिटी गवर्नमेंट की है, उसके अनुसार उनको एपाइंट किया जाता है, कोई विशेष इस बारे में बात कर नहीं चला जाता।

अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में अराजकता की स्थिति है। अराजकता फैलाने का का प्रयत्न करने वाले तो करते ही हैं लेकिन राजस्थान में बावजूद उसके शांति है...

श्रीरामचन्द्र आर्य : लोगों को रातों रात आपने जला दिया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका नाम मैंने थोड़ा ही लिया ?

श्री रामचन्द्र आर्य : अराजकता नहीं तो और क्या है ? आपने लोगों को जिन्दा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जलाया है, किसी राज्य में इस प्रकार जिन्दा लोगों को नहीं जलाया...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके राज्य में महिलाओं पर लाठी चार्ज हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तो अराजकता की बात कर रहा था। मुझे पता नहीं....

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने सेना को गंगानगर में लगाया और गंगानगर की जनता पर जुल्म करवाये और नक्सलपंथियों का नाम लिया कि पाकिस्तान से हथियार आए हैं। कहां है हथियार पाकिस्तान के ? कहां है भण्डार ? आपने सारे जिले को सेना के हवाले कर दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य आज दिन भर बोले नहीं थे इस लिए स्वाभाविक था कि किसी न किसी समय बोलते।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने सदन के सामने जो रामानन्द जी को टार्गेट बना कर कहा है, सही स्थिति यह है कि सरकार खुद अराजकता फैला रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में सर्विसेज में डिमोरेलाइजेशन की बात कही जाय तो मैं कहता हूं कि यह गलत बात है। आज सर्विसेज में कहीं भी डिमोरेलाइजेसन की बात नहीं आती है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मिनिस्ट्री नहीं चलती, सेंट्रलाइज कर रखा है इस प्रकार की बातें कहीं। क्या डिसेन्ट्रेलाइज करना चाहते हैं ? सेंट्रलाइजेशन किसी बात का नहीं है। मिनिस्टर और अफसरों को अपने अधिकार मिले हुए हैं। मेरे अधिकार हैं वे मेरे पास हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अधिकार लूटने के हैं और कोई अधिकार नहीं हैं। आपके अधिकारी और मंत्री लूटें। लूटने के अधिकार आपकी है। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी बजाय माननीय सदस्य जवाब दे दें इस डिमाण्ड का तो ठीक है।

श्री विजयसिंह : एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी मुख्य मंत्रीजी जवाब देते हैं तब केवल अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा इसके सिवाय कुछ नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। दूसरे माननीय सदस्यों का भी ध्यान रखेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी और माननीय सदस्य भी बाकी हैं। मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। उन्होंने जो बात कही उसके बारे में यह कहा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर यह कहा गया कि कुछ लोग जो हारे हुए थे उनको कार्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। इशारा उनका ज्वाला-प्रसादजी और चन्दनमलजी की तरफ था। दूसरा उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अधिकारी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भगवतसिंहजी मेहता को इस जगह पर क्यों लगाया गया। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य स्वयं ही मुझ से ज्यादा जानते हैं कि ज्वालाप्रसादजी को उस पद पर लगाने के बाद स्टेट ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन में अच्छा काम हुआ है और उसमें सुधार हुआ है। आज चुनाव के अन्दर तो हार और जीत होती रहती है।

श्री मदनसिंह दांता : कांग्रेस में बैठे तब आपको आराम से नहीं रहने देते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो विषय है वह तो भैरोंसिंहजी आप से अधिक जानते होंगे। क्या सुधार हुआ है ? सुधार हुआ है यह सही नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप भी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। सदन का एक एक माननीय सदस्य जानता है कि वर्किंग में सुधार हुआ हैं। आप को असंतोष है उसका कारण मैं जानता हूं। स्टेट ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी के लिये असंतोष है, कार्पोरेशन के लिये असंतोष है उसको मैं जानता हूं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चुनाव में हार गये हों ज्वालाप्रसादजी, हारने से पोलिटिकल स्टेटस, लाइफ में जो काम किये हैं, वह समाप्त नहीं हो जाता है। बड़े बड़े लोग, इंगलैंड के प्रधान मंत्री भी, चुनाव में हार जाते हैं, जीत जाते हैं, यहां पर भी कई बार माननीय सदस्य हार जाते हैं जीत जाते हैं, उसके लिये पोलिटिकल स्टेटस हमेशा के लिये खतम हो जाता है यह मान कर नहीं चल सकते। वे हार गये हों तब भी जो एक्यूमन है उसका तो उपयोग किया ही जाना चाहिये। उसका लाभ भी हुआ है। सारे माननीय सदस्य तटस्थ दृष्टि से इस बात को देखेंगे तो एग्रो-इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन का वर्क करने का काम बाकी पड़ा था, जो स्टेट ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन में काम हुए उसके लिये आंकड़े बतलाते हैं कि वहां पर अंतर पड़ा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां काम्पीटेंट व्यक्ति उपलब्ध हो, हमारे स्टेट एन्टरप्राइज हैं उनको चलाने के लिये उन लोगों की सेवाओं का उपयोग करें क्योंकि वे एक दृष्टिकोण के अनुसार उस काम को पूरा करके चलाना चाहते हैं। जयपुर से आये माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उनको आगे और खयाल रख कर चलेंगे तो इस प्रकार के लोगों का उपयोग किया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य : विरोधी दल में भी ऐसे माननीय सदस्यों की कमी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भैरोंसिंहजी ने तो ज्वाला प्रसादजी की तारीफ करने के लिये प्रोवोक किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चलिये वह मकसद पूरा हुआ।

मैं निवेदन कर रहा था कि भगवतसिंहजी महता को इस पद पर नियुक्त किया गया था उसका मुख्य कारण उनका अनुभव था मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि रिएप्लोयमेन्ट उनको नहीं दिया गया है। आज एक नोन ऑफिशियल का अपोइन्टमेन्ट करके उसको वेतन और दूसरी सुविधायें देते हैं लेकिन भगवतसिंहजी महता को तो वह भी नहीं दी। सिर्फ 400 रुपया सम्पचुअरी अलाउन्स, मकान और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कार और टेलीफोन की सुविधायें दी हैं। रिएम्प्लोयमेन्ट में सेलरी माइनस पेन्शन होकर अपोइन्टमेन्ट की बात हो तो लेकिन वह नहीं की गयी।

श्री भैरोंसिंह : यदि आप उनको पूरी तनख्वाह भी दे देते तब भी पेन्शन काटने के बाद इतना मिलता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस दृष्टिकोण से इस पद पर नियुक्त नहीं किया है। जो सुविधायें दी हैं उनको मैंने छिपाया नहीं है वह आपके सामने हैं। इस कार्पोरेशन को ठीक तरह से सेट अप किया जाय इस दृष्टि से किया है। मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने के बाद हिन्दी कमीशन में गये हैं और वहां पर उनकी नियुक्ति हुई। उनकी योग्यता और जो कुछ उनका अनुभव था उस दृष्टि से किया गया है। किसी को ओबलाइज करने जैसे बात नहीं की गयी है। वह तो तब ही समझी जा सकती थी कि मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने के बाद ही यहां किसी कमीशन में नियुक्त कर देते तो माननीय सदस्य वह बात कह सकते थे। वैसे यह दृष्टिकोण नहीं रहा।

श्री विजयसिंह : नेहरूजी के मरने के बाद भी क्या हुआ ?

श्री मदनसिंह : सवाल यह था कि रिटायरमेन्ट होने के बाद और इतने बूढे हो जाने के बाद भी उनको क्यों लगाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बूढे होने के बाद आदमी सब बेकार हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है। अकल की भी आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रशासन में उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया इसलिये उनको आप छोड़ना नहीं चाहते थे। न मालूम कल वे पोल खोल दें आपकी

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गलत बात है भ्रष्टाचार किया या दूसरा किया जिसकी जानकारी न हो इस प्रकार की बात कहते हुये नहीं चलना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : इन्क्वायरी कमीशन बिठाओ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण में बाधा उपस्थित न करे। माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान में सीनियर सर्विसेज में काफी बड़ी तादाद में ईमानदारी से काम करने वाले अफसर हैं उनको भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट देकर नहीं चल सकते।

श्री रामचन्द्र आर्य : ईमानदारी को स्थान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर ओर्डर, माननीय सदस्य।

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवा लाख से एक आये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सदन में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां इस बात को कहा कि राजस्थान के अन्दर सामान्य प्रशासन पर दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा खर्चा होता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जिन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा, मैं समझता हूं, उनकी जानकारी अधूरी है। उन आंकड़ों से ही जिनका जिक्र उन्होंने यहां किया है अगर सारे भारतवर्ष की जितनी स्टेट्स हैं उनका एक औसत निकालें तो जो आल इन्डिया बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स्पेन्सेज आते हैं वह 9.25 है। उसके मुकाबले में राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज हैं 8.85 हैं। उस हालत में जब राजस्थान में आज क्षेत्रफल इतना लम्बा चौड़ा है कि जहां पर-परकेपिटा एक्स्पेन्डीचर कम आता है जैसे केरल है, यू० पी० बिहार का उदाहरण दिया, बिहार में चालीस लाख से ऊपर ऊपर एक जिला है और यू० पी० के अन्दर बीस बीस लाख का एक एक डिस्ट्रिक्ट है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था चली आ रही है। राजस्थान में ऐतिहासिक और दूसरे कारण रहे हैं। और हमारा क्षेत्रफल रहा है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं, आप सब इस बात को मानेंगे कि यह जो बात आती है तो उसमें क्षेत्रफल बहुत महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में सामान्य प्रशासन पर, पुलिस और कई मदों में खर्चा कई प्रदेशों के मुकाबले में प्रति व्यक्ति कम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यहां यह जिक्र किया जाता है कि नोन प्लान एक्सपेण्डीचर बढता जाता है और प्लान एक्सपेण्डीचर कम होता जाता हैं। यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि एक प्लान पीरियड के अन्दर जो खर्चा होता है वह दूसरे प्लान के अन्दर नोन प्लान के खर्च में आ जाता है जैसे एज्यूकेशन है एडीशनल टीचर्स को एक प्लान में लगाते हैं, लेक्चरार्स को लगाते हैं वह उस वर्ष के प्लान के खर्च में आयगा लेकिन दूसरे प्लान में वह खर्चा जाकर नोन प्लान एक्सपेण्डीचर के रूप में रहेगा। इसी प्रकार मेडिकल, आयुर्वेद आदि में भी नोन प्लान एक्सपेण्डीचर इसी तरह से बढता जाता है क्योंकि एक प्लान का जितना भी एक्सपेण्डीचर प्लान के अन्तर्गत है वह दूसरे प्लान में नोन प्लान के रूप में आयगा और इस तरह से नोन प्लान एक्सपेण्डीचर बढाता हुआ नजर आयगा। वह रिड्यूस होता जायगा यह मानकर चलने का कोई कारण नहीं है।

आज प्रशासनिक दृष्टि से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा खर्चा किया जा रहा है अन्य स्टेट्स के मुकाबले यह भी प्रश्न यहां किया गया। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि प्रशासन पर हम ज्यादा व्यय कर रहे हैं मैं आपसे निवेदन करूं पहले कलेक्टर्स या दूसरे आफिसर्स के पास जिस हद तक प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। यहां यह भी जिक्र किया गया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने का प्रशासन है अभी वही पुरानी लकीर पर ही चला जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जमाने में पंचायत समितियां जिला परिषद नोन आफिशियल के साथ मिलकर काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज यदि एग्रीकलचर के प्रोक्शन का काम आता है तो उसमें कलेक्टर इनवोल्व रहता है इसी तरह से पहले जितनी ड्यूटीज रहती थी रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को मेन्टेन करने की आज उसके मुकाबले कितना प्रशासनिक काम बढ गया है कई बार तो मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं अगर हाउस की भी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कमेटी बिठादी जाय और वह जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखे और उसको एग्जामिन करे तो उसको भी यही अनुभव होगा कि एडीशनल आदमियों की जरूरत हैं ताकि इससे भी जल्दी काम हो सके। क्योंकि आज इतनी एक्टीवीटिज बढ गई हैं वहां कलेक्टर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं पुराने समय के प्रशासनिक फंक्शन्स में और आज के प्रशासनिक फंक्शन्स में काफी मात्रा में परिवर्तन आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि राजस्थान के अन्दर प्रशासन का व्यय अन्य राज्यों से ज्यादा है। ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं आज हमारे पास साधन नहीं है, इसलिये हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिये वहां सरप्लस साधन अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र का पर केपीटा एक्सपेण्डीचर ज्यादा है इन-कम होने की वजह से सरप्लस उनके पास पैसा है इनकम है, फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि वे जानबूझकर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। यह तो फण्ड्स की अवेलेबिलिटी पर है पंजाब, महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों की पर-केपीटा एक्सपेण्डीचर एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा है। हमारे यहां ज्यादा एक्सपेण्डी-चर एडमिनिस्ट्रेशन पर होता हो यह बात नहीं है।

मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिनका जिक्र मैंने पहले नहीं किया क्योंकि आज स्वतंत्र पार्टी के मुख्य वक्ता थे मैंने उनके भाषण को वैसे ही सुना। उनके भाषण के अन्दर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को जनरल मांग समझा गया और उन्होंने होम और दूसरी दूसरी समस्या को इसके साथ जोड़ दिया जो अन्य मांगों पर उठायी जा सकती थी। साथ ही साथ प्रीवीपर्स के बारे में भी एलाउन्सेज के बारे में जब मैंने डिमांड की उस समय ही उन्होंने कह दिया था कि यह प्रीवीपर्स के अबोलिशन की डिमांड है यहां नहीं कर सकते······

श्री विजयसिंह : मैंने तो यह कहा कि आपने कितने लाख रुपये प्रिवीपर्स पर खर्च किये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे निवेदन करूं······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये तो आपको नहीं कहा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो यह कहा था मुख्यमंत्री जी इस मांग को वापिस ले लें।

श्री विजयसिंह : यह मैंने कभी नहीं कहा। वे चाहें तो वापिस ले सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वापिस लेने की बात होती तो यह सवाल आता ही कैसे ? मुझे खुशी है कि स्वतंत्र पार्टी के एक ही माननीय सदस्य बोले और उन्होंने भी अपने भाषण के अन्दर आज के समय के अनुकूल विचार प्रकट किये कि मांग वापिस ले ली जावे। मैं समझता हूं उनको पूरी तौर से हिदायत देकर भेजा होगा कि अपनी बात पर जोर नहीं देना चाहिये। आयन्दा यह मांग न आये इसी प्रकार के दृष्टिकोण वाले आप मालूम होते हैं।

एक बात जनसंघ के माननीय सदस्य की तरफ से और साम्यवादी सदस्य की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तरफ से कही गई प्रीवीपर्स और प्रीविलेजेज के बारे में कि हम लोग सीरियस नहीं हैं, उनका कहना है कि इसमें कुछ राजनीति दिखती है। दोनों विरोधी विचारधारा के लोग इस बात पर एक राय के मालूम हुये और उसी का उन्होंने जिक्र किया।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रीविपर्स और प्रिविलेजेज के बारे में इसी पार्लियामेंट के सत्र में इस संबंध में कानून लाने के लिये प्राइम मिनिस्टर का कहा हुआ है। एस्योरेन्स दिया हुआ है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यहां पर यह भी कहा गया कि प्रीवीपर्स और प्रीविलेजेज के बारे में सरकार द्वारा स्टेप्स उठाये जायं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रीविलेजेज और प्रीवीपर्स ये दोनों सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहां से इस बारे में कानून में लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां यह नहीं आ सकता।

जो बजट के अन्दर इसका जिक्र आया है वह दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से विचार चल रहे हैं उसका जिक्र वित्त मंत्रीजी ने किया है। यहां पर कानून लाने के लिहाज से ऐसा होता तो इसके अन्दर नहीं रखा जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर मोटरों पर होने वाले खर्चे के बारे में जिक्र आता है हर सदन के अन्दर इस प्रकार की बातें आती हैं। अगर मैं इस बारे में वही जवाब देता रहूं तो उचित मालूम नहीं देता। इसके बारे में मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं टेलीफोन, यात्रा व्यय आदि का जो खर्चा होता है उसके बारे में हम स्वयं विचार कर रहे हैं। कुछ खर्चा इसमें कम किया जा सकता है तो हम करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री विजयसिंह : मैंने मंत्रिमंडल में कमी करने के लिये निवेदन किया था।

श्री भैरोंसिंह : इसका भी वही जवाब है जो पहिले देते आये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका भी जवाब पहले दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : बिजली पानी के खर्चे का सीलिंग आपने निर्धारित किया था आपने इस तरह से इकोनोमिक ड्राइव चालू किया था उस सीलिंग को वापिस क्यों लिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सीलिंग को हटाया है जिस अनोलोजी पर एम०एल० एज० के लिये हटाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एम. एल. एज. पर भी बिजली पानी के कन्जम्प्शन पर सीलिंग लगनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एम. एल. एज. पर भी सीलिंग लगाइये।

श्री भैरोंसिंह : सीलिंग की बेसिस पर पिछले एरियर भी वसूल करने का था उसको भी आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में वाटर, बिजली के सीलिंग के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में फिर से विचार करके उपयुक्त सीलिंग निर्धारित करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई भी मन्त्री, जिस कन्स्टीट्युएन्सी से आता है उस जिले के अन्दर सात दिन से ज्यादा के लिए टूर पर नहीं जावेगा, अगर जाता है तो उसका खर्चा उसको खुदको भुगतना पड़ेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता है तो एम०एल०ए० भी जाते हैं जैसे उनको टी०ए०, डी०ए० नहीं मिलता, तो इसी तरह मिनिस्टर को भी नहीं मिलना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जावे इस बात को तो रख कर चल नहीं सकते, वे कहीं भी जा सकते हैं। मैंने तो निवेदन किया कि अपनी कान्स्टीट्यु-एन्सी में काम से जा सकते हैं सरकारी/राज-नैतिक काम से जाते हैं हर बार यह आवश्यक नहीं है। सरकारी काम से भी जा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनता की ओर से मेमोरेण्डम दिला दें कि तनखा और दे दो पर यह ज्यादा खर्चा मत बढाओ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कुछ डिप्टी मिनिस्टर दिल्ली में ही डेरा डाले रहते हैं उन पर क्या कोई रुकावट नहीं है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो वे सरकारी साधनों का उपयोग करते हैं। माननीय सदस्य तो अपनी जेब से खर्च करें और मन्त्री, उपमन्त्री सरकारी खर्च से जावें। यह कितना बड़ा भेद है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : यही तो सही समाजवाद है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि मन्त्री अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में अगर केवल पोलिटिकल रीजन्स पर जाता है तब तो अलग प्रश्न होता है। लेकिन....

श्री नत्थीसिंह : कई लोगों के चुनावों में जाते हैं, अपने चुनावों में जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रशासकीय काम की दृष्टि से भी जाना हो सकता है। तो उस पर बन्दिश लगा कर नहीं चला जा सकता। इसको तो उसके विवेक पर ही छोड़कर चलना होगा। वरना तो लोग कहेंगे कि वहां और काम है, और सही और प्रशासनिक काम हो भी तब नहीं जाना चाहिये ऐसा कह देंगे।

श्री भैरोंसिंह : प्रशासनिक काम डिप्टी मिनिस्टरों के पास भी होता है क्या ? मिनिस्टरों के पास भी अधिक नहीं होता होगा ? आप तो भारत यात्रा करा दें सब डिप्टी मिनिस्टरों को।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो वे कर चुके हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके सुझाव सब सुन रहा हूं। तो माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया खासतौर से हमारे सिकराय से आने वालों ने कि भ्रष्टाचार और कुछ चीजों के बारे में। मैं माननीय सदस्य को क्या कहूं इसके बारे में। मैं समझता हूं कि कोई भी निश्चित शिकायत अगर उनके पास है तो वे आकर कह सकते हैं और इसके सम्बन्ध में निश्चित बात आने पर कार्यवाही करने के लिये पहले भी हम कोशिश करते रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे।

आज भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विजिलेंस कमीशन है। यह पहले भी था। और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसकी व्यवस्था ही इसीलिये की गई थी। जिस किसी को जिस अधिकारी के बारे में शिकायत है, विजिलेन्स कमीशन के पास जाना चाहिये और उसको वहां कह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट है उसमें जो रिकमण्डेशन्स होती हैं उन पर सरकार ने क्या ऐक्शन लिया इसकी जानकारी भी मिलनी चाहिये। इसका प्रतिवेदन भी जब विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट डिसकस के लिये आवेगी तब प्रस्तुत कर दिया जावेगा। हमने इसकी कोशिश की है। इसको डिले करने में मुख्य कारण यह भी था कि हमें विभागीय अध्यक्षों द्वारा जानकारी प्राप्त करने में देरी हुई। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट डिसकस हो उससे पहले ऐक्शन्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रहा था कि यह करप्शन वाली बात, आज मैं यह कहूं कि राजस्थान के प्रशासन में कहीं इस प्रकार की बात नहीं हैं तो मैं समझता हूं मैं भी गलत होऊंगा। लेकिन इसके लिये वैधानिक दृष्टि से जो कार्यवाहियां की जा सकती हैं उसके करने के बारे में जो व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं उनको किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके मन्त्री मण्डल में और आपके अधिकारियों में कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। यह आप बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कार्यवाही इसके खिलाफ करनी होगी वह नियमों और कानून के अन्तर्गत करनी होगी। आज विजिलेन्स कमीशन में कोई किसी के खिलाफ अपनी शिकायत ले जाना चाहें तो न मुख्य मन्त्री उसे रोक सकता है न कोई रोक सकता है और कई शिकायतों पर राजस्थान में कई लोगों को सस्पेण्ड किया गया है कइयों पर मुकद्दमे चलाये गये हैं। ग्रेड्स रोके गये हैं कई लोगों को अलग किया गया है। बड़े बड़े सीनियर लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है, वक्त से पहले उनको रिटायरमेंट दिया है और कार्यवाहियां की गई हैं तो ऐसी स्थिति में यह कहकर नहीं चल सकते कि आज इसके बारे में निश्चिततौर से एक बात सामने आजावे तो उसको प्रोटेक्ट करने वाली करते हों। यह निवेदन करना चाहूंगा। इस संबंध में ऐजेंसी स्थापित हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जावे। पर कोई माननीय सदस्य साल भर में एक शिकायत भी उसको भेज कर कार्यवाही कराना पसन्द नहीं करते। इसके बारे में ज्यादा जिक्र की बात सामने रहती है। मैं समझता हूं इन चीजों से वह समस्या हल करने में भी जितनी हम चाहते हैं कि मदद हो सके तो हल हो सके, इसमें भी रुकावट आती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी इस संस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है। यह आपके नीचे दबे हुए नौकरों की संस्था है, इस राज्य में इनके यहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी यह लोगों को भरोसा हो गया है। इसलिए शिकायत करना बन्द कर दिया है। कोई किसी की शिकायत करने को तैयार नहीं क्योंकि कोई जांच सही तरीके से यहां भी होती नहीं है। यहां भी आपके दबाव चलते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सिलसिले में थोड़ा क्लेरिफिकेशन यह भी कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि सरकारी अधिकारियों के करप्शन के लिए तो यह ठीक है बाकी व्हाट अबाउट दी कम्प्लेन्ट्स आफ करप्शन अगेन्स्ट दी मिनिस्टर्स ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मिनिस्टरों के अगेन्स्ट में जो बातें आती हैं इस सदन में स्टेट अवे डिसकस होने जाती हैं। फिर पूरी पूरी अपोर्चुनिटी यहां मिलती है।

श्री रामचन्द्र आर्य: वोटों के जोर पर यहां भी आप कैंसिल कर देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आपका नया दृष्टिकोण है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केन्द्रीय सरकार जब विचार कर रही हैं तो राजस्थान की सरकार इस लोकपाल और लोकायुक्त पर विचार क्यों नहीं करती, इस व्यवस्था को क्यों नहीं आप स्वीकार करते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भारत वर्ष में आज इस प्रकार की व्यवस्था दूसरे प्रदेशों में नहीं की गई है और अगर निर्णय लिया जाना चाहिये तो अखिल भारतीय आधार पर लिया जाना चाहिये। यह जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरे प्रदेशों में इतना बड़ा मंत्रिमण्डल भी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मंत्रिमण्डल का फरक नहीं पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हर दो एम. एल. ए. के पीछे एक मिनिस्टर है, किसी स्टेट में बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि धौलपुर को जिला स्तर पर बनाना चाहिये। इसके बारे में हम पहले से जिक्र करते रहे हैं धौलपुर से भरतपुर पहुंचने में ज्यादा असुविधा रहती है इस बात का जिक्र किया है। माननीय सदस्य जानते हैं इस बात की काफी कोशिश की जा रही है धौलपुर से भरतपुर सीधा नजदीक का रास्ता है वह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाय। ट्रेजरी के बारे में जो मुश्किलों की बात कही उसको दूर करने के लिये हम कार्यवाही करेंगे और इसके सिवाय जो वहां पर आफिसर हैं उस आफिसर को ज्यादा अधिकार देकर वहां के लोगों को तकलीफ कम हो सके इसके बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री भैरोंसिंह : आपस में बात करके बताते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, महाराज कुंवर सिरोही के बारे में जो जमीन का जिक्र किया गया है और उसमें ऐसा बताया गया है कि मेरा संरक्षण होने से ऐसा हुआ है उसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसके सम्बन्ध में वहां जो शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की जांच के लिये हम बराबर लिखते रहे हैं किसी को प्रोटेक्शन देने का सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिकायत से क्या होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या हो जाता है और क्या नहीं हो पाता है वह अलग प्रश्न है....

श्री विजयसिंह : अरेस्ट करने के आदेश नहीं दे सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है उसके लिये हम ना कहकर नहीं चल रहे हैं। माननीय सदस्यों को न मालूम क्यों यह भ्रम हो गया है। टोंक के बारे में जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया

(कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान अश्रव्य)

... इस सदन में अलग अलग वक्त पर कई बार उठाया जा चुका है और कई बार ....

श्री भैरोंसिंह : नोटिफिकेशन नया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिसके अन्दर जागीर वाली बात है इसके बेक-ग्राउन्ड की मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को जानकारी भेज दूंगा या राजस्व की जिस दिन डिमान्ड हो उस दिन चर्चा कर सकते हैं। मैं ज्यादा और कहूं, मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता नहीं है। एक जिक्र यहां पर किया गया है और वह जिक्र इस बात का कि पहले चाइनीज एग्रेसन के बारे में जो लोग एक तरह से शहीद हुये हैं उन लोगों को जमीन से बेदखल करने की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं जो तत्काल जानकारी कर पाया हूं उस जानकारी के अनुसार उनको राजस्थान नहर में जमीन अलाट करने के बारे में कहा गया है। उन्होंने कहा है कि वहां जाना हमारे लिये मुश्किल है, हमें अलवर में जमीन अलाट की जाय। अभी हमने टेम्प्रेरी तौर पर इवेक्यू लैंड पर अलाट किया है। इवेक्यू लेन्ड पर होने से उनके इजेक्शन का आर्डर आगये हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई बातचीत तय करके कहूंगा। होसका तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करेंगे और इजेक्शन न हों उसकी पूरी कार्यवाही करूंगा।

श्री रामकिशन : मंत्रियों का स्वेच्छा अनुदान ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं माननीय सदस्य अभी लिस्ट पढ़ी होगी, आपने देखी होगी। कई बार यहां घर पर भी और बाहर जाते हैं तो कई बार माननीय सदस्यों से सर्टिफिकेट लेकर और कई बार अपने स्कूल, कालेज के प्रिन्सिपल से सर्टिफिकेट लेकर बहुत से व्यक्ति आते हैं उन लोगों को बिना कोई राजनैतिक दृष्टि से मैंने डिस्क्रीसनरी ग्रान्ट दी है। आप टोटल देखलें किसी विशेष जिले में ज्यादा दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है....

श्री रामकिशन : मैंने अपना भरतपुर का......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां भी 1250 रु० हैं।

श्री रामकिशन : एक लिस्ट आपने मुझे दी है उसमें नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले मैं निवेदन कर दूं....

श्री रामकिशन : आपका दिया हुआ उत्तर है। ये रहा, सारे मन्त्रियों का है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस साल के थर्टी फर्स्ट एण्ड होने वाले का है। यह मैं जिक्र करना चाहता हूं और यह हो सकता है आपके जिले में शायद दिया हो किन्तु कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां कुछ नहीं दिया हो। सम्भव भी नहीं है क्योंकि जिलेवार बंटवारा नहीं करते हैं। मैं बाहर दौरे पर रहता हूं और यहां भी रहता हूं तो भी देता हूं।

श्री रामकिशन : मैं सारे मन्त्रियों की कह रहा हूं, जहां के मन्त्री होते हैं वहीं बांट देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ··· तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर इस बात का जिक्र किया गया कि एक माननीय मन्त्री यहां से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ अजमेर गये और अजमेर में बात करके वापिस लौटे वगैरह वगैरह कुछ बात कही। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर दूं माननीय मन्त्री महोदय चित्तौड़ मेरे साथ टूर पर थे लौटते हुए अजमेर में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ वे यहां पर चले आये। खाने के लिये उन्होंने जरूर कहा और खाने के लिये जरूर वे वहां गये। मैं समझता हूं इसके अन्दर कोई ऐसा कारण नहीं बनता है जिसकी वजह से यह समझा जाय कि उन्होंने कन्ट्री की खिलाफत की या कोई ऐसी बात की जिसमें देश का हित न हो। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की सूचना पहले से नहीं आई थी। हमने भी इस संबंध में गृह मन्त्रालय को लिखा है आयन्दा जब कभी वे आयें अथवा दूसरे राजदूत आयें तो पूर्व सूचना मिल जाय तो बहुत ठीक है। मैं समझता हूं मन्त्री महोदय के कन्डक्ट के बारे में कोई बात नहीं आती है।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय ने सूचना दी उनके खाने की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दी है। मन्त्री महोदय ने उस रोज या दूसरे रोज यह सूचना दे दी थी कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर मेरे यहा खाने ···

श्री भैरोंसिंह : कब दी ? उनके खाने के बाद।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह स्वाभाविक था और यह कत्तई आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर किसी के घर पर आयें तो वह पूर्व सूचना किसी को दे।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ) : गृह मन्त्री जी के क्यों नहीं आये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि कन्ट्री के अहित की बात हुई हो या कहीं मिनिस्टर का कन्डक्ट इन्वोल्व हो मैं माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ···

श्री रामानन्द अग्रवाल : चपरासी वाला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये सरकारी नियम बहुत स्पष्ट हैं। अलवर का जो केस आया है उसमें ए० डी० एम० को एन्क्वायरी के लिये नियुक्त कर दिया गया है कि वह एन्क्वायरी करें और इन्क्वायरी करके इसका जवाब दे। मैं ऐसा समझता हूं जो एन्क्वायरी वहां से होकर आयेगी और अगर वह दोषी पाया जाता है तो सजा दी जायेगी और जैसा आपने खुद ने कहा वे तो बेटे की तरह रखते हैं, तो बहुत ठीक है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फिर मैं नहीं जानता इसके लिये यह आवश्यक हो। कानून में उनको अधिकार है वहां काम नहीं करें और मैं समझता हूं कोई जबरदस्ती करता है और कोई शिकायत आये तो गवर्नमेंट कार्यवाही कर सकती है इतना ही कहकर हम चल सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनरल आदेश निकालिये। आप अपने फ्लाइंग स्क्वेड के जरिये चैकिंग करवा लीजिये कितना काम अधिकारी लोग करवाते हैं फिर आपको पता लगेगा कहां कहां किस किस तरह का काम लिया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं क्लास फोर सर्वेन्ट्स में आज काफी चेतना आ गई है। आज उनकी यूनियन बनने के बाद उनकी शक्ति बढ़ गई है। वे आज किसी बात को ज्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं और अगर कोई शिकायत आये तो हम कार्यवाही करेंगे। फ्लाइंग स्क्वैड हर घर में घूमती फिरे एक अजीब बात मालूम होती है कि हर घर में फ्लाइंग स्क्वैड घूमती फिर रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो लीपा-पोती करते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जबरदस्ती काम लेते हैं, बेगार लेते हैं और सब जगह लेते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात जो आप कह रहे हैं सब के लिए लागू होती हो ऐसी बात नहीं है और यह गलत है।

श्री मदनसिंह : क्या यह रूल है कि नौकरी नहीं करे लेकिन बेटा लिखा दे तो आप कोई भी मन्त्री को दो रात मेरे घर भेज दो आप कहें तो पोता लिखा दूं। यह कोई क्राइटेरिया है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: क्राइटेरिया तो नहीं है और न मैं यह कह रहा हूं।

श्री मदनसिंह : आप सी० आई० डी० को भेज कर मालूम करा लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सी० आई० डी० को ही कह देंगे बेटा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक क्लेरीफिकेशन कर दें कि यह जो चपरासियों को और क्लास फोर सरवेन्ट्स को डोमेस्टिक काम नहीं लेने का सरकूलर है क्या इसके तहत मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी कवर होते हैं ? और क्या यह भी सही है कि वे भी उन से काम नहीं ले सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सरकूलर के अन्दर सभी कवर होते हैं और मिनिस्टर को भी अधिकार नहीं है कि क्लास फोर सरवेन्ट्स से घर पर काम लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वास्तविकता क्या है ?

श्री मदन सिंह : आप तो यह कर दो कि जो घरों पर काम करते हैं और जिनके घरों पर वे काम करते हैं वे मरें तो आधी सम्पत्ति उनको मिलनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप को जानकारी नहीं है कि क्लास फोर सरवेन्ट्स मन्त्रियों के यहां डोमेस्टिक सरवेन्ट्स की तरह काम करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि आपके पास शिकायत आये तो भेज दें उसकी इन्क्वायरी फौरन करवा ली जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । आप सरकारी अधिकारियों को क्लास फोर सर्वेन्ट्स से घर पर काम लेने के लिए कभी नहीं रोक सकते जब तक मन्त्री जी इस सम्बन्ध में डोमेस्टिक सरवेंट का काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से नहीं लेंगे । यहां पर 37 मंत्री बैठे हैं इनमें से कोई भी मन्त्री खड़ा होकर कह सकता है क्या कि मेरे यहां क्लास फोर सरवेन्ट डोमेस्टिक सरवेन्ट का काम नहीं करता ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : और आप जानते हैं तो रिपोर्ट करो ।

श्री शिवचरण माथुर : (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जानते की बात नहीं कह रहा हूं । कपड़े धुलवाते हैं, बरतन धुलवाते हैं, बच्चे धुलवाते हैं । एक आप (श्री प्रद्युम्नसिंह) और एक आप शिवचरण माथुर ।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो चपरासियों का कहते हैं कई विधायक ऐसे हैं जो आपके घर पर काम करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य के कर्मचारी और अधिकारी अधिकांश नहीं तो बहुत कम भी आर० एस० एस० में एक्टिव भाग लेते हैं और साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं और वह इस प्रकार का कार्य करते हैं जो कि सेकुलर पालिसी के खिलाफ है और टीचर्स उसमें भाग लेते हैं, लेक्चरार लेते हैं इसके लिए क्या नीति अपना रही है राज्य सरकार ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नया विषय है चर्चा में नहीं आया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बहस में नहीं आया । आपने अलग से प्रश्न पूछ लिया इस प्रश्न के ऊपर सरकार विचार कर रही है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो प्रश्न पूछने हैं । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मंत्रियों के बिजली और पानी पर सीलिंग करेंगे वह तो बहुत ठीक है और इसके लिए मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं लेकिन आप एम.एल.ए. के ऊपर भी क्यों नहीं सीलिंग करते हैं । हम लोगों को प्रिवलेजेज दिये हैं । हमने आपके लिए बोलना बन्द किया था । आप कृपा करके हमारे ऊपर भी सीलिंग कीजिए । एक बात तो यह है और दूसरा प्रश्न मेरा यह है ......

एक माननीय सदस्य : दारू पीने पर सीलिंग लगाई जाये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों में से कुछ सदस्य जो फर्स्ट क्लास में आते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो थर्ड क्लास में आते हैं और फर्स्ट क्लास का चार्ज करते हैं और इसका आप ने प्रावीजन भी रूल्स में

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

रखा है लेकिन यह नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है इसलिए यह कीजिए कि जो फर्स्ट क्लास में आयेगा वही फर्स्ट क्लास का चार्ज कर सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके दूसरे प्रश्न का जवाब तो मैं दूं वह वाजिब नहीं होगा और पहला सवाल कि पानी और बिजली पर सीलिंग हो तो इसके संबंध में सब के लिए एक नीति अपनाई जाये मिनिस्टर हो या एम.एल.ए. हो उस दृष्टि से विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सीलिंग लगानी है तो बिजली कोई घर पर इकट्ठी करके नहीं ले जा सकता है। अगर सीलिंग से ज्यादा खर्च की जाती है तो वह अपने आप पे करेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मथुरादास जी माथुर द्वारा अपने घर पर सरकारी साधनों का उपयोग करने के सबंध में प्रश्न पूछा गया था और उसका आपने उत्तर नहीं दिया।

श्री हंसराज आर्य : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लन्च टाइम के बाद लोग अपनी कुर्सियों पर आते नहीं हैं और सारा सचिवालय 1½ बजे के बाद तीन और साढ़े तीन बजे तक खाली पड़ा रहता है……

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न चर्चा में नहीं आया इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी अधिकारी जो गजेटेड आफिसर हैं और अदालतें जो होल्ड करते हैं वह समय पर नहीं आते और न लन्च के बाद समय पर आते हैं……

श्री उपाध्यक्ष : नया प्रश्न है माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : समय का सवाल है। हमने कहा था कि किसी भी अदालत में कोई अधिकारी सवेरे 10 बजे ठीक टाइम पर नहीं पहुंचता और सेक्रेटेरियेट में भी 10 बजे के बाद कोई नहीं आता और लन्च के बाद 1½ बजे से तीन बजे तक कोई नहीं आता……

श्री विजयसिंह : यह लंच आवर ही बन्द हो जाना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने यह लंच आवर की क्या पद्धति चला रखी है यूरोप की। लन्च पर चले जाते हैं तो वापिस आते ही नहीं हैं दो दो घन्टे तक गायब रहते हैं। इसको बन्द कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि लंच का पीरियड बिलकुल बन्द कर दिया जाये इसको मैं तत्काल एग्री करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस पर विचार किया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। श्री मथुरादास जी माथुर द्वारा अपने निजी मकान पर सरकारी साधनों का उपयोग करने के बारे में आपने उत्तर नहीं दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

Page No 180

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने उठाया था और कटमोशन दिया था और आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन्होंने अपने वहां पर किसी सरकारी सामान का दुरुपयोग किया या उपयोग किया अपने लिए इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरे पास चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है और चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि हमने पैसा जमा करा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन अपने पैरों पर है।

ऑर्डर प्लीज-मांगों पर मतदान

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,31,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(हां पक्ष जीता)

(मांग स्वीकार की गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह केबिनेट की साइज को रिड्यूज करने के बारे में क्या मुख्य मंत्री जी फ्रीडम ऑफ वोट देने के लिए तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मांग पारित हो गयी। ऑर्डर, प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्डीपेन्डेन्टली और इम्पारशली फैसला हो जाये और जिस प्रकार की सिफारिश की गयी है कि 18 संख्या निर्धारित की जाये मिनिस्टरों की $\frac{1}{10}$ आफ दी स्ट्रेन्थ आफ दी हाउस। क्या उस कटौती प्रस्ताव पर आप फ्रीडम ऑफ वोट देने के लिए सहमत हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य वह मांग पारित हो गयी।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,44,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(हां पक्ष जीता)

(मांग स्वीकार की गई)

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,54,55,000 रुपये की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए समाप्त (स्थगित) की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 31 मिनट पर दिनांक 26 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची)

तालिका 'क'

क्र०सं	नाम	पद	राशि
1.	श्री राधेकान्त शर्मा	सचिव	1001/- व एक भूखण्ड
2.	श्री गजराजसिंह	सहायक लेखाधिकारी	501/-
3.	श्री सरवरचन्द्र भण्डारी	सहायक सचिव	501/-
4.	श्री राजकुमार बोर्दिया	सहायक अभियन्ता	501/-
5.	श्री कौशल कुमार शर्मा	सहायक सचिव	501/-
6.	श्री सत्यकृष्ण शर्मा	निरीक्षक	140/-
7.	श्री कृष्णलाल खन्ना	लेखाकार	101/-
8.	श्री रामनिवास गुप्ता	लेखाकार	101/-
9.	श्री अब्दुल सलीम	वरिष्ठ लिपिक	101/-
10.	श्री मदनलाल शर्मा	लेखालिपिक	170/-
11.	श्री विरदीचन्द्र	कनिष्ठ लिपिक	75/-
12.	श्री भैरोंलाल यादव	चालक	115/-
13.	श्री छाजूराम	चालक	115/-
14.	श्री पांचूलाल	खजान्ची	151/-
15.	श्री कन्हैया लाल	लेखा लिपिक	151/-
16.	श्री राधेश्याम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	59/-

तालिका 'ख'

माह जनवरी, 1970

क्र.सं.	नाम	पद	अवकाश वेतन	पेन्शन कटौती	योग
1.	श्री राधेकान्त शर्मा	सचिव	60/-	60/-	120/-
2.	श्री बी०के० गढोक	अधिशासी अभियन्ता	77/-	64/-	141/-
3.	श्री चन्द्रसिंह बराह	अधि निरोधक अधिकारी	50/-	50/-	100/-
4.	श्री बी०एल० सनाढ्य	सहा० अभियन्ता	50/-	50/-	100/-
5.	श्री सरवरचंद्र भण्डारी	सहा० सचिव	25/-	25/-	50/-
6.	श्री गजराजसिंह	सहा० लेखाधिकारी	50.60	58.20	108.80
7.	श्री कृष्णलाल खन्ना	लेखाकार	40/-	40/-	80/-
8.	श्री रामनिवास गुप्ता	लेखाकार	40/-	40/-	80/-
9.	श्री मदनलाल शर्मा	लेखा लिपिक	18/-	20/-	38/-
10.	श्री कन्हैयालाल वर्मा	लेखा लिपिक	12.05	16.80	28.85
11.	श्री पांचू लाल	वरिष्ठ लिपिक	12.65	12.00	24.65
12.	श्री ब्रजमोहन कुमावत	अधिदर्शक	20/-	23.35	43.35
13.	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	अधिदर्शक	20/-	23.35	43.35
14.	श्री अमरबिहारी माथुर	आशु लिपिक	22/-	26.20	48.20
15.	श्री मोहन लाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6·71	7.00	13.71
16.	श्री हर्षनारायण	,, ,,	6.60	7.00	13.60
17.	श्री रामेश्वर	,, ,,	7.26	7.00	14.26
18.	श्री रामस्वरूप	,, ,,	7.70	7.26	14.96
19.	श्री अब्दुल रहीम	,, ,,	6.71	7.00	13.71
			537.28	544.16	1081.44

श्री रामनिवास गुप्ता लेखाकार, केन्द्रीय कर्मचारी को ही 26.88 पै० प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूची)

हानि से सम्बन्धित सूची

वर्ष	शुद्ध हानि
1957-58	3,411
1958-59	3,48,160
1959-60	3,03,264
1960-61	3,398
1961-62	1,56,969
1962-63	7,55,459
1963-64	—
1964-65	2,76,918
1965-66	8,55,651
1966-67	8,04,960
1967-68	6,29,451
1968-69	5,65,604
योग :—	47,42,345

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची)

APPENDIX 'A'

List of Electrified Localities in Pachhpadra tehsil. (A)

S. No.	Name of locality.
1.	Balotra
2.	Jasol
3.	Janiana
4.	Parloo
5.	Kanana
6.	Sarana
7.	Kitnod
8.	Bithuja
9.	Asotra

The work for electrifying the following localities which have been sanctioned during this revenue year, is under progress & is expected to be completed before 31-3-1970.

1. Pachhapadra City
2. Ramseen
3. Moongra

'APPENDIX 'B'

Statement showing the number of Consumers in Various Localities under Pachhpadra Tehsil.

S. No.	Name of Locality	No. of different types of Consumers						Total of all the Consumers
		Agriculture	Industrial	Water works	Domestic	Street Light	Others	
1.	Balotra	25	3	2	637	1	326	993
2.	Jasol	5	—	1	—	—	—	6
3.	Janiana	3	—	—	—	—	—	3
4.	Parloo	16	1	—	—	—	—	17
5.	Kanana	9	—	—	—	—	—	9
6.	Sarana	1	—	—	—	—	—	1
7.	Kitnod	3	—	—	—	—	—	3
8.	Bithuja	15	—	1	—	—	—	16

APPENDIX 'C'

Statement showing the Number of Pending Applications in various localities under *Pachhpadra Tehsil* District Barmer

S. No.	Name of Locality	Number of pending Applications				
		Agriculture	Industrial	Water Works	Domestic & Others	Total
1.	Balotra	15	37	—	52	104
2.	Jasol	16	3	—	104	123
3.	Janiana	6	—	—	14	20
4.	Parloo	15	—	1	41	57
5.	Kanana	32	1	1	55	89
6.	Sarana	17	—	—	—	17
7.	Kitnod	46	1	1	7	55
8.	Bithuja	18	—	1	3	22
9.	Asotra	6	—	1	—	7

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्न संख्या 275 की सूची)

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD., JAIPUR

(A Government of Rajasthan Concern)

Statement showing Details of Investments for Installation at two worsted Spinning Plants at Churu and Ladnu

I. Rajasthan Worsted Spinning Mills, Churu

			(In Rupees)
(i) Land and Building.			2,09,532.00
(ii) Plant and Machinery.			
(a) Machinery (Spinning Section)	5,38,761.39		
(b) Machinery (Combing Section)	2,14,346.00		
(c) Electric Installation Plant	70,397.31		8,73,504.70
(iii) Other Works :			
(a) Weighting Scales	3,593.01		
(b) Tools and Equipments	3,807.05		
(c) Mills auxiliaries	3,695.12		
(d) Electric Fans and Fittings	27,321.87		
(e) Typewriters	1,067.19		
(f) Office equipment	381.44		
(g) Furniture and Fixtures	4,296.57		
(h) Cycle	196.20	44,358.45	11,27,395.15

2. *Rajasthan Worsted Spinning Mills, Ladnu*

(*i*) Land and Buildings			1,98,064.80
(*ii*) Plant and Machinery			
(*a*) Machinery (Spinning Section)	5,71,999.77		
(*b*) Machinery (Combing Section)	2,92,732.75		
(*c*) Electric Installation Plant	85,419.42		9,50,151.94
(*iii*) Other Works :			
(*a*) Weighing Scales	6,543.23		
(*b*) Tools and Equipments	3,853.69		
(*c*) Electric Fans & Fittings	21,739.86		
(*d*) Typewriters	1,111.00		
(*e*) Office Equipments	786.59		
(*f*) Furniture and Fixtures	2,622.83		
(*g*) Cycle	224.87		
(*h*) Mill Auxiliaries	2,276.45	39,158.52	11,87,375.26
			23,14,770.41

घाटे के वर्गवार आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

हानि	1967-68	3,71,122	रु०
	1968-69	3,83,970	रु०
अनुमानित हानि	1969-70	3,00,000	रु०
	योग—	10,55,092	रु०

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 276 की सूची)

तारांकित प्रश्न सं० 4/ रा० मं० द्वारा श्री केसरीसिंह हाडा, सदस्य विधान सभा

फहरिश्त मौजा चतरगंज आराजी रेवेन्यू खसरा नं० 526,196/1 आंब्रादी ट्रेसपासर्स 3029

क्र. सं.	नाम काश्तकार मय वल्दियत सकूनत।	खसरा नं०	रकबा	किस्म जमीन दर	दर	लगान	नियमन	किला नियमन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	केसरा वल्द कालू नाई देह	526	1।।)	पेटा	।–)	–	–	–	
2	बरधा वल्द कालू गूजर	526	।)3	,,	।–)	–	–	–	
3	देवा वल्द रामला गूजर देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
4	कंवरया वल्द मांग्या गूजर देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
5	नाथू वल्द समरा चमार, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
6	प्रभू वल्द कंवरा गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
7	कृपाल वल्द कालू गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
8	भवाना वल्द भंवरया गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
9	माजू वल्द हरजी गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
10	रामनाथ वल्द उदा गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
11	रघूनाथ वल्द रामनाथ गूजर, देह	526	।)1	,,	।–)	–	–	–	
12	लाखा वल्द नारायण गूजर	526	।।)	,,	।–)	–	–	–	
13	हजारी वल्द कालू गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
14	मथुरा वल्द माधो गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
15	रूघनाथ वल्द अमरा गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	–	–	–	
16	उजा वल्द माधो गूजर, देह	526	।)	,,	।–)	।	–	–	
17	रामकिशन वल्द माधो गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
18	जुवारा वल्द मगंला गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
19	रामनाथ वल्द माधो गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
20	भूरा वल्द नानजी गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	

Page No 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	भूरा वल्द पीथा गूजर, देह	396/1	।)	पेटा	।–)	–	–	–	
22	मूल्या वल्द ओंकार गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
23	चन्द्रा वल्द मुवाना गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
24	धन्ना वल्द खाना गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
25	ग्यारसा वल्द भुरा गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
26	बलदेवा वल्द देवा गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
27	श्रीराम वल्द घासी गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
28	गोपी वल्द रामनाथ गूजर, देह	396/I	।)	,,	।–)	–	–	–	
29	रुभा वल्द अमरा गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
30	मांग्या वल्द जगना गूजर, देह	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	
31	मकबूल मुसलमान, अलौद	396/1	।)	,,	।–)	–	–	–	

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

राज्य विद्युत मण्डल

278. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत मण्डल के कुल कितने सदस्य हैं इसका गठन किस आधार पर किया जाता है और इन पर कितना सालाना खर्चा होता है ? गत पांच सालों के खर्चे के आंकड़े कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि विद्युत मण्डल में अब तक जितने सदस्य नियुक्त किए हैं उनमें अनुसूचित जातियों व जन जातियों के किसी सदस्य को भी नियुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य विद्युत मण्डल के इस समय कुल 7 सदस्य हैं। मण्डल का गठन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948, की धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सदस्यों पर गत 5 वर्षों में हुये वार्षिक खर्च का विवरण, (सूची अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सदस्यों की नियुक्ति के समय सक्षम योग्यता का सदस्य पाया जावे तो नियुक्त करने में आपत्ति नहीं प्रतीत होती।

सूची 'अ'

विद्युत मण्डल के सदस्यों का गत पांच वर्षों का वार्षिक खर्चा

सन् 1964-65 से 1968-69 तक

सदस्य का नाम	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
1. श्री एस० एल० कक्कड़ अध्यक्ष	28,949-23	30,603-91	2,946-67	—	—
2. श्री एस० एल० खुराना	—	—	31,569-64	32,346-08	33,002-20
3. श्री सी० जे० मलकानी लेखा एवं वित्त सदस्य	22,207-28	22,421-00	24,636-37	—	—
4. श्री ओ० पी० गोयल ,,	—	—	—	15,665-10	18,944-77
5. श्री आर० जोशी० ,,	—	—	—	—	19,197-81
6. श्री के०सी० सत्संगी तकनीकी सदस्य	22,705-50	23,912-65	25,265-10	25,041-93	1,926-79
7. श्री पी० ए० रमन	—	—	—	—	20,513-21
8. श्री बी० एस० मेहता	1,199-00	612-00	—	—	—
9. श्री जी० एन० पोद्दार	1,401-00	1,482-00	—	—	—
10. श्री पी० के० चौधरी	530-00	320-00	240-00	240-00	—
11. श्री जे० पी० सक्सेना	25-00	15-00	30-00	15-00	15-00
12. श्री टी० एन० चतुर्वेदी	—	10-00	—	—	—
13. श्री एस० एल० सिंघानिया	—	—	1,030-29	—	—
14. श्री दुर्गा शंकर दुर्गावत	—	—	—	524-70	538-55
योग :	77,107-01	39,376-56	85,718-07	73,832-81	97,138-33

छोटी जोतों पर भू-राजस्व

279. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पहले यह घोषणा की थी कि छोटी जोतों का भू-राजस्व समाप्त कर दिया जायेगा तदुपरान्त यह घोषणा की गई थी कि उक्त भू-राजस्व कई जिलों में कृषकों से वसूल हो चुका है कई जिलों में लेना है इसलिये यह राशि ली जाकर ग्रामीण जल प्रदाय या विद्युतीकरण पर व्यय की जावेगी ?

(2) ऐसी कुल कितनी राशि समस्त राज्य से वसूल हुई ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त एकत्रित राशि को किसी भी जिले की किसी भी तहसील में उक्त जल प्रदाय अथवा विद्युतिकरण आदि पर व्यय नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों से उस आशय के प्रस्ताव भी मांगें थे और पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों ने प्रस्ताव भी भेजे हैं ?

(5) उक्त राशि को अब राज्य सरकार किस ढंग से खर्च करने की योजना बना रही हैं ?

(6) क्या यह सत्य है कि उक्त राशि को अब सरकार किसी भी डवलपमेंट पर खर्च नहीं करना चाहती है और राज्यपाल महोदय एवं राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं को निरस्त मान रही है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. कुल 92, 89, 287) रु० 95 पैसे की राशि वसूल हुई।

3. जी हां।

4. जी हां।

5. जिन कृषकों से वसूली की गई है उन्हीं की भू-राजस्व एवम् बकाया के विरुद्ध उक्त धनराशि समायोजित की जायेगी।

6. भाग (5) में इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

छापर में स्वीपर्स की हड़ताल

280. **श्री रावत राम** (छापर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छापर नगरपालिका (चूरू) के स्वीपर्स कर्मचारियों ने कब से हड़ताल कर रखी है तथा हड़ताल के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीपर्स कर्मचारियों का पिछले कई महीनों का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो किन किन कर्मचारियों का कितना कितना वेतन बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

जोधपुर सर्किल में स्पेशल रिपेयर वर्क

281. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधिशासी अभियन्ता, पश्चिम खण्ड पी. डब्लू. डी., (बी. एण्ड आर.) जोधपुर के सर्किल में स्पेशल रिपेअर ग्रेवल के कराने हेतु वर्ष 66-67, 67-68 व 68-69 में कितने वर्क चालू किये ? वर्क वार सूची प्रत्येक वर्ष की सदन की मेज पर रखें ?

(2) इन कार्यों में इन्हीं वर्षों में कितने कार्य 20 हजार रुपये से कम के एवं कितने कार्य बीस हजार रुपये से अधिक के थे ?

(3) उन कार्यों में इन वर्षों में कितने कार्य टेण्डर्स लेकर प्राईवेट व्यक्तियों को दिये व कितने काम सहकारी समितियों को शिड्यूल रेट पर दिये ? नामों की सूची मय पता व वल्दियत आदि सदन की मेज पर रखें ? नागौर जिले में ऐसे कार्यों के लिये किस किस सहकारी समिति ने शिड्यूल रेट पर बीस हजार रुपयों से कम के कार्यों की मांग की एवं किस किस को कार्य दिया एवं किस किस को मना किया ? इसके क्या कारण थे ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

जहर देने के सम्बन्ध में झुन्झनूं थाने में दर्ज मामला

282. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू के सेठ मोती लाल कालेज के प्रिंसिपल श्री निद्यालाल गुप्ता को जहर आदि दिये जाने सम्बन्धित रिपोर्ट झुंझनू थाने में हुई थी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि प्रिंसिपल को बेहोशी की हालत में जो 'कै' हुई थी उसका नमूना पुलिस ने लेबोरेटरी में भेजने हेतु लिया था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। पुलिस ने रिपोर्ट होने पर मामले में हस्ब जाब्ता जांच की है।

(2) जी हां, यह सही है । पुलिस ने "कै" के नमूने की परीक्षण हेतु केमिकल-एक्जामीनर जयपुर के यहां भिजवाया, F रिपोर्ट निगेटिव में प्राप्त हुई है ।

टिडियासर–धांधले भाटे तक सड़क

283. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग द्वारा पांच-छः वर्ष पूर्व चूरू जिला स्थित रतनगढ़ से टिडियासर की तरफ सात मील लम्बी धान्धले भाटे तक सड़क बनवाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इसे आगे टिडियासर से होते हुये नेशनल हाइवे तक दो माईल लम्बी सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई थी परन्तु कार्य विलम्ब से चालू करने के कारण डेढ माईल में कच्चा गोला ही बन सका ?

(श्री लाभचन्द वैद)

(3) क्या सरकार शेष आधी माईल सड़क पर कच्चा गोला व दो माईल में धांधला भाटा जमवाकर इस नौ माइल की एप्रोच रोड को सम्पूर्ण कर इस सड़क पर जो तीन चार लाख रुपये अब तक खर्च हुये हैं उन्हें बरबाद होने से बचायेगी ?

(4) क्या रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के अकाल पिड़ितों को काम देने के प्रश्न को ध्यान में रखते हुये इस कार्य को प्राथमिकता दी जावेगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ऊन की खरीद में हुए घोटालों के सम्बन्ध में दर्ज मामले

284. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हैं कि ऊन वर्गीकरण केन्द्र जोधपुर में ऊन खरीदने के मामले में हुए घोटाले का मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा किस की रिपोर्ट से और उसमें किन किन को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं ? सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें ।

(2) इस मामले में दोषी व्यक्तियों द्वारा सरकार को कितने रुपयों का नुक्सान पहुंचाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । विशिष्ट सचिव, कृषि विभाग द्वारा एक परिवाद दिनांक 28-10-67 को प्राप्त होने पर उसकी प्राथमिक जांच करवाई गई जिसमें तथ्य सही पाये जाने पर दिनांक 3-1-68 को अभियोग पंजिबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया । यह केस सर्व श्री एस० के० शर्मा, ऊन वर्गीकरण अधिकारी, मण्डोर, एस. एन. थापर, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जोधपुर के विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता की धारा 409,120 (ब) एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5(1) (डी) (2) के अन्तर्गत आरोपों पर पंजिबद्ध किया गया है ।

(2) अनुसंधान पूर्ण होने पर ही सही राशि की जानकारी दी जा सकती है ।

गोंद पत्ता तेंदू का ठेका

285. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भूतपूर्व जागीरदारान को भी अपने अधीनस्थ भूमि की वन उपज गोंद, पत्ता तेंदू आदि का ठेका देने का अधिकार है ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं तो इस प्रकार के जागीरदारान के खिलाफ सरकार कुछ कार्यवाही करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां, खातेदारी भूमि की उपज को किसी प्रकार देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं, क्योंकि ऐसी भूमि पर वन अधिनियम लागू नहीं होते ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

अलवर में हनुमानजी के मन्दिर की बुर्ज का निर्माण

286. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में खण्डेलवाल छात्रावास के उत्तर की ओर जो

(श्री गंगा सहाय)

हनुमानजी का मन्दिर है उसकी बुर्ज गत 2 वर्ष पूर्व नगर परिषद् अलवर ने बीस हजार रुपया लगाकर बनवाई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह बुर्ज अगस्त, 1969 की वर्षा में गिर गई है ?

(3) क्या सरकार ने इसके इतने अल्प समय में ही गिर जाने के कारणों की जांच कराई है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगर परिषद् अजमेर द्वारा दुकानों का निर्माण

287. श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अजमेर नगर-परिषद् द्वारा स्टेशन के सामने घण्टाघर के पास केबिन्स को हटाकर पक्की दुकानें बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या उन समस्त व्यक्तियों को जो कि आरम्भ से ही दुकानों में बसे हुए हैं, दुकानें दी जावेंगी ?

(2) क्या यह सही है कि प्रथम योजना जो बनाई हुई थी उसको आयुक्त नगर परिषद् ने अपनी इच्छानुसार बदल दिया है ? यदि हां, तो आरम्भ का तथा बदला गया प्लान सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि दुकानदार जो बाहरी हिस्से में बसे हुए हैं, उन्हें अन्दर के हिस्से में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मांडलगढ़ क्षेत्र की नदियां

288. श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में बनास, बेडच तथा मेनाल नदियां बहती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तीनों नदियों में पानी के बड़े देह हैं जिनका पानी यों ही पड़ा रहता है ?

(3) क्या सरकार उक्त पानी को काम में लेने का बेडच के किनारे किनारे सब ही देह में बिजली लगाकर भूमि सिंचित करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो मांडलगढ़ उप जिले में बहने वाली बेडच तथा त्रिवेणी में कहां कहां सर्वे कराई जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी नहीं, कहीं कहीं थोड़ा पानी अवश्य रुकता है ताकि गर्मियों में पानी बहुत कम रह जाता है ।

(3) जी हां, जिन गांवों की योजना बनाई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

APPENDIX 'A'

List of Localities For Which Scheme Report

Was Prepared In 1969-70

S.No.	Name of village.
1	2
Tehsil Mandalgarh:	
1.	Demti
2.	Amartiya
3.	Ratya Khera
4.	Bijoliya Khurd
5.	Bari Taleti
6.	Genoli
7.	Bharji Ka Khera
8.	Jafarpura
9.	Baroo Khera
10.	Kharwara
11.	Peethaji Ka Khera
12.	Khachrol
13.	Neel Ki Kheri
14.	Gopalpura
15.	Manpura
16.	Ganeshpura
17.	Damaia
18.	Jagpura
19.	Kachhola
20.	Thadoda

1	2
Tehsil Kotri:	
1.	Gaga Ka Khera
2.	Shripura
3.	Salaria
4.	Dhelana
5.	Bari Ka Khera
6.	Sheopura
7.	Akola
8.	Chandgarh
9.	Baliya
10.	Jeetyas
11.	Nandrai
12.	Panderi
13.	Jityas
14.	Redwas
15.	Gothra
16.	Badla
17.	Kared
18.	Gandliya
19.	Renwas
20.	Ambad
21.	Sunthepa

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

जिला झुंझनूं में भूमिहीन हरिजनों को आवंटित भूमि

55. श्री सूरजमल (सूरजगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने 1969 में यह निर्णय लिया था कि इस वर्ष में आगे जो भूमि आवन्टित होगी वह केवल भूमिहीन हरिजनों को ही होगी ? यदि हां, तो क्या जिलाधीशों को व जिलाधीशों ने अपने सम्बन्धित अधिकारियों को सरकार के उक्त निर्णय के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील स्तर पर भूमि आवन्टन हेतु जो कमेटियां गठित की गई हैं उनमें हरिजनों का प्रतिनिधित्व केवल एक कमेटी को छोड़कर और अन्य में नहीं है ? यदि हां, तो जो जमीनें आवन्टित की जावेंगी क्या उसका सही आवन्टन हो सकेगा ?

(3) क्या जिला झुंझनूं के भूमिहीन हरिजनों को भी कोई भूमियां आवन्टित की गई हैं ? यदि हां, तो यह भूमि किन-किन हरिजनों को आवन्टित की गई ? क्या आवन्टित भूमियों का पट्टा जारी कर दिया गया और कब्जा दिला कर काबिज कर दिया गया ? यदि हां, तो किन किन हरिजनों को कब्जा दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने समस्त जिलाधीशों को निर्देश जारी किये हैं कि भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (जिसमें हरिजन भी सम्मिलित हैं) के व्यक्तियों को ही सितम्बर, 1969 से एक वर्ष के लिए भूमि आवन्टन की जावे, दूसरे व्यक्तियों को नहीं।

समस्त जिलाधीशों ने भी अपने संबंधित अधिकारियों को सरकार के उक्त आदेश की पालना हेतु निर्देश माह सितम्बर/अक्टूबर, 69 में जारी कर दिये हैं।

(2) जी नहीं, सही यह है कि तहसील स्तर पर जो भूमि आवंटन सलाहकार समितियां है, उसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (जिसमें हरिजन भी सम्मिलित है) के दो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रखे गये हैं। अतएव सही आंवटन न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। अब आवंटन कार्य मार्च, 70 से शुरू किया जा रहा है और वर्षा ऋतु के पहले-पहले सभी भूमिहीन हरिजनों को भूमि आवंटन कर दिया जावेगा जिले के भूमिहीन हरिजनों को अब तक भूमि आवंटन नहीं हो सकने के निम्न मुख्य कारण हैं:—

1. राज्य सरकार के निर्देश का पूर्णतया जिले में प्रसारण किया जाकर भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जन जाति के प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये।
2. जिले में 82 गांवों में अकाल की स्थिति होने के कारण तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं अन्य राजस्व कर्मचारी उसमें व्यस्त रहे।

(राजस्व मंत्री)

3. अन्य क्षेत्रों में जहां अकाल की स्थिति नहीं है संबंधित कर्मचारी भू-राजस्व की वसूली में व्यस्त रहे।

4. विधान सभा के सत्र तथा अकाल कार्य में व्यस्त संबंधित विधायक भी उपलब्ध नहीं होने से आवंटन समिति की मिटिंग सम्भव नहीं हो सकी।

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

घोटालों के सम्बन्ध में जांच

61. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में किए गये घोटालों के सम्बन्ध में कार्यवाहियां चल रही हैं? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ कब कब से और उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों में से यदि किसी के खिलाफ कोई जांच की गई तो उसका क्या परिणाम रहा?

(3) इस सम्बन्ध में किन किन को निलम्बित किया गया है?

(4) उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों में से डेलीवेजेज व अस्थायी तौर पर कितने कितने हैं?

(5) क्या कार्यवाही शुरू होने के बाद किन्हीं की सेवायें भी समाप्त की गई? यदि हां, तो किन किन की, किस किस कारण से?

उत्तर

(1) जी हां, सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जांच परिणाम प्रश्न के भाग (1) में वर्णित सूची के खाना नं० 6 में दर्ज हैं।

(3) सूची (ब) संलग्न है।

(4) 49 अस्थाई, 2 स्थाई कर्मचारी हैं और 8 वर्कचार्ज स्टाफ में हैं।

(5) सूची (स) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

स्थगित प्रश्न

(13-3-70)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को भूमि का एलाटमेन्ट

102. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी जयन्ति के उपलक्ष्य में कोटा जिले के किस किस ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को कितनी कितनी भूमि अलाट की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन लोगों को भूमि अलॉट की गई उसके पट्टे उसी दिन दे दिये गये थे?

उत्तर

1. गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में कोटा जिले की शाहबाद, किशनगंज, लाड़पुरा, छीपाबडौद, अटरू व बांरा तहसीलों में 886 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 7174 बीघा 2 बिस्वा भूमि 30 जनवरी, सन् 70 तक आंवटित की गई है ग्रामवार भूमि आंवटन की सूची संलग्न है।

2. तहसील बारां, शाहबाद व किशनगंज व लाड़पुरा में जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है उनके पट्टे उसी दिन मौके पर फीस वसूल की जाकर दे दिये गये थे। छीपाबड़ौद व अटरू तहसीलों में पट्टे शुल्क जमा कराये जाने पर दिये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

स्थगित प्रश्न

(13-3-70)

मंत्रियों के नाम जमीन

108. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के किन किन मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों एवं उप मन्त्रियों के स्वयं के नाम तथा उनके किन किन सम्बन्धियों के नाम कहां कहां पर किस किस श्रेणी की कब कब से कितनी कितनी भूमि है? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) उपरोक्त भूमि में कौन कौन सी भूमि सरकार द्वारा आवन्टित हुई है तथा कौन कौन सी निजी व्यक्तियों से स्थानान्तरित कराई गई है?

(3) उपरोक्त भूमि में किस किस की कितनी कितनी भूमि किस किस नगरपालिका क्षेत्र में आती है?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. ब्यौरा उपरोक्त सूची में उपलब्ध है।

3. ब्यौरा उपरोक्त सूची में उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न

(13-3-70)

जवाई जल विस्तार क्षेत्र की भूमि

114. श्री पृथ्वीसिंह (बाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दूदणी, सेणजीवदा एवं विलासपुर तहसील बाली जिला पाली की भूमि जवाई जल विस्तार क्षेत्र में आई हुई है?

(2) उक्त जल विस्तार क्षेत्र में वर्ष 1969-70 में आदिवासियों, अनुसूचित जातियों एवं सवर्ण जातियों को कितनी कितनी भूमि आवन्टित की गई?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दूदणी में राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद भी

(श्री पृथ्वी सिंह)

.वर्ण जाति के सदस्यों की विशेष बैठक बुलाकर भूमि आवन्टित की गई है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-3 70)

छींपा बड़ौद पंचायत को आबादी हेतु दी गई जमीन

116. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा छीपाबड़ौद ग्राम पंचायत को कुछ जमीन आबादी बसाने हेतु ट्रांसफर की गई है ? यदि हां, तो कौन कौन से नम्बर की उसका कितना रकबा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो भूमि ग्राम पंचायत को आबादी बसाने हेतु दी गई है, उस पर पहले ही नाजायज कब्जे करके मकान बनवा लिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार के नाजायज कब्जे करने से वस्ती की सुन्दरता में फर्क आया है ? क्या सरकार इस प्रकार नाजायज कब्जों को हटाने के सिलसिले में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद तहसील में सन् 68-69 तक छीपाबड़ौद पटवार सर्किल के अन्तर्गत आने वाली राजस्व विभाग की कृषि योग्य भूमि या अन्य भूमि, जैसे चरनोट आदि पर लोगों ने नाजायज मकान खड़े कर लिये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. जी हां, ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद को कुल 420 बीघा 18 बिस्वा भूमि आबादी हेतु दी गई। खसरा नम्बर व रकबे की सूची (क) संलग्न है।

(2) जी हां, कुछ व्यक्तियों ने पहले से ही नाजायज कब्जा करके मकान बना लिए जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(3) नाजायज कब्जों से बस्ती की सुन्दरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इस प्रकार के नाजायज कब्जे करने वालों के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करदी गई है।

(4) 21 व्यक्तियों ने मकान खड़े कर लिये हैं। सूची (ख) संलग्न है इनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

Page No 203

सूची-क

क. सं	खसरा नम्बर	बीघा	बिस्वा
	482	—	8
	558	1	4
	978	—	6
	75	—	17
	1011	—	2
	1040	2	3
	1041	—	19
	1228	—	13
	1172	5	6
	1281	3	18
	1231	26	8

सूची—ख

क्र. सं	नाम आसामी	खसरा नं०	रकबा बी०	बिस्वा
1	रमजान हरिजन छीपाबड़ौद	1231	—	5
2	सदीक छोटे खां ,,	1231	—	2
3	लदूर आ० रामकरण	1231	—	3
4	जमना आ० केवल जाटव ,,	1181	—	2
5	हीरालाल आ० बैजनाथ ,,	467	—	2
6	बृजमोहन आ० सुग्रावा माली	415	—	2
7	रकूब आ० इमीमुनाजा खां	—	—	2
8	बिशना आ० रूपचन्द तेली	,,	—	2
9	कन्हैयालाल आ० घूल्या तमोली ,,	—	—	2
10	गोविन्दा आ० दूल्या तमोली ,,	—	—	2
11	बजरंग चमार छीपा बड़ौद	288	—	2
12	जगदीश आ० किशनचन्द ना०	1228	—	2
13	घूल्या आ० सुकखा काछी	685	—	2
14	मांग्या आ०	281	—	2
15	हजारी चमार	288	—	2
16	अक्षय आ० मोहनलाल	462	—	2
17	मांग्या आ० पन्ना	374	1	-
18	काना आ० रघनाथ	255	—	2
19	नारायण आ० पन्ना चमार	288	—	2
20	दयाचन्द जाटव	281	—	2
21	जवारयो	861	—	2
	कुल :—		3	1

परिशिष्ट 7

(ता० प्र० सं० 262) ——— की सूची

समाज कल्याण परियोजना श्री माधोपुर सन् 1959–60 से हुए मदवार व्यय की सूची

क्रमांक	मद	59–60	60–61	61–62	62–63	63–64	64–65	65–66	66–67	67–68	68–69
1.	कार्यालय स्टाफ वेतन भत्ता	5768.59	4306.25	5219.57	5741.95	6426.04	6519.88	7156.85	7170.84	8295.67	9909.70
2.	अध्यक्ष का आकस्मिक व्यय	282.75	246.27	678.85	135.45	332.20	97.63	56.72	74.40	289.71	—
3.	यात्रा व्यय	374.66	810.29	711.50	1952.57	1359.34	1099.42	933.92	732.39	1882.12	2694.98
4.	जीप मरम्मत व पैट्रोल	1024.85	2389.70	3166.50	3438.43	2575.88	1564.73	2859.54	2282.56	2230.91	1490.61
5.	कार्यालय किराया	140.00	220.00	887.07	300.00	241.33	160.00	320.00	120.00	—	—
6.	कार्यालय विविध व्यय	456.00	1251.42	418.33	678.65	539.04	485.12	579.85	548.70	612.37	570.88
7.	सुपरवाईजरी स्टाफ	—	1214.61	1153.00	1504.44	1438.81	1917.38	1014.21	3773.33	4137.00	2940.42
8.	केन्द्र स्टाफ वेतन	386.76	8670.75	12539.85	12883.67	12842.07	12217.74	15242.30	15732.44	18547.21	16468.10
9.	औषधि	—	787.47	1603.38	348.61	275 00	220.00	—	—	124.80	—
10.	उद्योग सामान	3721.60	488.27	314.00	224.43	0.37	2.25	8.00	—	332.12	438.78
11.	बालबाड़ी सामान	871.94	1187.37	3703.47	838.83	155.79	675 50	2226.84	294.93	1714.89	253.20
12.	सामाज शिक्षा	191.87	998.97	1177.26	629.42	138.62	415.22	235.64	64.50	252.34	260.00
13.	केन्द्रीय विविध व्यय	60.00	618.94	464.55	393.80	470.94	396 40	820.81	533.78	106.15	899 61
14.	केन्द्र किराया	60.00	288.00	421.02	289.00	252.30	203.30	216.00	262.80	236.16	565.67
15.	समाज शिक्षा सामग्री	1163.00	461.52	—	600.00	200.00	150.00	—	—	—	—
	योग	14452.66	23418.37	32858.35	29959.25	27247.73	26097.57	31670.68	29592.67	38761.45	36491.95

परिशिष्ट ७

(आतारांकित प्रश्न संख्या 331 की सूची)

जिला अलवर सन् 1969 में हुए डकैती, कत्ल व चोरी सम्बन्धित तालिका।

क्र० सं०	नाम थाना	डकैती रिपोर्ट	गिरफ्तार डकेत	सजा	माल बरामद। कुल	रिपोर्ट	गिरफ्तार मुल0	सजा	चोरी माल बरामद शुदा	कत्ल रिपोर्ट	गिरफ्तार मुलजिम	सजा।	माल बरामद शुदा
1	कोतवाली	—	—	—	—	98	36	6	71747) रु० 53 पैसे	4	4	1	—
2	सदर अलवर	1	1	—	—	39	31	6	15368) रु० 60 "	5	4	—	—
3	माला खेड़ा	—	—	—	—	13	10	—	4100) रु० 00	1	—	—	—
4	विजय मन्दिर	—	—	—	—	5	5	1	315) रु० 00	—	—	—	—
5	तिजारा	—	—	—	—	38	38	—	14635) रु० 00	5	7	—	—
6	किशनगढ़	—	—	—	—	26	24	4	6595) रु० 00	2	2	—	—
7	टपूकड़ा	—	—	—	—	15	8	—	10799) रु० 00	4	9	—	—
8	कोटकासिम	1	9	—	4240) रु०	24	15	—	4825) रु० 00	—	—	—	—
9	रामगढ़	1	6	—	10,000) रु०	25	24	—	5953) रु० "	1	1	—	—
10	राजगढ़	—	—	—	—	24	23	—	9855) रु० "	1	1	—	—
11	लक्ष्मणगढ़	—	—	—	—	26	25	1	10832) रु०	1	1	—	—
12	कठूमर	—	—	—	—	12	5	—	9340) रु०	2	15	—	—
13	खेडली	1	10	—	3500) रु०	13	12	—	9235) रु०	2	11	—	—
14	गोविन्दगढ़	—	—	—	—	24	24	—	10975) रु०	—	—	—	—
15	बेहरोड़	—	—	—	—	19	16	—	6375) रु०	2	3	—	—
16	मान्डन	—	—	—	—	16	14	—	15202) रु०	2	2	—	—
17	मुन्डावर	—	—	—	—	26	26	1	4780) रु०	1	1	—	—
18	बानसूर	—	—	—	—	11	6	—	3117) रु० 50 पैसे	2	5	—	—
19	थाना गाजी	—	—	—	—	14	13	—	6560) रु०	2	1	—	18000)
20	प्रतापगढ़	—	—	—	—	12	12	—	5210) रु०	—	—	—	—
21	नारायणपुर	—	—	—	—	8	8	—	963) रु०	—	—	—	—
22	टहला	—	—	—	—	18	18	1	7440) रु०	—	—	—	—
योग			26	—	17740) रु०	506	393	20	234222) रु० 63 पैसे	37	67	1	18000)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 334 की सूची)

सूची

क्र० सं	नाम पिता का नाम	जाति	निवास स्थान	राशि (सहायतार्थ)	वर्ष
1.	श्री हरीराम पुत्र उदाराम	हरिजन	गुसाईसर	50) रु०	1968
2.	,, गिरधारी राम पुत्र राजूराम	,,	,,	100) ,,	1968
3.	,, चौथराम पुत्र हुकमाराम	नायक	केलासर	100) ,,	1969
4.	,, हनुमानसिंह पुत्र सुजानसिंह	राजपूत	सुजासर	100) ,,	1969
5.	,, सुरजाराम पुत्र जैसाराम	ब्राह्मण	शोभासर	233) ,,	1969

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 336 की सूची)

जिला नागौर के भूतपूर्व जागीरदारों को चुकाया जाने वाला मुआवजा व नेहरु अवार्ड के बौन्डस् व नकद रकम की तहसीलवार सूची

क्रम सं०	नाम तहसील	मुआवजा के बौन्ड अब भुगतान करने हैं उन व्यक्तियों की संख्या	संख्या भू० पू० जागीरदार-मुआवजा की नकद राशि चुकाना शेष है	संख्या भू०-पू० जागीरदार जिनको नेहरू अवार्ड के बौंड चुकाना शेष है	नेहरू अवार्ड की नकद रकम चुकाना शेष है
1.	नागौर	805	1242	1435	2567
2.	जायड	672	1609	1220	2393
3.	खेना	855	1772	1276	3099
4.	मेड़ता	1028	2466	6666	2909
5.	परवतसर	1020	2482	1752	5204
6.	नावां	1602	715	1015	4275
7.	डीडवाना	909	1557	1507	3566
8.	लाडनूं	907	1729	1225	2652
योग	8	2705	14317	11027	27075

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 354 की सूची)

अलवर जिले में बेराटस की कुल 26 खाने हैं तथा निम्न लिखित पार्टियों के पास उनके नाम के आगे अंकित खाने हैं।

(1) श्री चन्दूलाल गुप्ता	7
(2) श्री मदन मोहन सहगल दिल्ली	1
(3) मेसर्स काशीलाल एण्ड संस अलवर	1
(4) श्री राम नारायण एण्ड कं० अलवर	9
(5) श्री राजस्थान मिनरल्स ट्रेडर्स अलवर	2
(6) श्री बनवारी लाल व्यास खेड़ा	1
(7) श्री मेसर्स स्टाक एण्ड कं० दिल्ली	3 दो खाने सरेन्डर हो गई सन् 68 में
(8) मेसर्स सेरयल मिनरल माईनिंग कं० अलवर	1
(9) श्री शतेन्द्र मीत्तल अलवर	1
कुल	26

Page No 210

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न सं० 70 की सूची)

सूची

1. पाइप नग 4
2. ताले नग 12
3. मेज नग 1
4. कुर्सियां नग 14
5. स्टूल नग 1
6. शिकायत बक्स 1
7. बैलट बक्स 1
8. लोटा 4
9. कैंची 1
10. लोहे की ट्रे 1
11. चायदानी 1
12. कप प्लेट नग 16
13. ट्यूब लाइट 130
14. स्टार्टर नग 150
15. आयरन स्टेनशील नग 16

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची)

सूची

क्र. सं०	नाम स्थान	नाम व्यक्ति	रकम (बीघा में)
1.	नोखामंडी	श्री रूघाराम पुत्र अमराराम जाट	10 बीघा
2,	,, ,,	श्री जग्गा पुत्र शोभा डाकोत	10 ,,
3.	,, ,,	श्री धनाराम पुत्र अमरा जाट	5 ,,
4.	बिलड़िय सर	सूचना एकत्रित की जा रही है।	

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
11	2	संधा	सीधा
28	अन्तिम से 7	लूंगा	दूंगा
43	,, 12	जवे	जावे
43	,, 3	ठाक	ठीक
54	,, 6	अनियमितत	अनियमितता
62	,, 9	स्वाकार	स्वीकार
65-66	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
76	अन्तिम से 1	नरप	मरपत
98	,, 23	निश्वत	निश्चित
117	,, 20	meary	merely
173	,, 4	चर्चा	पर चर्चा
175	शीर्ष	—	श्री
177	6	अपील लेट	अपीलेट
191	17	अप्लीकेशनस	अप्लीकेशन्स
219	6	कोइ	कोई
230	14	खच	खर्च
306	अन्तिम से 1	Chairman	Chairmen
325	15	का	की
325	15	की	को
327	5	हाना	होना
330	अन्तिम से 9	का	—
338	11	बढ़ाता	बढ़ता
344	19	होगा	होगी
370	22	वर्गवार	वर्षवार
392	1	ीवर्ण	सवर्ण
399	6	जायउ	जायज